खण्ड-467, अंक-10
बुधवार, 08 फाल्गुन, शक संवत् 1929
(27 फरवरी, 2008 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2008)

खण्ड 467 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	...	क-च
लखनऊ के ट्रामा सेन्टर में अबोध बच्ची के साथ हुए बलात्कार संबंधी नियम-311 की सूचना को उठाने का प्रयास		...	...	1
प्रश्नोत्तर	...	...	...	1-53
महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश निवासियों पर हो रहे हमले से सम्बन्धित नियम-103 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पुनर्विचार की मांग		...	...	53-54
बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित बजट साहित्य न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	...	...	...	54
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	...	54-55
इलाहाबाद स्थित रसूलाबाद घाट का सौन्दर्यीकरण एवं आजाद पार्क में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	56
सीतापुर के अम्बेडकर ग्राम चौबेपुर में तीन वर्षों से खराब पड़े सरकारी नलकूप को ठीक करवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना			...	56
सीतापुर के बिसवां क्षेत्रान्तर्गत मधु [illegible] लि0 में मजदूरों का शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना			...	56
जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज घोरावल मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	57
जिला पंचायत बलरामपुर द्वारा अवैध रूप से वसूले जा रहे गुण्डा टैक्स की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना			...	57
गोरखपुर विश्वविद्यालय में बहुत से स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को अचानक बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	57-58
बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के डेण्टल सर्जरी विभाग में डिमांस्ट्रेटर की अवैध नियुक्ति को समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 अन्तर्गत सूचना	...	...	...	58-59
मैनपुरी के ग्राम ढकपुरा ग्राम सभा औंग में स्वीकृत पूर्व माध्यमिक विद्यालय का भवन अन्य ग्राम में बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	59-60

विषय	पृष्ठ-संख्या
मुजफ्फरनगर के थाना भवन के ग्राम देहात पट्टी कालरू में शत्रु सम्पत्ति की जांच कराकर भूमि को राजस्व अभिलेखों में ग्राम पंचायत की भूमि दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	60
जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में कुत्ता काटने का इन्जेक्शन उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	60-61
जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्र में शारदा सहायक खण्ड-39 से सम्बन्धित माइनरों में टेल तक पानी न पहुंचने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61
कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्र में ब्लाक खड्डा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में जारी धांधली को रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61
वाराणसी चन्दौली सीमा पर स्थित पड़ाव चौराहे के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62
खीरी के नगर पंचायत सिगाही में लड़कियों का हाई स्कूल/इण्टर का परीक्षा केन्द्र 18 कि0मी0 दूर करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62
वाराणसी में गंगा तट पर स्थित जर्जर हो चुके भवनों की मरम्मत की अनुमति वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63-64
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	64-65
विधान सभा के विगत एवं वर्तमान सत्र मे असरकारी दिवस उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	65-66
चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा अपनी सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित दिनांक 6 दिसम्बर, 07 को नियम-56 में दी गई सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने के बावजूद उन्हें भुगतान के आधार पर गनर उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	66-70
दिनांक 20 फरवरी, 2008 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-24 के उत्तर के अनुसार अभी तक वस्तुस्थिति से अवगत न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	70-72
अध्यक्ष पीठ एवं शासन द्वारा विधान सभा सदस्यों के प्रति जारी किये गये शिष्टाचार विषयक निर्देशों का पालन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	72-77

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखीमपुर खीरी मुख्यालय में रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनवाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास	77-78
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की सूचना कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व विधान सभा के मा0 सदस्यों को न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	79-80
विधान मण्डल द्वारा पारित विधेयक के अन्तर्गत जारी शासनादेशों की अवहेलना करके गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	80-82
उत्तर प्रदेश विद्युत लोकपाल (निबन्धन और सेवा शर्तें विनियमन, 2007 सदन के पटल पर रखा गया)	82
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियमावली, 2007 सदन के पटल पर रखी गयी ...	82
उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के वित्तीय वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखे गये)	83
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी)	83
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	83
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	83-84
श्री सुल्तानबेग, सदस्य, विधान सभा द्वारा न्यायालय ज्यूडिशियल बहेड़ी (बरेली) में आत्मसमर्पण के पश्चात् उसी दिन जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में सूचना	84
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	84-105
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) (स्वीकृत) ...	106-156

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)	156-190
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-53, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) ...	190
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)	191-201
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	201-202
श्री शाहिद मंजूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री मुहम्मद इब्राहिम समीक्षा अधिकारी, सचिवालय प्रशासन (विविध) अनु0-9 के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	202-204

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2008

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य-348

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीकुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
अजय यादव, श्री	एटा
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	[illegible]
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरुण कुमा यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोम . श्रीमती	कानपुर नगर
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद

आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 शर्मा, पण्डित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमलेश यादव, श्रीमती	बदायूं
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर

ददूदन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
ददूदू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री	झांसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम वर्मा, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव	
डी0पी0 यादव, श्री	बदायूं
धर्म पाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा	
'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूं
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्त रविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेशधर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहांपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर

उत्तर प्रदेश रक्षा

रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ

सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर	सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
शिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सी0एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र	सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सुखलाल, श्री	पीलीभीत	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव	हरिओम, श्री	जालौन
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	हसरत उल्ला, श्री	एटा
सुभाष, श्री	बलिया	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट :–आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) व भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लखनऊ के ट्रामा सेन्टर में अबोध बच्ची के साथ हुये बलात्कार सम्बन्धी नियम-311 की सूचना को उठाने का प्रयास

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ में ट्रामा सेन्टर में एक 11 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का प्रयास हुआ है। इससे ज्यादा जघन्य और घृणित अपराध कोई हो नहीं सकता। एक मासूम लड़की के साथ यह घटना हुयी है और जो तकनीशियन मौके पर पकड़ा गया है वह हास्पिटल इम्प्लाई नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है जो एक लड़की के बलात्कार से सम्बन्धित है, उस पर मैं सुन लूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह गलत काम करने वाले लोग भी बाहर से आ रहे हैं और ट्रामा सेन्टर में बलात्कार हो रहा है, इससे ज्यादा जघन्य कृत्य कोई हो नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मैंने कह दिया मैं सुन लूंगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सहकारी बैंकों से किसानों द्वारा लिये गये ऋणों की अदायगी हेतु योजना की रूपरेखा

**1-डा0 अजय तोमर-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहकारी बैंकों से किसानों द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी हेतु कोई एकमुश्त समाधान योजना लागू की जायेगी ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 में दिनांक 30 जुलाई, 07 से एक मुश्त समाधान योजना लागू है।

एकमुश्त अदायगी करने पर पैनल ब्याज में पूरी छूट तथा अतिरिक्त ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता है।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के जिला सहकारी बैंक लगभग दो दर्जन बंद हैं। गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, इन सारे बैंकों में किसानों का करोड़ों रुपये जमा हैं। इसके लिये

सरकार की क्या योजना है ? दूसरा प्रश्न मेरा है कि क्या वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है अगर प्राप्त हो गयी है तो उत्तर प्रदेश में लागू की गयी है कि नहीं की गयी, क्योंकि केन्द्र सरकार से वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर देश के अन्य प्रदेशों को सहायता राशि प्राप्त हो रही है। अपने प्रदेश में उसकी क्या स्थिति है ? मान्यवर, मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि किसानों के जमा पैसे पर सहकारी बैंकों में ब्याज नहीं दिया जाता और किसान जब ऋण लेते हैं तो उनसे ब्याज लिया जाता है उसमें किसान को कुछ ब्याज की सुविधा देने की बात है क्या ? साथ ही एकमुश्त छूट के बारे में जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि 30 जुलाई, 07 से लागू है, क्या इसमें अतिरिक्त ब्याज जो 50 प्रतिशत है, इस पर भी पूर्ण छूट देने पर सरकार विचार करेगी और एकमुश्त समाधान योजना के प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिये क्या माध्यम अपनाये गये हैं ताकि ऋण लेने वाले कृषक इस योजना से लाभान्वित हो सकें और उन्हें इस बात का पता चल सके ? धन्यवाद।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, अतिरिक्त ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट है और पैनल ब्याज में पूर्णतः छूट दिया जाता है और चूंकि मान्यवर, यह नाबार्ड से एक तरह से सहमति के आधार पर किया जाता है और नाबार्ड से जो सहमति प्राप्त की गयी है, उसके अनुसार यह छूट दिया जाता है।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मेरे सारे प्रश्न अनुत्तरित रह गये। वैद्यनाथन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, वह प्रदेश में लागू की गयी है कि नहीं। क्योंकि वैद्यनाथन कमेटी के आधार पर ही केन्द्र से नाबार्ड को सहायता राशि प्राप्त होनी है। इसके अलावा जो एकमुश्त समाधान योजना है, इसके प्रचार-प्रसार के लिये क्या किया गया है। जो दो दर्जन सहकारी बैंक बंद हैं, उनमें किसानों का करोड़ों रुपये जमा हैं, इसके लिये क्या योजना है ? किसानों को ऋण लेने पर अगर ब्याज लिया जा रहा है तो जो उनकी जमा राशि है, उस पर भी ब्याज दिया जायेगा या नहीं दिया जायेगा ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह तो इससे अलग प्रश्न है और इससे रिलेटेड नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आपने जिस परिधि में जानकारी करने की कोशिश की है, उसका तो साफ उत्तर आ गया। शेष आप पूछ रहे हैं कि अगर वह ऋण लेता है तो ब्याज लेते हैं और जमा करे तो ब्याज नहीं मिलता, यह लम्बे समय से व्यवस्था रही है।

डा0 अजय तोमर-

मैं यह जानना चाह रहा हूं कि एकमुश्त समाधान योजना के प्रचार-प्रसार के लिये क्या किया गया है ताकि इस परिधि में जो किसान आते हैं, वह इसका 100 प्रतिशत लाभ ले सकें ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, समाधान योजना का प्रचार-प्रसार पूछ रहे हैं, ताकि जनता इसका पूरा लाभ ले सके ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह तो व्यवस्थित ढंग से, सभी जो सहकारी ग्राम्य विकास बैंक हैं, उनके माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार किया जाता है, और इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अभी तक कुल करीब 41 हजार किसान इसका लाभ उठा चुके हैं और 12 करोड़ की छूट दी जा चुकी है।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देवरिया, कसया सहकारी बैंक में गन्ना किसानों का, पेंशनधारकों का तथा अन्य लोगों का पैसा जमा है और उस पैसे का भुगतान आहरण बंद है, बैंक भुगतान करने की स्थिति में नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उसका भुगतान कराये जाने की कोई योजना है और है तो कब तक करा दिया जायेगा ? यह आप न कह दीजियेगा माननीय मंत्री जी कि यह प्रश्न सम्बन्धित नहीं है। चूंकि सहकारी बैंक की बात हुयी है इसलिये मानवीय आधार पर उन लोगों की समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं और इसमें मैं निश्चित तौर पर चाहूंगा कि इसको आप गम्भीरता से लेकर इसका स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

राय साहब, जिन सहकारी बैंकों में ऐसे खाते हैं किसानों के या अन्य लोगों के जो बंद हो चुकी हैं या डिफाल्टर हो चुकी है। उन्हीं के भुगतान के सम्बन्ध में बोल रहे हैं कि उनकी व्यवस्था क्या होगी जब वह बैंक आलरेडी बंद हो चुका है। यह तो प्रश्न की परिधि में नहीं आता।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह तो प्रश्न की परिधि में नहीं है, उसका अलग से सवाल लगा लेंगे सहकारिता विभाग का जब बजट आयेगा तो उस समय पूरा डिटेल हम बता देंगे। वैद्यनाथन की से सम्बन्धित और सारी व्यवस्था जो की जा रही है किसानों के लिये, उस दृष्टि से उसको बता देंगे। लेकिन आज यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि हमारा भी प्रकरण लगभग राय साहब से सम्बन्धित है। हमारी न बैंक बंद है न डिफाल्टर घोषित हैं। किसान ने पैसा जमा किया और जब पैसा लेने जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे बैंक में पैसा नहीं है। तो मान्यवर मैं आपको नाम बता देती हूं। गोमती सहकारी बैंक, गोनापार और कृषक का नाम अवध नारायण उपाध्याय। यह माननीय अध्यक्ष जी, जब भी बैंक में जाते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे बैंक में

ऐसा नहीं है। हम पैसा आपको नहीं दे पायेंगे तो मान्यवर, इसका बड़ा गलत संदेश जा रहा है कि आपकी बैंक पैसा लेती है, पैसा देती नहीं है, इसके बारे में जरा हमको बताने की कृपा करें कि पैसा बैंक क्यों नहीं दे रही है ?

श्री अध्यक्ष-

उसी के सन्दर्भ में तो अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है सीमा जी।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद गोण्डा और जनपद बलरामपुर में जिला सहकारी बैंक काफी दिनों से बंद पड़े हैं और गांव में रहने वाले किसानों का धन जमा है और ज्यादातर यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गयी है तो हम चाहते हैं कि जो बैंक बंद हैं उनको खुलवा दें और कृषकों का जो पैसा बाकी है वह उनको दिलवा दें और बैंक में सुचारु रूप से कार्य प्रारम्भ करा दिया जाय ताकि किसानों का बकाया पैसा जो है, वह उनको मिल जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यर, मैंने पहले ही कहा कि विस्तार से, जिस दिन सहकारिता विभाग का बजट आयेगा बता देंगे। या फिर अलग से प्रश्न पूछ लेंगे तो इन्डीविजुअल हम बता देंगे। अब इस प्रश्न के माध्यम से हम कैसे बता दें।

श्री अध्यक्ष-

जो बैंक बंद हैं या डिफाल्टर हैं, वहां जो खाते खुले हैं और उनमें जमा पैसे के भुगतान की समस्या है, उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने सामूहिक तौर पर बता दिया कि जब बजट आयेगा तो विस्तृत तौर से बता देंगे।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, किसानों से जुड़ा मामला है और इस तरह सफाई से वित्त मंत्री जी का उत्तर दे देना, इससे पहल नहीं हो रही है। गरीबों से जुड़ा मामला है। किसानों का लाखों-करोड़ों रुपया डूबा जा रहा है और किसान परेशान हैं। उसे खाद, बिजली, पानी सब देखना है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, एक सवाल मैं करना चाहता हूं। एकमुश्त समाधान योजना के बारे में प्रश्न है उसी से सम्बन्धित मैं पूछ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जिन किसानों का पैसा बैंक में जमा है और बैंक भुगतान नहीं कर रहा है और उन्हीं किसानों पर साधन सहकारी समितियों का कर्जा है, जो कर्जे की वसूली तो सख्ती से कर रहे हैं और अपने बैंक का रुपया नहीं दे रहे हैं तो क्या जो उनका बैंक में रुपया जमा है और साधन सहकारी समिति में वह बकायेदार हैं, उन दोनों का समायोजन कराने का मा0 मंत्री जी कष्ट करेंगे ? मान्यवर, यह तो समाधान योजना से सम्बन्धित है।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह नाबार्ड से वित्तपोषित योजना है। क्या मा0 मंत्री जी नाबार्ड को लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों में अतिरिक्त ब्याज के लिए 50 प्रतिशत जिसके लिए नाबार्ड ने कहा है क्या इस बात की संस्तुति करेंगे कि इसे भी 100 प्रतिशत कर दिया जाये ?

श्री अध्यक्ष-

अभी मा0 मंत्री जी ने इसी पर बेसिक तौर पर बताया है कि सहकारिता के बजट में सभी बातों पर विस्तृत तौर से जवाब देंगे।

सरकार द्वारा राज्य कर्मियों को नकदीकरण की सुविधा बहाल करने की मांग

**2-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा राज्य कर्मियों को प्रतिवर्ष एक माह के अवकाश नकदीकरण की सुविधा समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सुविधा पुनः बहाल करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश शासन की वित्तीय स्थिति एवं विकास सम्बन्धी अन्य प्रतिबद्धताओं को देखते हुए।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, जो मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया उस जवाब से ऐसा लगता है कि यह सरकार न केवल व्यापारियों की, छात्रों की, किसानों की बल्कि उन कर्मचारियों की भी विरोधी है जो प्रदेश का विकास कार्य करते हैं। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार का एक वर्ष में राज्यकर्मियों के नकदीकरण पर कितना व्यय होता है ? और दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जब नकदीकरण राज्यकर्मियों को दिया जाता था तो उस समय विकास कार्य नहीं होते थे ? एक प्रश्न का उत्तर और जानना चाहता हूं कि अर्जित अवकाश की वजह से स्थानापन्न कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होती है फलस्वरूप एक महीने तक सीटें खाली रहती हैं तो उससे कितनी धनराशि का विकास कार्य बाधित होता है ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 जैन साहब, आपने ऐसा अनुपूरक पूछा है। इसका आंकलन कैसे करेंगे कि अवकाश नकदीकरण का भुगतान न होने से कितने विकास कार्य का पैसा रुकता है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें, विकास कार्य की कहां से सूचना लायेंगे ?

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मैंने मा0 मंत्री जी से यह पूछा था कि एक वर्ष के नकदीकरण में राज्यकर्मियों के ऊपर कितनी धनराशि का भुगतान राज्य सरकार को करना पड़ता है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह रोक आज से नहीं लगी है, यह रोक मान्यवर, 31 दिसम्बर, 1999 को लगी और तब से लगी हुई है। मान्यवर, जहां तक एक वर्ष में अनुमानित व्यय का जवाब है तो इस नकदीकरण से एक वर्ष में अनुमानित व्यय 845 करोड़ रुपये है।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बिना राज्य कर्मचारियों के कोई विकास कार्य नहीं होता है। इस सरकार ने प्रदेश में पार्क और स्मारकों पर एक वर्ष में कितनी धनराशि व्यय की है ? और वह धनराशि बढ़ती हुई महंगाई के परिप्रेक्ष्य में राज्यकर्मियों के हिसाब से उपयुक्त है या नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

एक दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि जो राज्य कर्मियों को नकदीकरण नहीं दिया जाता है तो वह उस समय ड्यूटी पर नहीं आते हैं और ड्यूटी में न आने के कारण विकास कार्य बाधित होते हैं वह सीटें खाली होती हैं क्योंकि नयी नियुक्तियां नहीं हो पाती हैं। उसी का अनुपूरक प्रश्न है कि उस पर कितना व्यय या कितनी हानि राज्य सरकार को उठानी पड़ती है। जब सीटें खाली होगी, विकास कार्य नहीं होंगे और महीने भर कर्मचारी नहीं आयेंगे तो वह भी अनुपूरक प्रश्न है हम चाहते हैं कि उसके बारे में भी बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 जैन साहब आप क्या चाह रहे हैं ? आप कह रहे हैं कि नकदीकरण का भुगतान नहीं होता है तो उतनी सीटें वैकेंट रहती हैं कर्मचारी काम नहीं करता है तो कितनी क्षति होती है, उसका आंकलन करके बतायें। अब कहां से मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि कितनी क्षति हो रही है ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी जैन साहब के प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि वर्ष 1999 से अवकाश नगदीकरण की सुविधा पर रोक लगी है। यह सरकार बहुत से काम जो पिछली सरकारों में ठीक से नहीं हुये हैं उनको ठीक कर रही है तो क्या मा0 मंत्री जी जो अवकाश नगदीकरण है उस पर से रोक हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने पहले ही उत्तर दे दिया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये, जो विकास की प्रतिबद्धता है उसको ध्यान में रखते हुये इसे किया जाना सम्भव नहीं होगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मा0 वित्त मंत्री जी के उत्तर से उत्पन्न हुये प्रत्युत्तर के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि आपने अभी अवकाश नगदीकरण सुविधा को समाप्त नहीं किया है केवल स्थगित किया है अर्थात आप नीतिगत रूप से सहमत हैं कि इस योजना को चलते रहना चाहिये। इसे 1999 से स्थगित किया गया है। अगर इस योजना से सहमत नहीं हैं तो निरस्त कर दें, अगर योजना से सहमत हैं तो फिर स्थगित करने का क्या प्रश्न उठता है ? मैं बताना चाहता हूं कि 1999 से मा0 मंत्री जी ने स्थगित किया हुआ है, वर्ष 2008 चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वर्ष 2008 में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधा को बहाल करेगी या अपने कर्मचारी विरोधी नीति पर कायम रहेगी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसका उत्तर तो मैंने दे दिया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

चूंकि यह सरकार कर्मचारियों के विरुद्ध काम कर रही है, सरकारी कर्मचारियों को उनका हक नहीं दे रही है इसलिये विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री प्रमोद तिवारी ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

तारांकित प्रश्न

नत्थी (ख)

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की मांग

*1-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड निरस्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? वर्तमान में बढ़ती हुई मंहगाई व भुखमरी देखते हुए क्या सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत पात्र बी0 पी0 एल0 परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मान्यवर, बहुत बड़े पैमाने पर बी0 पी0 एल0 के सुपात्र लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाया है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार पुनः जांच करके ऐसे दोबारा छूटे हुये लोगों का राशन कार्ड बनवायेगी ? दूसरा प्रश्न है कि काशी विद्यापीठ ब्लाक के टिकरी गांव में गंगा जी के किनारे हजारों की संख्या में मांझी जाति के लोग रहते हैं जो पूर्ण रूप से बी0 पी0 एल0 कार्ड के पात्र हैं लेकिन उनका कई सालों से कार्ड नहीं बन पाया है। क्या मैं यह आशा करूं कि सरकार मुख्य रूप से गांव का कोटा बढ़वाकर उनका राशन कार्ड बनवा देगी ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, बी0 पी0 एल0 कार्डों का सर्वेक्षण गांवों और शहरी क्षेत्रों में हो रहा है, यदि पात्र होंगे तो निश्चित रूप से बी0पी0एल0 का राशन कार्ड बन जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान मैं इस प्रश्न के तीसरे हिस्से की तरफ दिलाना चाहता हूं इसमें यह पूछा गया था कि वर्तमान में बढ़ती हुई महंगाई व भुखमरी को देखते हुये क्या सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड उपलब्ध करायेगी ? आपका उत्तर है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत पात्र बी0 पी0 एल0 परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं। पात्रता का अर्थ है सामान्य रूप से वह गरीबी की रेखा से नीचे हो जो अपना राशन बाजार भाव से नहीं खरीद सकता है। दूसरे, आपने बता दिया कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य में और बी0 पी0 एल0 परिवारों में एकरूपता हो यह आवश्यक नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितने बी0पी0 एल0 परिवार हैं और केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित क्या लक्ष्य है ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिये 1 करोड़, 6 लाख लोगों का लक्ष्य दिया है। बी0 पी0 एल0 कार्डों का सर्वे इस समय हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। कितने लोग पात्र हैं, यह आंकड़ा मेरे पास इस समय नहीं है। एक सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कराया जा रहा है और इसमें ग्राम्य विकास विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग और राजस्व विभाग के लोग लगे हुये हैं तथा 31 मार्च, 2008 तक सर्वे का लक्ष्य है। उसके बाद ही कोई आंकड़ा आ पायेगा, इस समय हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बी0 पी0 एल0 के कितने लोग हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

यह भी आंकड़े आपके पास नहीं कि कितने बी0 पी0 एल0 परिवार इस प्रदेश में हैं इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है कि खाद्य मंत्री यह कहे कि मुझे पता नहीं कि बी0पी0एल0 में कितने परिवार हैं। चलिये पता नहीं सर्वेक्षण हो रहा है तो मैं इतना आश्वासन चाहता हूं कि सर्वेक्षण के पश्चात् जितने परिवार बी0पी0एल0 की श्रेणी में पाये जायेंगे क्या उन सभी परिवारों को जो छूट अनुमन्य है उस अनुमन्यता के अनुसार राशन उपलब्ध करायेंगे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

अध्यक्ष जी, पहले ही मैंने बताया कि एक करोड़ 6 लाख अनुमन्य हैं यह भारत सरकार द्वारा अनुमन्य हैं उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार कर नहीं सकती है। बी0 पी0 एल0 सर्वे जो कराया जा रहा है इसके बाद भारत सरकार से सिफारिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इतने लोग बी0पी0एल0 की लिस्ट में हैं। भारत सरकार अगर अनुमन्य करेगी तो निश्चित रूप से किया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

दो स्थितियां हैं भारत सरकार ने पूरे देश के लिये लक्ष्य निर्धारित कर दिया तो हर प्रदेश की स्थिति अलग-अलग है। उत्तर प्रदेश में यदि बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या ज्यादा है करीब डेढ़ दो करोड़ आ जाती है और लक्ष्य एक करोड़ 6 लाख का है तो बाकी परिवारों का क्या दोष है ? पात्र होते हुये भी राशन से वंचित हो जायं क्या सर्वे का आधार मानकर जो भी बी0पी0एल0 की श्रेणी में आते हैं उन सबको राशन अनुमन्य दरों पर, सस्ती दरों पर उपलब्ध करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने बता दिया कि भारत सरकार से लक्ष्य दिया गया है।

श्री हुकुम सिंह-

फिर सर्वे कराने की क्या आवश्यकता रहेगी ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

किसी सर्वे के आधार पर ही तो भारत सरकार से अनुरोध किया जा सकता है। इसीलिये सर्वे करा रहे हैं। बिना सर्वे के किस आधार पर अनुरोध करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह सवाल इस सदन में पहले भी आ चुका है और पूरे प्रदेश की एक चाहत है कि जितने भी गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले हैं उन लोगों को सस्ती दर पर राशन उपलब्ध हो जाय। केन्द्र सरकार के हिसाब से 26 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उत्तर प्रदेश सरकार के मानक के अनुसार शहरी क्षेत्र में 2500 रुपये जिसकी आमदनी है और ग्रामीण क्षेत्र में जिनकी आमदनी 1900 रुपये है इस आमदनी वाले पूरे प्रदेश में 30 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। भारत सरकार ने केवल एक करोड़ 6 लाख का लक्ष्य दिया है मंत्री जी केन्द्र सरकार से इस 30 प्रतिशत को लक्ष्य मानकर इस लक्ष्य को निर्धारित करने की मांग के सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की है वह सदन के सामने बतायेंगे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा था। भारत सरकार ने अभी उसका जवाब नहीं दिया। पिछले दिन सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा था तो भारत सरकार ने बढ़ाने से मना कर दिया था। इस बार फिर अनुरोध किया गया है। 31 मार्च तक नई सूची आ जाएगी उसी को आधार मानकर निश्चित रूप से भारत सरकार से सिफारिश करेंगे।

श्री सुरेश्वर सिंह-

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं भारत सरकार ने एक करोड़ 6 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया है। मान लीजिये सर्वे में डेढ़ करोड़ की संख्या आ जाती है तो सरकार कौन सी नीति लागू करेगी क्या प्राथमिकता तय करेगी। कितने लोगों के बी0पी0एल0 कार्ड बनायेंगे, कितने लोगों के बी0 पी0 एल0 कार्ड नहीं बनायेंगे और जिसके कार्ड नहीं बनाये जायेंगे वह किस श्रेणी में आयेंगे। माननीय मंत्री जी यह बी0 पी0 एल0 कार्ड का चयन करने का आधार क्या है ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, यह जो नया सर्वे हो रहा है उसमें 13 प्वाइन्ट हैं। कच्चे मकान पर 1 नम्बर, किसी के पास पक्का मकान है तो 3 नम्बर, इस तरह से मानक के अनुसार ही चयन होगा। मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारा लक्ष्य निर्धारित है यदि उससे अधिक संख्या आती है तो हम उसके लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध करेंगे।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो यह प्रश्न है कि प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के राशन कार्ड निरस्त कर दिये गये हैं यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? राशन कार्ड निरस्त कर दिये गये। मान लीजिये किसी गांव में 200 लोगों के पास यह राशन कार्ड हैं और आपने जांच कराकर उसमें से पाया कि 20 गलत बने थे तो मान्यवर, यह 20 जो निरस्त किये गये हैं यह उसी गांव के पात्र व्यक्तियों को जो भुखमरी की कगार पर हैं, मिलने चाहिये लेकिन ऐसा नहीं है वे अम्बेडकर गांवों और काशी राम शहर विकास योजना के तहत चयनित मोहल्लों को दे दिया गया। जो लोग भूख से मर रहे हैं उनके लिये सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करिये।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, यही प्रश्न है। बढ़ती हुई महंगाई व भुखमरी को देखते हुये सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को क्या राशन कार्ड उपलब्ध करोयगी ? उन्हीं के गांव का जो लक्ष्य था उसको पूरा करेगी। 1 करोड़ 6 लाख का यह जो लक्ष्य है मान लीजिये सर्वे हो रहा है, 2 करोड़ लोग पात्र पाये गये तो उसका क्या मानक निर्धारित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यही प्रश्न माननीय हुकुम सिंह जी का था और उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया था कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक यदि संख्या होती है तो उसके लिये केन्द्र सरकार को लिखेंगे। माननीय मंत्री जी फिर बता दीजिये।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मैंने कहा कि जो हमारा लक्ष्य निर्धारित है यदि उससे अधिक गरीबी की रेखा के नीचे के लोग आते हैं तो उसके लिये भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा। जो जांच चल रही है और पात्र उसी गांव में मिल रहे हैं तो वही गांव के पात्र लोगों को दिया जा रहा है यदि वहां नहीं मिलते हैं तो फिर दूसरे गांव और ब्लाक में चयन करके दिया जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय साथी ने गम्भीर [illegible] किया था शायद जिस तरह होना चाहिये आपके ख्याल से वैसा नहीं हो सका। मान्यवर, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति बहुत गरीब होता है और इसीलिये उसके लिये राशन कार्ड बना था। 1 महीना, दो महीना, 3 महीना, 4 महीना जांच में अगर लगे तो 2, 3, 4 महीने उसको राशन नहीं मिलेगा तो उसके लिये जीना मुश्किल हो जायेगा, शायद ऐसा मेरा ख्याल है। यह जांच कब तक चलेगी ? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों, जिसके लिये इतनी उदार है भारत सरकार और प्रदेश सरकार जिनको दो-4 महीने राशन नहीं मिलेगा, करेगी ? आखिर वह क्या खायेगा ? क्या यही संवेदनशीलता है ? इसका उत्तर दे माननीय मंत्री जी कि कौन सी ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ? यह राशन कार्ड निरस्त कर दिये गये और नये बनने में समय लगेगा, इस बीच में उनको राशन दिये जाने की क्या व्यवस्था है ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय आजम खां साहब को बताना चाहता हूं कि हम राशन का कोटा बन्द करके जांच नहीं कर रहे हैं। राशन तो हर महीने पात्र व्यक्तियों को बंट रहा है जिनके पास राशन कार्ड हैं। यह सर्वे जो अलग से हो रहा है। जिनके पास राशन कार्ड हैं वे तो आलरेडी हर महीने राशन पा रहे हैं। उनका राशन कहीं रोका थोड़े गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बात और गम्भीर हो गई। कोटा दिया जा रहा है। लेकिन स्थिति यह है कि जिसका राशन कार्ड निरस्त हो गया वह इतना गरीब है वह बस इतना जानता है कि जब मेरा राशन कार्ड निरस्त हो गया तो मुझे अब राशन नहीं मिलेगा। (सत्ता पक्ष के सदस्यों के बोलने पर व्यवधान) मान्यवर, मैं बैठ जाता हूं। आपको अगर गरीबों की बात बुरी लगती है तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं बैठ गया मान्यवर।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, जान कर अगर कोई अन्जान बने रहना चाहता है उसका तो कोई उत्तर नहीं है। मान्यवर माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि जो राशन कार्ड बने थे, जिनको पात्रता के आधार पर राशन कार्ड मिले थे किसी को निरस्त नहीं कर रहे हैं। शिकायतें प्राप्त हुई थीं पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करके, 31 मार्च तक के लिये यह निर्धारित किया गया है इसमें किसी तरह की कमी न रह जाय। इसलिये पुनः जांच कराने जा रहे हैं। खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, राजस्व विभाग के कर्मी मिलकर इसकी जांच कर रहे हैं। जिससे शिकायतों का अवसर न मिले और जो वास्तविक पात्र लोग हैं पुनः उनकी सूची बन सके। पात्रता के आधार पर, हमारी जानकारी के आधार पर, भारत सरकार को लिखा जा सके कि राशन कार्ड की संख्या बढ़ायें। लक्ष्य को बढ़ायें। तीसरा इसलिये भी पुनः जांच कराई जा रही है लेकिन पहले से प्राप्त राशन कार्ड को बन्द नहीं किया जा रहा है उस पर खाद्यान्न आज भी प्राप्त हो रहा है। उसमें रोकने की कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपको इतना तजुर्बा है। फार्म बंटने शुरु हो गये। लोगों ने अपने-अपने तरीके से फार्म बनवाना शुरू कर दिया यह बात समझ में नहीं आती है –

(किसी सदस्य के कुछ कहने पर)

अच्छा ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

राशन कार्ड निरस्त नहीं किये गये हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अगर सत्तापक्ष के लोग यह समझते हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिये राशन की मांग करना फर्जी बात है तो बात खत्म हो गई। सत्ता पक्ष कह रहा है गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिये राशन की मांग करना फर्जी बात है तो कहना ही बेकार है।

डा0 ए0 आर0 उस्मानी-

मंत्री जी ने जबाव दिया जो राशन कार्ड निरस्त किये गये थे उनको दूसरे लोगों के लिये बना दिये गये।

श्री अध्यक्ष-

यह नहीं कहा।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय मंत्री जी ने यह कहा आप कार्यवाही दिखवा लें। कोई राशन कार्ड निरस्त नहीं किए गए हैं यह संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा।

श्री अध्यक्ष-

हमारी बात सुन लें प्रश्न यह पूछा गया कि प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। तो मंत्री जी का उत्तर आया जी नहीं। जब जी नहीं, आ गया तो फिर क्या है ?

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र लखीमपुर में विकास खण्ड फूलगढ़ के ग्राम श्रीनगर, ग्राम सिसोढ़ा में ग्राम महिवागंज में पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं उनको दूसरी जगह समायोजित कर दिया गया है और जो एक करोड़ 6 लाख का लक्ष्य है भारत सरकार ने लक्ष्य को बढ़ाया नहीं तो जो गरीब भूख से मर रहे हैं उसके लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

बैठें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने बताया कि सर्वे का काम हो रहा है और 31 मार्च, तक पूरा हो जाएगा। और जो भारत सरकार ने लक्ष्य दिया है एक करोड़ 6 लाख, अगर उससे ज्यादा संख्या आ जाती है सर्वे के बाद, तो फिर राज्य सरकार केन्द्र सरकार को कोटा बढ़ाने के लिए लिखेगी, अनुरोध करेगी। मैं इस सम्बन्ध में एक अनुपूरक करना चाहता हूं कि यदि मान लीजिए संख्या ज्यादा आती है आप लिखेंगे। हो सकता है आपके लिखने पर केन्द्र मान ले या न भी मान ले लेकिन आपके अपने स्रोत से जो जांच आप करा रहे हैं निश्चित है जांच सही होगी और जो

पात्र व्यक्ति हैं उन्ही को लाभ मिलेगा। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं यह संख्या अगर बढ़कर आती है तो ऐसे गरीब लोगों को भूख से बचाने के लिए उनकी जो परेशान हाल स्थिति है, उससे निजात दिलाने के लिए क्या राज्य सरकार अपने स्तर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ताकि वह भूख से न मरे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा है कि जो संख्या बढ़ेगी, उसके लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा, बाकी जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के और जो विभाग है, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, यह उनके लिए काम करेंगे, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले ऐसे लोग हैं। बाकी हमने पहले भी कहा है कि भारत सरकार से 1 करोड़ 6 लाख की जो बात है, उसके लिए अनुरोध किया जायेगा। पिछली सरकारों ने भी इसके लिए अनुरोध किया था लेकिन संयोग से भारत सरकार ने नहीं बढ़ाया लेकिन हम एक नए सर्वे के आधार पर भेजेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है, भारत सरकार बढ़ा दे।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न बहुत साफ है, उत्तर आना चाहिए। समाज कल्याण विभाग में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, जो चौधरी जी का प्रश्न था कि अगर संख्या ज्यादा आती है तो क्या उनकी व्यवस्था प्रदेश सरकार करेगी ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरने पाएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह प्रश्न नहीं था कि कोई भूख से नहीं मरेगा। मेरे क्षेत्र में एक व्यक्ति भूख से मरा है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

हमारे प्रश्न का जवाब सरकार नहीं दे रही है, इसके विरोध में हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, 4 रोज पहले भूख से एक व्यक्ति मारा है और उसे जिला प्रशासन ने भी माना है और इसकी रिपोर्ट भी जिला प्रशासन ने सरकार को भेजी है। मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, यह प्रश्न नहीं था। मेरे क्षेत्र रामपुर में भूख से मरने पर जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 आजम खां साहब, मा0 हुकुम सिंह जी ने पूछा कि अगर जितना भारत सरकार का लक्ष्य है और यहां बढ़ जा रहा है, अगर ज्यादा बढ़ गया तो आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे ? मा0 मंत्री जी ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, लक्ष्य के ही अनुरूप, अगर भारत सरकार नहीं बढ़ाती है तो मैं उतना तो दूंगा, शेष को यह व्यवस्था करूंगा कि कोई भूखा-पीड़ित नहीं रहेगा, भूख से नहीं मरने दिया जायेगा। मा0 आजम खां जी ने कहा कि हमारे यहां एक मर गए, इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी ने सरकार को भेजी है। तो मा0 मंत्री जी ने इस परिप्रेक्ष्य में इतना ही उत्तर दिया कि मैं इसकी इतनी व्यवस्था करूंगा हो सकता है, कुछ पात्र व्यक्ति छूट भी जायें कि लक्ष्य हमारे किन्ही परिस्थितियों में न बढ़ पाये, तब भी मैं कोशिश करूंगा कि कोई भूख से मरने न पाए। इसमें प्रयास कर रहे हैं। अब मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

तारांकित प्रश्न (नत्थी "ग")

प्रदेश के गन्ना किसानों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु सरकार द्वारा कृत उपाय

*1-डा0 अजय तोमर-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से उपाय किये गये हैं ? क्या सरकार गन्ना किसानों के प्रोत्साहन हेतु निःशुल्क/रियायती दर पर बीज व खाद उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

प्रदेश के गन्ना कृषकों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु गन्ना विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही हैं :-

(1) सघन गन्ना विकास योजना

(2) अन्तर्ग्रामीण सड़क योजना

(3) अम्बेडकर ग्राम में अनुसूचित जाति के कृषकों को गन्ने की खेती करने हेतु प्रोत्साहित करने की योजना।

(4) मैंक्रोमोड आफ एग्रीकल्चर-शुगरकेन डेवलपमेन्ट योजना (90 प्रतिशत केन्द्रपोषित)

अम्बेडकर ग्रामों में अनुसूचित जाति/जनजाति के गन्ना कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए समिति सदस्यों को 10 कुन्टल गन्ना बीज निःशुल्क दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, इस प्रश्न के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में प्रदेश में गन्ना बीज का कितना उत्पादन हो रहा है और कितना गन्ना बीज की मांग है ?

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या पिछड़ी जाति के गन्ना उत्पादकों को भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की तरह अम्बेडकर गांव ही नहीं जिले में, प्रदेश में तो हर विधान सभा क्षेत्र में 5 अम्बेडकर गांव हैं, हर जिले के गांव के अनुसूचित जाति के किसानों को 10 कुन्तल गन्ना बीज देने की योजना लागू करेंगे और साथ ही साथ क्या पिछड़ी जाति के लोगों को भी इसका लाभ देने की योजना है ? तीसरा प्रश्न यह है कि हमारे गन्ना विकास मंत्री जी जो कि पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री भी हैं तो गन्ना विभाग की अधिकतर सड़कों की पिछले कई सालों से मरम्मत नहीं हुयी है जिससे किसानों का डीजल और समय अधिक लगता है तो क्या गन्ना विभाग से बनायी गयी सड़कों का पिछले 4 सालों का सर्वेक्षण कराकर इन सड़कों का पुनर्निर्माण गन्ना विभाग अथवा पी0डब्ल्यू0डी0 को स्थानान्तरित करके पी0डब्ल्यू0डी0 से कराने का कार्य किया जाएगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैंने उत्तर दे दिया है और उत्तर से स्पष्ट है कि अम्बेडकर ग्राम के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। स्पष्ट है कि इसमें जिसके लिए है, उसमें स्पष्ट उत्तर दे दिया है और जहां तक पी0डब्ल्यू0डी0 की बात कही गयी तो मान्यवर, इसमें कहना है कि ऐसी शासन की कोई नीति नहीं है। अगर उनके संज्ञान में कोई मार्ग है तो हमें लिखकर दे दें तो दिखवा लेंगे।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गन्ना किसानों के लिए जो कानून है कि 14 दिन तक अगर पेमेंट नहीं मिलती है तो उन्हें ब्याज दिया जाएगा, तो क्या उसे आज की तिथि से घोषित करेंगे, वह लागू कर दिया जाएगा। वह कानून है लेकिन लागू कभी नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न पढ़ लें, प्रश्न क्या है ?

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, यह गन्ना किसानों के फायदे की बात है। मैं कह रहा हूं कि जो लिखत-पढ़त में है कि 14 दिन का ब्याज देंगे, तो क्या उसे लगाने की घोषणा करेंगे ताकि हर 14 दिन के बाद वह पेमेंट मिल जाए।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, चूंकि गन्ना मूल्य भुगतान से इस प्रश्न का सम्बन्ध नहीं है। माननीय सदस्य अलग से लिखकर प्रश्न कर लें, आप लिखकर पूछ लें तो बता देंगे।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, लिखत-पढ़त में यह है कि जब गन्ना किसानों के फायदे की बात कर रहा हूं, उनके फायदे के लिए कानून बना हुआ है, उसकी घोषणा करें कि उन्हें हर 15 दिन बाद पैसा मिल जाएगा। मान्यवर, इसका उत्तर दिलवा दें। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। मैंने इस सवाल

का जो अनुपूरक हो सकता था, यह गन्ना किसान के फायदे का सवाल है उसके अंदर मांग है कि वह कानून लागू करने की घोषणा करेंगे कि 15 दिन बाद उनके खातों में पेमेंट मिल जाएगा ?

श्री अध्यक्ष-

टीक पूछ रहे हैं, लेकिन यह प्रश्न की परिधि में नहीं है।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि गन्ना ऐक्ट के अंदर जो कानून है वह लागू करने की घोषणा करेंगे ? इसकी घोषणा कर दें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैं कह चूका हूं कि यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है और माननीय सदस्य खुद समझदार हैं, कौकब हमीद साहब नए नहीं हैं, मंत्री रह चुके हैं। गन्ना मूल्य कितना है, कितने वर्ष का भुगतान हो गया। सबको प्रोत्साहन से जोड़ेंगे तो विस्तृत हो जायेगा। इसमें विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है। प्रोत्साहन से सम्बन्धित जो प्रश्न आयेंगे उसकी मैं जानकारी दे दूंगा।

श्री कौकब हमीद-

सरकार के पास मान्यवर, कोई जानकारी नहीं है, वह कोई बात नहीं मान रहे हैं, उनका जवाब सही नहीं आ रहा है, किसानों के हित में कोई बात कहने को तैयार नहीं हैं, हम और हमारा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री कौकब हमीद ने अपने दल के साथ सदन का त्याग किया)

श्रीमती कृष्णा राज-

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में अजरापुर शुगर फैक्ट्री आती है। गन्ना किसानों के हित के लिए तमाम तरह की योजनाएं यहां बतायी गयीं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि किसानों का गन्ना मिल तक जाता है और जो वाहन, ट्रक या ट्रैक्टर ट्राली चलते हैं तो वह ओवर लोड चलते हैं जिसके कारण विभिन्न योजनाओं के तहत बनी हुई सड़कें, चाहे वह पी0डब्ल्यू0डी0 की हों या अन्य किसी योजना में बनी हो, वह क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। तो इसका दायित्व किसको जाता है ? क्या विभाग के द्वारा उन सड़कों की मरम्मत करायेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जो-जो सड़कें हैं वह माननीया सदस्य लिखकर दे दें हम इसको दिखवा लेते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि 'सघन गन्ना विकास योजना तथा अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना', तो यह वही रोड है जो गन्ना विकास विभाग की ओर से बनायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सदस्य लिखकर दे दें दिखवा लेंगे। तो जब इन्होंने प्रश्न में बहुत स्पष्ट पूछा है कि खस्ताहाल सड़क हैं और ट्रैक्टर ट्राली नहीं चल

रहीं हैं तो लिखकर देने का क्या सवाल है ? मान्यवर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के गन्ना किसानों की इतनी बुरी हालत जो इन नौ महीनों में कर रखी है ....

(हंसी)

मान्यवर, बड़ा अच्छा लगा कि इन्हें कोई बात अच्छी लगी। वरना इन्हें तो हमारी शक्ल भी बुरी लगती है। बहुत शुक्रिया, बधाई, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य किसी की शक्ल बुरी नहीं लगती है, अक्ल से लगता है विरोध हो।

श्री अम्बिका चौधरी-

ठीक कह रहे हैं, इन्हें तो अक्ल भगवान ने नहीं दी है। यह तो आईपीसी में एक्जेम्पटेड हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपके अन्तर्ग्रामीण सड़क योजना है उसकी सूची में बलिया जनपद कि कौन-कौन सी सड़कें शामिल हैं और पूर्वांचल में जहां इतनी सारी गन्ना मिलें हैं कितनी सड़कें प्रस्तावित हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जो प्रश्न है वह किसी स्पेसिफिक जिला क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि "हैं तो महफिल में मगर ऐसी जगह बैठे हैं, जामे मय हादसा बन जाय जो हम तक पहुंचे।" जहां तक पूरे प्रदेश की सड़कों की बात है हम पूरे प्रदेश की सड़कों की सूची मंगवा लेंगे, इस समय हमारे पास जो सूचना है उसमें यह सूची नहीं है। हम पूरी सूची मंगवा लेंगे जहां भी खराब होंगी, अपने वित्तीय संसाधनों के अनुसार उनको कराने का पूरा का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इन्होंने कहा सूची नहीं है हमारे पास, चलिये सूची आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपने योजना नहीं बनाई है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, आपने इस योजना के लिए कितना धन अब तक इस वित्तीय वर्ष में खर्च किया है ? यह बता दीजिए और अगर मण्डलवार बतायेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी और आपकी इस योजना पर कुल कितने की योजनाएं इस वित्तीय वर्ष के लिये प्रस्तावित थीं, यह आप बता दीजिए ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जो प्रस्तावित है वह कुल है, 3597 लाख और जहां तक व्यय का सवाल है इसकी इस समय हमारे पास सूचना नहीं है मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

एक मिनट मान्यवर, व्यय की सूचना है। मैं बता दूं। जो व्यय हुआ है मान्यवर, वह 3207.22 लाख रुपये व्यय हुआ है।

(श्रीमती कृष्णा राज के खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीया कृष्णा राज जी माननीय अम्बिका चौधरी जी ने जो प्रश्न पूछा उसमें प्रदेश स्तर तक की सूचनायें आ गईं, अब इसके बाद कुछ नहीं रह गया है।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न था कि क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना किसानों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से उपाय किये गये हैं ? क्या सरकार गन्ना किसानों के प्रोत्साहन हेतु निःशुल्क/रियायती दर पर बीज व खाद उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित गांव के अनुसूचित जाति के कृषकों को सरकार प्रोत्साहन करने की योजना में सम्मिलित करेगी और उनको दस-दस कुन्तल निःशुल्क गन्ना उपलब्ध करायेगी। मैं माननीय मंत्री जी से सिद्दर्द की साहब से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जितने अम्बेडकर ग्राम चयनित हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में क्या वहां पर केवल अनुसूचित जाति के ही किसान रहते हैं। क्या मुस्लिम समाज के किसान नहीं हैं ? क्या पिछड़े वर्ग के किसान नहीं हैं ? क्या सामान्य वर्ग के गरीब किसान नहीं हैं ? उनके लिए कोई योजना है कि नहीं है ? प्रश्नकर्ता ने केवल अनुसूचित जाति के लिए नहीं पूछा है, सारे गन्ना किसानों के लिए पूछा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए माननीय मंत्री जी बता दें कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं जिसमें सारे धर्म और जाति के लोग आते हैं, उन गन्ना किसानों के प्रोत्साहन के लिए इनके पास क्या-क्या योजनाएं हैं ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जो सामान्य की इन्होंने बात कही है और अनुसूचित जाति की बात कही है तो मान्यवर, जो यह पहले नम्बर पर मैंने उत्तर दिया है, सघन गन्ना विकास योजना, इसके तहत मान्यवर, एक हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सामान्य तथा दो हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों को अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा जो प्राथमिक पौधशाला है पौधशाला में 500 रुपये प्रति हेक्टेयर सामान्य तथा 1000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति के कृषकों को अनुदान हेतु दिया जाता है और यह विवरण बड़ा लम्बा है माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं इन्हें उपलब्ध करा दूंगा। हमारी सरकार ने सभी का ख्याल रखा है।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष जी, अल्पसंख्यक जाति के किसानों के लिए, पिछड़ी जाति के किसानों के लिए कोई अनुदान की व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं अब कुछ नहीं, अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों से डीजल व पेट्रोल की कालाबाजारी रोकने के उपाय

*2-श्री हुकुम सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश एवं सीमावर्ती प्रदेश में डीजल तथा पेट्रोल की दरों में भारी अन्तर होने के कारण हरियाणा से प्रतिदिन भारी मात्रा में डीजल एवं पेट्रोल की कालाबाजारी हो रही है, जिसके कारण प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपये प्रतिदिन राजस्व की हानि हो रही है तथा सीमावर्ती जनपदों में डीजल एवं पेट्रोल के व्यवसायियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालाबाजारी को रोकने की दृष्टि से दोनों प्रदेशों की दरों में समानता लाने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

उत्तर प्रदेश एवं सीमावर्ती प्रदेश में व्यापार कर की दरों में अन्तर होने के कारण प्रदेश में डीजल/पेट्रोल की दरों में अन्तर है, जिससे प्रदेश के सीमावर्ती उपभोक्ता एवं किसान निकटवर्ती राज्य हरियाणा में मूल्य कम होने के कारण डीजल वहां से लाते हैं। डीजल/पेट्रोल की दरों में अन्तर होने के कारण सीमावर्ती जनपदों के डीजल/पेट्रोल रिटेल आउटलेटों तथा फुटकर डीजल विक्रेताओं की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव संभव है।

दोनों प्रदेशों की व्यापार कर की दरों में समानता लाने के सम्बन्ध में भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि डीजल पर समान दरों पर करारोपण की व्यवस्था का अनुपालन सभी राज्यों से कराया जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आप उत्तर का दूसरा पैरा देख लें लिखा है कि दोनों प्रदेशों की व्यापार कर की दरों में समानता लाने के सम्बन्ध में भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि डीजल पर समान दरों पर करारोपण की व्यवस्था का अनुपालन सभी राज्यों से कराया जाय।

मान्यवर, कर लगाता है प्रदेश और अनुपालन करायेगा केन्द्र ? मान्यवर, कर तो उत्तर प्रदेश ने लगाया है या हरियाणा या दिल्ली राज्य ने लगाया है। अब यह केन्द्र कहां से इसमें बीच में आ गया है। करों की दरों में अन्तर है, हरियाणा में 12 प्रतिशत, दिल्ली में 12 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 21 प्रतिशत है। इसी व्यवस्था के लिये तो मैंने प्रश्न किया है। अब इसमें आप कह

रहे हैं कि केन्द्र सरकार से आग्रह कर लें कि वह इसमें एकरूपता लाये। मान्यवर, मैं इस सरकार को इसके लिए अकेले जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता हूं। यह मामला बहुत दिनों से चल रहा है। यह रिकार्ड मैंने तेल आयोग से मंगाया है। इसमें यह आशा है कि हरियाणा में, दिल्ली में और बाकी प्रदेशों में तेल की खपत प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। हमारे यहां वह खपत तीन प्रतिशत की दर से कम है। मान्यवर, 07 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो खपत बढ़नी चाहिए थी, बजाय बढ़ने के वह कम हुई है और वह लगभग 21 प्रतिशत कम हुई है। इससे आप राजस्व में अन्तर का अनुमान लगा लें। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती 12 जनपद हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़। मान्यवर, यह सारे जनपद ऐसे हैं जहां पर यह व्यापार लगभग ठप्प सा हो गया है। क्योंकि लोग वहां से ले आते हैं। 600 लीटर का टैंक है वह वहां से खरीद लेते हैं। इसका बुरा प्रभाव उत्तर प्रदेश के इस व्यवसाय पर पड़ रहा है और हम अपना राजस्व खो रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी मेरी बातों पर ध्यान देंगे। क्या उत्तर प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशों की करों की दरों में जो अन्तर है, दिल्ली और हरियाणा में अंतर है, उसके अनुरूप यह कर की दरें करने पर विचार करेंगे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, वैसे तो यह नीतिगत मामला है। दोनों प्रदेशों के वाणिज्य कर मंत्री या मुख्य सचिव इस पर बात कर सकते हैं ताकि कोई काम बने। मान्यवर, मैं इस बात को जानता हूं कि माननीय हुकुम सिंह जी पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पिछली सरकार में भी उठाया था। माननीय नेता प्रतिपक्ष जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने भारत सरकार के वित्त सचिव को एक पत्र लिखा था लेकिन उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला है। मान्यवर, यह नीतिगत मुद्दा है। मान्यवर, यह मेरी जानकारी में है कि जो बार्डर के इलाके हैं जो पेट्रोल पम्प डीलर्स हैं, उनकी बिक्री पर इसका असर पड़ रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसमें केन्द्र सरकार कहां से बीच में आ गयी है। उन राज्यों में बिक्री कर की दर या वैट की दर कम है और यहां पर ज्यादा है। मान्यवर, मैं एक मोटा आंकलन बता दूं। 1998-99 में जो हमारे प्रदेश में खपत थी वह 538 करोड़ 32 लाख 90 हजार लीटर थी। जबकि मान्यवर, हर तरह की गाड़ियों, ट्रकों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। उस हिसाब से आपका बढ़ना था 738 करोड़ लीटर और खपत रह गयी है कितनी 402 करोड़, 32 लाख, 81 हजार लीटर। एक तरफ तो आपकी गाड़ियों की संख्या बढ़ गयी है और दूसरी तरफ खपत घटी है। वहां से तस्करी होकर आ जाता है। इसलिए हमारे यहां का व्यवसाय लगभग ठप्प सा है। इससे हमारे यहां आमदनी कम हो रही है। तेल की जो खपत बढ़ रही है तो वह वहां से आ जा रहा है। हम यह चाहते हैं कि इन करों की दरों में पड़ोसी राज्यों की भांति एकरूपता लाने पर विचार किया जाये। आपने एक पत्र वहां लिख दिया उसमें वाणिज्य सचिव क्या करेंगे ?

हरियाणा, दिल्ली प्रदेश ने एक बार दर बढ़ाई थी 3 महीने के अन्दर बढ़ी हुई दर उनको वापस लेनी पड़ी क्योंकि उनके व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे प्रतिष्ठा का सवाल न बनायें इस पर विचार करें और विचार करने के बाद एकरूपता लायें। मैं इसका दूसरा पक्ष भी रख दूं उस पर भी विचार कर लें। इसका फायदा कौन उठा रहा है। किसान अगर 4 ड्रम वहां से तेल के लाता है तो एस0डी0एम0 महोदय और कोतवाल महोदय वल्चर की तरह से, गिद्ध की तरह से क्योंकि अब गिद्ध तो रहे नहीं उनके अवतार रह गये, पहुंच जाते हैं जितनी भी सड़के हैं चाहे वह खटीमा मार्ग हो चाहे करनाल मेरठ मार्ग हो, एक मार्ग एस0डी0एम0 के हिस्से में और एक मार्ग कोतवाल के हिस्से में वह ट्रैक्टर पकड़ते हैं, ट्राली पकड़ते हैं और थानों में बन्द करते हैं और जब पैसा बंध जाता है तो 6 माह की छूट दे देते हैं। मान्यवर, लाखों लाख रुपये का ट्रांजिक्शन है यह जो उन अधिकारियों की जेब में जा रहा है वंचित हमारा खजाना हो रहा है जिस खजाने के पैसे से हमारा विकास होता है। मैं इसलिये वाह रहा हूं कि संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं, माननीय लोक निर्माण मंत्री सहित अनेकों विभागों के मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं सभी नीति निर्धारक तो यहीं बैठे हुए हैं। मान्यवर, इस पर विचार करने के बाद आप लायें, माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लायें। ज्ञापन भी दिये गये हैं ताकि हम अपने प्रदेश के व्यवसाय को बचा सकें, अपने प्रदेश की सरकारी वसूली को बढ़ा सके, आमदनी को बढ़ा सकें और यह जो नम्बर दो का काम सरकारी अधिकारी मिलकर कर रहे हैं उस पर लगाम लगा सकें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रदेश हित में इसका परीक्षण करा लिया जायेगा और जो आवश्यक होगा प्रदेश के हित में, वह किया जायेगा।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, जैसाकि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा यह ईंधन से जुड़ा हुआ प्रश्न है और डीजल पेट्रोल के साथ में उत्तर प्रदेश के 4 महानगरों में सीएनजी से भी वाहन चलने लगे हैं। नोएडा के अन्दर 4 सीएनजी के पम्प लगाने का कार्य सरकार ने किया है। लेकिन उन पम्प से कोई भी आदमी गैस खरीदने की आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि 7 रुपये का फर्क है एक किलो में दिल्ली से। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जितनी बसें हैं वह नोएडा से शाम को दिल्ली जाकर गैस लेने का काम करती हैं और चलती हैं उत्तर प्रदेश में। खाली गैस लेने के लिए नोएडा से दिल्ली जाती हैं क्योंकि वहां 7 रुपये किलो गैस सस्ती मिलती है तो माननीय अध्यक्ष जी, डीजल पेट्रोल के साथ-साथ जो सीएनजी गैस से वाहन चलते हैं सरकार क्या उन पर भी विचार करेगी उनका जो वैट लगा हुआ है और वैट की वजह से उनका भाव भी ज्यादा हो गया है तो क्या इस पर भी सरकार विचार करेगी कम करने का। माननीय मंत्री जी से जवाब दिलवा दें कि जो सीएनजी गैस का दिल्ली और यूपी के अन्दर 7 रुपये किलो का अन्तर है वैट लगाने के कारण

और उत्तर प्रदेश की परिवहन की बसें जो हैं वह भी नोएडा से दिल्ली जाकर गैस लेने का काम करती हैं। नोएडा में जो 4 पम्प लगे थे वह बन्द हो गये हैं क्योंकि उनकी गैस तो बिक ही नहीं रही है। उनसे आम आदमी क्या खरीदेगा जब उत्तर प्रदेश की परिवहन बसें सरकार तक उनसे गैस नहीं ले रही हैं तो क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी डीजल और पेट्रोल के साथ में। माननीय अध्यक्ष जी जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

यह अलग प्रश्न है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा अभी कि डीजल और पेट्रोल पर जो वैट के कारण दाम बढ़े हैं उसका परीक्षण सरकार कराने का काम करेगी। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उसके साथ सीएनजी का भी परीक्षण कराने का काम करेगी वैट को कम करने का काम करेगी।

श्री अध्यक्ष-

इसी तरह से डीजल पेट्रोल की तरह सीएनजी वाला भी पूछ लीजिएगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में 12 प्रतिशत, दिल्ली में 12 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 21 प्रतिशत कर लागू है, इसमें कहां से केन्द्र का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह सरकार जो अपने को किसानों का हितैषी बताती है, किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील बनती है, क्या यह सरकार जो टैक्स हरियाणा और दिल्ली का है, उसके बराबर उत्तर प्रदेश में एक निश्चित समय सीमा में करेगी, इसका सीधा उत्तर चाहिये और करेगी तो कब तक करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सिरोही जी, माननीय हुकुम सिंह जी ने इस पर विस्तृत तौर पर एक सुझाव भी दिया था और प्रश्न भी पूछे थे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इस तरह के असंतुलन और असमानता के बारे में विस्तृत तौर पर विचार किया जायेगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, यह केन्द्र का विषय नहीं है, क्या कोई समय सीमा इसके लिये निश्चित करेंगे कि कब तक इस पर विचार कर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

उस बारे में माननीय हुकुम सिंह जी ने भी कहा कि आप दिल्ली में भारत सरकार को लिख रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मैं समय सीमा पूछ रहा हूं कि कुछ निश्चित करेंगे। क्या यह बता पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया माननीय सिरोही जी मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

*3-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[3सरे गुरुवार के तारा0प्र0सं0-13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले मिट्टी तेल के विक्रय मूल्य का निर्धारण

*4-श्री अनूप सण्डा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले मिट्टी के तेल की विक्रय मूल्य निर्धारण की प्रणाली क्या है ? वैट कानून लागू होने के बाद मूल्य निर्धारण प्रणाली में क्या कोई बदलाव हुआ है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

प्रदेश में जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले मिट्टी के तेल का विक्रय मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया इस प्रकार है :-

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा आयल कम्पनी की इन्वाइस के अनुसार प्रति किलो लीटर मिट्टी के तेल के मूल्य पर थोक विक्रेता को शासनादेशानुसार अनुमन्य प्रति किलोलीटर इन्सीडेंटल कमीशन व परिवहन व्यय की राशि को जोड़कर थोक मूल्य तथा इसी प्रकार थोक मूल्य पर उचित दर विक्रेता को अनुमन्य इन्सीडेंटल व लाभांश जोड़कर फुटकर बिक्री मूल्य निर्धारित किया जाता है।

जी हां।

मिट्टी के तेल के एक्स डिपो मूल्य में 04 प्रतिशत वाणिज्यिक कर सम्मिलित रहता है। जनपद स्तर पर थोक बिक्री दर निर्धारित करते समय थोक विक्रेता को देय इन्सीडेंटल, परिवहन व्यय एवं लाभांश पर 04 प्रतिशत व्यापार कर लगाया जाता है जिसे थोक विक्रेता वाणिज्यिक कर के रूप में राजकीय कोषागार में जमा करता है। पूर्व में यह व्यवस्था नहीं थी।

श्री अनूप सण्डा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल में थोक विक्रेताओं को और फुटकर विक्रेताओं को दिया जाने वाला लाभांश कितना है और अन्तिम बार इसका निर्धारण कब किया गया था। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या फुटकर मिट्टी का तेल विक्रेताओं के लाभांश को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

इस तरह का अभी सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री अनूप सण्डा-

वर्तमान समय में मिट्टी के तेल के थोक विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं का लाभांश कितना है, यह तो बता दें ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

प्रति लीटर 20 पैसा और 27 पैसा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न किया गया था कि वैट कानून लागू होने के बाद मूल्य निर्धारण प्रणाली में क्या कोई बदलाव हुआ है। जवाब है कि मिट्टी के तेल के एक्स डिपो मूल्य में 04 प्रतिशत वाणिज्यिक कर सम्मिलित रहता है। जनपद स्तर पर थोक बिक्री दर निर्धारित करते समय थोक विक्रेता को देय इन्सीडेन्टल, परिवहन, व्यय एवं लाभांश पर 04 प्रतिशत व्यापार कर लगाया जाता है जिसे थोक विक्रेता वाणिज्यिक कर के रूप में राजकीय कोषागार में जमा करता है। मेरे दो प्रश्न हैं। थोक विक्रेता के बारे में तो आपने बता दिया। क्या यह जो फुटकर विक्रेता होते हैं और यह जब थोक विक्रेता के यहां से माल उठाते हैं और उनके माल पर जब आपके द्वारा थोक मूल्य पर उचित दर विक्रेता को अनुमन्य इन्सीडेन्टल और लाभांश जोड़कर मूल्य निर्धारित किया जाता है, अर्थात् इन सारे मूल्यों को जोड़ने के बाद रिटेल का मूल्य अलग होता है। क्या आप रिटेलर को 04 प्रतिशत वैट लगाने की छूट देते हैं या वह भी लगाते हैं ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

छूट है।

श्री अनूप सण्डा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आज प्रदेश में स्थिति यह है कि फुटकर मिट्टी के तेल के जो विक्रेता हैं, उनकी स्थिति इतनी खराब है कि सरकार द्वारा दिया जाने वाला लाभांश इतना कम मिलता है कि मिट्टी के तेल के थोक विक्रेता के गोदाम से फुटकर विक्रेता को अपने विक्रय स्थान पर लाने में ही लाभांश से ज्यादा खर्चा हो जाता है इसलिये फुटकर मिट्टी के तेल विक्रेता के लिये यह मजबूरी है कि निर्धारित दर से ज्यादा पर वह अपना माल बेचे तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या फुटकर मिट्टी के तेल विक्रेताओं की जो कार्य करने की परिस्थितियां हैं, उनके व्यवसाय में जो घाटा हो रहा है, उसको देखते हुए कुछ लाभांश को बढ़ावा देंगे।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, अभी इस पर कोई विचार नहीं किया गया है, अगर इस तरह का कुछ होगा तो वह बताया जायेगा।

प्रदेश में विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद् द्वारा निजी प्रबन्धन के विद्यालयों को सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध कराया जाना

*5-श्री सुनील शर्मा-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद् द्वारा निजी प्रबन्धन के विद्यालयों को सस्ती दरों पर भूमि दी जाती है ? क्या ऐसे विद्यालयों पर गरीब बच्चों को अनिवार्य रूप से कुछ प्रतिशत प्रवेश एवं निःशुल्क शिक्षा देने की कोई शर्त लगायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं। वर्तमान में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का ऐसा कोई निर्णय नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

श्री सुनील शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार निजी प्रबन्धन के विद्यालयों को 40 प्रतिशत की दर से भूमि आवंटित करती है। मेरा कहना है कि जब सरकारी दरों में सरकार छूट दे रही है तो उसका लाभ गरीबों को देने में सरकार को क्या कठिनाई है क्योंकि इसमें सरकार का कुछ खर्च भी नहीं हो रहा है ? यह सरकार गरीबों के हितों की बात करती है, गरीबों की सरकार होने का दावा करती है तो क्या मा0 मंत्री जी ऐसी योजना को लागू करने पर विचार करेंगे कि निजी विद्यालयों को जब जमीन आवंटित की जाये तो उसमें यह शर्त लगाई जाय कि जो विद्यालय छूट पर जमीन लें वह इतने प्रतिशत गरीब विद्यार्थियों को प्रवेश और निःशुल्क शिक्षा देंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जहां तक निःशुल्क शिक्षा का सवाल है मान्यवर, इस मामले का प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति की बैठक में दिनांक 20 जुलाई, 2006 को मा0 सभापति जी के सामने क्लियर किया गया था, उसे मैं आपको अवगत करा देता हूं। कक्षा सात व आठ के बालकों को निःशुल्क शिक्षा केवल शिक्षण शुल्क से मुक्ति की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार शासनादेश सं0-3545/15-7-1(157)/1988, दिनांक 16 जुलाई, 1990 द्वारा प्रदेश के माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा केवल शिक्षण शुल्क से मुक्ति की व्यवस्था की गई है।

श्री हुकुम सिंह-

आपने छूट वाली बात कही और निजी क्षेत्र के प्रबन्धन के जो स्कूल हैं उनके बारे में कही है। मान्यवर, पब्लिक स्कूल भी उसी में आते हैं जो पांच-पांच सौ, हजार-हजार रुपये फीस

लेते हैं और उनको आप छूट पर जमीन दे रहे हैं। मान्यवर, जब उन्हें आप चालीस प्रतिशत की छूट दे रहे हैं जमीन देने में और उसके बाद भी वह फीस हजार-हजार रुपये ले रहे हैं तो आखिर उस गरीब बच्चे का क्या होगा, उसकी मजबूरी है कि वह सरकारी स्कूल में ही जाय, वहां अच्छी शिक्षा वह ग्रहण न कर सके, उसका भी तो मन करता होगा वहां जाने के लिये और जब सरकार उन्हें छूट दे रही है तो मान्यवर, इतना तो होना ही चाहिये। हमारी दुनिया भर की स्कीमें हैं, बी0पी0एल0 कार्ड हैं, राशन फ्री दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मान्यवर उन्हें भी शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार में यह भी शामिल है कि अच्छी शिक्षा उनको मिले। मान्यवर, कल भी मा0 मंत्री जी का उत्तर आया था तो दोनों उत्तरों में बहुत बड़ा अन्तर है। विवाद भी चल रहा है कि सरकारी स्कूलों की क्या हालत है तो ऐसी स्थिति में जब उन स्कूलों को जो पब्लिक स्कूलों में बड़े-बड़े बोर्ड लगाते हैं और कंसेशनल रेट पर उनको जमीन दी जाती है तो सरकार यहां पर आश्वासन दे कि वहां पर यह भी शर्त लगाई जायेगी कि जो गरीब परिवारों के बच्चे होंगे उनको निःशुल्क या छूट देंगे। मान्यवर, दोनों में से एक तो हो और दोनों बातें हैं फीस की बात तो है ही प्रवेश शुल्क भी है और प्रवेश शुल्क तो 10 हजार, 15 हजार रुपये पड़ता है। दोनों छूटें उन्हें दी जायें, इस पर विचार करें, उसका आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न के भाग दो में तो इसका उत्तर दे दिया है। मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य ने पूछा है कि ऐसे विद्यालयों को जिन्हें आप निःशुल्क जमीन दे रहे हैं नगरीय क्षेत्रों में, क्या इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध उनके साथ लगाने का प्रयास करेंगे कि वहां निःशुल्क शिक्षा/निःशुल्क प्रवेश पर कुछ शर्त लगाये जायेंगे ? वही वह पूछना चाहते हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैंने उत्तर दे दिया है कि फिलहाल नहीं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, सरकार किसी निजी संस्था को छूट देती है तो समाज के लिये उससे लाभ भी लेती है। यह निःशुल्क आप किस उद्देश्य से देते हैं, देने के पीछे हेतु क्या है ? अगर समाज को कोई लाभ उस व्यवसाय से नहीं मिल रहा है। लाभ दिलाया जाता है गरीब तबके को समाज को जो कमजोर तबका है उसको, उसमें प्रवेश का भी प्रतिशत पूछा गया है कि क्या आप कुछ निश्चित फीस लेकर कमजोर तबके के लिये शिक्षा दिलाने की बात करेंगे ? उसमें भी नहीं, निःशुल्क शिक्षा देंगे, वह भी नहीं। आखिर मुफ्त में क्यों देते हो ? यह जो जमीन दी जा रही है शहरों में दी जा रही है गांवों में तो कोई मांगने जाता नहीं है। शहरों की मूल्यवान जमीन निजी संस्था को 40 प्रतिशत कम दर पर दे रहे हैं, इससे लाभ क्या है ? क्या सरकार को लाभ है, समाज को

लाभ है ? शहर के अन्दर शिक्षा का प्रचार-प्रसार नहीं है इसके प्रोत्साहन के लिये देंगे, यह कहा नहीं जा सकता। शहर के अन्दर शिक्षा का काफी प्रचार-प्रसार है, काफी संस्थायें हैं फिर किस हेतु या किसी संस्था को प्रोत्साहित करने के लिये दिया जाता है। इस निःशुल्क या कम रेट पर जमीन देने के पीछे सरकार की क्या मंशा है ? क्या लाभ समाज या सरकार को मिलता है, यह बता दें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, अभी पूछा है गरीब तबके को लाभ देने के लिये, तो जो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के.....

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की शिक्षण संस्थओं का विषय नहीं है, यह विशेष रूप से उन संस्थाओं का विषय है जिनको आप मुफ्त जमीन देते हैं। जनरल शिक्षण संस्था की बात मत कीजिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, ओम प्रकाश सिंह जी का यह प्रश्न है कि निजी प्रबन्धन क्षेत्रों में जो शहरी जमीन दी जा रही है विद्यालय भवन बनाने के लिये प्रबन्धकों को निःशुल्क दिया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है ? उसमें सरकार की सोच क्या है, क्यों उनको निःशुल्क दिया जा रहा है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

शिक्षा के उत्थान के लिये प्रदेश में दिया जाता है और जहां तक माननीय सदस्य का सुझाव है उसका हम परीक्षण करा लेते हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मंत्री जी के जवाब के बाद मेरा दूसरा प्रश्न है कि शहर के अन्दर क्या आप सभी, जितने भी लोग शहर के अन्दर विद्यालय खोलना चाहेंगे शिक्षा के प्रोत्साहन की नीति के अन्तर्गत उन सभी को निश्चित रूप से जमीन देने की नीति आपकी है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, यह जो नीति है शासनादेश दिनांक 19-4-96 एवं दिनांक 08-02-1999 के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को सेक्टर दर का 40 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत पर भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, अगर शासनादेश चाहिए तो मैं शासनादेश उपलब्ध करा दूंगा।

*6-श्री सुन्दर लाल लोधी-

[चौथे गुरुवार के तारांकित प्रश्न सं0-8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-7 पुकारे जाने व श्री नरेश अग्रवाल के अनुपस्थित होने पर)

लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्य टेण्डर के माध्यम से न कराये जाने की जांच

*7-श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार लोक निर्माण विभाग में सभी निर्माण कार्य टेण्डर के माध्यम से होंगे ? क्या यह सत्य है कि सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध लखनऊ, हरदोई, सीतापुर तथा उन्नाव आदि जिलों में करोड़ों रुपये का काम बिना टेण्डर के बाण्ड के माध्यम से किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसके दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में विभाग में ठेकेदारी प्रथा तथा विभागीय पद्धति से कार्य सम्पादन की प्रक्रिया प्रचलित है। वित्तीय हस्तपुस्तिका में प्राविधानों के अनुसार तथा कार्य की तात्कालिकता की आवश्यकता के अनुसार चयन अनुबन्ध बनाने के नियम विद्यमान हैं। अतएव जहां पर निविदाओं को प्राप्त करने में विलम्ब सम्भावित होता है, वहां चयन प्रक्रिया के माध्यम से भी अनुबन्ध गठित किये जा सकते हैं।

प्रश्नगत जनपदों में जिन कार्यों की निविदायें प्राप्त नहीं हुई थीं, कार्यों की प्राथमिकता को देखते हुए सक्षम अधिकारी की अनुमति के उपरान्त चयन अनुबन्ध गठित कर कार्य किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद अम्बेडकर नगर के जिला कोषागार में मुख्य रोकड़िया का रिक्त पद भरे जाने की मांग

1-श्री अनूप सण्डा-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद अम्बेडकर नगर में जिला कोषागार का मुख्य रोकड़िया पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होते हुए भी आज तक रिक्त है ? यदि हां, तो यह पद कब तक भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

मण्डल में रिक्त मुख्य रोकड़िया के पद, ऐसे स्थायी रोकड़ियों में से, जिन्होंने कोषागारों की रोकड़ शाखा में कम से कम 15 वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, पदोन्नति के माध्यम से मुख्य रोकड़िया का एद भरे जाने का प्राविधान है, फैजाबाद मण्डल में अनुसूचित जाति का एक ही अभ्यर्थी कोषागार, सुल्तानपुर में कार्यरत है, जिनकी रोकड़िया के पद पर पदोन्नति दिनांक 26-3-2006 को ही की गयी है। इस प्रकार मण्डल में मुख्य रोकड़िया के पद पर पदोन्नति हेतु आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति का कोई भी अर्ह कर्मचारी उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर में जिला बचत कार्यालय में जिला संख्या सहायक पद पर तैनात कर्मी के स्थानान्तरण की जानकारी

2-श्री अनूप सण्डा-

क्या सरकार को जानकारी है कि सुल्तानपुर जनपद में जिला बचत कार्यालय में श्री सूबेदार उपाध्याय जिला संख्या सहायक पद पर लगभग 20 वर्षों से तैनात हैं जबकि श्री उपाध्याय अधिकारी की श्रेणी में आते हैं ? क्या स्थानान्तरण नीति के तहत सरकार इनका स्थानान्तरण सुल्तानपुर से अन्यत्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

जी नहीं।

वार्षिक स्थानान्तरण नीति में वर्षों के आधार पर समूह "ग" के कार्मिकों को एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

स्थानान्तरण नीति के आधार पर श्री उपाध्याय के स्थानान्तरण का कोई औचित्य नहीं बनता है।

3-श्री धर्मपाल यादव, डी0पी0 यादव-

[3सरे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महामायानगर के कस्बा सहपऊ से ग्राम कुकरगवां जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

4-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के कस्बा सहपऊ से ग्राम कुकरगवां को जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है ? उपरोक्त मार्ग की मरम्मत का कार्य शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त मरम्मत कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद महामायानगर के नगर पंचायत सहपऊ के क्षतिग्रस्त बाईपास मार्ग की मरम्मत/जीर्णोद्धार कराये जाने की मांग

5-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के नगर पंचायत सहपऊ का बाईपास मार्ग प्रा0 स्वा0 केन्द्र से उद्योग केन्द्र होते हुए एम0एल0 इण्टर कालेज तक पूर्णतः क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार उपरोक्त मार्ग की मरम्मत/जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है।

जनपद महामायानगर सादाबाद-जलेसर मार्ग से लोधई जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

6-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर में सादाबाद-जलेसर मार्ग से ग्राम सुल्तानपुर होकर लोधई जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हाथरस (महामायानगर) के कस्बा सहपऊ से ग्राम नगरा बिहारी तक की क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

7-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस (महामायानगर) के कस्बा सहपऊ से ग्राम नगला बिहारी तक का मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत का कार्य शीघ्र पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है।

जनपद जौनपुर में विधान सभा क्षेत्र खुटहन में निर्माण हेतु स्वीकृत सड़कें/सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य

8-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र खुटहन, जनपद-जौनपुर में वर्ष 2004-2005, 2005-2006 व 2006-2007 में कुल कितनी सड़कें स्वीकृत की गयी थीं ? क्या सभी स्वीकृत सड़कें/सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

कुल 60 सड़कें स्वीकृत की गई थीं।

जी नहीं, केवल 21 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

शेष 39 कार्यों में से 20 कार्यों को माह जून, 2008 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। 14 कार्यों का पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

औचित्य न पाये जाने, भूमि न उपलब्ध होने तथा अन्य विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के कारण कार्य निरस्त किये जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र खुटहन में निर्माण हेतु स्वीकृत पुल

9-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र खुटहन, जनपद-जौनपुर में वर्ष 2004-2005, 2005-2006 व 2006-2007 में कुल कितने पुल स्वीकृत हुए हैं ? उक्त स्वीकृत पुलों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

कुल तीन सेतु स्वीकृत हुए हैं।

एक सेतु पूर्ण है तथा अवशेष दो के निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रस्तावित है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी की ग्राम सभा धरौली मुफरिद में निर्माण हेतु प्रस्ताव एवं आगणन के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही

10-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ग-3/568207, दिनांक 8-8-07 जो जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी की ग्राम सभा धरौली मुफरिद के 3 मार्गों के निर्माण हेतु प्रस्ताव एवं आगणन के सम्बन्ध में है, ग्राम प्रधान के पत्र के साथ उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आगणन प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से शासन को कब प्राप्त हुआ है तथा प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही कब तक कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत आगणन गठन/परीक्षण की प्रक्रिया में है। शासन में प्राप्त होने पर इन पर स्वीकृति/धन अवमुक्त करने की कार्यवाही सत्समय उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा के ग्राम पटलौनी से ग्राम भरतिया तक मार्ग की मरम्मत की मांग

11-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के विकास खण्ड बल्देव में ग्राम पटलौनी से ग्राम-भरतिया तक का मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के मई-बल्देव मार्ग, ग्राम गढ़ उमराव से सिथरापुर व जटोई होकर फतेहपुरा तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

12-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के मई-बल्देव मार्ग ग्राम गढ़उमराव से सिथरापुर, जटोई होकर फतेहपुरा तक का हिस्सा क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

केवल सिथरापुर आबादी भाग मार्ग क्षतिग्रस्त है।

मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद महामायानगर का जलेसर रोड रेलवे स्टेशन से ग्राम बहादुरपुर देवकरन तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

13-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर का जलसेर रोड रेलवे स्टेशन से ग्राम-बहादुरपुर देवकरन तक का मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मार्गों के निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु पत्र

14-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कुल 5 नये मार्गों के निर्माण कार्य को स्वीकृति हेतु मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्र 1400नि0/139-01-नि0/2006, दिनांक 9-3-2006 विशेष सचिव, लो0नि0वि0 अनु0-11 को प्राप्त हुआ है ? क्या प्रश्नकर्ता का भी पत्र ख-3/494971, दिनांक 12-6-07 उपरोक्त पत्र की छाया प्रति के साथ प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य वर्तमान में किसी योजना में स्वीकृत नहीं हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

15-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[दूसरे सोमवार के अता0प्र0सं0-130 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग (राजमार्ग) पर जौनपुर से शाहगंज तक सड़क का अधूरा निर्माण कार्य

16-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग (राज मार्ग) पर जौनपुर से शाहगंज तक सड़क का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

कार्य प्रगति पर है तथा पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर में स्थित उ0 प्र0 रा0 चीनी निगम शाहगंज की चीनी मिल को चलाने की मांग

17-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर में स्थित उ0प्र0रा0 चीनी निगम शाहगंज की चीनी मिल बन्द हैं ? यदि हां, तो सरकार किसानों के हित को देखते हुए चीनी मिल पुनः चलाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वर्तमान में निगम क्षेत्र की चीनी मिलों के निजीकरण की कार्यवाही गतिमान है। मिल क्षेत्र के गन्ना कृषकों के हित के दृष्टिगत गन्ना आयुक्त द्वारा मिल गेट के सुरक्षित गन्ना क्षेत्रफल को निकटवर्ती चीनी मिल हैदरगढ़ को गन्ना खरीद हेतु आवंटित/व्यावर्तित कर दिया गया है।

जनपद मुजफ्फरनगर में ग्राम मोला हेड़ी के निकट काली नदी पर सेतु का निर्माण

18-श्री अशोक कंसल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में ग्राम मोला हेड़ी के निकट काली नदी पर नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-12 योजना के अन्तर्गत सेतु का निर्माण वर्ष 2007 में स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सेतु का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महामायानगर के सिकन्दरराऊ राजवाहा के भदवास एवं कचौरा माइनर के टेल तक पानी पहुंचाये जाने की मांग

19-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के सिकन्दरराऊ राजवाहा के भदवास एवं कचौरा माइनर में टेल तक पानी न पहुंचने के कारण सिंचाई के अभाव में फसलें बर्बाद हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

रबी 1415 फसली (वर्ष 2007-08) में सिकन्दरराऊ राजवाहा की भदवास एवं कचौरा माइनर की टेल तक पानी पहुंचा है तथा इससे फसलों की सिंचाई हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली में नहर शारदा व असीवन ब्रान्च की खुदाई व माइनर की सफाई का कार्य

20-श्री शिव गणेश लोधी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में नहर शारदा व असीवन ब्रान्च की खुदाई व माइनर की सफाई का कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा ? क्या सरकार बतायेगी कि इस योजना में कितना धन स्वीकृत हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद रायबरेली में नहर शारदा व असीवन ब्रान्च की कोई नहर नहीं है, बल्कि शारदा नहर प्रणाली की मौरांवा राजबहा प्रणाली एवं पुरवा शाखा प्रणाली है। इन प्रणालियों पर हरदोई शाखा की क्षमता, पुनर्स्थापना परियोजना के अन्तर्गत खुदाई व सफाई के कार्य वर्ष 2008-09 के अन्त तक पूर्ण किये जाने प्रस्तावित हैं।

उक्त परियोजना की स्वीकृत लागत रु0 10,529.97 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु0 25.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली में डलमऊ पम्प गंगा कैनाल से देदौर रजवाहा व उसकी माइनर की सफाई

21-श्री शिव गणेश लोधी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में डलमऊ पम्प गंगा कैनाल से देदौर रजवहा व उसकी माइनर की सफाई पिछले 30 साल से नहीं कराई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

भविष्य में आवश्यकतानुसार कराई जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्व0 श्री अवधेश कुमार त्रिवेदी के उत्तराधिकारियों को उनके नाम आवंटित भू-खण्ड उपलब्ध किया जाना

22-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव व श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्व0 श्री अवधेश कुमार त्रिवेदी के नाम दिनांक 8-7-1985 को आवंटित विभव खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ में 700 वर्ग फीट का प्लाट संख्या-4/219, उनके उत्तराधिकारियों को नेशनल कन्ज्यूमर डिसप्यूट्स कमीशन, नई दिल्ली के रिवीजन पिटीशन नं0-2138 ऑफ 1999 में पारित आदेश दिनांक 22-5-2003 के बावजूद अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया ? यदि हां, तो उत्तराधिकारियों को प्लाट कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। नेशनल कन्ज्यूमर डिस्प्यूट्स कमीशन, नई दिल्ली में दायर रिवीजन पिटीशन नं0-2138, दिनांक 22-5-03 में पारित आदेश के क्रम में स्व0 श्री अवधेश कुमार त्रिवेदी को आवंटित भू-खण्ड संख्या 4/219, विभव खण्ड का नामान्तरण प्राधिकरण नियमों के तहत उनकी उत्तराधिकारी (पत्नी) श्रीमती राज कुमारी त्रिवेदी के पक्ष में दिनांक 16-6-07 को कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा में त्वरित आर्थिक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

23-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007 व 2008 में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा में वर्ष 2007 एवं 2008 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है।

नियोजन विभाग के निर्णय के अनुसार त्वरित आर्थिक विकास योजना वर्ष 2007-08 में समाप्त कर दी गई है।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के सड़क मार्गों व पुलों का निर्माण व मरम्मत का कार्य

24-श्री लालजी यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के कितने सड़क मार्गों व पुलों के निर्माण व मरम्मत की स्वीकृति शासन व जिला से वर्ष 2007 में दी गयी है ? अब तक इस पर कितना धन व्यय हो चुका है तथा कितना प्रस्तावित है ? सरकार द्वारा उक्त कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्ष 2007 में जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 34 मार्गों के निर्माण/मरम्मत एवं सुधार कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जि. पर अब तक कुल रु0 193.94 लाख व्यय किया जा चुका है ए. रु0 259.52 लाख का व्यय प्रस्तावति है।

31 मार्च, 2008 तक कार्यों क[illegible] कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में शारदा सहायक सिंचाई व शारदा खण्ड के अन्तर्गत भूमि सिंचित किये जाने की योजना

25-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में जनपद उन्नाव में शारदा सहायक सिंचाई व शारदा खण्ड के अन्तर्गत कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का लक्ष्य है ? क्या इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

चालू वित्तीय वर्ष में जनपद उन्नाव में तीन खण्डों सिंचाई खण्ड उन्नाव, उन्नाव खण्ड शारदा नहर एवं उन्नाव एवं लखनऊ खण्ड-2 के अन्तर्गत क्रमशः 39,720 हेक्टेयर, 38,863 हेक्टेयर एवं 16,068 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का लक्ष्य है।

जी हां।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत रबी पूर्व नहरों की सिल्ट सफाई की कार्य योजना एवं हरदोई शाखा की क्षमता पुनर्स्थापना की योजना।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के सरयू खण्ड एक, दो, तीन के अधीन नहर/पुलिया का निर्माण कार्य

26-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के सरयू खण्ड एक, दो, तीन के अधीन नहर बनाने का कुल कितना कार्य शेष है ? क्या सरकार बाकी नहर/पुलिया का निर्माण कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सम्बन्धित कृषकों को उनकी भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत सरयू नहर खण्ड एक, दो, तीन में क्रमशः 55.500 कि0मी0, 44.385 कि0मी0 एवं 12.215 कि0मी0 कुल 112.100 कि0मी0 लम्बाई में नहरों के निर्माण एवं क्रमशः 74, 95 एवं 19 कुल 188 अदद पक्के कार्यों का निर्माण शेष है।

जी हां।

भूमि उपलब्धता के अनुसार सभी अवशेष कार्य माह मार्च, 2009 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम आशाखेड़ा से भैसोरा तक मार्ग का निर्माण

27-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम आशाखेड़ा से भैसोरा तक 03 तीन कि0मी0 मार्ग का निर्माण कराने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम आशाखेड़ा तथा भैसोहरा पूर्व से ही पृथक-पृथक लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय मार्ग से लेपित सम्पर्क मार्गों से जुड़े हैं।

असीवन मौरावां ब्रान्च (रायबरेली) की खुदाई कराकर पुनः चालू कराये जाने की मांग

28-श्री शिव गणेश लोधी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या असीवन मौरावां ब्रान्च (रायबरेली) 1977 से बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ब्रान्च की खुदाई कराकर पुनः चालू कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

उक्त ब्रान्च बन्द नहीं है परन्तु पानी की कमी एवं सेक्शन संकुचित हो जाने के कारण इस भाग में पानी नहीं पहुंच पाता है। असीवन शाखा एवं मौरावां रजवाहा के सेक्शन सुधार का कार्य हरदोई शाखा की क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना के अन्तर्गत कराये जा रहे हैं। उक्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उक्त ब्रान्च में पर्याप्त पानी पहुंच सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में थाना भवन क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले राजवाहों में टेल तक पानी पहुंचाने की योजना

29-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में थाना भवन क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले राजवहों में टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है जिससे किसानों की खेती की सिंचाई करने में कठिनाई होती है ? क्या टेलों तक पानी पहुंचाने के लिये कोई विशेष योजना बनाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

यमुना नदी में पानी की उपलब्धता के अनुसार वर्तमान फसल रबी 1415 फसली में सीमित जल मात्रा को रोस्टर से चलाकर दिनांक 22-2-2008 तक थाना भवन क्षेत्र की सभी नहरों की टेलों पर पानी पहुंचाया जा चुका है।

पूर्वी यमुना नहर प्रणाली में पानी की कमी को दूर करने के लिये समानान्तर देवबन्द शाखा परियोजना निर्माणाधीन है इसके पूर्ण होने पर पूर्वी यमुना नहर प्रणाली में पानी की कमी की समस्या का निदान किया जाना प्रस्तावित है।

जून, 2008 तक उपर्युक्त परियोजना का कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी पनथरिया बांध पर उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु व्यय

30-श्री लालजी यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी पनघटिया बांध पर उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन द्वारा वर्ष 2001 से 2007 तक वर्षवार निर्माण व अन्य कार्य हेतु धन खर्च किया गया ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जनपद सिद्धार्थनगर में बांसी पनघटिया बांध पर विभिन्न कार्यों हेतु गठित 03 एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत निम्नानुसार व्यय किया गया है :-

वर्ष	कार्यों पर व्यय (लाख रु0 में)	अन्य व्यय (सेन्टेज चार्ज) (लाख रु0 में)	योग (लाख रु0 में)
2001-02	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00
2004-05	271.37	33.92	305.29
2005-06	51.45	6.43	57.88
2006-07	179.47	22.44	201.91
2007-08 (12/07 तक)	295.95	36.99	332.94
कुल योग :	798.24	99.78	898.02

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत बांसी पनघटिया बांध के निर्माण में अधिग्रहीत जमीन का किसानों को मुआवजा

31-श्री लालजी यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत बांसी पनघटिया बांध के निर्माण में किसानों की अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

बांसी पनघटिया तटबन्ध के 16 ग्रामों के कृषकों को भू-प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है। शेष 02 ग्रामों के कृषकों को भू-प्रतिकर का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गई है। उक्त ग्रामों के कृषकों को भू-प्रतिकर का शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन ऊन, झिझान मार्ग का निर्माण कार्य

32-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन, ऊन, झिझान मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

कैराना-झिझाना-ऊन थाना भवन मार्ग (लम्बाई 43.10 कि0मी0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिये शासनादेश सं0 193(1)/23-11-2007, दिनांक 16-01-08 द्वारा लागत रु0 2601.21 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें थाना भवन-ऊन-झिंझाना मार्ग (कुल लम्बाई 30.75 कि0मी0) शामिल है।

प्रश्नगत कार्य की निविदा दिनांक 19-02-08 को प्राप्त कर ली गई है। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 12 माह का समय निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर एवं बागपत की हिन्डन कृष्णी नहर परियोजना (चौगामा नहर परियोजना) के राजबाहों व अल्पिकाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग

33-डा0 अजय तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर एवं बागपत की हिन्डन कृष्णी नहर परियोजना (चौगामा नहर परियोजना) के कितने कार्य विभिन्न राजवाहों एवं अल्पिकाओं के बाकी हैं ? उन्हें कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद बागपत एवं मुजफ्फरनगर में हिण्डन कृष्णी दोआब परियोजना के अन्तर्गत 2 नग फाल, 44 नग पुल, 9700 वर्ग मीटर लाइनिंग, 21 नग पक्के कार्य एवं 530 नग कुलावों का निर्माण तथा 4300 कि0मी0 लम्बाई के गैप्स को पूर्ण करने हेतु 1.083 लाख घन मीटर मिट्टी के कार्य अवशेष हैं।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत छपिया में स्वीकृत सम्पर्क मार्ग

34-श्री राम विशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत छपिया में वर्ष 2007-08 में लोक निर्माण विभाग गोण्डा द्वारा किन-किन सम्पर्क मार्गों को स्वीकृत किया गया ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत छपिया में वर्ष 2007-08 में 14.50 कि0मी0 लम्बाई तथा रु0 246.09 लाख की लागत के कुल 06 सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति डा0 अम्बेडकर समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

जनपद मुजफ्फरनगर के मुजफ्फरनगर-चरथावल-थाना भवन मार्ग का सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण

35-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के मुजफ्फरनगर-चरथावल-थाना भवन मार्ग का सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर में स्थापित बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड की थाना भवन एवं भैसाना शुगर यूनिट पर अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान

36-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2006 व 2007 के पेराई सत्र का किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड की थाना भवन व भसाना शुगर यूनिट द्वारा कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद मुजफ्फरनगर में स्थापित बजाज हिन्दुस्तान लि0 की थाना भवन एवं भैसाना शुगर यूनिट पर पेराई सत्र 2006-07 का अवशेष गन्ना मूल्य दिनांक 22-2-2008 की स्थिति के अनुसार निम्नवत् है :-

चीनी मिल	कुल देय	भुगतान	अवशेष	भुगतान प्रतिशत
थाना भवन	16391.32	13826.94	2564.38	84.36
भैसाना	16390.45	13781.43	2609.02	84.08

अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान न करने के कारण चीनी मिल भैसाना के विरुद्ध दिनांक 01-09-2007 को एवं चीनी मिल थाना भवन के विरुद्ध दिनांक 17-10-2007 को वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया।

मा0 उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 21-02-2008 को यह आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक चीनी मिलों के विरुद्ध गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न की जाये। प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

37-38-डा0 अजय तोमर-

[2सरे गुरुवार के अता0प्र0सं0-66 तथा 67 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में गंगा यमुना लिंक नहर परियोजना का कार्य पूर्ण किये जाने की मांग

39-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चलाई जा रही गंगा यमुना लिंक नहर परियोजना का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

गंगा यमुना लिंक नहर परियोजना नाम की कोई परियोजना स्वीकृत नहीं है।

प्रश्नगत परियोजना का आशय समानान्तर देववन्द शाखा परियोजना से है, जिसके अन्तर्गत टिहरी जलाशय से 1100 क्यूसेक अतिरिक्त जल प्राप्त होने पर ऊपरी गंगा नहर से समानान्तर देवबन्द शाखा फीडर चैनल द्वारा पूर्वी यमुना नहर प्रणाली को सिंचाई हेतु अतिरिक्त जल दिया जाना प्रस्तावित है। समानान्तर देवबन्द शाखा फीडर चैनल का निर्माण कार्य जून, 2008 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम घनौरा सिल्वर नगर व ग्राम कण्डेर में नये राजकीय नलकूपों को लगाये जाने में अनियमितता संबंधी पत्र

40-डा0 अजय तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क 3 नं0-251958 दिनांक 27-12-2007 जो ग्राम घनौरा सिल्वर नगर व ग्राम कण्डेर में राजकीय नलकूप विभाग द्वारा नये राजकीय नलकूपों को लगाने में मानक के अनुपालन न करने के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी बागपत को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 27-12-07 पर जिलाधिकारी, बागपत के पत्र संख्या-4027/ओएसडी, दिनांक 27-12-07 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड (पश्चिम) से आख्या मांगी गई, जिसके क्रम में प्राप्त आख्या में सूचित किया गया कि शासनादेश संख्या-2260/07-27-सिं0-5-20-टी0डब्लू0/05, दिनांक 10-08-07 द्वारा नये नलकूपों के निर्माण हेतु दिशा-निर्देश एवं नलकूपों के स्थल चयन की प्रक्रिया के अनुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों के हित में स्थल चयन किया गया है, जिसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज में सी0एम0एन0टी0एन0 मार्ग से लक्ष्मीपुर सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

41-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महंत दुबे-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत सी0एस0एन0टी0एन0 मार्ग से लक्ष्मीपुर सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण हेतु मुख्य अभियन्ता गोरखपुर, क्षेत्र लो0नि0वि0, गोरखपुर के पत्रांक 16374/49 गो0क्षे0/2007, दिनांक 29-12-07 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

लागू नहीं होता।

आगणन मुख्य अभियन्ता गोरखपुर के स्तर पर परीक्षणाधीन है।

जनपद मथुरा में लालपुर से रसूलपुर माइनर की पुनर्स्थापना एवं वी0आर0वी0 निर्माण कराया जाना

42-श्री पूरन प्रकाश-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में गोबर्धन क्षेत्र के अन्तर्गत किसानों की हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई के लिये, रसूलपुर-लालपुर माइनर, बनाने (पुनर्स्थापना) का प्रस्ताव विभाग एवं शासन की स्वीकृति के बाद भी धन आवंटन के अभाव में क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार लालपुर से रसूलपुर माइनर की पुनर्स्थापना एवं वी0आर0वी0 निर्माण सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

रसूलपुर लालपुर माइनर बनाने (पुनर्स्थापना) की कोई परियोजना विभाग के विचाराधीन नहीं है, बल्कि लालपुर माइनर के माध्यम से आगरा नहर के कि0मी0 131.670 बांये किनारे से अडीग रजवाहा के कि0मी0 23.058 पर जल उपलब्धता हेतु लालपुर फीडर के निर्माण की परियोजना जिसकी अनुमानित लागत रु0 48.75 लाख है, विभाग के विचाराधीन है।

स्थिति उपरोक्तानुसार है।

बजट की उपलब्धता के आधार पर यथासमय कार्य कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में नेशनल हाइवे मथुरा से गोवर्धन, बरसाना मार्ग की मरम्मत की मांग

43-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में लोक निर्माण विभाग (प्रान्तीय खण्ड) मथुरा द्वारा नेशनल हाइवे मथुरा से गोबर्धन, बरसाना मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो सरकार उस क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उपलब्ध संसाधनों से उक्त मार्ग के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत अनवरत की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में नेशनल हाइवे-II फरह से गोबर्धन मार्ग की मरम्मत

44-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में नेशनल हाइवे-II, फरह से गोबर्धन मार्ग वाया परखम, झुड़ावई, सरूरपुर, ओल, जाजन पट्टी, मगोरा, फौडर, लोरिया, सोख, पेंठा गोबर्धन तक का मुख्य मार्ग मरम्मत के अभाव में क्षतिग्रस्त हो गया है ? क्या सरकार द्वारा इसकी मरम्मत कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

भारी वाहनों के गुजरने एवं मार्ग पर स्थित ग्रामों के आबादी वाले भाग नालियों के अभाव में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उपलब्ध संसाधनों से प्रश्नगत मार्ग के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत अनवरत की जाती है।

फरह से गोवर्धन मार्ग के 20 कि0मी0 के नवीनीकरण कार्य जून, 2008 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। शेष कि0मी0 में मरम्मत का कार्य सामान्य मरम्मत के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों से निरन्तर किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर के स्व0 राम लखन के मृतक आश्रित भाई को फुटकर मिट्टी तेल लाइसेंस हस्तान्तरित किये जाने की मांग

45-श्री राम विशुन आजाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर के श्री राम लखन पुत्र चिनकू के नाम ग्राम मूसेगंज (भिटौरा) में फुटकर मिट्टी तेल लाइसेंस था जिनका निधन 30-3-2006 को हो गया था ? स्व0 श्री राम लखन के मृतक आश्रित भाई राम रतन पुत्र चिनकू ग्राम मूसेगंज के नाम उक्त लाइसेंस देने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, गोण्डा द्वारा विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को पत्र दिनांक 2 अगस्त, 2006 भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित के नाम लाइसेंस हस्तानान्तरित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त लाइसेंस कब तक हस्तानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

मृतक के भाई के नाम लाइसेंस हस्तान्तरित किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के गोमतीनगर विराज खण्ड में सड़क एवं पार्क के सुन्दरीकरण विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही

46-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के गोमतीनगर विराज खण्ड में सड़क एवं पार्क के सुन्दरीकरण सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-12-07 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 7-12-07 में उल्लिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

1-सी-4/48 से सी-4/55 तक सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

2-सी-4/48 के सामने तिकोना पार्क में रंगाई-पुताई, रेलिंग का कार्य करा दिया गया है।

3-सीवर लाइन चालू करा दिया गया है।

4-पार्क में जलापूर्ति हेतु पाइप लाईन उपलब्ध है।

5-विद्युतीकरण का कार्य लेसा को हस्तान्तरित किया जा चुका है।

6-जलापूर्ति हेतु पाइप लाईन डाली जा चुकी है तथा ट्यूबवेल से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।

7-प्रश्न नहीं उठता।

गंगा नदी पर रायबरेली व फतेहपुर के बीच असनी पुल से टोल-टैक्स की अवैध वसूली

47-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गंगा नदी पर रायबरेली व फतेहपुर के बीच असनी पुल के टोल टैक्स लेने की अवधि समाप्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी उक्त पुल से टोल टैक्स की वसूली करने वाले दोषियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमानुसार पथकर की वसूली, ब्याज एवं अनुरक्षण व्यय सहित पुल की लागत की वसूली पूर्ण होने अथवा 50 वर्ष की अवधि तक (जो भी पहले हो) किये जाने की व्यवस्था है।

जनपद मथुरा में, मथुरा से अलीगढ़ हाथरस जाने वाले (जमुनापार पुराना पुल) की दोनों ओर से पैदल मार्ग की मरम्मत की मांग

48-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में, मथुरा से अलीगढ़ हाथरस जाने वाले (जमुना पार पुराना पुल) की दोनों ओर के पैदल चलने वाले मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है एवं बीच-बीच में रेलिंग नीचे धंस गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पुल के दोनों ओर पैदल चलने वाले मार्ग एवं रेलिंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सीतापुर रोड तथा कुर्सी रोड लखनऊ के किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे पर इन्कमटैक्स की कटौती

49-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सीतापुर रोड तथा कुर्सी रोड लखनऊ के किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे पर वर्ष 2007-08 में 10 प्रतिशत इन्कमटैक्स की कटौती करते हुए भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो उक्त कटौती किन नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत की गई है ? क्या सरकार नियम विरुद्ध इन्कमटैक्स काटने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए किसानों के मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। ब्याज की धनराशि पर आयकर की कटौती की गई है।

आयकर अधिनियम की धारा-194ए में दी गई व्यवस्था, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश दिनांक 21-9-1994, राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 19-9-1995 के दृष्टिगत उपरोक्त कटौती की गई है।

आयकर कटौती नियमानुसार की गई है इस कारण इन्कमटैक्स काटने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बागपत के उप नगर छपरौली या इसके आसपास यमुना नदी पर पुल बनाने की योजना

50-डा0 अजय तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के उप नगर छपरौली या इसके आस-पास यमुना नदी पर पुल बनाकर उ0प्र0 व हरियाणा को जोड़ने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत छपिया में सनबरसा (संगवा) चटकनवां, चोंडाबर, बगदर ग्रण्ट सम्पर्क मार्ग पर कराये गये निर्माण कार्य मानक के अनुसार न किया जाना

51-श्री राम विशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत छपिया में सनबरसा (संगवा) चटकनवां, चांडाबर, बगदर ग्रण्ट सम्पर्क मार्ग पर वर्ष 2007 में कराये गये

निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की गुणवत्ता की जांच टी0ए0सी0 से करवाकर दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग की टी0ए0सी0 द्वारा जांच कराई गई है तथा जांच आख्या दिनांक 12-11-07 में मार्ग निर्माण मानकों के अनुरूप पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सूचना आयुक्तों के समक्ष लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु उपाय

52-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सूचना आयुक्तों के समक्ष 31-12-07 तक कितने वाद लम्बित हैं ? क्या सरकार इन वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कु0 मायावती)-

दिनांक 31-12-2007 तक उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के सम्मुख कुल 5722 वाद लम्बित थे।

इन वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 9 राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/ राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति

53-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अब तक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त सहित कितने राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति महामहिम राज्यपाल द्वारा की गई है तथा उन सभी को कार्यालय स्टाफ सहित सभी अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध करा दी गई हैं ? यदि नहीं, तो उक्त आवश्यक सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

कु0 मायावती-

उत्तर प्रदेश में अब तक एक मुख्य सूचना आयुक्त और 09 राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है तथा यथा सम्भव अनुमन्य आवश्यक सुविधायें एवं स्टाफ उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित किये जाने की व्यवस्था

54-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-26 की उपधारा 1 (घ) में राज्य सरकार द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कराने हेतु प्राविधान होने के उपरान्त भी प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राविधान के अनुसार उनके प्रशिक्षण कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

कु0 मायावती-

शासनादेश संख्या-1/2/2001-का0-प्रसको-2007, दिनांक 22-10-2007 द्वारा सभी विभागों के आधारभूत एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सूचना के अधिकार को विषय के रूप में सम्मिलित करके अधिनियम की अपेक्षानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है।

जनपद इलाहाबाद के तहसील-बांदा के ग्राम चामू असरबई, बैजला में जल निकासी हेतु नालों की सफाई की मांग

55-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील-बारा जनपद-इलाहाबाद के ग्राम चामू असरबई, बैजला में जल भराव की समस्या है ? यदि हां, तो क्या जल निकासी हेतु नालों की सफाई कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। जनपद इलाहाबाद के तहसील-बारा के ग्राम चामू में जल भराव की समस्या नहीं है। ग्राम असरवई एवं ग्राम बैजला में नहरों के सीपेज के कारण जल भराव की समस्या है।

नहीं। प्रश्नगत जल-भराव के समाधान हेतु नालों की सफाई का सम्बन्ध नहीं है।

असरवई माइनर पर बने साइफन की मरम्मत का कार्य तथा बाण सागर नहर परियोजना के अन्तर्गत टोंस मुख्य नहर में लाइनिंग का कार्य प्रस्तावित है, जिसके पूर्ण होने पर समस्या का निदान सम्भव होगा।

जनपद हरदोई के ग्राम सभा करीम नगर विकास खण्ड पिहानी, तहसील-शाहाबाद का सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण

56-श्री सुखलाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा करीम नगर, विकास खण्ड पिहानी, तहसील शाहाबाद, जनपद-हरदोई का सम्पर्क मार्ग (पिहानी मुख्य मार्ग से करीमनगर) तक का अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण उस पर आवागमन मुश्किल हो गया है ? यदि हां, तो क्या

सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग की विधिवत माप कराकर पुनर्निर्माण कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है किन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

मार्ग का पुनर्निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ जनपद में हैदर कैनाल एक्सप्रेस हाइवे परियोजना के तहत होने वाले विस्थापितों के पुनर्वासन सम्बन्धी-पत्र पर कृत कार्यवाही

57-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का लखनऊ जनपद में हैदर कैनाल एक्सप्रेस हाईवे परियोजना के तहत होने वाले विस्थापितों के पुनर्वासन संबंधी मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/ एम0/163799/ 2007 दिनांकित 4-7-2007 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

हैदर कैनाल परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रथम चरण में 406 प्रभावित परिवारों को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निर्मित निर्बल वर्ग के भवनों में पुनर्वासित कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश निवासियों पर हो रहे हमलों से सम्बन्धित नियम-103 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पुनर्विचार की मांग

श्री मदन भैया-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया था कि "उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों पर महाराष्ट्र प्रान्त में लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए उनके जान-माल की रक्षा हेतु कठोर कार्यवाही किये जाने विषयक था।" आज आपके ज्वाइन्ट सेक्रेटरी का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि आपका प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया गया है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र में मारे-पीटे जा रहे हैं और इसका सवाल यहां नहीं उठेगा तो फिर कहां उठेगा ?

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना नियम-103 में थी वह अग्राह्य हो चुकी है। फिर से लिखकर दे दें विचार कर लिया जाएगा।

बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित बजट साहित्य न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश्वर सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, 29 तारीख को बेसिक शिक्षा विभाग का बजट है नियमानुसार लिटरेचर चार दिन पूर्व मिल जाना चाहिये लेकिन अभी तक बजट साहित्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस पर 29 तारीख को चर्चा कैसे होगी ?

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, इसको दिखवा लीजिये।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

इसको दिखवा लेंगे।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27 फरवरी, 2008 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 25 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद स्थित रसूलाबाद घाट का सौन्दर्यीकरण कराने एवं आजाद पार्क में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगवाने के सम्बन्ध में है।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़कर सुनाई)

दूसरी सूचना डा0 हरगोविन्द भार्गव की सीतापुर के अम्बेडकर ग्राम चौबेपुर में तीन वर्षों से खराब पड़े सरकारी नलकूप को ठीक करवाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री निर्मल वर्मा की सीतापुर के बिसवां क्षेत्रान्तर्गत मधु इण्डिया लि0 द्वारा फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों को निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री अनिल कुमार मौर्य की जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज घेरावल मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी की जिला पंचायत बलरामपुर द्वारा अवैध रूप से वसूले जा रहे गुण्डा टैक्स की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर विश्वविद्यालय में बहुत से स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को अचानक बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री विजय बहादुर यादव की बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के डेण्टल सर्जरी विभाग में डिमांस्ट्रेटर के पद पर की गयी अवैध नियुक्ति को समाप्त करने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री अशोक सिंह चौहान की जनपद मैनपुरी के ग्राम भटपुरा ग्राम सभा औंग में स्वीकृत पूर्व माध्यमिक विद्यालय का भवन अन्य ग्राम में बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खाँ की जनपद मुजफ्फरनगर ग्राम थाना भवन देहात पट्टी कालरू स्थित सम्पत्ति की जांच कराकर बैनामें को निरस्त कर इस भूमि को राजस्व अभिलेखों में ग्राम पंचायत की भूमि दर्ज करने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में कुत्ता काटने का इन्जेक्शन उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(श्री दुर्गा प्रसाद यादव ने अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़कर सुनाई)

ग्यारहवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 से संबद्ध कतिपय माइनरों में टेल तक पानी न पहुँचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री शम्भू चौधरी की कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत खड्डा ब्लाक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में की जा रही घोर अनियमितताओं की जांच कराकर धांधली रोकने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री राम किशुन की वाराणसी/चन्दौली सीमा पर स्थित पड़ाव चौराहे का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री कृष्ण गोपाल पटेल की खीरी के नगर पंचायत सिगाही में लड़कियों का हाईस्कूल/इण्टर का परीक्षा केन्द्र 18 कि0मी0 दूर करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी में गंगा तट पर सैकड़ों वर्ष पुराने जर्जर हो चुके भवनों को वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा मरम्मत हेतु अनुमति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचनायें अस्वीकार की गई-पहली सूचना श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, दूसरी सूचना श्री धनन्जय सिंह, तीसरी सूचना श्री प्रदीप जैन आदित्य, चौथी सूचना श्री इमरान मसूद, पांचवीं सूचना श्री यशपाल सिंह चौहान, छठवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सातवीं सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह, आठवीं सूचना श्री सूरज सिंह शाक्य, नवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग तथा दसवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर।

(श्री दुर्गा प्रसाद ने अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़कर सुनाई। शेष सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

इलाहाबाद स्थित रसूलाबाद घाट का सौन्दर्यीकरण एवं आजाद पार्क में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[मा0 शहीदे आजम चन्द्रशेखर आजाद, कमाण्डर इन चीफ हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, 27 फरवरी, 1931 को अंग्रेजों की फौज से लड़ते हुए इलाहाबाद में शहीद हुए। आजाद इनकी उपाधि थी और अपनी शहादत देकर उन्होंने इसको साकार किया। आज वह पूरे भारत में निर्विवाद रूप से त्याग, बलिदान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। शहीद भगत सिंह उक्त क्रान्तिकारी संस्था के दार्शनिक, विचारक एवं प्रमुख नेता थे। उनको फांसी से बचाने के लिये ही चन्द्रशेखर आजाद तत्कालीन एल्फ्रेड पार्क में मीटिंग करते हुए शहीद हुए थे। आजाद का दाह संस्कार इलाहाबाद स्थित गंगा तट रसूलाबाद घाट पर हुआ था। वह आज अत्यन्त उपेक्षित है। इसके विकास में जितना विलम्ब हो रहा है, वह अत्यन्त दुःखद है। आज तमाम साहित्यकार, कलाकार आदि उक्त स्थल पर धरना देंगे।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व, राष्ट्रभक्ति के मामले को सदन के संज्ञान में लाकर शासन द्वारा रसूलाबाद घाट का सौन्दर्यीकरण कराने तथा आजाद पार्क के क्वीन विक्टोरिया मूर्ति के खाली पड़े स्थान पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगवाने की मांग करता हूं।]

सीतापुर के अम्बेडकर ग्राम चौबेपुर में तीन वर्षों से खराब पड़े सरकारी नलकूप को ठीक करवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 हरगोविन्द भार्गव-

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम-चौबेपुर में सरकारी नलकूप 3 वर्षों से खराब हैं नहर की व्यवस्था न होने के कारण किसानों के समक्ष सिंचाई की बड़ी समस्या है। मैं सरकार से इसकी जांच करवाकर शीघ्र ठीक कराने की मांग करता हूं।]

सीतापुर के बिसवां क्षेत्रान्तर्गत मधु इण्डिया लि0 में मजदूरों का शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री निर्मल वर्मा-

[कृपया आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मधु इण्डिया लिमिटेड द्वारा फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी से काफी कम मजदूरी देकर कार्यरत मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगी इसकी मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज घोरावल मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनिल कुमार मौर्य-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में जनपद सोनभद्र मुख्यालय राबर्ट्सगंज से घोरावल मुख्य मार्ग है। इस पर काफी आवागमन रहता है, टूटा है, मार्ग भी संकरा है। इससे आये दिन दुर्घटनायें होती हैं, इसलिये इसका चौड़ीकरण करना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र चौड़ीकरण कराने की मांग करता हूं।]

जिला पंचायत बलरामपुर में अवैध रूप से वसूले जा रहे गुण्डा टैक्स की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी-

[महोदय हमारे जनपद बलरामपुर में पहाड़ी नदियों का जाल फैला है जिससे इमारतों के निर्माण हेतु बालू, पत्थर एवं चिप्स आदि टैक्टर-ट्राली एवं ट्रकों द्वारा तुलसीपुर एवं जनपद बलरामपुर सहित अन्य जनपदों में भी आपूर्ति की जाती है।

परन्तु बहुत खेद के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि जिला पंचायत जनपद बलरामपुर द्वारा अवैध रूप से गुण्डा टैक्स के रूप में ट्रैक्टर से 100/- रुपये और ट्रकों से 250/-रुपये अवैधानिक तरीके से वसूला जा रहा है जिसकी न तो रसीद दी जाती है और वाहन चालकों द्वारा मांगने पर आमादा फौजदारी तथा मारपीट भी करते हैं जिससे न केवल सरकारी राजस्व की भारी क्षति हो रही है वरन् शान्ति-भंग की आशंका बनी रहती है।

अतएव आपसे मांग करता हूं कि अवैध गुण्डा टैक्स वसूली करने वाले जिला पंचायत बलरामपुर का प्रदेश स्तर से जांच कराकर कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि सरकारी राजस्व को क्षति से बचाया जा सके।]

गोरखपुर विश्वविद्यालय में बहुत से स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की अचानक बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[विश्वविद्यालयों की समस्त शैक्षणिक गतिविधियों, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से नियंत्रित होती है। नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय को कोई भी नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के पूर्व विश्वविद्यालय स्तर पर समस्त प्रशासकीय औपचारिकतायें पूर्ण करने के साथ-साथ शासन से स्वीकृति लेती हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय विगत सत्र में 15 विभागों में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कुल 2 पाठ्यक्रम बिना शासकीय स्वीकृति के प्रारम्भ कर दिये गये। 3 पाठ्यक्रमों में तो शैक्षणिक परिषद् एवं कार्यकारिणी परिषद् तक से भी स्वीकृति नहीं ली गई। कुलपति ने इन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के पूर्व पाठ्यक्रम के मानक शिक्षकों की नियुक्ति, प्रवेश के तरीके, फीस के स्तर, शैक्षणिक स्तर बनाये रखने हेतु संसाधन आदि किन्हीं भी तत्वों का मूल्यांकन नहीं कराया। वर्तमान कुलपति ने कार्यग्रहण के उपरान्त इन स्ववित्त पोषित कार्यक्रमों को बन्द कर दिया और सभी पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में शासन की स्वीकृति हेतु पत्रावलियां शासन को सन्दर्भित कर दिया। शासन ने अभी तक इस सन्दर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया है। पाठ्यक्रमों के बन्द होने तथा शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिये जाने के कारण विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक परिक्षेत्र में भ्रम, संशय एवं अनिश्चितता का माहौल है। जिन छात्रों ने अच्छी खासी फीस देकर इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया था वे सभी यह जानकर कि शासकीय स्वीकृति न होने के कारण ठगे से महसूस कर रहे हैं शासन के द्वारा कोई नीति स्पष्ट न किये जाने के कारण यह स्प्ष्ट नहीं हो सका है कि क्या वे पाठ्यक्रम पुनः प्रारम्भ होंगे या नहीं ? यदि प्रारम्भ होंगे तो क्या विगत सत्रों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के भविष्य सुरक्षित रखने के लिये क्या इन पाठ्यक्रमों को भूतलक्षी प्रभाव से मान्यता दी जायेगी अथवा नहीं ? शासन ने निजी हित में इस प्रकार अवैधानिक कार्यवाही करने वाले तत्कालीन कुलपति, रजिस्ट्रार एवं वित्त नियंत्रक के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही भी नहीं की।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर विधान सभा की प्रक्रिय तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 301 के तहत शासन को सदन में जवाब देने हेतु निर्देशित करें।]

बी0आर0बी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के डेन्टल सर्जरी विभाग में डिमांस्ट्रेटर की अवैध नियुक्ति को समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय बहादुर यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के डेन्टल सर्जरी विभाग में डिमांस्ट्रेटर पद पर की गई अनैतिक नियुक्ति से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में डेन्टल सर्जरी विभाग में डिमांस्ट्रेटर पर नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए नियुक्ति की गई है। माइक्रोबाया लॉजी विभाग से डिमांस्ट्रेटर का एक पद डेन्टल सर्जरी विभाग में स्थानान्तरित किये जाने के बाद इसको विज्ञापित भी नहीं किया गया और चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के बिना ही डा0 की अवैतनिक नियुक्ति की गई। जबकि उस अवधि में डेन्टल सर्जरी विभाग में डिमांस्ट्रेटर का पद भी सृजित नहीं था इसके बावजूद नियुक्ति करके वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी जा रही है और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जी0पी0एफ0 भी काटा जा रहा है। डिमांस्ट्रेटर पद पर नियुक्त व्यक्ति का वेतन जूनियर रेडिडेन्ट (प्रथम वर्ष) के समतुल्य देय होने के बावजूद तीन वार्षिक वेतन वृद्धि नियम विरुद्ध तरीके से दिया जा रहा है। इस नियुक्ति को वैध ठहराते हुए नियुक्त डाक्टर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी जिसे दिनांक 2-1-08 को मा0 न्यायालय ने खारिज कर दिया है इसके बाद भी इस नियम विरुद्ध डाक्टर की नियुक्ति को समाप्त नहीं किया गया और नियम विरुद्ध तरीके से नियुक्ति करके वेतन के रूप में सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही है। इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए नियम विरुद्ध नियुक्ति को समाप्त किया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं नियम विरुद्ध की गई नियुक्ति को समाप्त करने की मांग करता हूं।]

मैनपुरी के ग्राम ढकपुरा ग्राम सभा औंग में स्वीकृत पूर्व माध्यमिक विद्यालय का भवन अन्य ग्रामों में बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अशोक सिंह चौहान-

[मैं आपके माध्यम से ग्राम ढकपुरा ग्राम सभा औंग विकास खण्ड जागीर जनपद मैनपुरी में स्वीकृत पूर्व माध्यमिक विद्यालय का भवन अन्य ग्राम में बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला शिक्षा समिति द्वारा एक नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालय ग्राम ढकपुरा ग्राम सभा औंग वि0क्षे0 जागीर में निर्माण हेतु स्वीकृत हुआ था। ग्राम सभा ढकपुरा की आबादी लगभग 1300 है। उक्त विद्यालय के निर्माण हेतु ग्राम सभा द्वारा भूमि भी उपलब्ध करवा दी गई है। विद्यालय के निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि पर भवन निर्माण के लिये बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी जागीर मैनपुरी द्वारा अपने पत्रांक 10544/07/08 दिनांक 24-1-08 द्वारा सहमति भी दे दी गई, सहमति के उपरान्त विद्यालय का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया जिसमें नींव खोदकर उसे भरने का कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु राजनैतिक दबाव में आकर बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी चयनित ग्राम से 500 मीटर दूर नगला जसी में जिसकी आबादी लगभग 500 है उक्त विद्यालय का निर्माण करवाने का प्रयास कर रहे हैं।

उक्त विद्यालय ग्राम ढकपुरा के लिये स्वीकृत है, निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है, नगला जसी की आबादी भी कम है और बिना समिति के प्रस्ताव के स्थल परिवर्तन नहीं हो सकता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय ग्राम ढकपुरा ग्राम सभा औंग वि0क्षे0 जागरी में ही निर्माण कराये जाने के आदेश दिये जायं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए स्वीकृत स्थल पर ही विद्यालय का निर्माण कार्य कराने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मुजफ्फरनगर के थाना भवन के ग्राम देहात पट्टी कालरू में शत्रु सम्पत्ति की जांच कराकर भूमि की राजस्व अभिलेखों में ग्राम पंचायत की भूमि दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अब्दुल वारिस खां-

[जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा थाना भवन तहसील शामली में स्थित ग्राम थाना भवन देहात पट्टी कालरू स्थित सम्पत्ति जिसका खाता संख्या 0688, 689, 646, 647, 645, 649, 650, 656 जिसका कुल क्षेत्रफल 2.3000 हेक्टेयर भूमि है। यह भूमि राजस्व अभिलेखों के अनुसार श्रीमती शफिया खातून पत्नी स्व0 जकी मोहम्मद निवासी पाकिस्तान के नाम दर्ज है। यह सम्पत्ति भारतीय संविधान के अनुसार शत्रु सम्पत्ति की श्रेणी में आती है किन्तु इस सम्पत्ति का बैनामा विगत दिनों में कर दिया गया है जिला प्रशासन द्वारा सम्पत्ति की जांच भी नहीं कराई गई जबकि लेखपाल द्वारा उद्धरण खतौनी (लैंड रिकार्ड मैनुअल की धारा 22) पत्र में विक्रेता के सम्बन्ध में विक्रेती को संदिग्ध बताया है व विक्रेती पाकिस्तान की निवासी बताई गई है। अतः इस प्रकरण की जांच कराकर बैनामे को निरस्त कर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी अति आवश्यक है ताकि यह भूमि राजस्व अभिलेखों में ग्राम पंचायत की भूमि दर्शायी जाय।

अतः इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में कुत्ता काटने का इन्जेक्शन उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ में कुत्ता काटने के इंजेक्शन उपलब्ध न होने की तरफ दिलाना चाहता हूं। श्रीमन्, जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में कुत्ते काटने के इंजेक्शन बहुत ही कम मात्रा में मिल रहा है जिससे मरीजों को काफी असुविधा हो रही है। यही नहीं जो इंजेक्शन सरकार की तरफ से उपलब्ध हो रहा है उसकी भी कालाबाजारी खुलेआम कर दी जा रही है जिससे मरीजों को महंगे दामों पर वही इंजेक्शन बाजार से खरीदना पड़ रहा है। यहीं नहीं सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा एवं फार्मासिस्टों द्वारा कहा जाता है कि इंजेक्शन नहीं है अगर इंजेक्शन है भी तो उसके 120/- प्रति इंजेक्शन के हिसाब से सुविधा शुल्क दीजिये तब इंजेक्श[illegible] जाते हैं। इससे स्थानीय लोगों में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बहुत ही आक्रोश व्याप्त है और इंजेक्शन के अभाव में कई मौतें भी हो चुकी हैं। यह एक लोक महत्व का गम्भीर विषय है।

अतः सरकार से मेरी मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर कुत्ते काटने के इंजेक्शन जो दिये जाते हैं उसकी मात्रा बढ़ाई जाय और काला बाजारी करने वाले लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।]

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्र में शारदा सहायक खण्ड-39 से सम्बन्धित माइनरों में टेल तक पानी न पहुंचने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जोखू लाल यादव-

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद इलाहाबाद के शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद से सम्बन्धित प्रतापपुर माइनर, कैथवल माइनर, पट्टी राम माइनर, रामपुर माइनर में पानी टेल तक न पहुंचने के कारण हजारों एकड़ जमीन की फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है जिससे फसल सूखने के कगार पर है। मान्यवर, किसान आक्रोशित एवं आन्दोलित है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्र में ब्लाक खड्डा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में जारी धांधली को रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शम्भू चौधरी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र नौरंगिया में खड्डा ब्लाक अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में घोर अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

विधान सभा-नौरंगिया अन्तर्गत खड्डा ब्लाक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में घोर अनियमिततायें की जा रही हैं। शासन की मंशा के विपरीत गरीब, असहाय, कमजोर, निर्बल एवं आर्थिक रूप से विपन्न ग्रामवासियों को रोजगार एवं मजदूरी न उपलब्ध कराकर ठेकेदारी प्रथा से तथा ट्रैक्टर एवं मशीनों से कार्य कराये जा रहे हैं, जाब कार्ड निर्धारित मानक के अनुरूप वितरण नहीं किये गये हैं, ग्राम प्रधान एवं ब्लाक कर्मियों की मिलीभगत से ग्रामीणों में जाब कार्ड वितरण न करके मनमाने ढंग से उस पर उपस्थिति अंकित कर भुगतान देकर इस योजना को पूर्णतः विफल किया जा रहा है। इस प्रकार की अनियमितता से क्षेत्र के गरीबों एवं निर्बल वर्ग के लोगों में आक्रोश एवं निराशा व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए की जारी धांधली को रोकने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

वाराणसी चन्दौली सीमा पर स्थित पड़ाव चौराहे के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम किशुन-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनता की गम्भीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद चन्दौली/वाराणसी सीमा पर स्थित पड़ाव चौराहा है जहां पर विभिन्न जिला और प्रान्तों और जिला तथा आस-पास के लोग अपने विभिन्न कार्यों के कारण आते जाते हैं। बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट से सम्बन्धित कार्य भी होते हैं हजारों की संख्या में मोटर वाहन आदि चौराहे से होकर गुजरते हैं। यह चौराहा वाराणसी शहर का प्रवेश द्वार है तथा इसके पास ही गंगा का किनारा होने के कारण कई संत महात्माओं के बड़े-बड़े धार्मिक आश्रम हैं। जहां पर प्रतिवर्ष लाखों लोगों का धार्मिक कार्यों हेतु आना जाना पड़ता है। इस चौराहे से मुगलसराय , बिहार, आदि जगहों को जाने के लिये सड़कें हैं पड़ाव चौराहे से ही पड़ाव शक्तिनगर, सोनभद्र, सोननगर, मिर्जापुर आदि स्थानों पर जाने के लिये सड़क है। इस चौराहे की जुड़ने वाले आधा दर्जन सड़कें और पानी निकलने वाले सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। पानी की निकासी न होने से सड़कें जर्जर और ध्वस्त हो गयीं। चौराहे का पानी की निकासी की व्यवस्था करते हुए जर्जर सड़कों का सुदृढ़ीकरण कराये जाने की मांग करते हुए चन्दौली वाराणसी सीमा पर स्थित पड़ाव चौराहे के सुदृढ़ीकरण की मांग करता हूं।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए पड़ाव चौराहे के सुदृढ़ीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

खीरी के नगर पंचायत सिगाही में लड़कियों का हाई स्कूल/इण्टर का परीक्षा केन्द्र 18 कि0मी0 दूर करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

[राजा प्रताप शाह इण्टर कालेज व राम चन्द्र शाह हाई स्कूल सिगाही में संचालित है जिनकी बोर्ड की परीक्षा होनी है। बोर्ड की परीक्षा हेतु इन स्कूलों का लड़कियों का परीक्षा केन्द्र 18 किलोमीटर दूर महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज तिकुनिया कर दिया गया जबकि शासन का आदेश है कि लड़कियों का परीक्षा केन्द्र 3 या 4 किलोमीटर से दूर नहीं होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः महाराजा अग्रसेन इन्टर कालेज तिकुनिया के स्थान पर क्वीन मेरी जूनियर हाई स्कूल सिगाही में कराया जाय।]

वाराणसी में गंगा तट पर स्थित जर्जर हो चुके भवनों की मरम्मत की अनुमति वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[महोदय, काशी विश्व की प्राचीनतम नगरियों में से एक है और वहां गंगा के किनारे बने हुए अधिकांश भवन सैकड़ों वर्ष पुराने हैं जो अब जर्जर स्थिति में हैं लेकिन उनकी मरम्मत, परिवर्तन व परिवर्धन हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा तट से 200 मीटर के दायरे में अनुमति प्रतिबन्धित है, कह कर आवश्यक अनुमति देने से इंकार करता है। दूसरी तरफ सामने तरफ घाट क्षेत्र में जजों के लिये अतिथि गृह का निर्माण हेतु अनुमति दिया जाता है। सामने घाट नगुवा क्षेत्र में बने हुए भवनों के विरुद्ध अनधिकृत निर्माण गिराने हेतु नोटिसें भी तामील हुई हैं और ऐसे हजारों मकान मालिकों पर तलवार लटक रही है। अनुमति न मिलने से मजबूरी में लोग मरम्मत इत्यादि करवाने लगते हैं तो प्राधिकरण कर्मचारी/अधिकारी विभिन्न कारणों से आंख बन्द कर लेते हैं लेकिन काम के सम्पन्न हो जाने पर उन्हें मुकदमों में फंसा देते हैं। इस तरह की दोहरी नीति के कारण जनता का बुरा हाल है और यह भयादोहन तथा शोषण की चक्की में पिस रहा है। वाराणसी की प्राचीनतम को देखते हुए गंगा तट के जर्जर भवन स्वामियों को अपने आश्रम स्थल को बचाये रखने हेतु आवश्यक अनुमति दिया जाना अति आवश्यक है तथा इस सम्बन्ध में एक पारदर्शी नीति और नियम बनाना और जनता को अवगत कराना भी अति आवश्यक है। वर्षों पूर्व जो मकान निर्मित हो चुके हैं उनके स्वामियों से शमन शुल्क लेकर उन्हें मुकदमें से निजात देनी चाहिए अन्यथा अपने गाढ़े कमाई के धन से मकान बना चुके हजारों लोगों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा। मेरी मांग है कि 200 मीटर के दायरे को भी व्यापक जनहित में परिभाषित व संशोधित किये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के ध्यानाकर्षण सूचना पर अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, हमारी सूचना बहुत गम्भीर है, एक बार सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं अग्राह्य कर चुका हूं। आप फिर दे दीजिये 301 में, मैं ले लूंगा। (कई सदस्यों के खड़े होने पर) शाक्य जी, आपकी दो सूचनाएं थीं। एक 51 में गई है। पहलवान जी, इमरान जी,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बैठ जाइये, मैं अग्राह्य कर चुका हूं। फिर दे दीजियेगा। अभी लम्बे समय तक सदन चलेगा फिर दे दीजियेगा।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैंने पहले भी दी थी ग्राह्य हो गयी थी लेकिन मैं उस समय था नहीं। मैंने फिर दी है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये फिर दे दीजियेगा। चौहान जी आपका क्या है ?

श्री यशपाल सिंह चौहान-

मान्यवर, 301 में मैंने एक सूचना दी थी।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, 301 की सूचनाएं लाटरी के माध्यम से निकलती हैं। जो निर्धारित मानक है उसके अनुसार जो सूचना आती है, वह ली जाती है। जब अग्राह्य हो गयी तो फिर क्या ?

श्री अध्यक्ष-

जिसकी सूचना आज नहीं आई, कल दे दीजिये, उस पर विचार हो जायेगा।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27 फरवरी, 2008 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 9 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिसमें से पहली सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की विधान सभा के विगत एवं वर्तमान सत्र में लभ्य असरकारी दिवस उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री अब्दुल वारिस खां तथा चौ0 सत्यपाल सिंह की विधान सभा में दिनांक 6 दिसम्बर, 2007 को नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित किये जाने के बावजूद माननीय सदस्यों की सुरक्षा हेतु उन्हें भुगतान के आधार पर गनर उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की दिनांक 20 फरवरी, 2008 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न सं0-24 के उत्तर में यह उल्लेख है कि "याची का प्रत्यावेदन निस्तारित कर याची तथा माननीय सदस्य को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है" किन्तु दिनांक 20 फरवरी, 2008 तक वस्तु स्थिति से याची अथवा माननीय सदस्य को अवगत न कराये जाने के सम्बन्ध में चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अजय कपूर तथा श्री प्रदीप जैन आदित्य की अध्यक्ष पीठ एवं शासन द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों के प्रति जारी किये गये शिष्टाचार विषयक निर्देशों का पालन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा न किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री कुबेर सिंह की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की सूचना कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व विधान सभा के माननीय सदस्यों को दिये जाने के सम्बन्ध में है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 पी0 के0 राय और डा0 आर0 ए0 उस्मानी।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, एक सूचना मैंने दी है। आप ज्यों ही उसको सुनेंगे आप कहेंगे कि यह सबसे महत्वपूर्ण सूचना हैं। क्योंकि सदन की सर्वोच्चता से यह सम्बन्धित विषय है हम लोग यहां विधेयक बनाते हैं। किसी संस्था को इस विधान सभा से अधिक विधान बनाने की ताकत दे दी जायगी यह अनुचित है। आप सिर्फ सुन लीजिए। नम्बर के बाद सुन लीजिए मैं कोई आरोप किसी पर नहीं लगा रहा हूं। संवैधानिक प्रश्न है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, 1700 के लगभग चयनित शिक्षक माध्यमिक सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण दर-दर भटक रहे हैं। 180 दिन से अधिक समय से यह शिक्षक भूख हड़ताल पर बैठे हैं इनके परिवार के लोग भूखों मर रहे हैं। मैंने इस सम्बन्ध में नियम 301 में भी सूचना दी थी आपने कृपा करके शासन का ध्यान आकृष्ट किया और यह सूचना 3-10-07 को दी थी। सारे शिक्षक 1700 शिक्षक परेशान हैं सेवा चयन बोर्ड के अन्दर अध्यक्ष को नियुक्त कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

सूचना के, समय के अन्दर जवाब नहीं आ रहे हैं इस सम्बन्ध में तो हम अपनी व्यवस्था दिये थे और इस सम्बन्ध में आप लोगों ने प्रत्यावेदन भी नियम समिति में दिया है।

विधान सभा के विगत एवं वर्तमान सत्र में असरकारी दिवस उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत "असरकारी सदस्यों के कार्य के लिये समय का नियतन-(1) प्रत्येक शुक्रवार को दो बजे अपराह्न से पांच बजे अपराह्न तक असरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा और जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें उसको सरकारी कार्य पर अग्रेता प्राप्त होगी।" इसी में अगले पैरा में है-"जब अध्यक्ष ने उप नियम (1) के अन्तर्गत पूर्वोक्त रीति से अन्यथा निदेश दिया हो तो वह सदन नेता से परामर्श करके असरकारी सदस्यों के कार्य के लिये किसी सप्ताह में कोई अन्य दिन नियत कर सकेंगे।" माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए पिछले सत्र में जो असरकारी दिवस में जो संकल्प लम्बित हैं वह आज तक पूरे नहीं हो पाये। ओर यह सत्र जो 8 फरवरी से आज तक चल रहा है इसमें एक भी असरकारी दिवस नहीं हो पाया है। आपका संरक्षण चाहिए इस सम्बन्ध में, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जैसा कि माननीय धर्मपाल सिंह जी ने स्वयं नियमावली पढ़ी कि माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश के बाद उसको बदला जा सकता है। मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति में इस पर चर्चा होती है और कार्य-मंत्रणा समिति ही सदन की कार्यवाही को निर्धारित करती है। तो वहां पर आपकी अध्यक्षता में बैठक होती है और उसको सदन द्वारा अनुमोदन किया जाता है तो सदन द्वारा अनुमोदन के उपरान्त ही उसको स्वीकृत करने के बाद आपका निर्देश माना गया उसके अनुसार निर्णय लिये गये। इसलिये यह नियम 300 में नहीं आता है जहां तक असरकारी दिवस के लिये सवाल आया है इसमें स्वयं मान्यवर, आपने 12 तारीख को कार्य-मंत्रणा समिति में निर्धारित कर रखा है। इसलिये यथा समय उसको लेने की स्वयं व्यवस्था की है। चूंकि आपने इसी नियम में इस बात का निदेश दिया है, 'जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें तो उसी निर्देश पर ही अन्य कार्य लिये गये। जहां तक इसका सवाल है, 12 तारीख को पहले से ही लिया जा चुका हैं। मान्यवर, यह नियम-300 में नहीं आता।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, जो नये साथी हैं, असरकारी दिवस होगा तो वह भी अपनी बात रख लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मैंने डा0 धर्मपाल सिंह को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती, अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा अपनी सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित दिनांक 6 दिसम्बर, 07 को नियम-56 में दी गई सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने के बावजूद उन्हें भुगतान के आधार पर गनर उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैंने पिछले सत्र में भी अपनी सुरक्षा से सम्बन्धित बात सदन में रखी थी और आपने भी पीठ से आदेश दिये थे और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा था कि दिखवा लेंगे। अध्यक्ष जी, विधायकों को 25 परसेन्ट व्यय पर गनर देने की व्यवस्था सरकार ने की है और 25 परसेन्ट पर लेने के लिये मैंने आवेदन दिया है। मान्यवर, मेरी जान को गम्भीर खतरा है। जो अपराधी हैं, जिनसे मुझे खतरा है, मैं उनका नाम तो यहां नहीं लूंगा लेकिन वह जेल से बाहर हैं, सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं। मैंने एक सप्ताह पहले डी0जी0पी0 से मिलकर उन माफियाओं के बारे में जानकारी दी कि फलां-फलां अपराधी हथियार लेकर 10-12 गाड़ियों में इकट्ठे घूम रहे हैं और कोई भी वारदात कर सकते हैं। मान्यवर, हमारे बताने के तीन दिन बाद बहुत बड़ी घटना को अन्जाम देने का काम उन्होंने कर दिया। मा0 अध्यक्ष जी मेरी जान को गम्भीर खतरा है। मैं सबको लिख कर दे चुका हूं, केवल सुरक्षा की बात है और जो सदस्य कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है तो उसे सुरक्षा मिलनी चाहिये। हां, मुझे यह मालूम जरूर है कि आज मैं सुरक्षा की

मांग रहा हूं, कल मेरे साथ कोई घटना हो जायेगी तो सुरक्षा जरूर मिल जायेगी, सरकार बगैर मांगे सुरक्षा दे देगी लेकिन जब मैं आज मांग रहा हूं तो सरकार मुझे सुरक्षा देने का काम नहीं कर रही है। मा0 अध्यक्ष जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिये, मेरे साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है, मुझे देर सबेर क्षेत्र में घूमना पड़ता है तो सरकार की 25 प्रतिशत की व्यवस्था है, मैं उसी पर लेने को तैयार हूं। 25 प्रतिशत मेरा देने का नहीं है फिर भी मैं देने को तैयार हूं क्योंकि यह मेरे जीवन से जुड़ा मामला है, तो मा0 अध्यक्ष जी यह बहुत गम्भीर मामला है, आपका संरक्षण चाहिये। मेरी सुरक्षा व्यवस्था करा दें, मान्यवर।)

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, जो माननीय सदस्य कह चुके हैं, सदन में कह चुके हैं और व्यवस्था है, उनकी जान को खतरा है। जब जान ही नहीं रहेगी तो उसके बाद सुरक्षा का क्या मतलब रह जायेगा ? जो सरकार की नीति है, 25 परसेन्ट वह देने को तैयार है, इसलिये मान्यवर, इसको करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

इसे नियम-56 में भी मा0 सदस्य उठा चुके हैं।

*संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, सभी को सुरक्षा दिये जाने के लिये जो व्यवस्था है, उसमें एक गनर का प्राविजन है। दूसरा मान्यवर, विशेष स्थितियों में 25 प्रतिशत पर है लेकिन उसके लिये शासन स्तर पर एक कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी में समय-समय पर उसकी समीक्षा की जाती है और कमेटी के निर्धारण के अनुसार, निर्णय के अनुसार ही दूसरा अतिरिक्त फोर्स देने की व्यवस्था की गई है। तो मान्यवर, कमेटी जहां तक इस स्थिति को पाती है।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 में आप लोगों की सूचना नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह निवेदन है कि यह नियम-300 में तो कहीं से आता नहीं, मान्यवर, मैंने उसके लिये आपसे अनुरोध किया, हाईकोर्ट में भी इस तरह के मामले आये थे और मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार एक कमेटी बनी है और वह कमेटी समय-समय पर इसका परीक्षण करती है और परीक्षण के उपरान्त जिसको अनुमन्य होता है, उसको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है, उसके अनुसार किया जाता है और जहां तक नियम-300 की बात है, यह नियम 300 में नहीं आता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

(कई सदस्य एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

एक मा0 सदस्य ने इसे नियम-300 में लगाया है। यह प्रक्रिया की सूचना नहीं है जिसमें सब लोग हाथ उठायें, कोई चर्चा नहीं हो रही है। एक मा0 सदस्य ने नियम-300 में उठाया है, उनको सुना जा चुका है।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, यह बड़ा अजीब सा तरीका है कि यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता, बस बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई, वह इन्सान मौजूद है और इसी सदन का वह मेम्बर है और उसकी जान को खतरा है, मान्यवर आप किसी को अपनी मर्जी से किसी को वाई श्रेणी, जेड श्रेणी दे दें तब कोई नियम नहीं होता। जब एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है और आप उसे सुरक्षा देने को तैयार नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है यह बात नियम में नहीं आती। यह गलत बात है।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कुछ परम्परायें इस सदन में रही हैं जब किसी सदस्य ने इस सदन में बात कही है तो उस पर ध्यान दिया गया है। इस सदन में कुछ सदस्य ऐसे हैं जिन्हें 40-41 गनर दिये गये हैं। एक सदस्य कह रहा है कि मैं 25 प्रतिशत शुल्क जमा करने को तैयार हूं, डी0जी0पी0 से मिले हैं और स्पेसिफिक सूचना दे रहे हैं। कल अगर कोई घटना हो गई तो कल कमेटी बैठी रह जायेगी। सदन में सदस्य अपनी जान की गुहार कर रहा है तो उसमें आप नियम का हवाला देकर शांत हो जायें। कहीं तो संवेदनशीलता होनी चाहिये। आपके सामने खड़े होकर उन्होंने कहा है। एक गनर से कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं पड़ जायेगा।

*श्री प्रमोद तिवारी-

कमेटी की बात आपने कही है। वह सदन में अपनी बात को कह रहा है, तो क्या इस कमेटी से बड़ी वह कमेटी है। एक सदस्य सम्मानित सदन से, आपसे अनुरोध कर रहा है कि उसने इस बारे में डी0जी0पी0 से भी कहा है, सदन में कह रहा है तो मैं समझता हूं कि इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिये। इसमें तो संसदीय कार्य मंत्री जी को कहना चाहिये कि आप अपने घर पहुंचिये शाम तक गनर पहुंच जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है उसके लिये सरकार तत्पर है लेकिन इसके साथ-साथ सभी माननीय सदस्यों को शासकीय व्यय पर एक गनर उपलब्ध कराया गया है। अगर इसके अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है तो जो इसके लिये कमेटी है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसमें एस0पी0, डी0एम0 आदि की रिपोर्ट के आधार पर कमेटी समय-समय पर इस बारे में निर्धारित करती है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(विपक्ष के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी-अपनी बात एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये। सोलंकी जी खड़े हैं आप लोग बैठ जाइये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह खड़े होकर शोर मचा रहे हैं। मान्यवर, सभी लोगों की सरकारें रही हैं। हमने भी कई बार इस बात को कहा है। हर व्यक्ति के मांग लेने मात्र से कभी सुरक्षा मुहैया नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सोलंकी जी ने नियम 300 के अन्तर्गत एक सूचना दी है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसके लिये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक कमेटी बनी है और वह कमेटी समय-समय पर इसका परीक्षण करती है और उस परीक्षण के आधार पर निर्णय लिया जाता है। मान्यवर, श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी हमारे दल के नेता थे, माननीय श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हमारी पार्टी के नेता थे, माननीय श्री इन्द्रजीत सरोज जी हमारी पार्टी के नेता थे और तमाम ऐसे लोग थे जिनके लिये आवाज उठाने के बाद भी शासन ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी। इसलिये इस तरह से शोर मचाना उचित नहीं है।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के अनुरोध पर उन्हें 4 गनर देने का काम हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय किया था। 25 प्रतिशत शुल्क पर देने का काम नहीं किया था।

आज क्राइटेरिया यह है कि दूसरे राजनैतिक दलों से इस्तीफा देकर बी0एस0पी0 में शामिल हो जायें और वाई श्रेणी तक की सुविधा ले लें।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनकी सरकार में आठ-आठ गनर हिस्ट्रीशीटर को उपलब्ध कराये थे। यह सरकार कानून को मानने वाली सरकार, नियमों से चलने वाली सरकार है और नियमों के मुताबिक चलेगी। खड़े होकर शोर करने से कुछ होने वाला नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, मा0 सोलंकी जी ने एक सूचना दी थी, नियम-56 के अन्तर्गत उन्होंने सुरक्षा का सवाल उठाया था। उस समय मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था कि इनकी सुरक्षा करायें। जवाब आना चाहिये था कि क्या कार्यवाही की गई। जब उस पर कुछ नहीं आया तब आज सोलंकी जी ने यह नियम-300 में उठाया है। यह ठीक है कि यह नियम-300 में नहीं आता है लेकिन इन्होंने जो कहा है कि हमारे ऊपर खतरा है, तो ऐसे मसले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके कल तक हमें अवगत करायें।

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है, कल तक अवगत करा देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक अनुरोध यह है कि जो पहले से नियम चले आ रहे हैं कि किसी भी सदस्य को, जिसको वास्तव में जान का खतरा हो, जिले से रिपोर्ट आ जाती है, तो दलीय आधार पर भेदभाव न करके उसे सदन का सदस्य होने के नाते, चाहे वह पक्ष को या विपक्ष का हो, प्रत्येक पर एक तरह से नियम लागू करने की कृपा करें। एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम बोलें तो ठीक है, लेकिन जब आप बोल रहें हो तो आपको चुप कराने के लिये संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हो जाते हैं, तो यह निन्दनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

नहीं ऐसा नहीं है। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। मैंने नियम-300 के अन्तर्गत चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी व अन्य सदस्यों तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं अगली सूचना जो कि सत्य प्रकाश अग्रवाल जी की है, को ले रहा हूं।

दिनांक 20 फरवरी, 2008 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-24 के उत्तर के अनुसार अभी तक वस्तुस्थिति से अवगत न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[महोदय, दिनांक 22-2-2008 की रात्रि में राकेश पुत्र चन्द्र प्रकाश निवासी किशनपुरा बागपत रोड मेरठ ओडियन नाले में गिर गया जिसकी सूचना स्थानीय नागरिकों द्वारा पुलिस एवं गनर निगम के अधिकारियों को तत्काल से दे दी। नाले पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई। स्थानीय पुलिस कर्मचारी एवं क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे तथा इस घटना की जानकारी जिला प्रशासन को दे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दी। नगर निगम की जे0सी0बी0 मशीन मौके पर आई तथा नाले से गिरे युवक की तलाश शुरू की गई। काफी तलाश के उपरान्त भी नाले से गिरा युवक नहीं मिला। नाले के अन्दर इतना कचरा भरा है कि युवक का पता नहीं चल पाया। वर्षों से नाला साफ नहीं हुआ है लेकिन 24-2-2008 को उसी युवक की लाश नाले में तैरती मिली। शव की सूचना मिलने पर स्थानीय नागरिक इकट्ठे हो गये। युवक की पहचान उपरोक्त के रूप में हुई। नगर निगम एवं पुलिस द्वारा इस घटना को गम्भीरता से लिया होता तो 22 वर्षीय युवक की मृत्यु नहीं होती। यह अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है। इस विषय में दोषी के विरुद्ध तत्काल मुकदमा दर्ज होकर कार्यवाही की जानी चाहिये।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

श्री अध्यक्ष-

आप इस पर न्यिम 300 में चर्चा की मांग कर रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, यह 300 का मामला है, मैंने इस पर एक प्रश्न लगाया था। मान्यवर, दिनांक 20-2-2008 विधान सभा की कार्यसूची नं0-2 नत्थी "ख" क्रम संख्या-24 अतारांकित प्रश्न संख्या के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया गया है कि प्रश्न के सन्दर्भ में निस्तारण कर माननीय सदस्य एवं संबंधित व्यक्ति को अवगत करा दिया गया है। लेकिन खेद है कि 20-2-2008 तक संबंधित व्यक्ति तथा स्वयं मुझे इस प्रकरण का क्या निस्तारण हुआ है, कोई सूचना नहीं है। आज दिनांक 26-2-2008 को एक पत्र एस0डी0 त्रिपाटी, अनु सचिव, चीनी उद्योग अनुभाग-2 अर्द्धशासकीय पत्र एमएमओ-399एस0सी0-18-2-08-700 (05)/04, दिनांक 14 फरवरी, 2008 का प्राप्त हुआ है। इस पत्र में अनु सचिव का कहना है कि प्रश्नगत वाद में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-8-2008 के अनुपालन में श्री रोहतास कुमार द्वारा शासन को प्रेषित प्रत्यावेदन को सम्यक विचारोपरान्त निस्तारित कर प्रार्थी को कृत कार्यवाही से सूचित किया जा चुका है। माननीय मंत्री जी के सदन के उत्तर एवं अनु सचिव के उत्तर में मुझे यह समझ में नहीं आता कि मुझसे क्या छिपाया जा रहा है क्योंकि दोनों के उत्तर में यह नहीं बताया जा रहा है कि प्रश्नगत प्रश्न पर क्या कार्यवाही हुई है ? मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश में क्या कार्यवाही हुई है ? इस कार्यवाही को छिपाने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने का कष्ट करें। मैं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल साहब आप यह सब क्या पढ़ रहे हैं ? आपका केवल इतना ही कहना है कि मैंने प्रश्न लगाया और उत्तर में आया कि मुझे अवगत करा दिया गया है, आपका कहना है कि मुझको अवगत नहीं कराया गया है।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, इसका मतलब जो जवाब आ रहा है वह सब गलत आ रहा है, इसके सन्दर्भ में कार्यवाही क्यों नहीं हुई है ? माननीय मंत्री जी ने सदन में कहा कि मैं सूचना दे चुका हूं और आज तक मेरे पास नहीं आई है। तो मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि वह सूचना कहां दबी रह गई ? वह सूचना कहां है ? और इस तरह से गलत उत्तर देने के लिये जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये। जवाब सही आने चाहिये।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, अगर कोई सूचना गलत आई है तो इसके लिये भी अलग नियम है उन नियमों के अनुसार आपके जो निदेश हैं उनके अनुसार आने पर मान्यवर, उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल जी, उन नियमों के अन्तर्गत आप सूचना दे दें। मैंने सत्य प्रकाश अग्रवाल जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

अध्यक्ष पीठ एवं शासन द्वारा विधान सभा सदस्यों के प्रति जारी किये गये शिष्टाचार विषयक निर्देशों का पालन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय मैं उठा रहा हूं यह सम्पूर्ण सदन से सम्बन्धित है। इसमें लगभग हर विधायक, हर सम्मानित सदस्य की अस्मिता, उसके सम्मान, उसके प्रोटोकाल से सम्बन्धित विषय है, इसलिये मैं मान्यवर, इसको इस ढंग से रखना चाहता हूं। भारत के संविधान के अनुसार मान्यवर, लोकतंत्र चार पायों पर टिका है, जिसमें से दो पाये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक स्तम्भ विधायिका है मान्यवर, जहां हम बैठे हुए हैं, दूसरा स्तम्भ मान्यवर, उसकी कार्यपालिका है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच का जो सम्बन्ध है उसमें कैसे एक दूसरे से हम व्यवहार करें, इसका समय-समय पर पीठ से उल्लेख होता रहता है। मान्यवर, सिर्फ उल्लेख ही नहीं होते रहे हैं, निर्देश ही नहीं होते रहे हैं मान्यवर, इस सन्दर्भ में शासन की मंशा हमेशा ईमानदारी की रही है, इस प्रश्न को उठाते हुए मान्यवर, मैं किसी एक सरकार का जिक्र नहीं कर रहा हूं बल्कि पूरी व्यवस्था का जिक्र कर रहा हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन के 25 अप्रैल, 2007 को संसदीय कार्य अनुभाग ने मान्यवर, ऐसे ही निर्देशों का एक संकलन जारी किया है जो मेरे पास है। जिसमें मान्यवर, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जब एक सम्मानित विधान सभा का सदस्य या विधायक किसी सरकारी कर्मचारी से बात करे या उसके कार्यालय में जाये तो उसके साथ में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कैसा व्यवहार होना चाहिये, उसका स्पष्ट उल्लेख है। मान्यवर, जैसे बहुत बार आपके सामने यह प्रश्न उठता है कि सदन की बैठक आपने आहूत कर ली है लेकिन जिला स्तर पर बहुत सी समितियों की बैठक बुला ली जाती है, जिसमें विधायक पदेन सदस्य होते हैं और उनका वहां रहना आवश्यक होता है। मान्यवर, एक व्यक्ति इस सदन में भी उपस्थित रहे और अपने जनपद में भी उपस्थित रहे, यह असम्भव है। तो मान्यवर, इसीलिये आपने निर्देश दिया था और उसके बाद 31 जुलाई, 1980 को तत्कालीन मुख्य सचिव ने भी निर्देश जारी किया कि जब सदन की कार्यवाही चल रही हो तो कोई जिले में बैठक न बुलाई जाये पर रोज बुलाई जा रही है।

मान्यवर, इसके अलावा यह भी आपकी तरफ से एक निर्देश जारी हुआ है 31 दिसम्बर, 1988 को, जो शासन ने जारी किया है कि अगर किसी गांव में आग लग जाये, दैवीय आपदा हो तो मान्यवर, अगर राहत कार्य वहां पर हो रहा हो तो उस क्षेत्र के सम्मानित सदस्य को सूचित किया जाना चाहिये और यथासम्भव यह प्रयास करना चाहिये कि उनकी सहूलियत के अनुसार जिनका यह क्षेत्र है, राहत कार्य तभी बांटा जाये जब वह सम्मानित सदस्य वहां पर मौजूद रहें। ऐसा कितने लोग परम्परा का पालन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सभी सदस्य जानते हैं। मान्यवर, इसी तरीके से एक बड़ी साधारण सी घटना है, साधारण सी बात है, मान्यवर, जब कोई सम्मानित विधायक किसी अधिकारी के यहां जाये तो मान्यवर, तो वह कैसा आचरण करे। मान्यवर, आपका स्पष्ट निर्देश है मान्यवर, मैं तारीख के अनुसार वह शासनादेश 19 दिसम्बर, 2002 का है, उसे उल्लिखित करते हुए कहना चाहता हूं कि मान्यवर, कल एक प्रश्न उठा कि विधायक का स्तर क्या होना चाहिये ?

मान्यवर, स्तर के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है। उनके आसन की क्या व्यवस्था होगी उसका उल्लेख है। मान्यवर, जो वारण्ट आफ प्रिसीडेंस है, वह जो अधिपत्र है उसके अनुच्छेद 30 में संसद सदस्यों का स्थान भारत सरकार के सचिवों और उनके समकक्ष केन्द्रीय अधिकारियों इत्यादि से ऊपर है। यानि की प्रोटोकाल में एम0पी0 गवर्नमेंट आफ इंडिया के सेक्रेटरी से ऊपर है। इसमें एम0पी0 और विधायक कहा गया है। इसलिये इसमें अब कोई दिक्कत रह नहीं गई है। मान्यवर, प्रदेश का मुख्य सचिव, भारत सरकार में सचिव होता है यानि की इस तरह से प्रोटोकाल में माननीय विधायक मुख्य सचिव के ऊपर आते हैं लेकिन कितना पालन होता है ? मान्यवर, एक स्पष्ट व्यवस्था हो गई है कि महामहिम श्री राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा अध्यक्ष, विधान सभा के अध्यक्ष, विधान परिषद् के सभापति, राजदूत और उसके बाद संसद सदस्य और विधायक हैं। लेकिन इसका पालन कितना हो रहा है। यह आप मान्यवर, जानते हैं कि इसका व्यवहारिक रूप से पालन नहीं हो रहा है। मान्यवर, इसमें यह भी है कि जब कोई सम्मानित विधायक किसी अधिकारी के कमरे में जायेंगे, जाना पड़ता है, कार्य के सम्पादन के लिये उन्हें जाना पड़ता है, यह बहुत स्पष्ट लिखा है, 31 दिसम्बर, 1988 के आदेश हैं शिरोमणि शर्मा, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की ओर से जारी हुआ है कि जब कोई माननीय विधायक सम्बन्धित अधिकारी से मिलने जायेंगे तो

वह खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे और चलते वक्त उनको खड़े होकर विदा करेंगे। आज इस आदेश का कितनी जगहों पर पालन हो रहा है।

मान्यवर, जो नियम हमने बनाये हैं, परम्परायें बनाई हैं, उनका उल्लेख करना चाहता हूं। मान्यवर, कल यहां पर टेलीफोन की बात आई थी। बड़ा स्पष्ट है कि अगर किसी अधिकारी को टेलीफोन किया जाये तो यह भी 19 दिसम्बर, 2002 का शासनादेश है कि श्री एन0के0 नारंग तत्कालीन प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने जारी किया था। उससे पहले इसी तरह का आदेश श्री गिरीश मेहरा, मुख्य सचिव ने 5 अगस्त, 1985 को जारी किया था। इसमें यह था कि जब भी माननीय सांसद और माननीय विधायक द्वारा किसी अधिकारी को टेलीफोन किया जाये तो उनके प्रति समुचित शिष्टाचार दिखाते हुए उनके वार्ता की जाये और यदि वह उस समय पर उपस्थित न हों तो आने के पश्चात् वापस टेलीफोन किया जाये। रिंग बैक किया जाये। मान्यवर, कितने अधिकारी इस आदेश का पालन कर रहे हैं कितने विधायकों के साथ इसका पालन हो रहा है ? यह आप देख रहे हैं। इसी तरह से यह भी शासनादेश है कि अगर माननीय विधायक ने पत्र लिखकर किसी अधिकारी के पास भेजा है तो उस अधिकारी का यह फर्ज है कि वह 30 दिन के अन्दर माननीय विधायक को इस बात की सूचना दे कि आपका पत्र प्राप्त हुआ है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है उसकी सूचना भी दे। अगर वह 30 दिन के अन्दर जवाब नहीं उपलब्ध करा सकते हैं तो वह सूचित करेंगे कि आपके पत्र में वांछित जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं जैसे ही वह आ जायेगी आपको अवगत करा दिया जायेगा। मान्यवर, मैंने आपके समक्ष एक-एक शासनादेश का जिक्र किया है। पीठ से मान्यवर, यह भी निर्णय हो चुका है कि जब यहां पर निर्वाचित होकर माननीय सदस्य आते हैं तो उनके साथ किस तरह का सम्मान प्रदर्शित किया जायेगा। मान्यवर, यह जो शासनादेश की प्रतियों का संकलन है इसकी प्रति मैं आपके पास भिजवा दे रहा हूं। इसमें सभी शासनादेश संकलन है। मान्यवर, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इस शासनादेशों को अनुपालन किया जायेगा। मान्यवर, मैं किसी घटना का जिक्र नहीं कर रहा हूं किसी सरकार का जिक्र नहीं कर रहा हूं किसी एक व्यवस्था का जिक्र जरूर कर रहा हूं।

मान्यवर, आज समय आ गया है कि जब कार्यपालिका और विधायिका के बीच अच्छे सम्बन्ध हों। अगर अच्छे संबंध नहीं होंगे, परम्पराओं का पालन नहीं होगा, शिष्टाचार का पालन नहीं होगा तो मान्यवर, संविधान के वह दो स्तम्भ जिन पर लोकतंत्र टिका हुआ है उनमें आपस में टकराव होगा। हम समुचित तरीके से कार्य सम्पादित नहीं कर पायेंगे। मान्यवर, इस व्यवस्था के प्रश्न को उठाते हुए आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि आप इस बारे में कोई यत्न करेंगे। आप कोई व्यवस्था देंगे आपके माध्यम से सरकार से आशा करें कि इस बारे में काई यत्न करेगी। यह सभी शासनादेश सरकार ने स्वयं जारी किये हैं। मान्यवर, इनका पालन करायेंगे तो विधायिका की गरिमा बढ़ जायेगी। माननीय सदस्यों की गरिमा बढ़ जायेगी। मान्यवर, जब हमारा सम्मान होगा

तभी आपका सम्मान होगा और तभी सरकार का सम्मान होगा। अगर यह सम्मान नहीं होगा तो भारत के लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह जायेगा और बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब माननीय विधायक का कोई सम्मान नहीं रह जायेगा तो इस लोकतंत्र का क्या भविष्य रह जायेगा। मान्यवर, इस व्यवस्था के प्रश्न को उठाते हुए आपकी व्यवस्था चाहते हैं और सरकार की मंशा भी हम जानना चाहते हैं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, शिष्टाचार एवं प्रोटोकाल के लिये जैसा माननीय तिवारी जी ने बताया समय-समय पर अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि इसका पूरी तरह से पालन किया जाय। 25 अप्रैल, 2007 को 14 नवम्बर, 2007 को 28 नवम्बर, 2007 को और 6 फरवरी, 2008 को संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश शासन स्तर से इस समय दिये गये हैं। मान्यवर, हम पुनः इस बात को दिखवायेंगे और पुनः इस बारे में कड़ा निर्देश जारी करेंगे कि जो सामान्य शिष्टाचार है और जो प्रोटोकाल है उसका पूरी तरह से पालन हो और माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रति पूरा सम्मान और शिष्टाचार प्रदर्शित किया जाय।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, जब कोई नियम बनाया जाता है तो उस नियम का पालन करने के उद्देश्य से उसको बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 25 बार शासनादेश जारी किए, भारत सरकार ने भी 23 मई, 2002 को इससे संबंधित शासनादेश को जारी किया है। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि नियम का पालन नहीं हो रहा है सभी माननीय सदस्यों की यह शिकायत है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय प्रमोद तिवारी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत अग्राह्य करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वतः बल देना चाहता हूं प्रमोद तिवारी जी ने एक अच्छा मामला रखा है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस पर आश्वासन भी दिया है। दो वाकये बड़े संगीन हुए हैं, वैसे तो बहुत हुए हैं लेकिन जो हाईलाइट हुए हैं एक मुजफ्फरनगर का और दूसरा मान्यवर .....

(श्री इरफान सोलंकी की ओर इशारा करते हुए)

यह हमारा सदस्य बहुत मासूम और बहुत कम उम्र का सदस्य है, इनके साथ भी इसी तरह का अभद्र व्यवहार हुआ है। आम तौर पर मान्यवर, हम यह देख रहे हैं इस वक्त हमारा तो काफी

लम्बा समय हो गया अब बुरा नहीं लगता टेलीफोन पर, अधिकारी मौजूद रहते हैं और मना कर देते हैं टेलीफोन पर भी बात करने के लिए, चिट्ठी दीजिए तो चिट्ठी वापस कर देते हैं यह एक आम चलन है इस वक्त। तो इनके साथ काफी अभद्र व्यवहार किया है इसको अपने स्तर से दिखवा लें या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष-

हम अपने स्तर से दिखवा लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ये नौजवान हैं और अगर अभी से इनको इस तरह के अफसरों का मिजाज मिलेगा तो हो सकता है मुजफ्फरनगर जैसा कोई दूसरा हादसा हो जाय। तो आप इसे दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

मैंने सुना, इस सूचना को अग्राह्य कर चुका हूं तब भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक व्यवस्था दिया है इसका कड़ाई से पालन करा लें ताकि माननीय विधायकों का प्रोटोकाल के हिसाब से सम्मान हो।

*श्री सिबगतुल्ला अंसारी-

मान्यवर, गाजीपुर में पहली मार्च को 3 बैठकें लगी हुई हैं उस बैठक को सदन के चलते हुए लगाना क्या नियमतः है, उन बैठकों को निरस्त कराया जाय।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं, बता दूं जो माननीय अंसारी जी ने सवाल किया। मान्यवर, पहली मार्च को शनिवार है पहले इस अपेक्षा से हो सकता है कि अधिकारियों ने लगाया हो कि शनिवार को विधान सभा सामान्यतः नहीं होती लेकिन अब यह शनिवार को पुनः आ गया है कार्यवाही में। मैं इसको सुनिश्चित करूंगा कि पहली मार्च को होने वाली बैठक जिसमें विधायक सदस्य हों, उस बैठक को न किया जाय, इसको मैं सुनिश्चित करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

एक जनपद लखीमपुर खीरी का है, जनपद लखीमपुर खीरी में भी बैठक बुलाई गई है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में जिन समितियों में माननीय विधायक सदस्य होते हैं अगर ऐसी समितियों की कोई बैठक पहली मार्च को होगी तो हम निश्चित रूप से आपके माध्यम से आश्वस्त करते हैं कि उसको निरस्त करा देंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बड़ी कृपापूर्वक बहुत ही स्पष्ट रुख लिया है, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। सभी सदस्यों का मामला है। सरकार का रुख भी सकारात्मक लग रहा है लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इस सन्दर्भ में एक नया सरकुलर जारी हो और यह जो कार्यालय हैं, इनके बाहर यह शिष्टाचार के नियम अगर लिखा दिये जायें तो बहुत उचित होगा। एक दो जगहों पर जहां ऐसी घटना हो, उन अधिकारियों के खिलाफ जब तक दण्ड की कार्यवाही नहीं की जायेगी, तब तक इस सदन का सम्मान कभी वापस नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष-

शेष सूचनायें अग्राह्य कर चुका हूं। लेकिन डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी आपने कहा है।

श्री कुबेर सिंह-

मुझे कृपया दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सब बात आ गयी है। अब तो सब सूचनायें निस्तारित हो चुकी हैं।

(डा0 आर0 ए0 उस्मानी के खड़े होने पर)

लखीमपुर खीरी मुख्यालय में रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनवाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष-

ओवर ब्रिज बनाने के लिये नियम 300 नहीं है। इस नियम में ओवर ब्रिज और सड़क बनाने की बात नहीं आती। वैसे ठीक है कि किसी माननीय सदस्य को प्रश्नों का जवाब नहीं मिला, लेकिन अब ओवर ब्रिज और सड़क बनाने के लिये नियम 300 नहीं है। उस्मानी साहब आप अन्य किसी और नियमों में दीजिये, मैं देख लूंगा।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, यह समस्या बड़ी गम्भीर है। माननीय नगर विकास मंत्री जी वहां पर गये थे और इन्होंने कहा था कि 10 दिन में हम ओवर ब्रिज वहां पर बनवाना शुरू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

वहां तहसीलदार गये थे, अधिकारी गये थे, अब सदन में हम उसका संज्ञान लें तो फिर हो गया। अब उसको नहीं लिया जायेगा।

(डा0 आर0 ए0 उस्मानी द्वारा पुनः खड़े होने पर)

उस्मानी साहब आप दूसरे नियमों में दे दीजिये, मैं देख लूंगा।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कृपापूर्वक नियम-300 पर सभी को अग्राह्य किया है। मान्यवर, एक निवेदन आपसे है नियम 300 के बारे में सब आपके सामने है अगर इस तरह से सभी सदस्य नियम-300 में कार्य-स्थगन में आने वाले विषय या 165(1) के अन्तर्गत आने वाले विषय या आश्वासन सम्बन्धी विषय भी उठाने लगेंगे और उस पर मान्यवर, अवसर मिलेगा तो इस नियम 300 की जो ग्रेविटी है, इस पर एक प्रश्नचिन्ह लग जायेगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर आप विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं ठीक है।

आज सभी सदस्यों से मैंने कहा है कि माननीय सदस्य सूचनायें दें, जानकारी हासिल करें. सदन में बोलें, हमे कोई एतराज नहीं हे। मैंने पहले ही कहा कि आप लोग सूचनायें दे रहे हैं, मैं ले भी रहा हूं और आप लोगों के विचार भी सुन रहा हूं। लेकिन अगर आप बकरोड और खड़न्जा को भी निमय-300 में समाहित कर लेंगे, तो कैसे काम चलेगा। मैं यह कह रहा हूं कि हमारे माननीय विधायकगण थोड़ा अध्ययन भी किया करें। 300 की परिधि में भी कुछ सूचनायें आवें ताकि सदन में आप एक अच्छे पार्लियामेन्टेरियन बनें। उस परिधि का भी आप अध्ययन करें। अगर आप खड़न्जा चक रोड को इसमें लेंगे तो फिर आपकी आदत बन जावेगी कि चलो इसी को नियम 300 में दे दिया जाय, इसी में पुल भी बना दिया जाय। इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को सुनता हूं और बराबर निर्देश भी दिया करता हूं। लेकिन मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो भी नियम नियमावली में आप उठा रहे हैं, उसका स्वागत है। नये सदस्य बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, मैं उनका भी सम्मान कर रहा हूं। लेकिन सूचनाओं की आप परिधि बनावें। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने नियम 51 में हमसे 5 प्रश्न पूछ लिये हैं कि क्या माननीय अध्यक्ष जी बताने की कृपा करेंगे कि यह काम कब तक करा दिया जायेगा। मैंने उनको बुलाया भी और कहा कि इस तरह की सूचना मत दीजिए। ठीक है उन्होंने दिया, तब भी हम बुरा नहीं माने। लेकिन यहां पर अगली पंक्ति में वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं, आप उनसे राय भी ले लें। आज महत्वपूर्ण विभागों का बजट है, दो बजे से हम चाहते थे कि ले लिया जाय। लेकिन अभी 56 भी देखना है अभी बजट पर अच्छे-अच्छे लोगों के विचार आयेंगे, नियम 56 में भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनायें हैं, जिस पर सदन में उसकी चर्चा हो जायेगी तो हो सकता है कि इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट हो जाय, इसलिये नियम 300 में पुल बनवाना, सड़क बनवाना, खड़न्जा लगवाना, यह विषय न दें।

(डा0 आर0 ए0 उस्मानी के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

उस्मानी साहब आप हमें व्यक्तिगत रूप से दे दीजिएगा, हम बात कर लेते हैं।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की सूचना कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व विधान सभा के मा0 सदस्यों को न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, आपने नियम-300 में मुझ जैसे बेवकूफ आदमी को समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मेरा अटपटा सा प्रश्न है और पूरे विधान सभा सदस्यों से सम्बन्धित है। हम सदस्यों द्वारा जब अधिकारियों से किसी प्रकार की सूचनाएं मांगी जाती हैं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में आपके द्वारा क्या-क्या कार्य कराये जा रहे हैं, जिनका हम समय पर परीक्षण-निरीक्षण कर लें, उसका मानक क्या है यह देख लें। मांगने के बाद भी सूचना नहीं दी जाती है, जबकि आपके शासनादेशों में इस प्रकार का प्राविधान है कि आप कार्य प्रारम्भ करने से पहले सूचना देंगे। लेकिन अधिकारी सूचनाएं इसलिए नहीं देते हैं कि अगर हमारी जानकारी में आ जायेगा तो हम लोग कहीं उनके कार्य में अवरोध न बन जायें। मान्यवर, कार्य प्रारम्भ करने से पहले हम लोगों को सूचनाएं मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप इतने जानकर हैं फिर कैसे अपने आपको बेवकूफ मान लिये।

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, थोड़ा सा रह गया है। मान्यवर, कार्य प्रारम्भ करने से पहले वह हमें इस तरह की सूचनाएं दें, जिससे हम कार्यों को ठीक से देख सकें क्योंकि सूचनाएं मांगने पर भी नहीं मिलती हैं। इससे जुड़ा एक प्रश्न और है और यह बहुत अटपटा है इसके लिए मैं सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा। मान्यवर, जो बड़े-बड़े दिग्गज हैं न जब इधर बैठ जाते हैं तब तो इन चीजों को जारी नहीं करते हैं तो मैं सरकार से ही मांग करता हूं कि ऐसी समस्याएं हम लोगों के सामने आ रही हैं। क्योंकि अगर इनका भण्डाभोड़ होता रहेगा तो मंत्रियों का जो शेयर है वह वहां तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी योजनाओं की हम लोगों को जानकारी मिलती रहनी चाहिए ताकि हम अपने क्षेत्र में उसका परीक्षण भी कर सकें और जनता के सामने हम उसका सही जवाब दे सकें कि यह सड़क ऐसी बननी है। अभी एक प्रश्न और रह गया है मेरा वह यह है कि जिस तरह से सुरक्षा के लिए हमारे साथ सुरक्षाकर्मी लगाया जाता है। उसका सम्बन्ध सुरक्षा से तो है ही उसके साथ ही उसका एक और सम्बन्ध है कि अगर हम कहीं कोई किसी तरह की अपने आपमें गलती करें तो प्रशासन के पास उनका एक गवाह है। इस तरह से अध्यक्ष जी हम लोगों को एक सरकारी कर्मचारी मिले क्योंकि जब हम किसी अधिकारी को पत्र दें तो उसकी रिसीविंग ले, जिससे न हम अपने आप में झूठे बनें और न अधिकारी झूठा बने। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस काम को कोई सरकार नहीं करती थी, अगर यह सरकार सही चलने वाली है तो इसमें सहयोग करेगी ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसमें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था दें ताकि यह काम सुचारु रूप से चले और इसके लिए चाहे विधायक निधि से कटौती कर लें, हमारे वेतन से कटौती कर लें। यह बहुत ऊंचे स्तर की बात है इससे राज्य का हित होगा और राष्ट्र का हित होगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, एक विषय मा0 कुबेर जी ने उठाया है कि विधायक के क्षेत्रों में जो कार्य योजनायें संचालित हैं, निश्चित रूप से क्षेत्रीय विधायक को सूचना दे दी जाए कि आपके प्रस्ताव पर कार्य प्रारम्भ हो रहा है। इस बात की सूचना मा0 विधायकों के संज्ञान में लाकर ही कार्य प्रारम्भ कराया जाए, इसको जरूर देख लें।

विधान मण्डल द्वारा पारित विधेयक के अन्तर्गत जारी शासनादेशों की अवहेलना करके गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम-300 की सूचना सदन के संज्ञान में लाने की स्वीकृति दी। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हम उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अन्तर्गत विधेयकों का निर्माण करते हैं ....

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम-300 की सूचनायें अग्राह्य कर दी हैं।

श्री अध्यक्ष-

इनका यह कहना है कि जो आपने विधेयक पास किया है उसके सापेक्ष वहां के नगर निगम ने एक अलग से व्यवस्था बनायी है जिससे टकराव की स्थिति है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह नियम-300 में कहां से आयेगा ? अगर किया है तो यह नियम-300 में आता नहीं है, नियम-300 में स्पष्ट व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-300 में कुबेर सिंह जी को सुन सकते हैं तो और लोगों को भी सुनेंगे। यह सूचना सही है कि आपने अगर कहीं प्रिवेल किया है, विधान मण्डल से पारित हुआ है और शासनादेश की अवहेलना करके गोरखपुर विकास प्राधिकरण अलग से नियमावली बना रहा है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, जब आप सुनेंगे तो आपकी समझ में आयेगा कि यही नियम-300 का विषय है क्योंकि वस्तुतः सदन की अवमानना हो रही है, सदन की सम्प्रभुता पर आक्रमण हो रहा है। सदन के द्वारा बनाये गये विधेयकों के विपरीत गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विधि बनाये जा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहे हैं। अध्यक्ष महोदय हम लोग यहां विधेयक बनाते हैं, हमारे लिए यह सम्भव नहीं होता है दुनिया के सारे विषय पर विधेयक बना सकें, हमारे पास इतना समय भी नहीं होता है। एक विधेयक बनाते समय हम बहुत सारे अन्य संस्थाओं को चाहे वह स्वायत्तशासी हो, चाहे वह निकाय हो, चाहे वह कार्यपालिका हो, एक निश्चित निर्देश और मार्गनिर्देशिका दे करके उन्हें नियम, विनियम और उपविधियां बनाने की छूट देते हैं। यह मानकर चला जाता है कि जब इस सदन में हमने कोई विधेयक पास किया है तो उनके अन्तर्गत अगर हमने किसी कार्यपालिका को या निकाय को कोई उपविधि बनाने की छूट दी है तो हम एक निश्चित पैमाना व सीमा तक करते हैं एक मार्गदर्शक सिद्धान्त तय कर सकते हैं जिसके अन्तर्गत ये स्वायत्त निकाय या ये प्राधिकरण अपने नियमों का निर्माण करते हैं। अगर उनके द्वारा बनाये गये नियम, हमारे द्वारा बनाये गये विधेयक से अलग होते हैं और हमने अगर इस विधेयक में यह प्राविधान किया है कि शासन को इन स्वायत्त निकायों पर नियम बनाने पर 100 प्रतिशत नियंत्रण रखने का अधिकार है तो स्वाभाविक रूप से अगर हमने विधेयक को स्वीकृति दी है तो उस अधिकार को भी स्वीकृति दी है और अगर उस अधिकार की अवहेलना हो रही है तो कहीं न कहीं विधेयक जो हमने पारित किया है विधान सभा की कार्य प्रक्रिया के अन्तर्गत उसकी अवहेलना हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, जहां एक विधेयक पारित हुआ उत्तर प्रदेश नगर विकास अधिनियम, 1973। उस 1973 के अधिनियम के तहत आवास विकास परिषद् और प्राधिकरणों का गठन किया गया। उसकी धारा 66 के तहत उन प्राधिकरणों का अपने-अपने वाइलाज बनाने के अधिकार दे दिये गये। उन्होंने वाइलाज बना लिये, वाइलाज बनने के बाद जो हमने अधिनियम पारित किया था उसमें हमें शासनादेश देने का आदेश था। 1999 में अध्यक्ष महोदय, शासन ने अपने उन्हीं अधिनियमित अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरणों को अपने वाइलाज में परिवर्तन करने के लिये आदेशित किया और यह भी कहा कि परिवर्तन करके 12 दिसम्बर तक हमें सूचित कर दें अर्थात् यह बाध्यकारी आदेश था। यह संवैधानिक प्राविधान है कि विधेयक के द्वारा जो हम सर्वोच्चता प्राप्त करते हैं किसी भी कार्यपालिका के द्वारा बनायी गयी जो उपविधि होती है वह एक अधिनियम से विधानित होता है और उसके लिए बाध्यकारी होता है कि आपके निर्देशों का पालन करें। वह अपने अन्दर अपने आप में इतनी सम्प्रुभता नहीं रख सकते कि इस विधान सभा से बड़े हो जायें। अध्यक्ष महोदय, विकास प्राधिकरणों ने इस आदेश का पालन नहीं किया, मैंने इस विधान सभा में प्रश्न उठाया, सरकार ने स्वीकार कर लिया, यह भी मान लिया है कि हमने आदेश दिया था। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 1999 के उन आदेशों का अनुपालन नहीं किया। 15 फरवरी को भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। मा0 आवास मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वयं चिट्ठी लिख करके गोरखपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया कि 1999 के आदेश का अनुपालन किया जाए। अब प्रश्न बहुत साफ है कि 1999 का अनुपालन क्या हम 2008 में करायेंगे ? 2008 के बाद वह नियम लागू हो गया है तो जिन नागरिकों ने अपनी मेहनत की कमाई से बैंक से लोन ले करके प्राधिकरण की जमीनों को आवंटित कराया था।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

अगर प्राधिकरण उनको जमीनें नहीं दे रहे हैं तो यह पैसा उनको वापस किया जा रहा है। इसमें यह कहा गया है कि उनको 9 प्रतिशत ब्याज दिया जाय। वर्ष 1999 से लेकर 2008 तक गोरखपुर प्राधिकरण ने जितनी आवंटित की जमीनें ली उसने किसी को ब्याज नहीं दिया। 1999 से लेकर 2008 के बीच दस वर्ष का समय होता है और इतने सालों में यह मात्रा करोड़ों में जायेगी। इस प्रकार से विधेयक के आदेशों की अवहेलना की गई और शासन के आदेशों की अवहेलना की गई तथा नागरिकों का करोड़ों रुपया गोरखपुर विकास प्राधिकरण जब्त करके बैठ गया। अगर उन आदेशों का पालन नहीं हुआ था तो इस दौरान जितने भी अधिकारी प्राधिकरण में इस समय तक आए उन सबका व्यक्तिगत दायित्व बनता था अगर उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया तो उनके विरुद्ध कार्यवाही बनती है दूसरे ऐसे सभी नागरिकों को ब्याज सहित धनराशि वापस की जाय। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि कोई भी कार्यपालिका भूतलक्षी प्रभाव से नहीं लगा सकती है। हमारा प्रश्न यह है कि हमने यहां जो विधेयक पारित किया, हमने जो आदेश दिया उस आदेश की अवहेलना इतने सालों तक होती रही, इसके साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों का भी हनन किया गया उनका आर्थिक शोषण हुआ उनका करोड़ों रुपया विकास प्राधिकरण ने लूटा। मेरा कहना है कि क्या इस प्रकरण की जांच कराकर ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने इस प्रकार से आदेशों की अवहेलना की है उनके खिलाफ जांच कराकर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना तो अग्राह्य हो चुकी है फिर भी मंत्री जी इसको देख लें यह जो विधेयक के कंट्राडिक्ट्री कार्य करके नियमावली बनाने का कार्य किया इसको दिखवा लें।

उत्तर प्रदेश विद्युत लोकपाल (निबन्धन और सेवा शर्तें) विनियमन, 2007 †

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ द्वारा सृजित उत्तर प्रदेश विद्युत लोकपाल (निबन्धन और सेवा शर्तें) विनियमन, 2007 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियमावली, 2007 ††

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियमावली, 2007 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के वित्तीय वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन †

कृषि मंत्री (चौ0 लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के वित्तीय वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदनों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए (3) (बी) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति ††

नगर विकास, कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2452/ग्यारह-9(107)/2007 उ0प्र0अध्या0-35-2007-08 नियम 2007-आदेश (9) दिनांक 11 अक्टूबर, 2007 उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली, 2007 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क(1) अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 फरवरी, 2008 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 7 नवम्बर, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 फरवरी, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

---

† छापे नहीं गये।

†† छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-9, मद संख्या-10 में कुछ नहीं है।

श्री सुल्तान बेग, सदस्य, विधान सभा द्वारा न्यायालय ज्यूडिशियल बहेड़ी (बरेली) में आत्मसमर्पण के पश्चात् उसी दिन जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के सम्बन्ध में सदन में दिनांक 26 फरवरी, 2008 को दी गयी सूचना के पश्चात् निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुयी है :-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली ने अपने फैक्स दिनांक 26 फरवरी, 2008, में यह सूचित किया है कि श्री सुल्तान बेग, सदस्य, विधान सभा ने उनके विरुद्ध थाना देवरंगिया, जनपद बरेली में पंजीकृत अभियोग संख्या-491ए/02 धारा 147/148/149/336/307/504 भा0दं0वि0 में मा0 न्यायालय ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट बहेड़ी, (बरेली) में आत्मसमर्पण कर दिया है। माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें उसी दिन जेल भेज दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-12 में कुछ नहीं है।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27 फरवरी, 2008 को नियम-311 में प्राप्त 4 सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री कौकब हमीद, श्री पूरन प्रकाश और डा0 अनिल चौधरी की प्रदेश के विभिन्न नेत्र आपरेशन शिविरों में लापरवाही के कारण मरीजों को हो रही हानि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री राम सेवक, श्रीमती अमीता सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री अजय पाल सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री अशोक सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री संजय कपूर, श्री माधो पासवान, श्री आर0पी0एन0 सिंह, श्री शिव बालक पासी, श्री राजाराम त्यागी, चौ0 रवीन्द्र प्रताप, श्री अजय कपूर, श्री शिव गणेश लोधी की प्रदेश में ईंट भट्ठों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री अम्बिका चौधरी व डा0 आर0 ए0 उस्मानी की जनपद कानपुर के विकास खण्ड पतारा के ब्लाक प्रमुख को नियम विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री लल्लू सिंह की नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, जनपद फैजाबाद के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना

डा0 आर0 ए0 उस्मानी की जनपद लखीमपुर खीरी स्थित बजाज शुगर इण्डस्ट्रीज खम्भार खेड़ा के प्रदूषित जल के कारण मझरा फार्म हाउस की दर्जनों भैसों के मरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री दीपक कुमार की चकेरी एयरफोर्स स्टेशन कानपुर नगर के निर्माण हेतु अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद और श्री दीप नारायण सिंह (दीपक यादव) की बुन्देलखण्ड में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए स्वीकृत सभी हैण्डपम्पों को तत्काल लगवाये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2007 में पिछड़ी जाति की गरीब लड़कियों की शादी हेतु शसन द्वारा जारी की जाने वाली धनराशि न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गईं, अतः अस्वीकृत हुईं। पहली श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री आर0पी0एन0 सिंह, श्री सेवक राम, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अजय कपूर, श्रीमती अमीता सिह, दूसरी चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, चौधरी सत्यपाल सिंह, श्री अब्दुल वारिस अली, तीसरी श्री अनूप संडा, चौथी डा0 अजय तोमर, पांचवीं श्री राम किशुन, छठवीं श्री लालजी यादव, सातवीं श्री जोखू लाल यादव, आठवीं चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, नवीं श्री सुन्दर सिंह, दसवीं श्री इमरान मसूद, ग्यारहवीं श्री जगन प्रसाद गर्ग, बारहवीं श्री दीनानाथ कुशवाहा, तेरहवीं श्री आरिफ अनवर हाशमी, चौदहवीं श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, पन्द्रहवीं श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री आर0पी0एन0 सिंह, सोलहवीं श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, सत्रहवीं श्री दीप नारायण सिंह (दीपक यादव), अट्ठारहवीं श्री हुकुम सिंह तथा उन्नीसवीं डा0 धर्मपाल सिंह की है।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, मेरी सूचना थी।

श्री अध्यक्ष-

आपकी पेयजल की समस्या की है, ली गई है।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, आज बाग सूख गये हैं लोग मरने की कगार पर हैं। जब लोग मौत को गले लगा लेंगे क्या सरकार तब चेतने का काम करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

मसूद साहब बैठ जायें, शलाका के आधार पर जो सूचनाएं चयनित हुई हैं उनको लिया गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पिछली सरकारों ने भी यह नीति अपनाई थी।

(सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका जो आप दो दिनों से दे रहे हैं अधिवक्ताओं और वकीलों की लड़ाई का जो मामला है मैंने माननीय संडा जी का मामला अभी इसलिये रोका था कि आज कुछ वार्ता हो रही है इसलिये सोचा कि क्यों चर्चा करके इस माहौल को बिगाड़ा जाय। इनकी भी इतनी महत्वपूर्ण सूचना थी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे आप अपने तौर पर जानकारी करा लीजिए। मलिहाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर यह एक लम्बी बेल्ट है जहां आम होता है बहुत बड़ा कारोबार है और विदेशों को जाता है हमारा आम। मान्यवर, इस बार पाला पड़ने से खास किस्म की बीमारी चेपा आदि से बाग में कीड़े लग गये हैं और बाग बिल्कुल बर्बाद हो गये हैं बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा इस सिलसिले में अपने तौर पर जानकारी ले लीजिए और जो भी राहत दी जा सकती हो बाग मालिकों को या बाग रक्षकों को उसमें आप निर्देशित कर दें।

* डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने महतवपूर्ण जन स्वास्थ्य की समस्या पर, स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। कुछ समय पूर्व समाचार-पत्रों में हमने यह समाचार पाया कि त्रिवेदीगंज में एक घटना हुई। उस समय हमने इसे किसी एक स्थान की घटना मानकर ओवरलुक कर दिया था। उसके बाद दूसरा समाचार आता है वहीं पर कोई बगल में मवई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र है वहां दूसरी घटना इसी प्रकार की हुई। इस घटना के बाद मसौली ब्लाक के नागरिक जो बगल के ही हैं वह जिलाधिकारी के पास पहुंचते हैं वह कहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसी ही घटना हुई। फिर पता चलता है कि अम्बेडकर नगर में भी इस तरह की घटना हुई है। सिधौली ब्लाक में भी इसी प्रकार की गतिविधि हुई। सूरतगंज ब्लाक में भी ऐसा ही हुआ। अगर किसी एक स्थान पर जब कोई कार्य गलत होता है तो हम यह मानते हैं कि व्यवस्था ठीक थी किसी एक व्यक्ति की लापरवाही से ऐसा हुआ और उस व्यक्ति को दण्डित किया जाय तो चीजों को सुधारा जा सकता है लेकिन जब यह परम्परा बन जाए अव्यवस्था होना नियम बन जाए, सामान्य गतिविधि का हिस्सा बन जाये तो हमें यह मानना चाहिए कि कहीं न कहीं जो सिस्टम हमने बनाया है जिस सिस्टम के माध्यम से हम इन सारी चीजों को आपरेट करने का प्रयस कर रहे हैं कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में कमी है और इस नाते अगर हम किसी सोसाइटी के ऊपर या किसी एन0जी0ओज0 के ऊपर या किसी स्थानीय सी0एम0ओ0 के ऊपर कार्यवाही करके बता देंगे कि हमने कार्यवाही कर दी तो कहने को तो यह हो जायेगा कि हमने कार्यवाही कर दी लेकिन वस्तुतः दुबारा ऐसी घटनाएं न हो पाएं, इन पर रोक नहीं लग पायेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, 7 जनवरी की घटना जो मसौली ब्लाक की है जिसके नागरिकों ने बहुत दिन तक घटना छिपाये रखी। जब 24 जनवरी की घटना मवई की सामने आ गई तो वह जिलाधिकारी के पास गए और उन्होंने अपनी पीड़ा बता दी। 24 जनवरी की घटना यह रही कि 40 लोगों के आपरेशन चन्द घण्टों में किसी डाक्टर ने कर दिए। हम लोग जानते हैं जब इस प्रकार के आपरेशन आई कैम्प आयोजित करने होते हैं तो बकायदा सी0एम0ओ0 से संस्तुति लेनी होती है। सी0एम0ओ0 यह जांच करते हैं कि जो संस्था इस प्रकार के आपरेशनों को करने जा रही है उसके पास योग्यता है या नहीं। सर्जन है या नहीं है अगर सर्जन नहीं है तो उनको यह भी छूट मिलती है कि वह जिला अस्पताल से सर्जन ले लें। यह भी देखा जाता है कि उनके पास संसाधन हैं या नहीं हैं। जहां आपरेशन कर रहे हैं वहां आपरेशन की दृष्टि से, जिस लैब या आपरेशन थियेटर में आपरेशन होना है, उसके स्ट्रैलाइजेशन की प्रापर व्यवस्था है या नहीं, आपरेशन के लिये जहां मरीज को रखा जाना है वहां सफाई है या नहीं। आपरेशन के बाद मरीज के देखरेख की व्यवस्था चश्मे की व्यवस्था की है या नहीं। यह सारी चीजें देखकर सी0एम0ओ0 के संज्ञान में लाकर के यह कैम्प आयोजित किये जाते हैं। यह कैम्प अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

यहां यह विषय लाने का यह मतलब नहीं कि कैम्प के विरोधी है। कैम्प तो आयोजित होंगे ही नहीं होंगे तो हमने जो नेशनल यूनियन हेल्थ मिशन में एक टारगेट रखा है कि 46 लाख आपरेशन प्रतिवर्ष करेंगे जो पूरी दुनिया का लक्ष्य बनाया गया है कि अंधों की संख्या घटानी है तो मोतियाबिंद का आपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि 66 प्रतिशत अंधे मरीज सिर्फ मोतियाबिन्द से होते हैं या फिर जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य बनाया गया है 42 लाख आपरेशन का प्रतिवर्ष, वह पूरा नहीं होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम सारी व्यवस्था को सुनिश्चित करें कि जो मरीज हमारे पास आते हैं, क्योंकि बहुत से मरीज तो आते ही नहीं हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को लेकर जो सारी बातें हम यहां कहते हैं पूरे आंकड़े हैं इस बात के कि सामान्य नागरिक आज मुश्किल से नौ या दस प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में या सी0एच0सी0 में जाकर अपने मरीजों का इलाज कराना चाहता है बहुत कारणों से, सुविधा नहीं है डाक्टरों का सही व्यवहार नहीं है ऊपर से पैसा लिया जाता है दवा नहीं मिलती है बहुत से कारण हैं। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो पूरे क्षेत्र में यह जो पब्लिक है सिस्टम चलाते हैं सबके मन में अविश्वास पैदा होता है कि वहां जाने से तो आंख फूट जाती है अगर मसौली की घटना हुई उसमें सात लोगों को समस्या हुई मवई में 24 तारीख को घटना हुई जिसमें दर्जन नागरिक प्रभावित हुए। सूरतगंज में घटना हुई जिसमें तकरीबन एक दर्जन लोग प्रभावित हुए। त्रिवेणीगंज में घटना हुई जिसमें दो दर्जन लोग प्रभावित हुए तो अब प्रश्न यह है कि सारी व्यवस्था को किस प्रकार से संचालित किया जाय, अध्यक्ष महोदय, जिसके नाते ऐसी घटना दोबारा न होने पाये। अभी मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी, जिनके विभाग से सम्बन्धित यह विषय था, अभी यहीं बैठे थे, लेकिन जब यह स्थगन आया तो न जाने उठ कर कहां चले गये। यदि हम लोग अपनी कुछ बातें उन तक पहुंचाने भी चाहते होंगे तो उन

तक नहीं पहुंचा पायेंगे। प्रश्न यह नहीं है कि उन्हें क्या दण्ड दिया गया, प्रश्न सिर्फ इतना है कि क्या सरकार इन गतिविधियों के कारण कोई ऐसी प्रक्रिया विकसित करेगी या अपने सम्पूर्ण अंधता निवारण कार्यक्रम का पुनर्मूल्यांकन करेगी कि इसमें क्या कमियां हैं, इनको संज्ञान में लेते हुए दोबारा ऐसी लापरवाही न होने पाये, इसके लिए कोई व्यवस्था करायेंगे।

डा0 अनिल चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, कार्य-स्थगन के इस प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, आपका आभारी हूं। मेरे अग्रज डा0 अग्रवाल साहब ने बड़े विस्तार से ग्राह्यता पर विचार रखें, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए केवल 3, 4 बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। यह जो अन्धता निवारण कार्यक्रम जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसमें एनजीओ द्वारा जो कैम्प लगाये जाते हैं, एक भ्रष्टाचार और लूट का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है और जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है 8, 10 वर्ष पूर्व भी इस तरह की घटनाएं कई जगह होने के बाद तत्कालीन सरकार द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि कोई भी आपरेशन किसी कालेज में किसी धर्मशाला में, किसी ऐसी जगह नहीं होगा जहां चिकित्सालय नहीं हो और वेल फर्निस्ड ओ0टी0 न हो। मैं शासन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि गरीब आदमी को सुविधा देने के लिए निःसन्देह कैम्प लगाये जाने चाहिए और उन कैम्पों को देहात के सुदूर इलाकों में जरूर लगाया जाए। लेकिन वहां केवल मरीज का रजिस्ट्रेशन इसके शुगर की जांच, उसकी बायबिलिटी आपरेशन के बारे में निर्णय किया जाए आपरेशन करने का काम केवल किसी राजकीय चिकित्सालय जो किसी जिला चिकित्सालय के नीचे स्तर का न हो, जहां आपरेशन थियेटर की व्यवस्था हो। जहां पर इन्ट्रा आकलर लेंस इम्प्लान्ट के लिए माइक्रोस्कोप की व्यवस्था हो या फिर मेडिकल कालेजेज में किया जाए। मरीजों को कैम्प में भर्ती करने के बाद प्रारम्भिक जांच के बाद जिनके आपरेशन होते हैं, उनको लाने ले जाने की व्यवस्था उनके रुकाने की व्यवस्था एनजीओ करें सिर्फ यह जिम्मेदारी उन्हें दी जानी चाहिए। अगर इसी तरह से किसी इण्टर कालेज में आपरेशन थियेटर बनाया जायेगा। मान्यवर, किसी जिले में 1 ओ0टी0 टेक्नीशियन का अनुपात नहीं है और सरकारी अस्पतालों में, मैं अपने जनपद की बात कहना चाहूंगा पूरे जिले के अन्दर केवल एक आथ्थलमिक सर्जन है। एक ओ0टी0 टेक्नीशियन है, उससे आप सारे कैम्पों को आर्गनाइज कर देंगे, यह सम्भव प्रतीत नहीं होता है। मैं ग्राह्यता पर यही कहना चाहता हूं कि जहां आपरेटिंग माइक्रोस्कोप हो वहीं आईयूएल किया जाए और जहां वेल फर्निस्ड ओ0टी0 न हो, अगर सरकारी चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है तो जो निजी चिकित्सालय है जो इन सुविधाओं से युक्त है, केवल वहीं पर कैम्पों का आयोजन किया जाए। मैं। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्यगण ने दो प्रकरण का विशेष रूप से उल्लेख किया, एक मवई और दूसरा त्रिवेदीगंज। मान्यवर, निश्चित तौर पर इस प्रकरण में सरकार ने प्राथमिकता के साथ

कार्यवाही करने का काम किया। त्रिवेदीगंज में जो घटना हुई थी उसकी जांच कराई गयी और इसमें जो संस्था को दोषी पाया गया, इसे बलैक लिस्ट कर दिया गया। साथ ही साथ मान्यवर, डा0 उमाकान्त गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी, डा0 एस0पी0 भाष्कर, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, डीपीएम अन्धता निवारण कार्यक्रम के प्रभारी, बाराबंकी। डा0 सीताराम प्रभारी चिकित्साधिकारी, त्रिवेदीगंज, बाराबंकी को राष्ट्रीय अंधता निवारण के संचालन हेतु दिशा-निर्देश की अवहेलना करके संस्था को नियमित अनुमति दिये जाने के आरोप में निलम्बित कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त श्री अनिल भारती, नेत्र सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, त्रिवेदीगंज, बाराबंकी को मरीजों को फालों न करने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए निलम्बित किया गया है। मान्यवर, इस तरह से इसमें कार्यवाही की गयी है और अन्य जो भी अधिकारी इसमें जिम्मेदार है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है और इसके साथ-साथ मवई की घटना की जांच के निर्देश दे दिये गये हैं और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा। इसमें कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही साथ माननीय अग्रवाल जी की जो चिन्ता है तो इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की कोई घटना न होने पाये और बिना सारी सुविधाओं के इस तरह के शिविर न हों इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा, इसके लिए निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी, डा0 अनिल चौधरी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आती है, अतः इस सूचना का अग्राह्य किया जाता है।

* श्री संजय कपूर-

मान्यवर, आपने कार्य-स्थगन की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, किसी प्रदेश का विकास ईंटों के बिना नहीं हो सकता है। चाहे वह सड़क निर्माण हो, चाहे पुलिया निर्माण हो, चाहे वह पुल का निर्माण हो उसमें ईंट की मुख्य भूमिका होती है। लेकिन आज वैट लगने के बाद उत्तर प्रदेश में 12.5 प्रतिशत का टैक्स इस पर लगा दिया गया है। जबकि बगल के प्रदेश उत्तरांचल और दिल्ली में 4 प्रतिशत की दर से उनसे कर लिया जाता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 12500 ईंट भट्ठे हैं और 25000 परिवार इससे जुड़े हैं और 2.5 लाख श्रमिक इनमें काम करते हैं और जो इससे जुड़े हुए हैं वह गरीब हैं, पिछड़े हैं और अनुसूचित जाति के लोग हैं। मान्यवर, वर्ष 1988 से उत्तर प्रदेश में समाधान योजना लागू थी जिससे एक मुश्त रकम भट्ठा मालिकों से करीब 3-4 लाख रुपये एक बार में ले ली जाती थी इससे उसको परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज 12.5 प्रतिशत कर लग जाने से 9-10 लाख रुपये एक-एक ईंट भट्ठा मालिक से लिया जाएगा जिससे वह घाटे की तरफ चला जाएगा। इसलिए आज उनमें बड़ा रोष है। आज ईंट की कीमत 1500 से बढ़कर 2200-2300 रुपये हो गयी है। आज विकास का काम बन्द पड़ा है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बनने वाले

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवासों का काम बन्द पड़ा है। पूरे उत्तर प्रदेश में त्राहि-त्राहि मची हुयी है। इसलिए जैसे उत्तर प्रदेश के बगल के राज्यों में 4 प्रतिशत कर लागू है उसी प्रकार से समाधान योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश को भी शामिल कर लें। अगर यह लागू नहीं किया गया तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में मानसिक असन्तोष बढ़ेगा और सरकार जो निष्पक्ष कार्य करना चाहती है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय।

* श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसमें दो बातें हैं कि भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश के बगल में एक तरफ उत्तराखण्ड है, बगल में दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। वहां पर 4.5 प्रतिशत की दर से टैक्स होगा और उत्तर प्रदेश में 12.5 प्रतिशत की दर से टैक्स होगा तो निःसंदेह यह इंडस्ट्री पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यह सीधे-सीधे विकास से जुड़ा हुआ है। सड़कों के निर्माण में ईंट की जरूरत पड़ती है। विधान सभा क्षेत्र विकास निधि में अगर 1600 रुपये में मिलने वाली ईंट 2400 रुपये में बिकेगी तो इससे डेढ़ गुना लागत बढ़ जाएगी। इस तरह से हम देखें कि उत्तर प्रदेश में 12500 ईंट भट्ठे हैं और पच्चीस हजार परिवार का स्वामित्व है पार्टनरशिप के आधार पर, पच्चीस लाख से अधिक श्रमिक प्रभावित हो रहे है। ईंट के भट्टे पर हड़ताल हो रही है। आप इसमें अगल-बगल के जो प्रदेश हैं, उसके जो टैक्स हैं, उसके आधार पर उतना ही टैक्स या इससे मिलता जुलता टैक्स लगायें, दूसरी समाधान योजना हो जिससे हड़ताल समाप्त हो सके, ईट बाजार में आ सके अन्यथा यह ईट डेढ़ गुने दाम पर बिक रही हैं। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चाहता हूं कि इसमें सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

माननीय अध्यक्ष जी, यह गम्भीर मामला है, इसमें मैं थौड़ा सा बल देना चाहूंगा। मात्र एक बात नहीं है पच्चीस लाख श्रमिक हैं, ईंट भट्टे के मालिकान हैं। सारे विकास का काम रुका हुआ है जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है। इससे गरीब का नुकसान हो रहा है, मध्यम वर्ग का नुकसान हो रहा है, सरकार का नुकसान हो रहा है। यह प्रेस्टीज प्वाइंट हो गया है ईंट मालिक समझौते को तैयार नहीं हैं क्योंकि मजदूरी बढ़ गयी है, कोयले का दाम बढ़ गया है जिससे ईट का रेट भी बढ़ गया है। कोई इतनी महंगी ईंट खरीदने को तैयार नहीं है। आम आदमी आज मकान बनाना चाहता है तो आज ईंट है नहीं जिसके पास ईंट है वह दोगुने दाम पर दे रहा है। जो हम लोग, राजनैतिक लोग हैं इनकी भी जवाबदेही नहीं बन पा रही है। आम आदमी परेशान है, ईंट नहीं मिल पा रही तो हम इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, विकास का काम खड़न्जा, नाली, पुल, इमारत नहीं बन रही है तो भी हमारी जवाबदेही है। सरकार के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। अच्छा ईंटा नहीं मिल रहा है, दोयम दर्जे का ईंटा सप्लाई हो रहा है, इससे कार्य का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्तर बहुत नीचे गिर गया है तो इसको गम्भीरता से लेने की जरूरत है। अगर टैक्स नहीं कम कर सकते तो किसी तरह से इसकी भरपाई कर दें ताकि काम जल्दी से शुरू हो और लोगों को ईंट मिल सके।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक वैट का सवाल है, इस व्यवस्था के अन्तर्गत जो विभिन्न कार्यदायी संस्थाएं हैं उसकी अनुसूची 1, 2, 3 तथा अन्य अनुसूची हैं, इसमें अनुसूची-1 में शून्य प्रतिशत चार प्रतिशत तथा एक प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तुओं को रखा गया है। अनुसूची-4 में नान वैट्स गुड्स को रखा गया है और इस अनुसूची में अंकित माल से भिन्न माल पर अनुसूची-5 के अन्तर्गत साढ़े बारह प्रतिशत कर देय हैं मान्यवर, वैट व्यवस्था से पूर्व ईंट पर 10 प्रतिशत व्यापार कर तथा पचास लाख से अधिक बिक्री होने पर एक प्रतिशत राज्य विकास कर देय था। वैट व्यवस्था में राज्य विकास कर को समाप्त कर दिया गया है। और इस व्यवस्था में ईंट पर कुल साढ़े बारह प्रतिशत कर देय है। इस प्रकार जो पहले की व्यवस्था थी और वर्तमान व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं है। फिर भी मान्यवर, कर प्रणाली में कर की दर निर्धारित करना यह सतत् प्रक्रिया है और राज्य के संसाधनों की आवश्यकता तथा अन्य पहलूओं पर विचार के उपरान्त समय-समय पर दरों में परिवर्तन किया जाता है। इसलिए यह जो समस्या है इसमें कर में कोई बहुत अन्तर नहीं है। जैसे कि पहले दस प्रतिशत और पचास लाख रुपये से अधिक पर एक प्रतिशत और लगता था, तो आज यह साढ़े बारह प्रतिशत है, इसमें अन्तर नहीं हैं यह सतत् प्रक्रिया है, इसमें निर्णय लिये जाते हैं। जहां तक कार्य-स्थगन की बात है यह कार्य-स्थगन के अन्तर्गत नहीं आता है अतः इसे अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसमें यही कह दीजिए कि इसमें दे दें रिप्रजेन्टेशन जो अगर उचित होगा, सरकार मानेगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने स्वतः ही बताया कि यह एक सतत् प्रक्रिया है, जो आवेदन आ रहे हैं, उनका परीक्षण होने के बाद समय-समय पर उसमें परिवर्तन भी हो रहे हैं और जो भी प्रतिवेदन आयेगा, उस पर नियमानुसार और प्रदेश के हित में निर्णय लिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री प्रमोद तिवारी जी को सुना, श्री संखय कपूर जी को सुना, माननीय आजम खां जी को सुना, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, में इसे अग्राह्य करता हूं।

* श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, कानपुर नगर में, पतारा ब्लाक में श्रीमन् विकास खण्ड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया और अविश्वास प्रस्ताव पर कार्यवाही के लिए मतदान के लिए 14 फरवरी का दिन नियत किया गया। श्रीमन् अधिनियम में यह साफ व्यवस्था पहले थी दो तिहाई बहुमत से ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था, इस सरकार ने चूंकि इस सरकार की नीयत थी कि अविश्वास प्रस्ताव उन लोगों के विरुद्ध ले आया जाये जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों के समर्थन से, दूसरी पंचायतों में जिन पदों पर लोग स्थापित है उनको हटाने के लिए जो योजना सरकार ले आ सकती थी, ले आई। लेकिन इसमें भी प्राविधान था श्रीमन् कि 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति से ही कोरम होगा और मान्यवर, 66 सदस्यों की कुल यह बी0डी0सी0 है, 66 में 35 से कम पर कोरम नहीं हो सकता था। पहले ही जिलाधिकारी कानपुर नगर को लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिया कि इसमें धांधली की बड़ी सम्भावना है और राजनीतिक दबाव के कारण इसमें कोई नियम विरुद्ध कार्यवाही न हो। उन्होंने आश्वस्त किया, पुनः उनसे यह प्रार्थना की गई कि आप इसकी वीडियो रिकार्डिंग करवा लीजिए, अन्दर बाहर दोनों तरफ की और वीडियो रिकार्डिंग करा लें तो एक रिकार्ड रहेगा कि अन्दर की कार्यवाही ठीक ढंग से हुई कि नहीं हुई। मान्यवर, 66 लोगों की जो टोटल बी0डी0सी0 थी ब्लाक डेवलपमेण्ट कमेटी क्षेत्र पंचायत, तो क्षेत्र पंचायत के 66 सदस्यों में से 50 से अधिक अर्थात् न्यूनतम 34 सदस्यों की आवश्यकता थी, 34 सदस्यों के अन्दर जाने के बाद ही कोरम हो सकता था। श्रीमन् एस0डी0एम0 महोदय ने वहां पर कार्यवाही शुरू करा दी, जब ब्लाक प्रमुख श्रीमती मीना शंखवार, वहां गई तो उनको अन्दर प्रवेश करने ही नहीं दिया। मान्यवर, पुलिस को वहां खड़ा करके बदसलूकी करके और उस महिला ब्लाक प्रमुख जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव था और जो अध्यक्ष हैं क्षेत्र पंचायत समिति की उनको अन्दर प्रविष्ट ही नहीं होने दिया और जबरदस्ती डण्डों से मार के उन लोगों को वहां से हटाया। कार्यवाही शुरू कर दी। कार्यवाही शुरू करने के बाद मान्यवर, बाहर निकल कर एस0डी0एम0 साहब ने कहा कि 36 लोग थे और 36 लोगों ने सर्वसम्मति से अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, इसलिए प्रस्ताव पारित हो गया हैं श्रीमन्, 34 सदस्य उस समय जिलाधिकारी के आवास पर थे। जिलाधिकारी कानपुर नगर के आवास पर 34 बी0डी0सी0 मेम्बर थे, कुल 66 में अगर 34 जिलाधिकारी महोदय के आवास पर थे और 36 अगर और हों तो कुल संख्या 70 होनी चाहिए। 70 संख्या ही नहीं थी, 66 संख्या थी। पुनः मान्यवर, जब उसकी सी0डी0 देखी गई तो उस सी0डी0 में मान्यवर, रमेश चन्द्र गुप्ता ग्राम इटार्रा, सन्ध्या सचान ग्राम अकबरपुर झबइया, गायत्री शंखवार बारा दौलतपुर और सुमिता शंखवार ग्राम मछैला इन चार लोगों के नाम पर फर्जी लोगों को पोज किया गया। ये लोग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसमें मौजूद ही नहीं थे और इसमें से दो लोग तो जिलाधिकारी के सामने मौजूद थे जब वहां मतदान हो रहा था, क्योंकि जिलाधिकारी के बंगले पर आकर वे लोग मांग कर रहे थे कि गलत हो रहा है, कोरम पूरा नहीं है, यह नहीं कराया जाना चाहिए। इसके अलावा इन चारों लोगों ने मान्यवर, बयान हल्फी दी है अपनी और जिलाधिकारी को अपने बयान हल्फी शपथ-पत्र दे करके और यह कहा कि हम वहां मौजूद नहीं थे, हमारे नाम पर फर्जी लोग गये हैं। पुनः मान्यवर, जब सी0डी0 की कापी मिल गई तो सी0डी0 की कापी को दिखाया गया अधिकारियों को भी मान्यवर, और स्वयं पत्रकारों को भी दिखाया गया उसमें इन तीन महिलाओं के स्थान पर दूसरी महिलायें आयी हैं। उसकी कापी मेरे पास है मैं आपको दे दूंगा। मान्यवर, जब इन तीन महिलाओं की जगह पर जिनको प्रस्तुत किया गया उस समय उनके घूंघट निकले हुए थे और चेहरा नहीं देखा जा सकता था। मान्यवर, ऐसे अवसर पर उनके निर्वाचित होने के प्रमाण-पत्र की जांच नहीं की गयी। सत्यापन भी नहीं किया गया कि जो वोट डालने वाले लोग हैं वह सही लोग हैं या नहीं हैं। मान्यवर, वीडियो रिकार्डिंग में पूरा सब कुछ आया है। इसमें यह भी एक आवाज है कि इसका सत्यापन कर लिया जाये तो पीछे से आवाज आ रही है कि सब ठीक है चलने दो। मान्यवर, जिलाधिकारी कानपुर नगर के पास यह सारी सी0डी0 मौजूद है।

मान्यवर, अगर त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के बारे में यह स्थिति पैदा होगी कि अविश्वास प्रस्ताव फर्जी दस्तखतों से पास होगा, मतदान और कोरम पूरा करने का कार्य इस तरीके से होगा कि बाहर निकलकर एक अधिकारी कह दे कि यह प्रस्ताव पास हो गया। फिर तो मान्यवर, इस त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की कार्य प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह उपस्थित हो जायेगा। मान्यवर, संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा इन निकायों को अधिकार दिया गया उनको स्वायत्ता दी गयी। उनको लोकतंत्र में प्रथम स्थान दिया गया है लेकिन इस स्थिति में तो उसकी भावना पर प्रश्नचिन्ह स्थापित हो जायेगा। मान्यवर, मछेला की सुनीता को उठाने के लिए बी0एस0पी0 के नेता गुण्डों और आपराधिक तत्वों के साथ गये थे फायरिंग हुई। यह सब पुलिस रिकार्ड में है। एफ0आई0आर0 दर्ज है। उनको भी हाजिर दिखा दिया गया इन 36 में। मान्यवर, मैं सिर्फ यह मांग करना चाहता हूं कि जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने सत्यापन नहीं कराया है और जिन्होंने फर्जी तौर पर कोरम होने और प्रस्ताव के पास होने की जानकारी दी है और जो इस कार्य में सम्मिलित हैं उनके प्रति गम्भीर कार्यवाही हो। मान्यवर, जिन चार लोगों ने फर्जी मतदान का कार्य किया है उन पर आपराधिक मुकदमें सम्बन्धित दफाओं में दर्ज कराके उनको जेल में भेजने का काम किया जाये। मान्यवर सरकार को आप निर्देशित करने का काम करें कि इस तरह की धांधलेबाजी से इन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटाने के कुत्सित प्रयास में शामिल होने का प्रयास न करें। मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर, इस सुनिश्चित घटना पर बल देते हुए आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अविश्वास प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लाये जाने, किसी भी पदधारक के खिलाफ लाये जाने की एक विधिक प्रक्रिया है। उस विधिक प्रक्रिया के तहत ही उसमें कार्यवाही होती है। मान्यवर, नियमों के अन्तर्गत उसके लिये जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है। उसमें यह है कि जिला मजिस्ट्रेट उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेगा। अब अगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गयी, सदस्य उपस्थित हुए और उसके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ। उसमें अगर कोई आपत्ति होगी तो उसके लिए एक न्यायिक प्रक्रिया है। उसके लिये व्यवस्था है ऐक्ट में। मान्यवर, यह जो विषय है वह एक विधिक प्रक्रिया के तहत विषय है। उसके अनुसार उसे वहां पर उठायें। यह कार्य-स्थगन का विषय कहां पर है। मान्यवर, जो इस बारे में आपकी आपत्ति है उसकी प्रक्रिया निर्धारित है। उस प्रक्रिया के तहत न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत उस पर विचार होगा। उनको उसमें जाना चाहिए यह न्यायालय का विषय होगा। मान्यवर, यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है इसलिए अनुरोध है कि कृपया इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, ऐसी घटना कोई एक नहीं हुई है। प्रदेश में अनेक जगहों पर हुई है। सीतापुर में मोहम्मदाबाद में हुई, हरदोई में हुई। यह सरकार के इशारों पर हो रही है। वह एस0डी0एस0 जो यह कार्यवाही कर रहा था वह सरकार के दबाव में कर रहा था। कोई मंत्री जी थे, संसदीय कार्य मंत्री उसमें स्वयं होंगे या उनके द्वारा निर्देशित मंत्री रहे होंगे, जिनकी ओर से नाजायज दबाव डाला गया और यह कार्यवाही हुई। इस तरह से सरकार के निर्देश पर यह सब गलत काम हो रहे है। इसलिए यह कार्य-स्थगन का विषय है। मान्यवर, जिलाधिकारी महोदय ने स्वीकार किया है हस्ताक्षर मिलान की बात को। मान्यवर, न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण ही वह प्रमुख पद से हटे नहीं है। आप उन्हें हटा नहीं पायेंगे।

मान्यवर, सरकार दखलन्दाजी करके इन चुनी हुई संस्थाओं के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह पैदा कर रही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, किसी भी मंत्री या किसी सरकार के प्रतिनिधि का कोई दबाव नहीं है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर एक विधिक दृष्टिकोण है और उसी के अनुसार होगा उसमें कहीं से भी किसी मंत्री का न तो अधिकृत है और न कोई दबाव डाला जा रहा है, न सरकार द्वारा कोई दबाव डाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय अम्बिका चौधरी जी, को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, नियम-56 के अन्तर्गत यह सूचना नहीं आती है। इसको मैं अग्राह्य करता हूं। शेष दो

सूचनाओं को माननीय सदस्यों ने बहुत निवेदन किया है इसलिए मैं केवल 2 मिनट का समय दे रहा हूं। 2-2 मिनट में अपनी बात कह लें।

(श्री लल्लू सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

* श्री महेश चन्द्र-

मान्यवर, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं अम्बिका चौधरी जी, मैं पहले निर्दलीय चुनकर आया था और मैंने इनको समर्थन भी दे रखा था, मैं इनके साथ भी था और हमारे भाई ने जब चुनाव लड़ा था तो उस समय आपने 7 बीडीसी वोट डालते हुए पकड़ा था, हम लोगों के खिलाफ मुकदमा भी कायम हुआ था उसके बाद भी मैं चुनाव जीतकर आया था।

श्री लल्लू सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, नरेन्द्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में पिछले 4-5 माह से वहां के कर्मचारी आन्दोलनरत है वेतन बकाये के भुगतान को लेकर। धनाभाव के कारण वहां पर अब तक इलाज न करा पाने के कारण 3 कर्मचारियों की मृत्यु भी हो गयी है। उसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बकरीदी, रामजतन तथा प्रोफेसर राम विलास पाण्डेय है। प्रोफेसर राम विलास पाण्डेय के घर पर कोई पुरुष है भी नहीं इसलिए भविष्य में उनके परिवार को और भी ज्यादा कठिनाई होने वाली है। वहां के अधिकारी और शासन के अधिकारियों के कारण इस प्रकार का संकट खड़ा हुआ है। बहुत सारे कर्मचारी अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं जमा करा पा रहे हैं। जिसके कारण उनके नाम विद्यालयों से कट रहे हैं। मान्यवर, पूर्व में नरेन्द्रदेव कृषि विश्वविद्यालय में तनख्वाह के लिए शासन से एक करोड़ पांच लाख रुपया जाता था इस समय केवल 76 लाख रुपया जा रहा है जिसके कारण यह संकट खड़ा हुआ है। 1-4-2004 को 50 प्रतिशत जो मंहगाई भत्ता था वह भी कर्मचारियों को देने के लिए शासन से आदेश हुए थे उस समय के कुलपति ने उसका अनुमोदन भी कर दिया था लेकिन आज तक वह वेतन मंहगाई भत्ता कर्मचारियों को नहीं मिला है। हमारी आपके माध्यम से शासन से मांग है कि धनाभाव के कारण जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उनको आर्थिक सहायता दिलाई जाये और वहां पर आन्दोलनरत कर्मचारियों को तनख्वाह और मंहगाई भत्ता का तुरन्त भुगतान किया जाय। चाहे कुलपति हों या शासन के अधिकारी हों जिनके कारण यह आन्दोलन 4-5 माह से चल रहा जिससे कारण शिक्षण कार्य बन्द हैं, शोध के कार्य बन्द हैं उसकी जांच कराकर समुचित कार्यवाही की जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, विश्वविद्यालय के जहां तक फ्रीज करने का प्रश्न है कि उसके बजट को फ्रीज किया गया था, यह काम कोई आज नहीं हुआ है, यह उस समय हुआ था जब माननीय लल्लू

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंह की पार्टी सत्ता में थी। मान्यवर, हम इस पर गम्भीर हैं। कर्मचारियों के प्रति यह सरकार संवेदनशील है और नियमों के अनुसार उस संवेदनशीलता के आधार पर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक व्यवस्था के प्रश्न के रूप में इस मद पर अपनी बात कहना चाहता हूं, विषय पर नहीं बोलूंगा आप चिन्ता न करें। मान्यवर, यह कार्य-स्थगन की सूचना देते हैं हम सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और कभी-कभी उस समस्या का समाधान भी हो जाता है। यह हमारा एक अपना दायित्व है। मान्यवर, एक वहां पर व्यवस्था रही है क्योंकि आपकी भी सीमाएं हैं, सब सूचनाओं को आप कार्य-स्थगन के रूप में नहीं ले सकते। लेकिन मान्यवर, उनके महत्व को देखते हुए यह भी हुआ पीठ से निर्देश कि नियम-51 के अन्तर्गत उसको परिवर्तित कर दिया गया। वक्तव्य मांग लिया गया तो उससे यह होता है कि जिन्हें आप कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते तो वह वहां पर जाती है और उसमें वक्तव्य आ जाता है और कुछ न कुछ उसका समाधान हो जाता है। मान्यवर, जैसे मैंने आज एक सूचना दी, आपने नहीं ली, अग्राह्य कर दिया होगा लेकिन फिर भी जहां हजारों किसानों की समस्या हो, हजारों उपभोक्ताओं की यह समस्या हो कि आज तक उन्हें बिजली का कनेक्शन मिला नहीं और बिल चले गये और वह बिल को उठाये हमारे आगे-पीछे घूम रहे हैं। पूछ रहे हैं कि हम कहां जायें, कहां न जायें। हम अधिकारियों को कह रहे हैं, अधिकारी उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और उस पर आर0सी0 जारी हो गयी, तहसीलों में आर0सी0 चली गयी तो मान्यवर, जब ऐसी समस्या हमारे सामने आयेगी तो एक माध्यम हमारे सामने सदन का बहिष्कार बचता है तो इन समस्याओं के समाधान के लिये मैंने भी एक सूचना दी थी, आज आपने नहीं ली या तो आप उसे कल ले लें लेकिन इसका कुछ न कुछ तो समाधान होना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

हमारा आपका कल चल रहा है, इसको आप कल दे दीजियेगा, इसको कल लेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जैसा आपका निर्देश होगा, मैं कल फिर दे दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आप उचित समझें और इसका महत्व समझें तो आज हजारों किसान ऐसे हैं, जिनको ट्यूबवेल के कनेक्शन मिले ही नहीं और उनको आर0सी0 जारी हो गयी। ऐसी जब विकट समस्या आती है तो दिक्कत तो होती ही है। मेरा आग्रह यह है कि आप इस पर सरकार का वक्तव्य मंगा लें।

श्री अध्यक्ष-

कल दे दीजियेगा।

श्री हुकुम सिंह-

ठीक है, कल दे दूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने आपसे विनम्र अनुरोध किया था, जब आप सुबह पीठासीन हो रहे थे, एक बलात्कार का मामला था। आपने कहा था कि दो मिनट सुन लूंगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, कार्य-स्थगन प्रस्ताव लेते हुए आपने कहा था।

श्री अध्यक्ष-

आपकी कोई सूचना नहीं है।

डा0 आर0ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष जी, लखीमपुर-खीरी के बजाज शुगर इंडस्ट्रीज, खंभार खेड़ा में जो प्रदूषित जल है, वह दुमहनी नदी में बहाया जा रहा है, जिससे सभी मछलियां मर चुकी हैं और क्षेत्र में जानवरों, गायों एवं भैसों की खाल पर चर्म रोग हो गया है, उनकी खाल उधड़ रही है। प्रदूषित जल पीने से कृषि फार्म मंझरा जो सरकारी फार्म है, वहां कल दर्जनों भैंसे मर गयी हैं तथा दो दर्जन से अधिक गाय और भैंसे बीमार हैं। पिछले सत्र में मैंने बजाज शुगर इंडस्ट्रीज, लखीमपुर खीरी के खंभार खेड़ा गोला और पलिया चीनी मिलों के खिलाफ सवाल लगाया था और उस पर सरकार ने जांच कराई थी जिस पर सहायक निदेशक मत्स्य लखीमपुर खीरी और जिला पशु चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी ने सुविधा शुल्क लेकर उस पर लीपापोती कर दी और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कल फिर एक दर्जन भैंसे खत्म हो गयी हैं। दो-तीन दर्जन गाय और भैंसे बीमार हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मांग करता हूं कि इस मामले की ईमानदारी से जांच कराई जाय और भैसों तथा गायों की मृत्यु के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय तथा पूर्व में जांच में जिन अधिकारियों ने सुविधा शुल्क लेकर चीनी मिल को प्रदूषण मुक्त सर्टीफिकेट दिया है उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय। माननीय अध्यक्ष जी यह जानवरों, पशुओं से जुड़ा मामला है, इस पर देख लीजिये, तमाम मौतें हुयी हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जो संज्ञान में लाये हैं, कि बजाज शुगर इंडस्ट्री के पानी का बहाव जो नदी में हो रहा है उसकी वजह से 12 भैसें मर गयी हैं और भी संक्रामक रोग होने की सम्भावना है। इसको जरूर दिखवा लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर माननीय उस्मानी साहब को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

* श्री दीपक कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, कानपुर में सन् 97 में किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार किसानों को खाद, बिजली, पानी दे नहीं पा रही है। किसान ऐसे ही भूखे मर रहे हैं। वर्ष 1997 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो जमीन अधिग्रहीत की गई आज तक किसान मारे-मारे घूम रहे हैं उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। दूसरी तरफ किसानों का अगर कुछ भी बकाया तो उनके खिलाफ आर0सी0 जारी हो जाती है और उनको उठाकर तहसीलों में बन्द कर दिया जाता है। इसमें आर0सी0 जारी करके कानपुर नगर के जिलाधिकारी महोदय ने लखनऊ के जिलाधिकारी को भेज दिया और यहां पर यह 6 महीने से लम्बित है और वसूली प्रमाण-पत्र से वसूली करके वह धन अभी तक लखनऊ जिलाधिकारी द्वारा कानपुर भेजा नहीं गया है। इससे आज किसानों के सामने भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई है मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि किसानों को मुआवजा मिल जाए और यह लोकमहत्व का प्रश्न है, इस पर तुरन्त कार्यवाही रोक करके चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, यह लम्बे समय से किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई है तो उनके मुआवजे का भुगतान क्यों नहीं हुआ है, इसकी कुछ सूचना है आपके पास।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एयरफोर्स स्टेशन चकेरी, कानपुर नगर के लिए रक्षा सम्पदा अधिकारी लखनऊ के अनुरोध पर ग्राम शफीपुर की गाटा संख्या-73 व 74 की 1.639 हे0 भूमि अर्जित की गयी है जिसका अभिनिर्णय दिनांक 10-3-2000 को घोषित किया गया था तथा अर्जन निकाय द्वारा प्रतिकर के मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि रुपये 1,66,00,505.11/-में से अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों को प्रतिकर का आंशिक भुगतान किया गया है तथा अभी उक्त अभिनिर्णय के अनुसार रुपये 3.50 करोड़ की धनराशि का वितरण किया जाना अवशेष है। रक्षा सम्पदा अधिकारी द्वारा अभिनिर्णय दिनांक 10-3-2000 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-30155/2001 यूनियन आफ इण्डिया बनाम अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) व अन्य योजित कर स्थगन ओदश दिनांक 13-8-2001 प्राप्त कर लिया गया था। उक्त रिट याचिका मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16-08-2007 को खारिज कर दिया गया है। उक्त रिट याचिका में अभिनिर्णय दिनांक 10-3-2000 में निर्धारित की गयी प्रतिकर की दर को अधिक बताते हुए रक्षा सम्पदा अधिकारी द्वारा चुनौती दी गयी थी। इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी भूमि अर्जन कानपुर नगर द्वारा रक्षा सम्पदा अधिकारी लखनऊ के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 09-11-2006 को जिलाधिकारी लखनऊ को वसूली कराने हेतु प्रेषित किया गया है। अभिनिर्णय दिनांक 10-3-2000 के सापेक्ष वर्तमान मे अवशेष रुपये 3.50 करोड़

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपये की धनराशि की शीघ्र वसूली कराने तथा उक्त धनराशि को अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) कानपुर नगर को अवशेष प्रतिकर का भुगतान कराने हेतु उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश शासन के पत्र संख्या-1409 (क)/1-13-2007-रा0-13, दिनांक 03 जनवरी, 2008 द्वारा जिलाधिकारी लखनऊ व अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) कानपुर नगर को दिये गये हैं तथा साथ ही रक्षा सम्पदा अधिकारी लखनऊ से प्रतिकर वितरण हेतु वांछित/अवशेष धनराशि तत्काल जमा कराने के भी निर्देश दिये जा चुके हैं। मान्यवर, जैसे ही धन उपलब्ध होगा, भुगतान करा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने दीपक कुमार जी को और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, बुन्देलखण्ड की जो समस्या है उससे आप भी परिचित हैं और पूरा सदन भी उससे अवगत है। मान्यवर, आज भी पीने के पानी की विकट समस्या है। ग्राम्य विकास विभाग ने पानी पीने के लिए हैण्ड पम्प की व्यवस्था तो कर दी है लेकिन नगर विकास विभाग ने अभी तक नगर में रहने वाले लोगों के लिए पेयजल की कोई भी व्यवस्था नहीं की, एक भी हैण्डपाइप अभी तक स्वीकृत नहीं किया है। दूसरा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कल बैठक हुई थी उसमें एक समाचार प्रकाशित हुआ कि सरकार इतनी गरीब हो गई है कि इसमें जो 10 प्रतिशत लगता है वह विधायकों के बुन्देलखण्ड विकास निधि के माध्यम से खर्च किया जायेगा। यह बुन्देलखण्ड विकास निधि का पैसा जो विधायक लोग किसी जगह दे करके जनता को ऑबलाइज कर सकते थे जनता का मन जीत सकते थे, यह सरकार उसका भी आहरण करने की कोशिश कर रही है। मान्यवर, तीसरा जो विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं कम से कम पांच सौ से छः सौ के बीच में प्रत्येक जनपद में विद्युत कनेक्शन रुके हुए हैं, किसी भी प्रकार की उनको सुविधा नहीं दी जा रही है और न ही विद्युत दरों में किसी प्रकार की आधा या चौथाई करने की राहत दी जा रही है। चौथा, जितनी पुरानी पेयजल योजनाएं थीं वह सारी की सारी योजनाएं ध्वस्त पड़ी हुई हैं उनको भी यह सरकार पुनः चलाने का काम करें। पांचवां हम यह अनुरोध करना चाहते हैं कि जो पशु यहां से दूसरे प्रान्तों में मध्य प्रदेश के जंगलों में छोड़े जा रहे हैं इसे रोकने के लिए शासन स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिए। छठा आपसे मैंने कहा आपके कक्ष में भी अनुरोध किया था आज फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड के विषय में चर्चा करते हुए काफी समय सदन का जाया होता है, मेरा निवेदन है कि सम्बन्धित क्षेत्र के विधायकों और मंत्रियों को अपने कक्ष में बुलाकर इस समस्या का समाधान कराने की कोशिश करें।

(श्री विशम्भर प्रसाद निषाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपका भी यही मामला है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, मेरी दूसरी समस्या है, हम अलग से बतायेंगे। जनपद बांदा के तिन्दवारी जसपुरा, बड़ोखर में दो सौ लोगों ने हैण्डपम्प का पैसा जमा किया था। एक साल हो गये, फरवरी में जमा किया था मान्यवर, स्पेशल कोटे में जमा हुए थे, 10 परसेन्ट अनुदान भी जमा हो गया था। 2600 रुपया बोरिंग का था और 3700 रुपया मशीन का था। मान्यवर, एक साल से हैण्डपम्प नहीं लगाये गये, अब भी नहीं लगाये जा रहे हैं और इस बीच में लागत एक हजार रुपये बढ़ा दी गई तो अब कहते हैं कि लागत बढ़ गई है, अब तो हैण्डपम्प लगेगा ही नहीं। हजारों हैण्डपम्प खराब हैं उनको रि-बोर नहीं किया जा रहा है, जो थोड़े बहुत किये गये उनको 70-80 फिट तक पहुंचा कर बिना पानी निकाले मशीन बांध दी गई है। दूसरी बात यह है कि बांदा के कई ऐसे गांव हैं जहां पर नदी के जो गड्ढे हैं, उसमें का पानी पीने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। वहां पर चटगन गांव है बांदा में, छेहरांव गांव है, मरौली केवटरा है, मवई बुजुर्ग है और भी गांव हैं जहां पर तालाब में जो थोड़े-थोड़े गड्ढे हैं उनका पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। अभी मान्यवर, गर्मी में और विषम स्थिति हो जायेगी इसलिए हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो पैसा जमा है उससे हैण्डपम्प लगवाये जायें और बुन्देलखण्ड की सभी विधान सभा में 500-500 हैण्डपम्प लगवाये जायें और जहां पानी नहीं है वहां पर टैंकर से पानी पहुंचाया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, समाप्त करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा जो सूचना दी गई थी, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जो हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये उन्हें लगाया नहीं जा रहा है और साथ ही साथ यह जिक्र किया है कि 250 हैण्डपम्प की और घोषणा की गई उन्हें भी नहीं लगवाया गया। इस सम्बन्ध में मेरा आपसे अनुरोध है कि 26-9-2007 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मा0 सदस्यगण विधान सभा/विधान परिषद् द्वारा संस्तुत स्थलों पर 225-225 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इसी प्रकार जनपद जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर एवं सोनभद्र के समस्त विधान सभा क्षेत्रों एवं जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र के मेजा, करछना तथा बारा के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में स्वीकृत 225-225 हैण्डपम्पों के अतिरिक्त क्षेत्रीय मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद् द्वारा चयनित स्थलों पर 250-250 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या-256/38-5-2007 दिनांक 2-2-2008 द्वारा निर्गत किये गये हैं। प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्र दिनांक 18-2-2008 द्वारा

अवगत कराया गया है कि बुन्देलखण्ड के 07 जनपद जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट में क्रमशः 481, 798, 965, 742, 498, 352 एवं 846 कुल 4682 नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन किया जा चुका है।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

इसी प्रकार उक्त जनपदों में क्रमशः 722, 707, 322, 680, 215, 777 एवं 447 कुल 3870 हैण्डपम्पों का रि-बोर किया गया। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे को देखते सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त जनपदों में क्रमशः 438, 289, 260, 640, 250, 693 एवं 151 कुल मिलाकर 2721 हैण्डपम्पों को रि-बोर किया गया है। इस प्रकार बुन्देलखण्ड के सभी 7 जनपदों में कुल 4682 नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन एवं 6591 हैण्डपम्पों में रि-बोर किया जा चुका है और माननीय विधायकगण से हैण्डपम्पों की सूची जैसे ही प्राप्त हो रही है, हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन किया जा रहा है। मान्यवर, इतने त्वरित गति से कार्यवाही हो रही है कि इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा बच्चा नहीं है। बुन्देलखण्ड की जनता इनको दौड़ा रही है कि इतना अच्छा कार्य हो रहा है उसके बाद आप लोग हल्ला मचाते हो। तो मान्यवर, अब जनता की मार से यहां शोर मचाने के अलावा और इनके पास कुछ है नहीं, वहां शोर मचा नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं। दुर्गा प्रसाद यादव जी, आप अपनी बात एक मिनट में कह लीजिए।

(श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद व श्री दीप नारायण सिंह के अपने आसन पर खड़े होकर बोलते रहने पर शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

रोज बुन्देलखण्ड की बात उठ रही है, उस पर सबकी सहानुभूति है, पूरे सदन की सहानुभूति है और सरकार भी गम्भीरता से प्रयास कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, अब आप लोग बैठ जाइये।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अत्यन्त गम्भीर विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ...

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, जो हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं वह कल गर्मियों में सूख जायेंगे। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि दोबारा लगाने की उसकी किसकी जिम्मेदारी होगी या सरकारी पैसे के साथ खिलवाड़ किया जायेगा इस पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिए। डीप बोरिंग से हैण्डपम्प लगाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, कोई खिलवाड़ नहीं होगा। सारी बात आ गयी है। दुर्गा प्रसाद जी आप अपनी बात एक मिनट में बता दीजिए।

डा0 वकार अहमद शाह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नगरीय क्षेत्र हैं उसमें क्या सुविधा दे रहे हैं ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल जी ने 215 हैण्डपम्पों की सूची दी थी मैं आज ही अधिकारियों से बात करके आया हूं जिसमें 133 पर आपके लेटर पैड पर हस्ताक्षर नहीं है, उन्होंने आपको पत्र लिखा है, वह आप दे दें। 39 हैण्डपम्प आपके नगरीय क्षेत्र के थे जैसाकि व्यवस्था है, आप अवगत हैं नगरीय क्षेत्र में हैण्डपम्प नहीं लग पा रहे हैं और 43 हैण्डपम्प आपके लग रहे हैं, जिसमें से कुछ लग भी गये हैं। इसके अलावा 250 अन्य हैण्डपम्प हैं वह सूची दे दें। सभी हैण्डपम्प लगाये जायेंगे। यह सरकार बुन्देलखण्ड में पेयजल समस्या को पूरी मुस्तैदी और जिम्मेदारी के साथ एक भी पेयजल का कोई संकट नहीं आने दिया जायेगा। जहां तक विशम्भर प्रसाद निषाद की बात है ये अपनी सरकार के दौरान अपने हैण्ड पम्प लगवा नहीं पाये, जब यह मंत्री थे उस समय यह हैण्ड पम्प लगवा नहीं पाए। अब हमारी सरकार से पिछले हैण्डपम्प लगवाना चाहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना अग्राह्य हो चुकी है।

श्री लालजी वर्मा-

चन्देल साहब आज तक 225 हैण्ड पम्पों की सूची तक तो दे नहीं पाए। बुन्देलखण्ड के प्रति कितने गम्भीर हैं यह इसी से साबित होता है।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

सरकार बुन्देलखण्ड की पेयजल समस्या के प्रति गम्भीर नहीं है इसके विरोध में हम सदन का त्याग कर रहे हैं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

* श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनपद आजमगढ़ में पिछड़ी जाति की गरीबी से नीचे रहने वाली कन्याओं को वर्ष 2007 का शादियों का अनुदान नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया गया है। सामान्य जाति की, अनुसूचित जाति की और अल्पसंख्यक जाति की कन्याओं को यह अनुदान दिया गया किन्तु पिछड़ी जाति की कन्याओं को यह अनुदान नहीं दिया गया। फार्म जमा कराये गये लेकिन इसके बावजूद पैसा नहीं दिया गया। यह सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। अब 2008 के फार्म जमा हो रहे हैं लेकिन वर्ष 2007 का अनुदान नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी इसको दिखवा लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको देखवा लेंगे और उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, हमें भी दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना अग्राह्य हो गयी है। कल पुनः दे दीजिएगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अत्यन्त दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। चार दिन पूर्व मैं एक प्रकरण यहां संज्ञान में लाया था। एक महिला घर में थी चार लोग आए और उन्होंने उसे घर से उठाकर बुलैरो में डाल लिया उसे उठाकर ले गए उसके साथ बलात्कार किया। महिला घर में सुरक्षित नहीं है। दूसरी घटना है डाक्टर का दर्जा भगवान का दर्जा होता है। निःसंदेह चिकित्सालय मंदिर से कम नहीं होगा लेकिन यहां एक 11 साल की लड़की जो हास्पिटल गई भर्ती है गम्भीर है उसको एक्सरे के लिए लाया जाता है। एक्सरे के लिए। मान्यवर, एक अघोषित सी परम्परा है जब कोई महिला हो लड़की हो तो परिवार का कोई सदस्य खड़ा कर लिया जाता है लेकिन यहां उसका पालन नहीं किया गया। उनके घर वालों को जबरदस्ती बाहर कर दिया गया। अन्दर से दरवाजा बन्द कर दिया गया जब लड़की चीखती चिल्लाती हुई बाहर आई और बाहर निकलकर उसने बताया कि उसके साथ एक असामान्य, दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्दान्त तथा वीभत्स घटना घटित हुई अगर यह घटना सच है तो शर्मनाक है और इसकी जितनी निन्दा की जाय कम है। जो आरोपी हैं उसे वहां पर स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, परिवारीजनों ने पकड़ लिया। वह गिरफ्तार हो चुका है। मान्यवर, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज आवश्यकता जनता के उस विश्वास को लौटाने की है जो इस घटना से खण्डित हुआ होगा। मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यह घटना सच है और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय। यही नहीं मान्यवर, एक सुरक्षा की भावना एक जन सन्देश जाना चाहिए कि घर सुरक्षित है और अस्पताल सुरक्षित है। अगर महिलाएं घर में और अस्पताल में सुरक्षित नहीं होंगी तो क्या होगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं इसको पूर्व में अग्राह्य कर चुका था लेकिन एक बालिका के साथ इस तरह की घटना है, इसको दिखवा लें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसमें रिपोर्ट कोतवाली चौक थाना में अपराध संख्या-106/08 धारा 376 भारतीय दण्ड प्रक्रिया के अन्तर्गत हो गयी है और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित आरोपित का परीक्षण कराया गया है। मान्यवर, वहां के वाइस चांसलर ने इस बात के निर्देश दिये हैं कि किसी भी महिला का यदि एक्सरे या अल्ट्रा साउन्ड वगैरह होता है तो वहां पर उनके परिवार का एक सदस्य मौजूद रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

मसूद साहब आपके बाग का क्या हो गया ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह तो एक घटना प्रकाश में आ गई। आप वहां देखें, स्थिति समझने का प्रयास करें। उस कमरे के बाहर दरवाजे पर अभिभावक खड़े हैं उसके बावजूद उस आदमी, उसे आदमी कहना उचित नहीं होगा, उस नृशंस जानवर की हिमाकत देखिये दरवाजे पर अभिभावक खड़े हैं, परेन्ट्स खड़े हैं और अन्दर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। मान्यवर, यह तो एक घटना है जो प्रकाश में आ गई। मान्यवर, चिन्ता इस बात की है कि यह जो व्यक्ति है टेक्नीशियन है वह सरकारी नहीं है। वह बाहर से किसी तरह से संविदा पर रखा गया था। मान्यवर, आप इसको पूरे प्रदेश में दिखवा लें। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वी0सी0 ने निर्देश दे दिये हैं। वी0सी0 के निर्देश तो सिर्फ लखनऊ में के0जी0एम0सी0 जिसका अब नाम बदल दिया गया है, वहां लागू होगा। लेकिन मेरा कहना है कि पूरे प्रदेश के लिये एक सरकुलर जाना चाहिए। खास तौर से लड़कियां और महिलाएं जब एक्सरे और अल्ट्रासाउन्ड के लिये अन्दर जायं तो उनके साथ उनके परिवार का एक सदस्य होना चाहिए। इस बारे में मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि वी0सी0 के निर्देश पूरे प्रदेश के लिये लागू होंगे जहां कमरे में अन्धेरा कर दिया जाता है, महिलाओं के साथ उनके परिवार के एक सदस्य को रहने दिया जाय।

श्री लालजी वर्मा-

इस तरह के निर्देश प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में जहां एक्सरे और अल्ट्रासाउन्ड या इस तरह का परीक्षण होता है लागू किया जायेगा।

* श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहते हुए कहना चाहता हूं कि बाग केवल इधर ही नहीं उधर भी है। सहारनपुर जनपद में जिस प्रकार से आम के बाग बर्बाद हो गये हैं। मान्यवर, इस बार रिकार्ड तोड़ सर्दी हुई जिससे तापमान भी माइनस 10 डिग्री तक रहा। मान्यवर, इस कारण से बाग बिल्कुल सूख गये। माननीय हुकुम सिंह जी ने भी इस बारे में प्रश्न लगाया था और मंत्री जी ने उत्तर में कहा था कि 30 प्रतिशत से कम नुकसान हुआ है। मान्यवर, 30 प्रतिशत तो तब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आयेगा जब फसल होगी। आम की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, शाहजहांपुर, बिजनौर यहां तक कि मलिहाबाद में भी तमाम बाग बर्बाद हो गये हैं। इस कारण से इनका ठेके लेने वाले मालिक मैं दो चार लोगों को जानता हूं जिनको इस कारण से हार्ट अटैक हो गया है, मरने की कगार पर हैं। इतना पाला पड़ने से फसल नष्ट हो गई ठेकेदार, मालिक और उससे जुड़े कारोबारियों को सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई है। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको अग्राह्य कर चुका हूं। इसी सन्दर्भ में प्रश्नों के माध्यम से यह विषय सरकार के संज्ञान में आ चुका है। जो भी ऐसे हमारे आम की खेती से जुड़े किसान हैं उनकी फसलों की क्षति है जो भी है उसके बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्रीवास्तव जी आपकी एक सूचना है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, अधिवक्ता समाज के बारे में ही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

हां, अधिवक्ता समाज और जजों के बारे में है। आप बैठें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, आज अधिवक्ता समाज को अपमानित करके कि वह अयोग्य है और सारे अपर न्यायालय से लेकर के हाईकोर्ट तक के जो सरकारी वकील हैं उनको हटाने की प्रक्रिया की जा रही है और उनकी जगह ए0पी0ओ0 को एपाइन्ट किया जा रहा है मेरे पास टिप्पणी है जो टिप्पणी बैठक में गृह सचिव महोदय ने की है।

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया आप बैठें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

कि विवेचना और अभियोजन कार्यों एवं पर्यवेक्षण कार्यों का अभाव रहता है।

श्री अध्यक्ष-

चलिए अब आप बैठिये। बहुत हो गया।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

चारों ओर अधिवक्ता आन्दोलित हैं वह दुखी हैं अन्त में मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि सरकार इस कार्य को करने से बाज आएगी।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

समाज कल्याण मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। यह मुझे समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-80, अनुदान संख्या-81, अनुदान संख्या-83 इनका मुझे ही बजट रखना है अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इन सबका बजट एक साथ रख दूं।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुदान संख्या-80, 81, 83 तक एक साथ रख दें। यह तीनों ही समाज कल्याण से जुड़े हैं।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,03,78,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,89,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 58,46,49,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं सामाजिक परिवर्तन के तमाम सन्तों, गुरुओं, महापुरुषों को याद करता हूं। इन सबके साथ ही साथ संविधान निर्माता भारत रत्न डा0 बी0आर0 अम्बेडकर जी को भी याद करता हूं जिनके अथक प्रयास से हम जैसे गांव के लोगों को भी यहां आने का मौका मिला। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान न बनाये होते जिस समाज में हम पैदा हुए हैं इस समाज को मत का अधिकार दिलाने का काम न किये होते तो कम से कम मुझ जैसा व्यक्ति इस देश की सबसे बड़ी विधान सभा, उत्तर प्रदेश की विधान सभा में पहुंचने का काम न करता। इसके साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति आन्दोलन के महानायक

जिन्होंने बड़ा ही संघर्ष करके, यहां पर जो दबाये गये सताये गए, समाज के लोग हैं, जो पछाड़े गये समाज के लोग हैं, जिनको वर्षों से यहां पर जीवन के हर पहलू पर सहूलियतें देने का काम नहीं किया जाता था, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके, एक प्लेट फार्म बनाकर, बहुजन समाज पार्टी रूपी प्लेट फार्म बनाकर कदाचित उस प्लेट फार्म में आप भी चले थे, मैं भी चला था, एक सिपाही की हैसियत से, हम सब लोग चले थे। ऐसे करोड़ों लोगों की जमात को इकट्ठा करके आज एक मंजिले मकसूद तक हम लोगों को पहुंचाने का काम किया, उनका नाम है, मान्यवर, श्री काशी राम जी, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी हम सबकी बहन है। आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने तमाम त्याग तपस्या करके, तमाम संघर्षों को झेल करके, सर्वसमाज को इकट्ठा करके आज बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया और उस सरकार में मुझ जैसे गांव के व्यक्ति को खेत खलिहानों में काम करने वाले व्यक्ति को एक विभाग नहीं, बल्कि कई-कई विभागों का बजट पेश करने का मौका दिया, मंत्री बनाने का काम किया। उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, आज मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं। आपका सानिध्य पाकर जहां से हम लोग जीरो से चले थे, एक सिपाही की हैसियत से जहां पर हम लोगों ने संघर्ष किया था। हम लोगों को आप मार्गदर्शन दिया करते थे। हमने आपको सदैव बड़े भाई के रूप में माना, आपके निर्देशों का पालन किया। हम लोग जो एक सिपाही की हैसियत से चले थे, आज उत्तर प्रदेश की विधान सभा में आप सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान हैं और मुझ जैसे व्यक्ति को आपके सानिध्य में आज बजट पेश करने का काम मिल रहा है, मैं आपके सानिध्य को पाकर बड़ा गदगद हूं। मैं जो बजट लेकर आया हूं यह निश्चित तौर पर गरीबों का बजट है। जो पछाड़े गये सताए गये लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, जिनके पास आगे बढ़ने के लिए कोई सहारा नहीं है, समाज कल्याण विभाग में उसके लिए बजट व्यवस्था होती है। शैक्षणिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में ऐसे लोगों को उभरने का मौका मिलता है। आज उस समाज कल्याण विभाग का बजट में आपके सानिध्य में पेश कर रहा हूं। मान्यवर, मैं समाज कल्याण विभाग के विषय में कुछ कहना चाहूंगा, जैसा कि आप अवगत हैं स्वतंत्रता के पूर्व कुछ अपराधशील जातियों के लिए एक विभाग बनाया गया था, वर्ष 1940, 41 में जिसका नाम था रिक्लसेशन, विभाग, कदाचित उन अपराधशील जातियों में आप की भी जाति थी मेरी भी जाति थी, उन जातियों के कल्याण के लिए एक रिक्लमेशन विभाग बनाया गया था जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन् 1948, 49 में इस विभाग को हरिजन सहायक विभाग कहा गया। उसके बाद समाज की जो अन्य जातियां थीं, उनके कल्याण के लिए 1955 में समाज कल्याण विभाग की स्थापना हुई थी। तो समाज कल्याण विभाग और हरिजन सहायक विभाग जो दो अलग-अलग विभाग चल रहे थे, 1961 में फैसला हुआ कि इन दो विभागों को एक ही अधिकारी के अधीन कर दिया जाए। निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उनके अधीन कर दिया जाए और 1961 में एक अधिकारी के अधीन करते हुए इनके कल्याण की योजनाएं चलने लगीं।

मान्यवर, कालांतर में 1977-78 में यह विचार हुआ कि इन दोनों विभागों का विलय करके उनका एक विभाग बना देना चाहिए। मान्यवर, वर्ष 1977-78 में इन दोनों विभागों का

विलय करके हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के नाम से एक विभाग बना दिया गया। तबसे यह विभाग चल रहा था। कदाचित आप भी अवगत हैं कि हरिजन शब्द संवैधानिक शब्द है। तमाम विरोध हुए, हमारी पार्टी ने भी विरोध किया और हमारी नेता सदन बहन कुमारी मायावती जी ने पार्लियामेंट से लेकर हर स्तर पर हरिजन शब्द का विरोध किया था और उसके तहत सन् 1991-92 में हरिजन शब्द को हटाकर इस विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग पड़ गया। इस तरह से वर्ष 1992 से समाज कल्याण विभाग के नाम से यह विभाग संचालित हो रहा है। पहले यह विभाग बहुत बड़ा विभाग हुआ करता था। इसमें विकलांग कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग यह सारे विभाग इसमें आया करते थे। लेकिन आदरणीय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी को जब वर्ष 1995 में मुख्य मंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने इस विभाग की व्यापकता को देखते हुए दिनांक 12-8-95 को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और विकलांग कल्याण विभाग इन तीन विभागों को अलग से गठित करने का काम किया और इस तरह से वर्ष 1995 से 3 विभाग अलग से गठित किये गए। मैं कह रहा था कि जो समाज कल्याण विभाग है यह विभाग असहाय, निर्धन, शोषित समाज के उत्थान के लिए काम करता है। इस विभाग के अन्तर्गत तमाम योजनाएं संचालित हैं और एक-एक करके इन योजनाओं के विषय में बताना चाहूंगा। माननीय सदस्यों के जो सुझाव आयेंगे उन पर मैं विचार करके अमल करूंगा। वैसे जब से मैं इस विभाग का मंत्री बना हूं तब से मैंने इस विभाग के सुधार के लिए काफी प्रयास किया है और इसके अलावा आपके जो सुझाव आयेंगे उस पर भी मैं विचार करूंगा। मान्यवर, वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष के ऊपर वृद्धों को पेंशन देने का काम किया जाता है। आप खुद भी अवगत हैं, सारे सदस्य भी अवगत हैं कि जब हमारी सरकार नहीं थी तो उत्तर प्रदेश में बहुत कम वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन देने का काम किया जाता था। कई बार से मुझे विधान सभा में आने का मौका मिला है। कई बार सवाल भी हुए थे और जवाब में आता था कि वृद्धावस्था पेंशन जो है वह लिमिटेड है। उसके अन्दर लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है और जब उसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति कम होगा तो उसके स्थान पर ग्राम सभा से दूसरा व्यक्ति पेंशन का हकदार बनेगा।

मान्यवर, बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार बनाते ही सबसे पहले फैसला लिया कि इन गरीबों की पेंशन को 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया। मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के साथी समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं उनके शासनकाल में एक अंतिम लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया था कि उत्तर प्रदेश के लोगों में केवल 20 लाख लोगों को ही पेंशन मिलेगी उसके बाद जब जगह खाली होगी तो उसकी जगह पर दूसरे को पेंशन मिलेगी। लेकिन मान्यवर, बहन कुमारी मायावती जी ने पिछली सरकार के इस बैरियर को तोड़ने का काम किया और 20 लाख के बजाय 24 लाख लोगों को पेंशन देने का काम किया और यह सीमा अंतिम नहीं होगी।

मान्यवर, तो इस तरह से तीन सौ रुपये महीने किया और बीस लाख के लक्ष्य को बढ़ाकर चौबीस लाख करने का काम हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने किया। इतना ही नहीं, मुझे खुशी हो रही है कि बहन जी कितनी उदार है, गरीबों के लिए कितनी चिन्तित हैं, बेसहारों

के लिए कितनी चिन्तित हैं, उन्होंने जब चौबीस लाख का लक्ष्य पूरा हो जाय, उसे बढ़ाकर 2008-09 में जो पहले पेंशन पात्रता थी, एक हजार रुपये महीना, बारह हजार रुपये सालाना के आधार पर होगा, सवा तीन एकड़ जमीन के आधार पर होगा, वहीं पेंशन पाने का काम करेंगे, उस पात्रता को निरस्त करके यह फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में जो चौबीस लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, वह तो मिलेगी इसके अतिरिक्त बी0पी0एल0 के आधार पर अट्ठाइस लाख लोगों को अतिरिक्त देने का काम करेंगे। इसके साथ-साथ हमारे डिपार्टमेन्ट में एक राष्ट्रीय पारिवारिक योजना चलायी जा रही है। इसके तहत हमने सर्वे किया। जब से मैं मंत्री बना मैंने कई जी0ओ0 कराने का काम किया है। इस योजना के तहत जो परिवार का मुखिया होता था जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे, उसके मुखिया की मृत्यु होती थी उसमें सरकार की तरफ से बीस हजार रुपये देने का प्राविधान था। एक टेक्निकल शब्द है इसको समझना जरूरी है। बहुत से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता था। हमने इसको संशोधित करने का काम किया और एक जी0ओ0 जारी कर दिया कि 'परिवार का मुखिया' शब्द गलत है। हमने अपने अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग किया। हमने कहा कि 'मुखिया' शब्द का विलोपन होना चाहिए। खुशी की बात है कि हमने नया शासनादेश जारी कर दिया। हमने उसमें डाल दिया जो घर का कमाऊ सदस्य होगा, उसकी अगर मृत्यु होगी तो राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन का लाभ देने का काम करेंगे। इतना ही नहीं मान्यवर, राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के तहत बहुत बिचौलियापन होता था। यह निर्धारित था कि समाज कल्याण विभाग में जाकर राष्ट्रीय पारिवारिक फार्म जमा करेंगे।

हमने अब पंचायत सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निर्धारित की है जो गांव में तैनात रहता है, जो रिपोर्ट देने का काम करता है। हमने जी0ओ0 में यह किया है कि गांव में अगर गरीब की मृत्यु होती थी, जो जिला समाज कल्याण में फार्म जमा होते थे उसमें दलाली होती थी, उस दलाली को तोड़कर एक नया जी0ओ0 जारी किया है कि जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी या समाज कल्यांण अधिकारी इन तीनों के यहां फार्म जमा किया जा सकता है। इसमें पैसे की कमी नहीं है। हम बराबर समीक्षा करते रहते हैं, बराबर पैसा मिलता है टी आर 27 में यह जमा है। जिलाधिकारी किसी भी समय पैसा आहरित कर उस गरीब परिवार को देने का काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़न योजना भी है। यह छुआछूत के उद्देश्य से कार्यक्रम लिया गया है। इसके अन्तर्गत 20 हजार से लेकर दो लाख तक का इसमें प्राविधान है। इसमें भी टी0आर0 27 लागू है, इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। जिलाधिकारियों को निर्देश है कि वो अगर कोई उत्पीड़ित व्यक्ति है और उसकी रिपोर्ट आती है तो तुरन्त उसको अनुदान देना चाहिए। इसमें मान्यवर, कई तरह के अपराध हैं। जैसे अत्याचार उत्पीड़न, जो लज्जा भंग करने पर है इसमें 50 हजार रुपये की व्यवस्था है मान्यवर, हत्या, मृत्यु में जो है अगर परिवार का न कमाने वाला सदस्य है तो उसके लिए एक लाख का प्राविधान है अगर परिवार के कमाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या होती है, अगर दूसरे क्लास के लोग सामान्य क्लास के लोग अगर उसकी हत्या करते हैं तो उसके लिए दो लाख रुपये का प्राविधान है। मतदान के अधिकार से वंचित करने पर 20 हजार रुपये का प्राविधान है। अगर

कोई खाद्य सामग्री किसी को खिलाता है या घृणित कार्य करता है, पदार्थ खिलाता है तो उसमें मान्यवर, 25 हजार रुपये की व्यवस्था है, इधर क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या चुप करने पर 25 हजार रुपये देने की व्यवस्था है। मान्यवर, कई तरह के जैसे बेगार, बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी इस पर 25 हजार रुपये की व्यवस्था है। इस तरह मान्यवर, इसमें जितना बड़ा अपराध है उतना ज्यादा आर्थिक अनुदान दिया जाता है, जितना छोटा अपराध है, उसमें छोटा अनुदान देने का काम इस योजना के तहत किया जाता है। इसके साथ-साथ मान्यवर, बहुत सी महत्वपूर्ण योजनायें जैसे शादी, बीमारी की योजना इस विभाग के अन्दर लागू है। शादी, बीमारी की योजना जब मैं मंत्री बना मान्यवर, मैंने सर्वेक्षण किया, पूरे उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण अधिकारियों की मीटिंग मैंने बुलाई, मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश की क्या व्यवस्था है। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों को शादी अनुदान नहीं दिया गया था और शादी अनुदान में जो राज्य सरकार का पैसा गया था, उस राज्य सरकार के पैसे को वापस करने का भी काम किया गया था, शादी अनुदान नहीं बंट पाया था। हमने कड़ाई किया उसमें और कहा कि अब राज्य सरकार का जो पैसा है चाहे जिस भी योजना में जायेगा अगर कोई भी अधिकारी उसको 31 मार्च तक वापस करने का काम करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

मान्यवर, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों को जो शादी अनुदान नहीं दिया गया था उसके लिए नया शासनादेश जारी कराकर पुराना शादी अनुदान भी दिलाने का काम भी हमने किया है। मान्यवर, वर्ष 2007-08 में हमारी सरकार बनी थी। उससे पहले श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में इसमें जो 35 करोड़ रुपये बजट व्यवस्था थी उसको बहन कुमारी मायावती जी ने गरीबों के हित में उनके आंसू पोछने के लिए, उनकी लड़कियों की शादी हो सके, उन्हें किसी बात की कमी न हो सके इसलिए उस अनुदान को 35 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये करने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। मैं इस बात को भी यहां पर रखना जरूरी समझता हूं कि 50 करोड़ रुपया वर्ष 2007-2008 में यह व्यवस्था की गई थी लेकिन 50 करोड़ रुपया भी उत्तर प्रदेश में कम पड़ गया, हम अनुपूरक मांग के माध्यम से 50 करोड़ के अतिरिक्त 23 करोड़ रुपया शादी अनुदान में हम बांटने जा रहे हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि शत-प्रतिशत लोगों को शादी अनुदान मिलना चाहिए।

मान्यवर, इसके साथ-साथ बहन कुमारी मायावती जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिस वर्ष का मैं बजट पेश कर रहा हूं 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर उन्होंने 60 करोड़ रुपया बजट व्यवस्था करने का काम किया है और इतना ही नहीं मान्यवर, आप भी अवगत हैं कि कई वर्ष से बुन्देलखण्ड में सूखा पड़ा है, बड़े-बड़े किसान भी आज तंग हाल में हैं, लेकिन जो गरीब हैं, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग उनकी हालात बहुत खराब है। मेरा भी जिला बुन्देलखण्ड के नजदीक है मैं देखा करता था बचपन में, आज यमुना नंदी है, यमुना नदी के इस पार मेरा गांव है, उस पार बुन्देलखण्ड एरिया पड़ता है।

हमारे साथी दद्दू प्रसाद जी, नसीमुद्दीन भाई हैं और दूसरे साथी हैं सब लोगों का क्षेत्र उधर पड़ता है। मैं देखता था कि ठंडी की सीजन में जब धान की कटाई होती थी तो धान काटने के लिए लोग उधर से आते थे। बहन मायावती जी ने उस इलाके के दर्द को समझा है। वैसे तो उन्होंने सर्व समाज की समस्या को समझा है और उसे दूर करने का प्रयास कर रही हैं। मान्यवर, बुंदेलखण्ड में जो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं उनकी हालत बहुत खराब है। उनकी लड़कियों की शादी में उन्हें तकलीफ न हो इसके लिए प्रयास किया है।

मान्यवर, हम उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में 10 हजार रु0 के हिसाब से कार्यक्रम चलाते रहेंगे, सबको संतृप्त करने का काम करेंगे लेकिन बुंदेलखण्ड में 20 हजार रु0 के हिसाब से शादी का अनुदान देने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, हमारी सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चल रही है। मान्यवर, इसलिए हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए जो बीमारी और शादी ब्याह की योजना है, उसको भी बढ़ाया जाये। पहले इसमें कम व्यवस्था होती थी। वर्ष 2007-2008 में भी इस मद में बड़े पैमाने पर पैसे का प्रावधान किया गया। इसमें 35 करोड़ रु0 की बजट की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, इसी तरह से पिछड़ों के लिए अलग से डिपार्टमेंट है, अल्पसंख्यकों के लिये अलग डिर्पाटमेंट है, निराश्रित महिलाओं के लिए अलग डिप.र्टमेंट है जिनके पति मर जाते हैं उनकी लड़कियों की शादी के लिए अलग से डिर्पाटमेंट से पैसा मिलता है। सामान्य क्लास के लोगों के लिए जो पैसा मिलता है वह समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत मिलता है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उसमें 35 करोड़ रु0 की व्यवस्था करायी है। मेरी सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इसमें हमें सहयोग करें। यह जो सामान्य जाति के लिये योजना चल रही है इसमें हमने सर्वेक्षण किया था। इसमें जितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे उनका शतप्रतिशत भुगतान करने के बाद हम केवल 16 करोड़ रु0 ही बांट पाये हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस योजना के प्रचार-प्रसार में सहयोग प्रदान करें। पैसा काफी पड़ा है। सामान्य क्लास में जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनकी लड़कियों की शादी में दिक्कत न आये उसमें सहयोग करें। ऐसा लगता है कि इसमें बहुत से लोग शर्म भी कर रहे हैं आवेदन करने में बहुत से समाज कल्याण अधिकारियों से इस बारे में मैंने पूछा था, यह बताया गया कि जानबूझकर बहुत जगह लोग इसे नहीं ले रहे हैं। मैं कई जिलों में स्वयं भी गया था। तो जरा इसका सब लोग थोड़ा प्रचार-प्रसार करें ताकि वह लोग भी लाभांवित हो सकें। सामान्य वर्ग में मुस्लिम भी हैं मैंने अलग से एक शासनादेश भी जारी कराया था।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, आपकी जांच की प्रक्रिया काफी जटिल है लोग अतिरिक्त पैसा देते-देते, चक्कर लगाते-लगाते थक जाते हैं। आप उसका एक समयबद्ध कार्यक्रम बनवा दें कि इस तिथि तक एप्लीकेशन आयेंगी, कब उस पर निर्णय होगा और कब तक पैसा मिल जायेगा। मान्यवर, इस योजना में खासतौर से मुस्लिमों की बहुत उपेक्षा हो रही है। उसको आप देखें।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, इसका सर्वे मैंने कराया था वास्तव में बड़ी कठिन प्रक्रिया थी। बड़ा बिचौलियापन इसमें होता था। शादी बीमारी के जो लोग फार्म जमा करते थे उनको पैसा नहीं दिया जाता था और जिसके चलते वह स्वीकृत पैसा फिर सरकारी खजाने में वापस आ जाता था। बहुत से लोगों को इसमें घूस न देने के कारण पैसा नहीं दिया जाता था। मैंने उस शासनादेश को चेंज करने का काम किया है। मैं नहीं कहता कि वह शत प्रतिशत आज लागू हो गया है। कुछ न कुछ लोग उसमें लूप पोल ढूंढ लेते हैं। हमने कहा है कि शादी के अनुदान के लिए हर महीने बैठक होगी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। उसमें माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, मुख्य विकास अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी उपस्थित रहेंगे। एक महीने में जितनी दरख्वास्तें आयी हैं उनका निपटारा कर दिया जायेगा। यह भी कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि जो व्यक्ति शादी अनुदान के लिये फार्म जमा करता है जिस तारीख को लड़की की शादी है उसके एक सप्ताह पहले उसको पैसा दे दिया जाये। (मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, मैं कबूल करता हूं यहां पर कि शतप्रतिशत वह अभी शासनादेश लागू नहीं हुआ है। यहीं विधान सभा में यह बात उठी थी तो हमने मेरठ सहित कई समाज कल्याण अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम किया था। उनको सस्पेंड किया था और जैसा मुझे मेरे सम्मानित विधायकों ने बताया, आप भी अवगत हैं समाज कल्याण अधिकारी से ज्यादा जो खतरनाक है वह बाबू है। वह कई-कई वर्ष से वहां डटे पड़े हैं। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है और सत्तापक्ष से भी अनुरोध है सदस्यों से, अबकी हम यह सूची बनवा रहे हैं कि कौन बाबू कहां कितने वर्ष से डटा पड़ा है और पूरा घूमघूमकर कितने साल उस जिले में हो गये हैं। उनको बड़े पैमाने पर हटायेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। तब यह व्यवस्था सही रूप से लागू हो पायेगी क्योंकि मैंने देखा, मैंने शासनादेश जारी कर दिया कि एक सप्ताह पहले उसको शादी अनुदान मिल जायेगा लेकिन जब मैंने घूमकर देखा उत्तर प्रदेश में तो बड़े पैमाने पर शादी के बाद गरीब लोग फार्म लेकर पहुंचे समाज कल्याण दफ्तर में तो समाज कल्याण अधिकारी और बाबू ने कह दिया कि यह तो शासनादेश के खिलाफ है। हमें शादी के पहले पैसा बांटने का आदेश है हम शादी के बाद कैसे फार्म ले सकते हैं। यह बड़े कारीगर लोग हैं यह निकाल लिये तो मुझे दूसरा शासनादेश निकालना पड़ा कि यह शासनादेश, पुराना शासनादेश लागू रहेगा कि एक सप्ताह पहले आपको शादी अनुदान देना पड़ेगा लेकिन कतिपय कारणों से अगर कोई शादी के बाद भी फार्म जमा करता है तो उसी वित्तीय वर्ष में उस फार्म का निपटारा किया जायेगा उसको शादी अनुदान दिया जायेगा। वह डाल-डाल तो हम पात पात। हम कोशिश में लगे हैं कि यह योजनाएं सुचारू रूप से लागू हों सरकार की जो योजनाएं हैं वह गरीबों तक पहुंचे यह मेरा प्रयास है। मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है लेकिन मैं प्रयासरत् हूं इसके लिए। बराबर मैं इसके विषय में अध्ययन करता रहता हूं।

मान्यवर, इसी तरह से हमारे डिपार्टमेंट के अन्दर छात्रवृत्ति योजना लागू है छात्रवृत्ति योजना वह योजना है जिसके द्वारा सरकार छात्रों को अनुदान मुहैया कराती है, छात्रवृत्ति मुहैया कराती है और फीस जो है वापस की प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। इसमें मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत अच्छी सोच के तहत उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग फर्जी स्कूलों के नाम पर छात्रवृत्ति लेने का काम करते हैं। बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं, फर्जी स्कूल, कागज में स्कूल बनाकर बड़े पैमाने पर पैसा लेने का काम किया गया पिछले दिनों में। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह फैसला लिया कि अब जो है संस्थाओं के खातों में पैसा नहीं जायेगा। अब कम्प्यूटरीकृत करके सीधे छात्र के खाते में पैसा भेजने का काम बहन कुमारी मायावती ने किया है। यह पहली बार यहां पर कम्प्यूरीकृत योजना के तहत छात्रवृत्ति बांटने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, आप अवगत हैं कि कक्षा 1 से 8 तक यह छात्रवृत्ति योजना है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए वह शतप्रतिशत लागू है कोई आर्थिक आधार नहीं है। लेकिन कक्षा 9 और 10 में 30 हजार आय, 30 हजार आय तक के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना है। इसके ऊपर दशमोत्तर है उसमें एक लाख तक की आय के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की और फीस वापसी की योजना लागू है। जो सामान्य क्लास है उसमें बीपीएल के आधार पर कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति योजना लागू है और ऊपर तक जो हैं।

मान्यवर, वही 30 हजार और एक लाख की योजनाएं चल रही हैं। छात्रवृत्ति की कहीं कोई कमी नहीं है। मैं एक बात यहां पर बहुत साफ करना चाहूंगा क्योंकि जब पुरानी सरकार थी तो हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया था क्योंकि दशमोत्तर छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही थी, बड़े पैमाने पर फीस वापसी नहीं की जा रही थी। वह भारत सरकार और कुछ राज्य सरकार दोनों की ढिलाई थी, नहीं मिल पा रही थी। हमने प्रयास करके 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 जो लगभग 400 करोड़ लायबिलिटी थी। उसको विशेष प्रयास करके उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने से और देश के खजाने से भारत सरकार में पैरवी करके वह 400 करोड़ रु0 लाकर हमने छात्रों को बांटने का काम किया है। उनकी फीस को वापस करने का काम किया है। बहुत थोड़ी मात्रा में रह गया है, 80 करोड़ के लगभग रह गया है, वह बहुत जल्दी मिलने वाला है जिसके तहत हम सारे का सारा भुगतान करा देगें। इसके अतिरिक्त हमारे विभाग के तहत आश्रम पद्धति विद्यालय भी संचालित होते हैं। आश्रम पद्धति विद्यालय वह विद्यालय हैं जहां पर ऐसे अभिभावकों के बच्चे पढ़ने का काम करते हैं, जो न अपने बच्चों को कपड़ा दे सकते हैं, जो न खाना दे सकते हैं, न पढ़ाई-लिखाई करा सकते हैं, न किताबें खरीद कर दे सकते हैं। इसलिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण किया गया है। पहले केवल अनुसूचित जाति के बच्चों के लिये आश्रम पद्धति विद्यालयों हुआ करते थे। कदाचित हो सकता है कि इसका अभी प्रचार प्रसार न हो, लेकिन इन आश्रम पद्धति विद्यालयों में निःशुल्क खाने की व्यवस्था है, निःशुल्क कपड़े की व्यवस्था है और निःशुल्क रहने की व्यवस्था है और इसमें मान्यवर, 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति और विमुक्त जाति के बच्चे पढ़ सकते हैं, 25 प्रतिशत बच्चे पिछड़ी जातियों के और 15 प्रतिशत बच्चे सामान्य क्लास के पढ़ सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में कुल 89 आश्रम पद्धति विद्यालय हैं। जिसमें से 38 संचालित हैं और 36 असंचालित हैं। असंचालित का मतलब यह है कि उनकी बिल्डिंग बन चुकी है और कक्षा 1 से 12 तक यह उच्चीकृत कर दिये गये हैं, संचालन के लिये सारी साज सज्जा के लिये व्यवस्था हो चुकी है, पद क्रियेट हो चुके हैं, तुरन्त हम इसकी भर्ती करने जा रहे हैं और इस वित्तीय वर्ष से जितने विद्यालय बन चुके हैं, निश्चित तौर पर हम उनको संचालित करने का काम करेगें, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

(इस समय 3 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता श्री प्रदीप माथुर पीठासीन हुए)

इसके साथ-साथ तमाम जो स्वच्छकार भाई हैं, उनके लिए अलग से आश्रम पद्धति विद्यालय हैं, चाहे लखनऊ का हो, रामपुर में हो इसमें विमुक्त जाति के लिये चल रहे हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति की जो बालिकायें हैं, उनके लिये जहां साक्षरता दर कम है, तो उनके लिये भी तमाम आश्रम पद्धति विद्यालय उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, पिछली बार 16 थे, वैसे कुल 18 हैं। इनमें कक्षा 1 से 12 तक उनका भी संचालन हो रहा है। इसके साथ-साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिये वर्ष 2007-08 में 46 करोड़ 11 लाख की व्यवस्था की गयी थी। इसको बढ़ाकर बहन कु0 मायावती जी ने वर्ष 2008-2009 के बजट में 66 करोड़ 44 लाख करने का काम किया है जो लगभग 44 प्रतिशत अधिक है, इस प्रकार बहन कु0 मायावती जी चिन्तित हैं।

इसके अलावा इस विभाग के अन्तर्गत छात्रावासों का भी संचालन होता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो निर्मित छात्रावास हैं, उनकी संख्या 220 हैं। लेकिन संचालित छात्रावासों की संख्या 162 है। लेकिन जो शेष हैं उनको हम तुरन्त संचालित करने जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में हम सभी छात्रावासों का संचालन प्रारम्भ कर देगें। क्योकि पद क्रियेट हो चुके हैं और बजट व्यवस्था हो चुकी है। इन छात्रावासों के बारे में आप लोग अवगत हैं कि जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, जिनके बच्चे किराये का मकान नहीं ले सकते, उनके लिये छात्रावास की व्यवस्था की जाती है कि शहरों के अंदर छात्रावास बना दिये जायें। आदरणीया मुख्य मंत्री जी तो इन छात्रावासों के विषय में बहुत ज्यादा चिन्तित रहती हैं। जो लखनऊ का हृदय दारुलशफा है, उसके पास उन्होंने पिछली बार ही पी0जी0 छात्रावास बनवाने का काम किया था। इस बार माननीया मुख्य मंत्री जी ने यह फैसला लिया कि जो मुख्यतः शिक्षा के केन्द्र हैं, चाहे पश्चिमांचल में गाजियाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, इलाहाबाद हो सभी जगह त्वरित गति से 200-200 की क्षमता के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास के निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। जमीनें मिल चुकी हैं, बनवाने की कार्यवाही करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा 14 करोड़ रुपये की लागत से गाजियाबाद के अन्दर बाईपास बन रहा है, 6 लेन का है। वहां पर मैं गया था, 14 करोड़ रुपये लागत से छात्रावास बन रहा है। बहन कु0 मायावती जी गरीब बच्चों के लिए चिन्तित हैं, उनके रहने की समस्या न उत्पन्न हो इसलिए छात्रावास का निर्माण कराना उनकी प्राथमिकता है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीया मंत्री जी, आपने पूर्वान्चल के लिए नहीं बताया।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

अभी आजमगढ़ में दिया है, सभी क्षेत्रों में है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना वर्ष 2007-2008 से प्रारम्भ की गयी है- अति पिछड़े अनुसूचित जाति के समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना और कोल जाति के उत्थान की योजना। पिछली बार इसमें 142 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश में बहुत सी जातियां हैं जो बहुत पिछड़ी हुई हैं। कोल जाति के लोग हैं वे बहुत पिछड़े हुये हैं, रहने के लिए आवास नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, खण्डजा नहीं है। इस तरह से उनकी सुविधाओं के लिए एकीकृत विकास योजना चालू की गयी थी जिसके तहत आवास, सामुदायिक केन्द्र, सम्पर्क मार्ग, नाली खड़न्जा बनाने और रोजगार सृजन के अनेक साधन उपलब्ध कराना, स्वच्छ पेयजल तथा स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए 142 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी, गाइड लाइन जारी हो गयी है। विकास भी प्रारम्भ हो गया है और इस वर्ष भी इसमें बजट की व्यवस्था की गयी है। इसके साथ ही साथ इस विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है-कोचिंग सेण्टर योजना। जो गरीब लोग हैं, गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं उनके बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ न जांय, उनको सारी सुविधा मिले और तरक्की करके देश की मुख्य धारा में शामिल हो सकें, आगे बढ़ सकें, अपना भविष्य संवार सकें, इसके लिए कोचिंग योजना शुरू की गयी थी। हमारे जो कोचिंग सेन्टर्स हैं चाहे छत्रपति शाहू जी महाराज भागीदारी भवन हो, वहां आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 के लिए कोचिंग की व्यवस्था हैं, पिछड़ों और दलितों के बच्चे कोचिंग लेने का काम करते है। यह कोचिंग आई0ए0एस0, पी0सी0ए0 प्री और मेन दोनों के लिए चलाते हैं। इसी तरह से लड़कियों के लिए भी अलीगंज में आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 का कोचिंग सेण्टर चलता है। इलाहाबाद में पी0सी0एस0(जे0) की कोचिंग सेण्टर चलता है जिसमें जुड़ीशियल से सम्बन्धित कोचिंग दिलाने का काम किया जा रहा है। माननीया मुख्य मंत्री जी ने देखा कि पश्चिम में कोई कोचिंग सेण्टर नहीं है तो उन्होंने फैसला किया कि हापुड़ में एक गांव है बगल में, मैं नाम भूल गया, वहां पर लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से कोचिंग सेण्टर की स्थापना हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अछूता न रह जाए इसलिए वहां पर कोचिंग सेण्टर की स्थापना हो रही है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो सामान्य वर्ग के लोग हैं।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

इस वर्ष से उनके लिए विकास योजनाएं लाए हैं जिससे उनमें यह भावना न पैदा हो कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि उनके लिए कोचिंग सेन्टर कोई नहीं था इसके लिए विभाग ने फैसला लिया है कि सामान्य वर्ग के बच्चों को भी कोचिंग दी जाएगी।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्कृष्ट कोचिंग सेन्टर्स हैं उनके माध्यम से सामान्य जाति के बच्चों को कोचिंग दिलाने का काम करने जा रहे हैं जिसमें गौरी शंकर जी अवगत होंगे कैरियर कोचिंग इलाहाबाद, कृष्णा कोचिंग इलाहाबाद, उत्कृष्ट कोचिंग कानपुर, कैरियर प्लस एजूकेशन सोसायटी गाजियाबाद, कैरियर प्लस एजूकेशन सोसायटी मेरठ आदि तमाम कोचिंग सेन्टर्स हैं जिनमें कोचिंग देने का काम किया जा रहा है। कोचिंग सेन्टर का विस्तार किया जा रहा है हमारे कोचिंग जो बन्द हो चुके थे जो नहीं चल पा रहे थे सन्त रविदास आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र वाराणसी, डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र आगरा उनको संचालित करने जा रहे हैं। आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र अलीगढ़ को भी संचालित करने जा रहे हैं। इस विभाग की एक नवीन योजना है कोचिंग के विषय में आपस में भाईचारा बने अलग-अलग समाज के लोग अलग-अलग न रहें हमारी सरकार का मानना है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सबके हित के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि अनुसूचित जाति के बच्चे सरकारी कोचिंग सेन्टरों में ही नहीं निर्भर रह जायें हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि जो निजी उत्कृष्ट कोचिंग सेन्टर हैं उनमें अनुसूचित जाति के बच्चों को कोचिंग दिलाने का काम किया जायेगा यह अगले वित्तीय वर्ष से होगा इसमें सामान्य वर्ग के छात्रों की संख्या होगी और यह 70 और 30 के अनुपात में होगी। इसके अलावा हमारे इस विभाग के अन्तर्गत हमारा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम इसमें कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। इसके माध्यम से ऋण देने की व्यवस्था है जो भारत सरकार के सहयोग से चलती है इसमें भारत सरकार का अंशदान 49 प्रतिशत और राज्य सरकार का अंशदान 51 प्रतिशत होता है। इसके अलावा एक अनबिनी योजना है जो राष्ट्रीय निगम है वह भी देने का काम करता है। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति के उत्थान और हित में योजनाएं संचालित होती हैं। जैसे स्वतः रोजगार योजना इसमें गरीबी रेखा से नीचे जो भी व्यक्ति हैं उनको 20 हजार से लेकर लगभग 7 लाख तक का ऋण देने का प्राविधान है जिससे वह स्वावलम्बी बन सके और अपने कारोबार को कर सकें। इसके तहत 25 प्रतिशत मार्जिन मनी देने का काम होता है। सरकार 10 हजार प्रति लोन में सब्सिडी देने का काम करती है।

इसके अलावा नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण की योजना है इसमें भी दुकान क्रय कर सकते हैं यह 38 हजार से लेकर 40,700 तक दुकान क्रय कर सकते हैं। इसमें अनुदान 6 हजार है लेकिन ब्याज माफी ऋण है 10 वर्षों में आसान किश्तों में किए जाने का प्राविधान है। इसके अलावा शासकीय एजेन्सियां, प्राधिकरण हैं, प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनसे भी दुकान क्रय करने की योजना है इसमें ढाई लाख से लेकर चार लाख तक दुकान क्रय की जा सकती है इसमें 6 हजार अनुदान है यह भी ब्याज माफी ऋण है 10 वर्षों में सामान्य किश्तों में वापस किया जा सकता है। कौशल वृद्धि प्रशिक्षण इस समय कम्प्यूटराइजेशन का युग है। इसमें कम्प्यूटर प्रशिक्षण, आशुलिपिक, हथकरघा, बढ़ईगिरी, सिलाई कढ़ाई, मालीगिरी, ट्रैक्टर मरम्मत, कुक, वेटर, प्लम्बरिंग,

आटोमोबाइल, टी0वी0 रेडियो मरम्मत, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडिशनर आदि विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इसके माध्यम से प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। इसी तरह से धोबी समाज के व्यक्तियों के लिये लॉड्री एवं ड्रायक्लीनिंग योजना है मान्यवर, इसके तहत 2 लाख 60 हजार रुपये ब्याज मुक्त देने का प्राविधान है, 10 हजार इसमें अनुदान की व्यवस्था है और पांच वर्षों के आसान किश्त में पैसा वापस करने की व्यवस्था है। इसके अलावा निःशुल्क बोरिंग योजना है जिसके अन्तर्गत लघु और सीमान्त कृषक जो हैं अनुसूचित जाति के उनकी जमीनों पर 6 हजार से लेकर 7500 तक की लागत तक की बोरिंग करने की व्यवस्था है। इसके अलावा मान्यवर, स्वच्छकार विमुक्त पुनर्वास योजना जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी निगम द्वारा संचालित योजना है। यह जो तमाम योजनाएं हैं सरकार के माध्यम से चलाई जा रही हैं जिससे इन वर्गों का उत्थान हो सके। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 25 जून, 1976 को समाज कल्याण निगम की स्थापना हुई थी जो पहले निर्बल आवास और सामुदायिक केन्द्र बनाने का काम करता था। मान्यवर, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय यह 50 लाख की अंश पूंजी से स्थापित हुआ था। लेकिन खुशी की बात है कि 50 लाख के सापेक्ष इनको बहुत कम रुपया मिला था केवल 15 लाख रुपया मिला था। यह 15 लाख रुपये से इतना आगे बढ़ा है कि आज 5 करोड़ 32 लाख के फायदे में है। बराबर केन्द्र सरकार के हैं, दूसरे विभाग के हैं या समाज कल्याण विभाग के हैं इस तरह मान्यवर, तमाम निर्माण के कार्य इस विभाग से कराये जाते हैं इसके अलावा मान्यवर, अनुदान संख्या-81 है जो जनजाति से सम्बन्धित है मान्यवर, अनुसूचित जाति का जो निदेशालय हैं इसकी स्थापना 1984-85 में हुई थी।

उत्तर प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या है वह उत्तरांचल की स्थापना होने के बाद यहां बहुत कम रह गयी थी लेकिन 2003 में भारत सरकार ने तमाम जातियों को अनुसूचित जनजाति में घोषित करने का काम किया है। इस समय 11 लाख '94 हजार 337 इनकी संख्या आज की तारीख में है। आश्रम पद्धति जो विद्यालय हैं यह समाज कल्याण की भांति हैं जो योजनाएं संचालित होती हैं आश्रम पद्धति विद्यालय इनके 9 हैं। छात्रावास इनके 2 हैं और निर्माण हेतु जो इनके छात्रावास प्रस्तावित हैं वह दो बालकों और दो बालिकाओं के हैं। इस तरह मान्यवर, कहें तो मैं इसके विषय में रखूं। अनुसूचित जातियों की भांति जनजातियों के लिये भी छात्रवृत्ति योजना है सेम दरे हैं, सेम इसकी कन्डीशन है और इसके अलावा शादी, बीमारी का भी है, दशमोत्तर का भी है, आश्रम पद्धति का भी है तो इस तरह से मान्यवर, सेम योजनाएं चलाई जाती हैं। कोई अलग से योजना नहीं है उसी तरह से अनुसूचित जाति की भांति अनुसूचित जनजाति के लिये भी सारी योजनाएं संचालित होती हैं चाहे वह उत्पीड़न में हो, चाहे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ में हो, चाहे छात्रवृत्ति में हो चाहे शादी, बीमारी में हो यह सारी योजनाएं उसी के हिसाब से चलाई जाती हैं। उसी तरह से मान्यवर, अनुदान संख्या-83 है इसके तरह उत्तर प्रदेश का जो प्लान बजट है उसका 21.25 जो बजट है उसको अलग करने का फैसला लिया गया है और उसके तहत जो है विशेष घटक योजना बनाई गई है और इसलिये अनुदान संख्या-83 कर दी गई।

जिससे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की अनदेखी न हो सके। इस अनुदान संख्या-83 के तहत सारे विभागों से हमारे समाज कल्याण आयुक्त, प्रमुख सचिव समाज कल्याण और सचिव समाज कल्याण यह सक्षम अधिकारी हैं। सारे विभागों से योजनाओं को मंगाते हैं उनका परीक्षण करते हैं। वित्त विभाग उसमें सहमति देता है उसके बाद यह योजनायें संचालित की जाती हैं। मान्यवर, मैं इसके विषय में बताना चाहता हूं कि 2006-2007 में जो व्यवस्था थी वह 36 अरब 57 करोड़ 52 लाख की थी। 2007-08 में बजट बढ़कर 53 अरब 29 करोड़ 19 लाख हो गया। 2008-09 में जो बजट हुआ है यह लेखानुदान मिलाकर 70 अरब 15 करोड़ 79 लाख हो गया। इसमें बड़े पैमाने पर बजट की व्यवस्था है। यह अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के हित में, उनकी बस्तियों के हित में, उनके विकास के हित में खर्चा होता है यह संक्षिप्त विवरण मैंने अनुदान संख्या-80-81-83 को रखा है। तमाम मा0 सदस्यगण हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष के माननीय सम्मानित नेतागण हैं जैसे-जैसे उनके सुझाव आयेंगे मैं प्रयासरत् हूं जो सरकार द्वारा योजनायें संचालित हो रही हैं। उनका शत-प्रतिशत लाभ लाभार्थियों को मिले यह हमारा प्रयास है यह हमारी सरकार का प्रयास है, यह हमारी माननीय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी का प्रयास है।

* श्री राम विशुन आजाद-

माननीय अधिष्टाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय् नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्टाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में, आपके अपने विभाग के जो अधिकारियों ने लिखकर दिया था उसको पढ़कर सुना दिया। मान्यवर, समाज कल्याण विभाग वह विभाग है जो समाज के दबे कुचले और गरीब लोगों से जुड़ा हुआ है और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक कल्याणकारी सरकार को अच्छी योजना लाने के लिए काफी मशक्कत करने की जरूरत है। लेकिन बजट बनाते समय माननीय मंत्री जी ने कोई मेहनत नहीं किया। समाज कल्याण विभाग वैसे तो 1948-49 से ही यह लागू हुआ। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा देश की आजादी के पहले ब्रिटिश हुकूमत में 1941-42 में यह विभाग रिकलेनेशन नाम से जाना जाता था। उसके बाद देश की आजादी के बाद 1955 में समाज कल्याण विभाग एक पृथक विभाग के रूप में प्रदेश में उभर कर सामने आया और जैसा अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को वर्ष 1977-78 में मिलाकर एक विभाग बना दिया गया और 1991-92 में हरिजन शब्द को निकाल करके समाज कल्याण विभाग का दर्जा दिया गया और 1995 में समाज कल्याण के अधीनस्थ जो विभाग संचालित किए जाते थे, उनमें से कुछ विभागों को इसमें से निकाल कर एक अलग विभाग बनाने का काम किया गया।

मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-45 में यह है कि प्रदेश के देश के गरीब तबकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। चूंकि आपने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर हम लोग चलने वाले लोग हैं और हम समरसता की बात करने वाले लोग हैं, सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय की बात करने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि यदि हमारे समाज के लोग शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा लें तो विकास का रास्ता अपने-आप खुल जायेगा। लेकिन इस सरकार ने अपने बजट में ऐसे लोगों की शिक्षा के लिए कोई प्राविधान नहीं रखा है। मान्यवर, अभी मा0 मंत्री जी स्कालरशिप की बात कर रहे थे और पूर्व दशमोत्तर के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात भी कर रहे थे। मान्यवर, इस सम्मानित सदन के अन्दर सभी मा0 सदस्य बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कक्षा-1 से लेकर 10 तक के छात्रों को जो अनुसूचित जाति के हैं, उनका वजीफा अभी तक नहीं भेजा गया है। मान्यवर, अभी एस0सी0/एस0टी0 कमेटी की बैठक हुई थी, सभापति जी यहां बैठे होंगे, वहां पर बात आई थी कि अनुसूचित जाति के छात्रों की अभी तक छात्रवृत्ति क्यों नहीं भेजी गई है, वह पैसा ग्राम पंचायत की निधियों में क्यों नहीं भेजा गया ? तो कहते हैं कि कम्प्यूट्रीकरण करने जा रहे हैं। आप कम्प्यूट्रीकरण की बात कर रहे हैं, दशमोत्तर में जो छात्र हैं, उनको आज तक स्कालरशिप देने की बात नहीं की, पैसा नहीं भेजा गया। मान्यवर, मुझे निश्चित जानकारी है कि 20 तारीख तक कोई पैसा नहीं भेजा गया है। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि कम्प्यूट्रीकरण कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कम्प्यूट्रीकरण तो आपने कर दिया लेकिन आज तक जनपद से आए हुए उन गरीब तबकों के छात्रों का नाम फीड क्यों नहीं किया गया, क्या आपने यह महसूस किया है ?

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जनपद प्रतापगढ़ में, जिसकी मुझे जानकारी है, अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का पैसा दूसरे प्रदेश में चला गया, राजस्थान में चला गया, मान्यवर, 1 लाख, 2 लाख नहीं, लगभग 1 करोड़ रुपया, इस पैसे को वापस लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है। मान्यवर, जब कम्प्यूट्रीकरण में इस तरह की गल्तियां हो रही हैं, मैं

कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति या सामान्य जाति के बच्चों को जिनका नाम गलत तरीके से कम्प्यूटर में फीड कर दिया जाता है, यदि लड़के के नाम पर उसके पिता का नाम और पिता के नाम के स्थान पर लड़के का नाम दर्ज हो गया तो उसे ठीक कराने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आप दलित के उत्थान की बात करते हैं, इस प्रकार से दलित का उत्थान कैसे हो सकता है ? इस पर आपको प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है आपने कम्प्यूट्रीकरण तो कर दिया लेकिन उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, जब तक आप उसकी समीक्षा नहीं करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करने वाले लोग, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आपके सर के ऊपर हैं।

मान्यवर, उन्होंने रामराज्य की कल्पना की थी। मान्यवर, डा0 राम मनोहर लोहिया जी ने समानता की बात की थी, उन्होंने पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात की थी। आप प्रदेश के दलितों के उत्थान की बात करते हैं। आप कहते हैं कि आपने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किये हैं। आपने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय को देखा है ? कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं। मान्यवर, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के लिए जो भवन बने हैं उसमें कहीं भूसा रखा है, कहीं अवैध कब्जा हो रहा है, कोई खिड़की उठाये ले जा रहा है, वहां न कोई अध्यापक है तो आप कैसे बच्चों को वहां पर पढ़ाने की बात करते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में सरकार गरीब छात्रों को पढ़ाने के लिए जो पैसा देती है, मान्यवर, मैं भी राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का स्टूडेन्ट रहा हूं। मैंने भी राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है। मान्यवर, वहां पर जिस तरह की हालत है उसको देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। आप लाल बत्ती लेकर बैठ गये लेकिन उन दलितों की, प्रदेश की जनता की चिन्ता नहीं की जिनके लिए आपने काम करने का वायदा किया था।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के छात्रों को दिये जाने वाले खाने को आपने देखा है ? खाना घटिया किस्म का दिया जाता है जो कापी, किताब दी जाती है और जो भी सामग्री दी जाती है, मान्यवर, जितना पैसा दिया जाता है उन पैसों में अनुसूचित जातियों, विमुक्त जातियों का भला होने वाला नहीं है। आपके समाज कल्याण अधिकारी कभी वहां पर नहीं जाते हैं वह अपने आफिस में दलालों से घिरे रहते हैं तो उसको कैसे पता होगा कि उनके यहां जो राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हैं वह कैसे चल रहा है। इसके बारे में आपको सोचना होगा। आपके अधिकारी को वहां जाना चाहिए, यहां कहने से काम नहीं चलेगा कि हमने हर महीने मीटिंग की बात कही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और यह चिन्ता का विषय है। यदि आप वास्तव में दलित उत्थान की बात करने वाले लोग हैं, अनुसूचित जातियों के विकास की बात करने वाले लोग हैं तो बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा करेंगे, नहीं तो इस प्रदेश की जनता और इस प्रदेश के दलित आपको माफ करने वाले नहीं हैं। मान्यवर, अभी पेंशन के बारे में कहा गया। कहा गया कि

वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। मान्यवर, वृद्धावस्था पेंशन की जो हालत है वह आप भी जानते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन में जिस तरीके से शोषण होता है। जैसाकि आपने कहा कि जो बी0पी0एल0 की सूची में दर्ज होंगे उन सभी को वृद्धावस्था पेंशन देंगे। आपने 1254 करोड़ की बात कही है तो कैसे आप इसमें पूरा करेंगे। मान्यवर, वृद्धावस्था पेंशन के लिए 60 साल से ऊपर के वृद्धों को पेंशन देने की आप बात कर रहे हैं। उन्हें पेंशन कहां मिल रही है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व की माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में विकास खण्ड में तहसीलों में शिविर लगाकर पेंशन देने का काम किया था। मान्यवर, जितने लोगों को पेंशन मिलती थी इस सरकार ने आज तक पेंशन नहीं दी है। मान्यवर, आप पता लगवा लीजिये जनपदों में। इनकी सरकार में किसी भी जनपद में आज तक पेंशन नहीं दी जा रही है। अगर यह सरकार वास्तव में संवेदनशील है, दलितों का उत्थान करना चाहती है, वृद्धावस्था पेंशन के माध्यम से वृद्धों का सम्मान करना चाहती है तो इस सरकार को जागना होगा। अगर यह नहीं जागेंगे तो आने वाला समय इनको कभी माफ नहीं करेगा। आप भारत सरकार की योजना को भी गिनते जा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की बात आप कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव जी की जो पूर्व सरकार थी, पहले दस हजार रुपये दिये जाते थे। कोई परिवार का मुखिया या कमाऊ व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होती थी तो उसकी एप्लीकेशन में दस हजार रुपये देने की बात होती थी। आपने यह नहीं सोचा कि किस तरह से वह एप्लीकेशन देता है जिला समाज कल्याण में जाकर। उसके बाद वह समाज कल्याण अधिकारी के पास जाता है, तहसीलदार के पास जाता है, कानूनगो के पास जाता है, लेखपाल के पास जाता है और लेखपाल रिपोर्ट नहीं लगाता है बिना पैसे के तो किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। मान्यवर, हमारी सरकार ने बीस हजार रुपया देने की बात कही थी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 2008-09 में एक सौ साठ करोड़ रुपये का प्राविधान किया तो कौन सा तीर मार दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

आजाद जी, कृपया संक्षिप्त करें। बहुत से माननीय सदस्य इसमें बोलना चाहेंगे।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत जिस तरह से जिला समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है जो दलाल हैं, समाज कल्याण विभाग में दलाली करते हैं, शादी ब्याह के अनुदान पर दो हजार रुपये, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ में पांच हजार रुपये दलाली की लेते हैं। शादी ब्याह की बात हो रही है, जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, वह शादी ब्याह के लिए आवेदन दें तो सरकार उसे शत-प्रतिशत स्वीकृत करे जितने भी आवेदन आयें सबमें स्वीकृत करें यह मैं मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें और भी बहुत से सदस्यों को बोलना है।

श्री राम बिशुन आजाद-

अभी तो शुरूआत है। यह दलित से सम्बन्धित विभाग है, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बात है इसमें थोड़ा गम्भीर हो जायें। आप कुर्सी पर बैठे हैं, महात्मा गांधी के चित्र के नीचे बैठे हैं, आपको भी प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। तो मान्यवर, शादी ब्याह की बात हो रही थी, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं हमारे क्षेत्र में 35, 40 आवेदन स्वीकृत हुए, वहां से पत्र आता है कि सात लोगों पर टिक कर दीजिये। 35 लोगों के आवेदन स्वीकृत हुए हैं और सात लोगों पर टिक लगा दें यह कैसे हो पायेगा। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जितने भी आवेदन आये सबको दिया जाय, इस पर भी सोचना होगा। पहले पूर्व सरकार में तहसील स्तर मीटिंग के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि थे वह चेक देते थे, एक समारोह के माध्यम से पहले चेक दिया जाता था। चाहे वह शादी ब्याह का हो, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का चेक हो, समारोह के अन्तर्गत बांटते थे। लेकिन जब से आपकी सरकार आयी तहसील दिवस में लेखपाल चेक बांट रहा है, जिले में बुलाकर चेक दिया जाता है। वहां भी शोषण हो रहा है तो इस व्यवस्था को समाप्त करने की जरूरत है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की बात आयी। यह पूरी तरह से फ्लाप है जो पात्र व्यक्ति है उनको लाभ नहीं मिल रहा है। बिचौलिये लोग लोन ले रहे हैं। जब वसूली आती है तब उस व्यक्ति को पता चलता है कि मेरे नाम से लोन है।

अशक्त एवं वृद्ध गृहों का संचालन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो यह 1999 में योजना लागू की गई थी, उसमें 550 रुपया देने की बात है कि उनके जो निराश्रित हैं उनको दिया जाये और इनके उत्थान के लिए काम किया जाये, लेकिन इस सरकार ने 2008-09 में 31.50 लाख रुपया रखा है, इतनी धनराशि में मान्यवर, उनका विकास नहीं हो सकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भिक्षा वृत्ति के मामले में भी समाज कल्याण विभाग संवेदनशील नहीं है आज हमारे समाज में देखा जाये तो भिक्षावृत्ति बढ़ रही है, मान्यवर, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के आठ जनपदों में आठ भिक्षुक गृह/केन्द्र बनाये गये हैं, लेकिन मान्यवर, उन भिक्षुक गृहों को कोई देखने वाला नहीं है। आप वहां की व्यवस्था देखिये, क्षतिग्रस्त हो चुका है वहां कोई नहीं है। भिक्षुकों को स्वावलम्बी बनाने के लिए मान्यवर, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं ज्यादातर लोग मान्यवर, आपको वही लोग भिक्षावृत्ति में मिलेंगे जो समाज के दबे कुचले लोग हैं। अगर इस पर मान्यवर, ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इसमें 290.18 लाख रुपये की व्यवस्था 2008-09 में व्यवस्था की गई जो मान्यवर, बहुत ही कम है इससे भिक्षावृत्ति कम नहीं हो पायेगी, उनको स्वावलम्बी बनाने की बात कीजिए, उनको आगे लाने की बात कीजिए, उनको कहीं किसी रोजगार का प्रशिक्षण देने की बात कीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

आजाद जी जरा संक्षिप्त कीजिए।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, संक्षिप्त ही कर रहा हूं। मान्यवर, निःशुल्क बोरिंग की आपने बात की है। निःशुल्क बोरिंग मान्यवर, अनुसूचित जातियों जो लघु और सीमित कृषक हैं मान्यवर, जिनके खेतों में बोरिंग की जाती है मान्यवर, आप जानते हैं जब ब्लाक पर अनुसूचित जाति का व्यक्ति जाता है जो ग्राम विकास अधिकारी आपका होता है वह 300 रुपया फाइल लेता है, फाइल बनवाने के लिए तब वह हस्ताक्षर करता है तब उसकी फाइल स्वीकृत होती है और गड्ढा खुदाई से लेकर के ट्रायल तक का पैसा तो उसी को देना पड़ता है। मान्यवर, अगर 80 फिट बोरिंग हुई और 80 से अधिक अगर बोरिंग हो गई तो पैसा उस अनुसूचित जाति के लाभार्थी तक को देना पड़ता है मान्यवर, यह कैसी व्यवस्था है। घटिया किस्म की पाइप दी जा रही है जो ज्यादा समय तक नहीं चलती है। आई0एस0आई0 मार्क लगाकर उसी पाइप को ठेकेदारों के माध्यम से जो समाज कल्याण अधिकारी आपका बैठा है मान्यवर, वह कमीशन ले करके इस तरह से दलितों का शोषण कर रहा है, छः हजार में यह कार्य पूरा होने वाला नहीं है, साढ़े सात हजार की बात जो बुन्देलखण्ड में आप बात कर रहे हैं बुन्देलखण्ड में वैसे ही सूखा पड़ा है मान्यवर, साढ़े सात हजार में फ्री बोरिंग कैसे आप कर सकते हैं, इतने से आप क्या कर सकते हैं और कैसे आप पानी दे सकते हैं और पानी देने के बाद वह किसान कैसे अपना उत्पादन बढ़ा सकता है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मान्यवर, छः हजार और साढ़े सात हजार रुपये देने की बात है उस पर मान्यवर, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, इसको आपको बढ़ाना होगा मान्यवर। माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि निःशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत जो लघु कृषक और सीमान्त कृषक हैं, इनका सहयोग करना होगा, इनको देखना होगा। वास्तव में निःशुल्क बोरिंग हो रही है या नहीं हो रही है या सिर्फ कागजों में है, केवल कागजों में बोरिंग दिखा करके आंकड़ों को पूरा किया जा रहा है और वास्तव में दलितों का उत्थान नहीं हो पा रहा है, दलितों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, अभी आपने जनजाति की बात की है, हमारे यहां मान्यवर, थारू जनजाति परियोजना बलरामपुर में किशुनपुर विश्राम में चल रहा है, मान्यवर, जिस तरीके से उनका शोषण हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

बस अब आप समाप्त करें।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, मैं संक्षिप्त किये दे रहा हूं, क्योंकि और माननीय सदस्य को भी बोलना है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं अगर मैं उनका समय ले लूंगा तो कैसे चर्चा हो पायेगी। लेकिन मान्यवर, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं

थारू और भुक्सा, मान्यवर, इनके लिए सरकार जो योजना चला रही है, कहां चल रही है ? कागजों पर चल रही है जो अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए थारू, भुक्सा जनजाति की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए फ्री साइकिल देनी की बात थी, उनको एक यूनीफार्म देने की बात कही गई थी, कहां उनको ड्रेस मिल रही है ? कहां उनको साइकिल मिल रही है ? मान्यवर, यह उन्हें आज तक नहीं दिया गया है।

मान्यवर, न उनके विकास की बात हो रही है। मान्यवर, दलितों की दुहाई देने वाली इस सरकार में आज सबसे ज्यादा प्रभावित यह गरीब लोग शराब से है। जो यह आपका मद्यनिषेध विभाग है यह सफल नहीं हो पा रहा है। वह गांव में शराब बनाता है। पुलिस उससे कहती है कि तुम शराब बनाओ और पांच सौ रु0 हमें महीना दो तो आपका मद्य निषेध का कार्यक्रम कैसे सफल होगा। इसी तरह से मान्यवर, आज स्कूलों के बगल में, मंदिर और मस्जिद के पास शराब की दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं प्रतिबन्ध के बावजूद। मान्यवर, प्रदेश के 48 जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाजोत्थान और मद्य निषेध के लिये समितियां बनायी गयी हैं। लेकिन वह समितियां क्या कर रही हैं ? यह दलितों की हमदर्द सरकार है उसे उनके विकास के बारे में सोचना होगा। उनके चरित्र, उनके मानसिक रूप को देखना होगा। मान्यवर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने स्वीकार किया था कि मुझे बहुत पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है; उन्होंने कहा था कि मुझे आशा थी कि लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त करके समाज की सेवा करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि वह अपना पेट पालने में लग गये हैं। इसी तरह से आज यह सामने बैठने वाले लोग पेट पालने में लगे हुए हैं। अगर आप वास्तव में दलितों के गरीबों के हमदर्द हैं अनुसूचित जाति के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं तो उनकी समस्याओं को देखना होगा। यह कह देना कि सामाजिक परिवर्तन से सब सम्भव हो जायेगा ऐसा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, यह सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक लड़ाई और समानता की बात कहने वाले लोगों को जवाब देना होगा। मैं आपकी बात स्वीकार कर रहा हूं संक्षिप्त कर रहा हूं। मान्यवर, अगर यही हालत रही तो दलित पिछड़ा ही रहेगा और पिछड़ा हो जायेगा। उसका उत्थान नहीं हो सकता है। मान्यवर, जो बजट प्राविधान का विवरण है उसके अनुसार आय-व्ययक अनुमान आयोजनेत्तर 71956.31 लाख रुपया है। 69146.18 लाख रु0 2007-08 का पुनरीक्षित आय-व्ययक अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में केन्द्रीय अंश सम्मिलित करते हुए 103754.58 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2008-09 में 82029.16 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाना प्रस्तावित है।

मान्यवर, यह बजट प्रावधान जो है उसका उपयोग हो। यह कम है इससे दलितों का उत्थान नहीं हो पायेगा। अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों का विकास नहीं हो पायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

* ठाकुर सूरजपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, बहन जी के दिशा-निर्देशन में जो यह समाज कल्याण विभाग का बजट आया है इसकी प्रशंसा करते हुए इसके समर्थन पर बल देता हूं। मान्यवर, आज दलितों के नाम पर अम्बेडकर जी के नाम पर इनकी आवाज गूंजने लगी है। जबकि आप जब सत्ता में थे तो आप दलितों की योजनाओं का विरोध करते थे बाबा साहब का विरोध करते थे। आज मान्यवर, इन्हीं लोगों के मुख से दलितों के उत्थान और बाबा साहब के विचार की बातें सुनने को मिल रही हैं यह बड़ी खुशी की बात है। मान्यवर, आज बहुत ही अनुभवी व्यक्ति द्वारा समाज कल्याण विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है। यह बजट गरीबों के उत्थान का है। मान्यवर, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन्होंने थ्योरी के आधार पर नहीं प्रेक्टिकल के आधार पर बजट पेश किया है इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वृद्धावस्था और किसान पेंशन के लिए जो बजट था उसको बढ़ाया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, बैठें, मैंने पूरन प्रकाश जी को बुला लिया है। वह बोल रहे हैं।

*श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। अभी आपने अपने बजट में वृद्धावस्था पेंशन का जिक्र बहुत जोरशोर से किया जिसमें आपने कहा कि डेढ़ सौ से बढ़ाकर पेंशन 300 प्रतिमाह कर दी है आज के इस मंहगाई के जमाने में 300 प्रतिमाह 10 रुपये रोज से क्या कोई भी एक जून की रोटी खा सकता है। यह बहुत ही कम है इसको बढ़ाया जाये और जो पेंशन स्वीकृति में जो बीच के दलाल रहते हैं, उनको हटाया जाये।

आपने अनुसूचित जाति जनजाति के उत्पीड़न में 20 हजार से दो लाख तक की राशि देने का बखान किया है और 50 हजार रुपया लज्जा भंग होने पर देने का बखान किया है। क्या 50 हजार रुपया देकर उसकी लज्जा वापस आ जायेगी और समाज में उसको वही इज्जत वापिस मिल पायेगी। इसमें सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस तरह के घृणित कार्य दोहराये न जा सके और इसमें उसको सहायता देने के साथ-साथ जो दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति है उसको अधिक से अधिक सजा दी जानी चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जैसा कि आपने अपने बजट भाषण में कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों की देख-रेख में प्रत्येक माह समाज कल्याण अधिकारियों के बीच में मीटिंग हुआ करेगी लेकिन जब से सरकार आई है एक मीटिंग को छोड़कर पिछले 10 माह में कोई मीटिंग नहीं हुई है यह स्थिति केवल मथुरा की नहीं पूरे प्रदेश की है। एक बार बैठक में यह बात लाई गयी कि 400 दलित बच्चियों की शादी का पैसा आया है जबकि लगभग 1100 फार्म जांचोरान्त थे तो आप ही बतायें कि कैसे उनका वितरण हो सकता था ? इसके साथ ही समाज कल्याण अधिकारी ने यह बंदिश लगाई कि एक-एक जनप्रतिनिधि 35-35 लाभार्थियों की सूची दे तो यह कैसे सम्भव हो सकता है।

मान्यवर, माननीय समाज कल्याण मंत्री ने अनुसूचित जाति की कन्याओं की शादी के लिए शत-प्रतिशत 10 हजार अनुदान की बात कही है यह बिल्कुल सत्य से परे है। माननीय समाज कल्याण मंत्री ने ही मेरे एक प्रश्न के उत्तर में जो इसी सत्र में आया था, अतारांकित प्रश्न संख्या-69 के उत्तर में बताया था कि जनपद मथुरा में 2006-2007 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु 1341 आवेदन प्राप्त हुए एवं 516 आवेदन-पत्रों पर मात्र 51 लाख 60 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गयी। क्या जो शेष रह गये वह अनुसूचित जाति के नहीं थे क्या उनकी शादियाँ नहीं हुई थी या वह पात्र नहीं थे। इससे आप द्वारा कही गयी शत-प्रतिशत की बात कहां तक सच साबित होती है। आप ही की सरकार में 1-4-2007 से 31-12-2007 तक जनपद मथुरा में गरीब अनुसूचित जाति की कन्याओं की शादी में अनुदान हेतु 1 करोड़ 39 लाख रुपये की आवश्यकता थी जिसके सापेक्ष में 46 लाख रुपये आवंटित किये गये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि एक तरफ संशोधन की उपलब्धता का आधार बताते हैं और एक तरफ शत-प्रतिशत अनुदान देने की बात कहते हैं। क्या आपका बजट सिर्फ कागजों पर ही मिथ्या नहीं है। यह हालत सिर्फ जनपद मथुरा की ही नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की है। इसमें भी जो विभाग में दलाल लगे रहते हैं वह 2-2, 3-3 हजार रुपये आपके विभाग के कर्मचारियों की सांठ-गांठ से लाभार्थी से जबरन वसूलते हैं। मान्यवर, अनुदान की बात कहते हैं और यह 46.42 लाख की बात कहते हैं आज मंत्री जी कहते हैं कि अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी से पहले हम 10 हजार रुपये मुहैया करा देंगे जबकि 1 अप्रैल से लेकर आज तक उनको पैसा मुहैया नहीं हुआ है जबकि जिनकी शादियां हुयी थीं, उनके बच्चे भी हो गये हैं, माननीय मंत्री जी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। सिर्फ इसलिये कि सामने वालों का बहुमत है बजट तो पास हो ही जायेगा। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि समाज कल्याण विभाग में वही पुराना दलाली, दस्तूरी और कर्मचारियों की मिलीभगत शामिल है। माननीय मंत्री जी ने छात्रवृत्ति की बात अपने बजट में कही। छात्रवृत्ति की स्थिति यह है कि कक्षा 1 से 8 तक सेक्रेट्री, प्रधान तथा उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति न पहुंचने पर अनुसूचित जाति के बच्चों का एडमीशन नहीं हो पाता है। आज की तारीख में भी जनपद मथुरा में गिरिराज लॉ कालेज, हिन्दुस्तान टेक्निकल कालेज, राजीवे एकेडमी, जी0एल0ए0 आदि तमाम टेक्निकल कालेज चल रहे हैं, जिनमें बी0ई0, बी0एड0, बी0सी0ए0, एम0सी0ए0, लॉ आदि

विभिन्न पाठ्यक्रमों में कहीं भी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। एक तरफ सरकार बैकलॉग का हल्ला मचाती है दूसरी तरफ जो अनुसूचित जाति के अधिकार और उनका आरक्षित कोटा की व्यवस्था है, वही पूरा नहीं है इसके साथ ही मैनेजमेंट की सीटें होती है। मैनेजमेन्ट की सीटों में कहीं पर भी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का समावेश नहीं किया जाता।

अभी मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में अनुसूचित जाति के बीमार व्यक्तियों के अनुदान हेतु 2000 रुपये राशि का जिक्र किया। आज की मंहगाई के जमाने में चार बार डाक्टर के पास जायें तो 250 रुपये फीस के हिसाब से हजार रुपये हो जाते हैं दवा और एक्सरे तो बहुत दूर, वह डा0 की फीस भी मुहैया नहीं कर पाता। जब तक उसको 2 हजार राशि के अनुदान की प्राप्ति होती है तब तक तो वह ऊपर भगवान के पास चला जाता है। यह खाली जनपद मथुरा का ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों का यही हाल है। मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में आई0ए0एस0, पी0सी0एस0, बी0ई0 आदि पाठ्यक्रमों की कोचिंग के बारे में बताया। क्या कभी मंत्री जी ने यह जाना कि इन कोचिंगों में कहीं पर भी कोई भी टेक्निकल या कोचिंग की अपेक्षानुसार टीचर, प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। सामने तमाम समाज कल्याण के वरिष्ठ अधिकारीगण बैठे हैं, यह सब अच्छी तरह जानते हैं कि जितने कोचिंग सेन्टर बने हुये हैं, वह सिर्फ समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त धन को लूटने के सेन्टर बने हुये हैं। माननीय मंत्री जी अगर वास्तव में दलित, शोषित अनुसूचित जाति का उद्धार करना चाहते हैं तो यह सब आपको सुधारना होगा। आपने छात्रावासों का जिक्र किया, छात्रावास आज छात्रावास न होकर बूचड़खाने बने हुये हैं अभी 29/30 जनवरी, 2008 को विधान मण्डल की अनुसूचित जाति जनजाति समिति का भ्रमण था, उसके सभापति जी सामने बैठे हैं, यह गये थे, मैं भी उस समिति का सदस्य होने के नाते साथ था, मथुरा में इन्होंने स्वयं छात्रावासों का निरीक्षण किया और पाया कि न कहीं नल है, न पानी की टोटी है, न ही पंखे हैं और न ही विद्यार्थियों के लिये किचेन की कोई व्यवस्था है और न ही खेलकूद का स्थान है और न कैन्टीन है। आखिर यह होस्टल्स का क्या औचित्य है। इसके साथ ही बराबर दूसरा छात्रावास जो महिला छात्रावास है, उसमें जन्मभूमि की सुरक्षार्थ सी0आर0पी0 विराजमान है/घेरे पड़ी है। इससे कहां सरकार का छात्रावास का उद्देश्य पूरा होता है। माननीय मंत्री जी, अपने पीछे बैठे सभी विभाग के अधिकारियों को यह निर्देशित करने का काम करेंगे कि जो बजट में आपने दलित अनुसूचित जाति लोगों के उत्थान के सम्बन्ध में भाषण दिया है, क्या उसको वास्तविक अमलीजामा पहनाने का काम करेंगे ? अगर ऐसा करते हैं तो फिर आप डा0 भीमराव अम्बेडकर के सपने को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुमत के आधार पर आप जहां-जहां जैसा चाहे बजट पास करा सकते हैं। इसके साथ ही मैं अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे राम विशुन आजाद जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं इस पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, अनुसूचित जाति की आबादी है 3.5 करोड़ के करीब और जनजाति की आबादी है 1 लाख से ऊपर। अनुसूचित जाति या जनजाति के उत्थान या विकास में कोई खास फर्क नहीं हुआ है। गरीब तो गरीब था, गरीब है, गरीब रहेगा और उसका मुख्य कारण यह है कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, जागरूकता नहीं है अनुसूचित जाति के लोगों के अन्दर। अध्यक्ष महोदय, खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार एक झरने की तरह से होता है जो ऊपर से नीचे की ओर चलता है और क्रान्ति सदैव नीचे से ऊपर की ओर चलती है। बड़ा बजट है, तकरीबन 7016 करोड़ का बजट है। जिसमें स्वच्छकार विमुक्ति के लिए भी 230 करोड़ रुपये का प्रावधान है, लेकिन गरीब, मजदूर, किसान के जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आया, आज भी नीचे के स्तर तक कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। आज भी विधवा, वृद्धा आदि सभी पेंशन पाने के लिए तथा लड़की की शादी के लिए रिश्वत देनी पड़ती है 500 से ले करके 2 हजार रुपये तक की। छात्रवृत्ति की बात हुई कक्षा 1-10 तक 25, 40 और 60 रुपये छात्रवृत्ति देते हैं, मैं चाहता हूं कि 50, 75 और 100 रुपये छात्रवृत्ति दी जाए। इसके अलावा दशमोत्तर तक जो सहायता मिल रही है, उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। एक खास बात और मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने कोचिंग लगा रखी है मैं जानना चाहता हूं कि उसमें से कितने बच्चे मेडिकल में, कितने इंजीनियरिंग में, कितने आई0ए0एस0 में, कितने पी0सी0एस0 में चयनित हुए। आप उन कोचिंग की उपयोगिता के बारे में पता लगायें। अत्याचार जाति निवारण अधिनियम, 89 के बारे में थोड़ी सी बात कहना चाह रहा हूं। आज देखा गया है कि जो पैसा आपने दे रखा है उस पैसे के कारण इसे बहुत गलत ढंग से मुकदमें कायम हो रहे हैं, इसे भी आप दिखवायें। आवासीय छात्रावासों की हालत बहुत खराब है, कई जगह पर अनाधिकृत कब्जे भी हैं। वाराणसी के छात्रावास का भिक्षुगृह के रूप में उपयोग हो रहा है, कानपुर देहात के छात्रावास का पॉलीक्लिनिक के रूप में उपयोग हो रहा है, बदायूं के छात्रावास पर अनाधिकृत रूप से कब्जा है, आजमगढ़ के छात्रावास का राजकीय बालगृह के रूप में उपयोग किया जा रहा है। बुक बैंकों से कोई लाभ नहीं हो रहा है न तो छात्रों का सही ऑकलन कर पा रहे हैं और न अच्छी तरह किताबों का कर पा रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि 14 करोड़ रुपये का छात्रावास बापू कराड का कोचिंग सेन्टर बना रहे हैं मुझे अजीब सी बात लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि छात्रावास बनाने का विचार है या ताजमहल बनाने का विचार है। मान्यवर, आश्रम पद्धति विद्यालयों में श्रावस्ती, बिजनौर और महाराजगंज की स्थिति बहुत खराब है, बढ़ती मंहगाई के कारण राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यार्थियों में जो 550 रुपये प्रतिमाह भोजन के लिए दे रहे हैं मेरा सुझाव है कि उसे 700 रुपये प्रतिमाह कर दें और बच्चों के वस्त्रों के लिए जो 400 रुपये दे रहे हैं, उसे 700 रुपये कर दिया जाये। लास्ट बात कहना चाहता हूं कुम्हार, कोली, बंजारा, राजभर, बढ़ई, लोहार, कसैर तथा सुनार को अनुसूचित जाति में शामिल करें तथा उन्हें भी समुचित सुविधाएं दें।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 राम विशुन जी के कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। मा0 मंत्री जी ने जो बजट रखा। मा0 मंत्री जी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे गरीबी बिल्कुल इस प्रदेश से समाप्त हो जायेगी। मैं अपने ही जनपद की बात करता हूं मा0 मंत्री जी एक वर्ष हो गये शादी अनुदान के लिए। जब से मैं चुनकर आया सिर्फ दो मीटिंग हुई जिले में, कहां आप कहते हैं हर माह मीटिंग होंगी और कहां केवल दो मीटिंग जिलों में हुई और अभी तक मेरे अपने कोटे से सिर्फ तीस लोगों की शादी का अनुदान दिया गया। यहां तक कि मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, वहां भी शादी-अनुदान नहीं दिलवा पाया। आप कहते हैं कि सबको शादी अनुदान दिया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि बी0पी0एल0 की योजना जिसमें इन्दिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना भारत सरकार की है। वैसे तो कांग्रेस के बारे में अगर कोई अच्छाई की बात हो तो नहीं कही जायेगी। लेकिन यह जो योजना है भारत सरकार की, उसको भी मा0 मंत्री जी अपनी योजना में जोड़ रहे हैं। जहां तक वृद्धावस्था पेंशन का सवाल है, वृद्धावस्था पेंशन में यह तो कहा गया कि मिलेगी, लेकिन 4 हजार फार्म हमारे यहां आज भी रखे हैं जिनको स्वीकार नहीं किया जा रहा है और हमारे यहां का दुर्भाग्य है कि 3 महीने में 3 समाज कल्याण अधिकारी बदल चुके हैं। पहले एक का ट्रांसफर हुआ, दूसरे को चार्ज दिया गया, अभी ज्यादा से ज्यादा 10 दिन हुआ एक नये समाज कल्याण अधिकारी ने जालौन में ज्वाइन किया है। उनसे जब भी बात की जाती है तो वह कहते हैं कि न शादी अनुदान में पैसा है। न छात्रवृत्ति में पैसा है। मेरा निवेदन है कि एक बात आपने कही है पंचायत सेक्रेटरी की, पारिवारिक लाभ का पैसा पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा दिया जायेगा। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी की हैसियत में इजाफा हुआ है तो वह पंचायत सेक्रेटरी है जिसको मात्र 8 हजार रुपये प्रतिमाह तनख्वाह मिलती है लेकिन उन्होंने 20-20 लाख के मकान बनाये हुए हैं। आपने उनको एक काम और दे दिया जिससे उनकी आमदनी में और इजाफा हो गया। मेरा निवेदन है कि कम से कम एक ही व्यक्ति के जिम्मे मत कीजिए आप एक कमेटी बना दें। कोई चेक बिना 5 हजार रुपये लिये नहीं दिया जाता है। आप टी0आर0-27 से पैसा दिलवाते हैं ताकि कोई देर न होने पाये। लेकिन आप पता लगवा लें जनपद-जालौन में क्लर्क के पास 48 चेकें पड़ी हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है क्योंकि उसे पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मा0 सदस्य श्री राम विशुन आजाद जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अनुदान संख्या-80, 81 व 83 जो समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित है, पर जो कटौती का प्रस्ताव श्री राम विशुन आजाद जी के द्वारा

रखा गया है, उस पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत आभारी हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि मा0 समाज कल्याण मंत्री जी ने जो शादी, बीमारी योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की बात कही है। अभी तक हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में किसी को कोई शादी अनुदान नहीं मिला है। उसकी केवल मीटिंग होती है और यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है जो लोग 3, 4 या 5 हजार रुपये दे देते हैं उनको इस योजना में शामिल किया जाता है बाकी लोगों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाता है। मान्यवर, जहां तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की बात है, लज्जा भंग होने पर 50 हजार रुपये, मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये, कमाऊ सदस्य की हत्या होने पर 2 लाख रुपये और मतदान के अधिकार से वंचित होने पर 20 हजार रुपये का यह जो अनुदान दिया जाता है, इसमें मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे मामलों की उच्च स्तरीय जांच करायी जाए, यह सरकार को सुझाव है कि इसमें ज्यादातर निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आदमी को उन्हीं के समाज के लोग मारेंगे तो उनको अनुदान नहीं मिलेगा इसलिए एक मुल्जिम सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग का बढ़ा दिया जाए तो यह अनुदान मिलेगा। इसलिए इसमें ज्यादातर ऐसे लोगों को फंसाने का काम किया जाता है।

'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में 21 प्रतिशत अनुसूचित जति के लोग हैं और 20 प्रतिशत लोग अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए बजट 60 करोड़ रुपये का है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 हजार 25 करोड़ रुपया है, मान्यवर, कितनी बड़ी विडम्बना है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आयी।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

उसमें यह कहा गया कि मुसलमानों, अल्पसंख्यकों की दशा इन अनुसूचित जातियों से बदतर है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो सामने बैठी है यह सारी जातियों के वोट लेकर सरकार बनी है इसको सभी जाति धर्म के लोगों का ध्यान रखना चाहिए सबको बराबर बजट आवंटित करना चाहिए चाहे समाज की पिछड़ी जाति हो, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों जहां तक छात्रवृत्ति की बात है अभी तक हमारे जनपद में जहां आपने 18 अरब 3 करोड़ रुपये इस बजट में रखे हैं लेकिन हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में अधिकांश विद्यालयों के बच्चों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है और उसमें बैंक से खाता खोलने की प्रक्रिया और जोड़ दी बैंक वाले खाता खोलने से मना करते हैं। जगह-जगह लोगों को तकलीफें होती हैं उसमें यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति के सभी लोगों को छात्रवृत्ति मिलेगी लेकिन सामान्य जाति के बी0पी0एल0 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा सामान्य जाति के सभी लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा यही व्यवस्था अनुसूचित जाति के लोगों पर भी लागू करनी चाहिए। क्या डी0एम0 कलेक्टर अगर वह अनुसूचित जाति के हैं या पूंजीपति हैं तो उनके बच्चों को वजीफा लेना जायज है।

हमारे यहां चन्दन चौकी में श्रमिक विद्यालय बनाया गया था मंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया लेकिन वह आज तक चालू नहीं हुआ है। इसी प्रकार से जो पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग की कन्याओं को शादी अनुदान दिया जाता है इस सम्बन्ध में एक शासनादेश चला गया है कि पिछले वर्ग के जो मुस्लिम समाज में है उनको अल्पसंख्यक समाज के साथ अनुदान मिलेगा। अल्पसंख्यक समाज की 11 लड़कियों को शादी अनुदान दिया जाएगा हजारों फार्म लखीमपुर खीरी में लम्बित है। सामान्य जाति में अनुदान का पैसा लम्बित पड़ा है। जिसको वापस किया जायेगा लेकिन अल्पसंख्यक समाज या पिछड़े वर्ग में ताल्लुक रखता है तो उसको अनुदान नहीं मिलेगा। सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखता है तो अनुदान मिल सकता है। यह भी मेरा सुझाव है कि मंत्री जी इसे करा दें अल्पसंख्यक समाज के लोगों को समाज कल्याण विभाग के साथ अनुदान दिला दें। जिससे अनुदान का बजट भी खर्च हो जाएगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन अधिष्ठाता महोदय ने बन्द करा दिया। इन शब्दों के साथ आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भगवान पाठक-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। अधिष्ठाता महोदय, सत्ता और विपक्ष की भूमिका तो चलती रहती है लेकिन कभी-कभी विपक्ष में बैठे हुए लोगों को सरकार के बढ़िया काम को स्वीकार करना चाहिए। आज पूरे प्रदेश में सारे लोग एक स्वर से कह रहे हैं कि 16-17 वर्षों के बाद जो बी0एस0पी0 की सरकार आई है बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में यह सरकार निश्चित रूप से गांव गरीबों के उत्थान के बारे में सोचती है। अधिष्ठाता महोदय, जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो बाबा साहब आजादी के बाद खोजे जाने लगे जब देश के संविधान की रचना की बात आई तबसे समाज में समरसता कायम करने पर उन्होंने बल दिया और समाज उसी के अनुसार चलने लगा। चलते-चलते कांशीराम साहब आए और उन्होंनें बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की तबसे कारवां बढ़ने लगा चलते-चलते उन्होंने बहन कुमारी मायावती को अपना नेतृत्व दिया और निश्चित रूप से बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व पाने के बाद बहुजन समाज पार्टी जो 16 वर्षों के बाद स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है जो आज का बजट है अनुसूचित समाज के बारे में समाज कल्याण के बारे में निश्चित रूप से ये बात मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब से लेकर बहिन कुमारी मायावती जी ने लगातार सामाजिक सरमसता और उत्थान की बात की। विपक्ष में बैठे हुए लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं लेकिन यह लोग भी जब सरकार में थे मुझे लगा कि कहीं

न कहीं से इन लोगों के अन्दर भी वह खोट व्याप्त रहा और उसी का परिणाम है कि आज बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट बहुमत से आई है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछली सरकार ने जो किया था निश्चित रूप से उसने सामान्य वर्ग के लोगों के लिये उन लोगों ने नहीं सोचा था लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने सामान्य वर्ग के बारे में भी उनकी लड़कियों की शादी अनुदान के बारे में, अल्पसंख्यक समाज की लड़कियों की शादी के बारे में भी प्रस्ताव लाई है। मान्यवर, मैं बलिया जनपद का रहने वाला हूं, हमारे यहां इन्दिरा आवास जो अनुसूचित जाति के लोगों ने लिये हैं जिनको बनना चाहिए था तय था सरकार से मिला हुआ था उसको समाजवादी पार्टी के गुर्गों द्वारा वह आवास आज इतने लम्बे समय से रोक रखा है, बिजलीपुर मौजा की बात थी लेकिन वह भी रुका हुआ है। जब से हमारी सरकार बनी है इसने उसमें काम करने के लिये दबाव बनाया है। मुझे लगता है कि तत्काल वह सारे के सारे आवास बनेंगे। मैं वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे बजट में प्रस्ताव है। निश्चित रूप से अम्बेडकर गांव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने के0सी0सी0 ड्रेन, सी0सी0 रोड का निर्माण प्रारम्भ किया है जो पहले खड़न्जा था।

श्री अधिष्ठाता-

पाठक जी अब समाप्त करें।

श्री भगवान पाठक-

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

* श्री कुबेर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, जो आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। विषय यह है कि दो चार मिनट तो यह लड़ाई झगड़ा शांत होने में ही निकल जाते हैं और उधर लाल बत्ती जलने लगती है। मेरे मित्रों मैं प्वाइंटवाइज बात करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि सुनें। पहले तो मान्यवर, माननीय बाबा साहब को जो एक सामान्य दूषित सा कर रखा है एक इतने महान पुरुष को जिसकी जगह-जगह सभी समाजों में सभी वर्गों में पूजा होनी चाहिए और उस महान पुरुष को जिसने संविधान को बनाया और उस संविधान के तहत हमारी पार्लियामेंट चलती है और हमारी विधान सभा चलती है ऐसे योग्य आदमी को (सत्ता पक्ष से मेजें थपथपाई गईं) जो पूजा के योग्य है मैं इस बात की सराहना करता हूं कि सभी घरों में पूजा होनी चाहिए। परन्तु एक व्यक्ति विशेष समाज ने उनको अपना बनाकर नीचा लाने की कोशिश की है। मान्यवर, प्वाइन्ट्स तो मेरे बहुत से है और आप अनुमति नहीं देंगे तो मान्यवर, कुछ मेरी अपने व्यक्तिगत बातें भी हैं। कुछ समय दे दीजिये। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक महीने में हमारी डी0एम0 मीटिंग लेगा मेरे संज्ञान में तो ऐटा के और लोग भी होंगे और प्रदेश के होंगे कितनी बार मीटिंग बुलाई गई है या फिर व्यक्तिगत मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे तो आज तक नहीं बुलाया गया है जो मीटिंग में स्वीकृति हम लोगों के द्वारा की जाती है वह कहीं नहीं है केवल कागजों में है। मैं सरकार और मंत्री जी को धन्यवाद नहीं देना चाहता हू। मैं व्यक्तिगत रूप से सरोज जी को इसलिये देना चाहता हूं। वह स्वीकार कर लें तो वह बहुत उत्तम क्वालिटी का आदमी होता है।

(मेजें थपथपाई)

उन्होंने बाबू वाली, बिचौलियों वाली, दलाल वाली सब गल्तियां स्वीकार कर ली है इसलिए मैं उनको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं। अब मैं अपने प्वाइन्ट पर आता हूं इसको आप गहराई से चिन्तन से लीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

आधा मिनट बचा है आप लिखित में दे दें।

श्री कुबेर सिंह-

मेरे मित्रों एक विशेष बात यह है कि हमारा सारा भारत वर्ष, सारी दुनिया संविधान से चल रही है। अपनी विधान सभा संविधान से चल रही है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों पालिकायें संविधान से चल रही हैं। लेकिन मेरे मित्रों अगर कोई अधिकारी यह कहकर छूट जाए कि मुझे जानकारी नहीं थी तो इसमें तो एक लाठी लेकर भैंस चराने वाले को भी कोर्ट माफ नहीं करता है कि मैंने दफा 302 कर दी मुझे जानकारी नहीं थी। इसके पीछे राज क्या है इसको नोट कर लें। इसके पीछे राज यह है कि मेरी व्यक्तिगत जांच की जा रही है एक वर्ष से और संविधान 12 (243) में यह स्पष्ट प्राविधान है चूंकि यहां सभी अधिकारी प्रमुख सचिव से लेकर नीचे तक हैं तो जांच स्क्रूटनी कमेटी करेगी। यह संविधान के द्वारा निर्धारित है न संविधान के द्वारा और न ही विधान सभा के द्वारा। जब उसकी जांच स्क्रूटनी कमेटी करेगी तो जो अधिकार माननीय मंत्री जी और प्रमुख सचिव समाज कल्याण के हैं वह अधिकार व्यक्तिगत वहां अधिकारी लेकर के अवगत कराने के बाद लेने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब वह कहीं न कहीं से हैण्डिल किए हुए हैं कहीं कुछ न कुछ इरादा है। मेरे मित्रों इतना ही नहीं मैं संज्ञान में इसलिए भी लाना चाहता हूं कि सब अधिकारी हैं उसमें राजस्व प्रमुख सचिव द्वारा यह निर्देश दिये जा चुके हैं कि कृपया आप हाईकोर्ट में काउन्टर लगायें और अधिकारियों के काउन्टर के निर्देश के बाद काउन्टर दे दिया उसके बांद भी मन बना रहे हैं कि हम नया लेंगे, यह प्रिंसिपल नहीं है अगर कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है उसे अन्य संस्थायें करेंगी यह किस शासनादेश के तहत आदेश मिला है ? इसमें निर्देश स्पष्ट रूप से दिये जाएं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री कुबेर सिंह-

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* डा0 अजय तोमर-

आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मेरा कटौती प्रस्ताव रखने का परपज यह नहीं है कि विभाग की सभी मदों में कटौती कर दी जाए। इसका मेन उद्देश्य है और कुछ ऐसी चीज है जिनको संज्ञान में लेने की बात है मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने समाज कल्याण के बजट को बहुत ही गम्भीरता से लेते हुए एक-एक प्वाइन्ट और एक-एक चीज को रखने का काम किया है इसके लिए मान्यवर, माननीय मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, मान्यवर, एक तो जितना भी भुगतान किया जाता है इसके अन्दर पारदर्शिता और व्यवस्था यह दोनों चीजें ऐसी हैं कि कैसे व्यवस्था हो और कैसे पारदर्शिता बनें। न यह सत्ता पक्ष की बात है न विपक्ष की बात है किसी भी जिले में कहीं कोई अधिकारी है वह अधिकारी अपने कर्मचारियों के द्वारा चेक बंटवाने का काम करता है मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसे जिले में चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विवाह का हो, चाहे मृत्यु का हो चाहे और कोई मिलने वाला अनुदान हो उसमें कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों को शामिल कर लिया जाए। चेक बांटने से पहले जनप्रतिनिधि को सूचित कर दिया जाए कि फला तारीख को चेक बंटेंगे। इतना सम्भव नहीं है कि अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में, विधायक की उपस्थिति में सीधा-सीधा पैसा लेने का काम करेगा। अगर छोटा कर्मचारी चेक बांटने का जो काम करते हैं, उसमें कर्मचारी चेक लेकर घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि कल परसों शादी है चेक बनवा लाया हूं इसमें इतना खर्चा लगा है।

(इस समय 4 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलूराम पीठासीन हुए)

अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो आपका जो इतना अच्छा बजट इस तरह की कल्पना, मात्र अधिकारी कल्पना ही करके छोड़ देंगे, इससे नहीं उबरने देंगे।

इसी प्रकार एक छात्रों से जुड़ा हुआ अहम् सवाल है। मान्यवर, अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों का एडमिशन होता है, यह छात्र विद्यालयों, महाविद्यालयों में अपना इनरोल कराते हैं, उस महाविद्यालय या विद्यालय का प्रबन्धक या प्रधानाचार्य उससे पैसे की डिमाण्ड करता है। बात साफ है कि आज का समय सेल्फ फाइनेंस कालेजों का आ गया है, यदि उन्हें 3 साल तक बच्चे की फीस नहीं मिलेगी तो वास्तव में दिक्कत होगी। मान्यवर, या तो उसमें छात्रवृत्ति और फीस की व्यवस्था जुलाई-अगस्त के महीने में अवश्य कर दी जाए और हर जिले के लिए एडवांस पैसा भेज दिया जाए दलित छात्रों को एडमीशन में परेशानी उठानी पड़ती है। वह हम लोगों के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पास प्रवेश के लिए आते हैं, जब हम लोग प्रबन्धक या कालेज के प्रधानाचार्य से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि हम फीस के लिए शासन को चार बार लिख चुके हैं, पिछले दो साल का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। बात सही है हम लोग भी उनके तर्क को सुनकर चुप होकर बैठ जाते हैं। मान्यवर, तो कोई ऐसी व्यवस्था इसके लिए कर दी जाए कोई एडवांस फण्ड इसके लिए दे दिया जाए ताकि इन छात्रों के एडमीशन में दिक्कत न आए। दूसरी बात मान्यवर, बीमारी के बारे में कहना चाहता हूं, उन्हें 2 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। मान्यवर, आज चिकित्सा कितनी मंहगी हो गयी है। एक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले दलित को 2 हजार रुपये का अनुदान देने की व्यवस्था है, इसके लिए मैं अवश्य अनुरोध करूंगा कि कम से कम उसकी दवाओं को तो दे दो, डाक्टरों का न दो या तो उसका पूरा का पूरा चिकित्सीय वहन करें या सारा का सारा मेडिसिनल वहन करें, 2 हजार रुपये में कुछ होने वाला नहीं है। मान्यवर, अभी मंत्री जी ने कहा था, हमारे बहुत वरिष्ठ साथी यहां बैठे हैं एक और बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, अपने जनपद बागपत का नाम लेकर इसलिए भी कहना चाहता हूं कि 8-9 महीने से बागपत और मेरठ के विधायकों के पास शायद एक को छोड़कर जिला स्तर की मीटिंग नहीं आई, आप समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को कहने का काम करें। अधिकारी निरंकुश हैं, आप पता कर लीजिए कि 8 महीने में, पश्चिम या पूर्व की सारे जिलाधिकारियों से पूछ लें कि आपने किस-किस मीटिंग में विधायक को बुलाया है, जिसमें मा0 विधायक पदेन सदस्य सदस्य होते हैं ? मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, डार्क ब्लाकों के सम्बन्ध में भी मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो डार्क ब्लाक है, उन ब्लाकों में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के जो पट्टे हैं, मान्यवर, इन किसानों के मसीहा चौ0 चरण सिंह द्वारा जो चकबन्दी प्रथा लाई गयी थी और चकबन्दी प्रथा के बाद बचे हुए खेत, खलिहान, चारागाह और अतिरिक्त भूमि जो बची थी, आज उस जमीन में पट्टे काटने का काम किया गया है क्योंकि यह मुद्दा चौ0 चरण सिंह जी से भी जुड़ा हुआ है मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को पट्टे इन डार्क ब्लाक में किये गये हैं, वहां पर फ्री बोरिंग की व्यवस्था भी आप कराने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री राम सागर अकेला-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सुयोग्य समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, आप जानते हैं कि जिस समाज कल्याण विभाग के बजट पर सदन में चर्चा हो रही है इसका नाम पहले अमर्यादित एवं असंवैधानिक नाम पर चलता था। मान्यवर, जब समाज कल्याण पर चर्चा हो और भारतीय संविधान के निर्माता परमपूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन नायक श्री कांशीराम जी के नाम पर चर्चा न हो तो समाज कल्याण पर चर्चा अधूरी रहेगी। इस देश में इंसान और इंसानियत का बहुत दिनों से अपमान किया गया है। आप जानते हैं कि इस देश में जिसे हम अछूत कहते थे आज जिसे हम दलित कहते हैं सच पूछिये तो यह अछूत

कहलाने का हकदार इसलिए नहीं कि इसका काम अछूतपना का है। इसका काम श्रेष्ठता का रहा है। मैं कह सकता हूं कि कोई अपनी भी टट्टी नहीं उठाता लेकिन दलित समाज में जन्मा भंगी समाज का व्यक्ति देश की सफाई के लिए समाज की सफाई के लिए दूसरे की टट्टी को शहर के बाहर फेंकने का काम करता है। इतना श्रेष्ठ काम अन्य किसी समाज के द्वारा अन्य किसी समाज के लिए नहीं किया गया है। इतना ही नहीं कोई अपने कपड़े को धोने की आदत नहीं डालता है लेकिन एक दलित समाज में जन्मा धोबी समाज का व्यक्ति हर जाति, धर्म, मजहब के व्यक्ति के गंदे कपड़े को चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो उस कपकपे पानी में घुसकर सफाई करके इस सदन में आने के योग्य बनाता है और समाज में सम्मान पाने के योग्य बनाता है। वहीं धार्मिक परम्परा में जिसे हम गौमाता कहते हैं लेकिन अंतिम संस्कार को करने की आदत हमारे अन्दर नहीं बनी है उसका अंतिम संस्कार चमार समाज में जन्मा वह व्यक्ति करता है जो आज तक उपेक्षाओं का शिकार है। यह कैसी दोहरी सामाजिक व्यवस्था है कि जो व्यक्ति समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करता है उसे समाज में हेय समझा गया हो और आज जब परमपूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों की बदौलत इस देश में भारतीय संविधान की बदौलत वोटों की बदौलत इस सदन में अपनी बात कहने का मौका मिला है तो कोई आसानी से नहीं मिला है। उसके पीछे हमारे तमाम महापुरुषों ने बड़े संघर्ष किये हैं। उनके संघर्षों का हवाला देने के लिए इतना समय नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जब 6 दिसम्बर, 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी इस दुनिया को छोड़कर गये तो हमें एक धर्मनिरपेक्ष संविधान देकर गये, 14 मूल अधिकारों से परिपूर्ण संविधान देकर गये उसमें जो महत्वपूर्ण मतों को अधिकार देकर गये उसी को मान्यवर, श्री कांशीराम साहब ने सजोकर ऐसे कमजोर लोगों को जिनके पास झोपड़ियां नहीं थी, जिनके बदन पर कपड़े नहीं थे। जिन्हें बोलने-चालने का तौर-तरीका नहीं था। ऐसे लोगों को जोड़कर ऐसी ताकत बना दिया जिसमें आज हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर आयी हैं।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब 6 दिसम्बर, 1956 को बाबा साहब इस दुनिया को छोड़कर गये थे तो इन संविधानिक अधिकारों को इस देश में, प्रदेश में लागू करने के लिए कुदरत ने बहन कुमारी मायावती जी को 15 जनवरी, 1956 को भेजा है। इस देश में एक घटना घटी थी उसका भी संक्षेप में जिक्र करना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गयी थी। उस समय की सरकार चाहे देश की सरकार रही हो चाहे प्रदेश की सरकार रही हो दोनों सरकारों की मंशा थी, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग था। जब प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग था तो 5 दिसम्बर को भी बाबरी मस्जिद शहीद हो सकती थी।

जनवरी के महीने में भी हो सकती थी लेकिन 6 दिसम्बर को ही क्यों हुई ? इसलिए हुई कि इस देश का धर्म निरपेक्ष संविधान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसम्बर को ही दुनिया छोड़कर चले गये थे। उसमें वोटों का अधिकार देकर गये थे। बी0एस0पी0 का नारा बना 1984 में कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा-नहीं चलेगा। ऐसी ताकतें इकट्ठी हो गयीं, न

रहेगा संविधान और न संविधान बनाने वाले का नाम रहेगा इसलिए 6 दिसम्बर को बाबरी मजिस्द शहीद करके संदेश दिया गया कि वोट के अधिकारों वाले का प्रयोग जब हमारी ताकतें बढ़ेंगी तो हम उसका अधिकार समाप्त कर देंगे। वहीं मुसलमानों को भी संदेश दिया गया था कि तुम्हारा सबसे बड़ा घर अल्लाह का घर हमारी ताकत के आगे हिफाजत में नहीं रहेगा तो आपके घरों की कोई कीमत नहीं होगी। इसलिए 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद शहीद हो गयी कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का पटाक्षेप हो जाये। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी कटौती का प्रस्ताव राम विशुन आजाद जी रख रहे थे, जितनी तेज आवाज में वह बोलते हैं अपने क्षेत्र में उतनी तेज आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं है। इसलिए 'जिहादे जिन्दगी में खंजरे जल्लाद के डर से गुलाम अपनी गर्दन काटता है, अपने खंजर से'। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ठीक ही कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, उसमें एक आप भी हैं। जहां तक बजट का सवाल है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षिप्त करें।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, एक दो मिनट दे दें। जहां तक बजट का सवाल है, आदमियत का सवाल है दो पंक्ति कहना चाहूंगा कि आदमीयत की वसीयत आदमी के नाम थी, जो दे सकूं, आदमी को, आदमी को ढूंढता हूं, किन्तु मुर्दों के शहर में आदमी को ढूंढना बेकार है, प्रश्न करती हैं निगाहें जब किसी से पूछता हूं, अब नहीं मिलती कहीं परछाइयां, आदमी परछाइयों को बेचकर कबका जा चुका है, इस शहर से आदमी को ढूंढना बेकार है, आदमी ही आदमी को मार कबका खा चुका है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, समाज कल्याण मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसमें दो मिनट कहना चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री राम सागर अकेला-

ठीक है मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें बोलने का अवसर दिया।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

माननीय अधिष्ठाता जी, राम विशुन आजाद जी द्वारा रखे गये समाज कल्याण विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस पर बल देता हूं। मान्यवर, जिस तरह से समाज कल्याण विभाग की जिलों में स्थिति है, आपने काफी लम्बा चौड़ा चिट्ठा रखा है। लेकिन हालत यह है कि पूरे प्रदेश में समाज कल्याण अधिकारी नहीं हैं, उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके यहां स्टेशनरी के लिये पैसा नहीं है। कोई पेंशन लेने या चेक लेने आता है तो वह कहता है कि जाओ बाहर से फोटो कापी कराकर ले आओ। जिस तरह से थाने में कोई एंफ0आई0आर0 लिखाने जाता है तो उससे कहते हैं कि दो दस्ता पेपर ले आओ उसी तरह से यहां पर भी है। बाबू के पास कार होती है लेकिन समाज कल्याण अधिकारी के पास कोई सरकारी गाड़ी नहीं है। अगर मान्यवर, बड़ा बाबू कोई गलत काम करेगा, अगर समाज कल्याण अधिकारी से चेक में दस्तखत कराना है तो वह उसको ओबलाइज करेगा, सुविधा देगा, तभी चेक में हस्ताक्षर होंगे। मान्यवर, जितनी भी योजनाएं हैं-चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन योजना हो, विकलांग पेंशन योजना हो, इन सबमें घपला हो रहा है। मंत्री ने प्रयास किया है कि पूरे प्रदेश में इन बाबुओं का स्थानान्तरण करेंगे। इसका परीक्षण करायेंगे यह अच्छी बात है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूं। हमारे क्षेत्र में एक बड़ा बाबू श्याम है, वह बड़ा घपला करता है, फाइलें उसकी मेजों पर पड़ी रहती हैं लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सब लोग उससे परेशान रहते हैं। हमने लिखकर भी दिया था पिछली बार लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वह फाइल दबाये रहता है। मान्यवर, जिस तरह से दलित समाज के लोग परेशान रहते हैं, फार्म जाते हैं एक हजार शादी अनुदान के लिये, लेकिन पैसा दिया जाता है सिर्फ पचास लोगों को। तो हमारा कहना यह है कि जितने फार्म स्वीकृत हों सबको उसका पैसा मिले।

इसके अलावा मान्यवर, हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने निषाद, बिंद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु कई बार मामला उठाया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पिछड़ेपन से अनाथ अनुसूचित जाति में निषाद, कश्यप, बिन्द समाज को भेजने का काम किया जाये। माननीय मुलायम सिंह यादव जी तो तीन-तीन, चार-चार बार दिल्ली सरकार को संस्तुति भेजने का काम किया था, इस सरकार ने 6 जून, 2007 को केन्द्र सरकार से प्रस्ताव वापस मंगाने का काम किया है मान्यवर, क्योंकि समाज कल्याण विभाग का मामला है मान्यवर, इन जातियों की विसंगतियां हम बताना चाहते हैं, चाहे केवट, मल्लाह हो चाहे राजभर हो, कहीं विमुक्त जाति में हैं कहीं पिछड़ी जाति में हैं हम कहना चाहते हैं मोची जाति पिछड़ी जाति की क्रम संख्या-67 में है, माननीय मंत्री जी मोची जाति की परिभाषा बतायें, मोची जाति के लोग अनुसूचित जाति का चमार/जाटव जाति का सर्टिफिकेट बना कर नौकरी कर रहे हैं, इनकी जांच करवा लें, इन्हें पता है कि मोची जाति के कितने सर्टिफिकेट पूरे प्रदेश में जारी हुए। मान्यवर, हमारे जितने भी सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं, उनकी तमाम विसंगतियां हैं उनको

दूर करने का काम करें। मान्यवर, हम बताना चाहते हैं एक गम्भीर मामला है, वह यह है कि माननीय मंत्री जी ने जो यह किताब दिया है समाज कल्याण विभाग व्यय की, लगता है पढ़ा नहीं है। जिस तरह से बड़ा बाबू रात में जा कर समाज कल्याण अधिकारी से दस्तखत करा लेता है उसी तरह से लगता है माननीय मंत्री जी से इस पर दस्तखत करा लिया गया है। मान्यवर, इसको मैं आपके पास भेज रहा हूं, इसके पेज संख्या-40, 41 में देख लें मान्यवर, इन्होंने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये 35999.19 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है और वित्तीय वर्ष 2007-2008 में 87515.19 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है, इसी तरह से मान्यवर, पेज-41 मे इन्होंने कहा 2006-07 के लिये लम्बित रहे मामलों में शत-प्रतिशत अनुदान देने का प्राविधान किया गया है और 2007-08 में 78 सौ लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, प्राविधान होता है वित्तीय वर्ष का और इसमें माननीय मंत्री जी 2007-08 की बात कर रहे हैं, लगता है रात में आपसे अधिकारियों ने दस्तखत करा लिये हैं। यह कापी माननीय अधिष्ठाता महोदय आप ले लें। इस तरह को सदन में बैठ करके चर्चा होगी और पूरे प्रदेश के बजट का मजाक होगा मान्यवर, इस तरह के जो गम्भीर मामले हम उठा रहे हैं इनको माननीय मंत्री जी दिखवा लें कि कौन से अधिकारी ने आपसे दस्तखत करा लिये और यह कैसे प्रिंटिंग में छूट गया। 2008-09 का 2007-08 कैसे हो गया ? हमें तो लगता है कि शायद आप पूर्ववर्ती सरकार का बजट पेश कर रहे हो। पूर्ववर्ती सरकार का पूरा गुणगान कर रहे हो कि इतना प्राविधान किया गया है क्योंकि किताब आपने पूरे विधान सभा को बंटवा दिया और भी सब जगह चली गयी। इस तरह की बड़ी भूल आप कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इस बजट को आज आप वापस ले लें और हम कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।

श्री शिव बालक पासी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने समाज कल्याण विभाग के प्रस्तुत बजट के विरोध में कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी को जैसे ही वह अपने प्रस्तुत बजट पर बोलना शुरू किये उनको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुना। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने शुरुआती बजट भाषण में कहा कि मैं गरीब समाज का बजट लेकर आया हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि प्रदेश के सम्पूर्ण बजट को देखने के बाद और आपके बजट को देखने के बाद पहले ही यह तय हो चुका था कि आप जहां पूरी जनसंख्या के 1/4 भाग का जिम्मा सम्भाल कर बैठे हैं। वहां पूरे बजट का केवल 1/10 भाग आपके समाज कल्याण विभाग के लिये आवंटित किया गया है। मान्यवर, आपको अपने आप अपनी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा, जब तक जनसंख्या के अनुपात में बजट का आवंटन नहीं होगा तब तक आप इस गरीब समाज का उत्थान नहीं कर सकते हैं माननीय मंत्री जी। मान्यवर, आपने जिस चतुराई के साथ बजट पेश किया उस पर शंका तो नहीं की जा सकती है। महाभारत की लड़ाई में अश्वत्थामा हाथी और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी का लड़का, हाथी के तीर लगा और हाथी मरा, द्रोणाचार्य जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से

पूछा-अश्वत्थामा मारो या कुन्जरो, तो जिस चतुराई के साथ आपने करोड़ों को खींचा उस पर मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, आपके तरीके से, अश्वत्थामा मरो और धीरे से कान में कह दिया न जाने कुन्जरो। इसी तरीके से आप इन करोड़ों रु0 की योजनाओं को बहुत जोर के साथ कहते हैं लेकिन हो क्या रहा है ? आपने शुरू में वृद्धावस्था पेंशन, बीमारी, शादी के अनुदान की बात बहुत जोर-शोर से कही। मान्यवर, जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिये इलाज की बात है उसके सम्बन्ध में आपके फार्म में भी है उसको आप देख लीजिये। गम्भीर रूप से बीमार अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के इलाज के लिये। आप देते कितना है दो हजार रु0। यह दो हजार रु0 पाने के लिये उसे दो हजार रु0 तो आय का प्रमाण-पत्र बनवाने में ही उनका खर्च हो जाता है। अब यह अनुदान आपका ऊंट के मुंह में जीरे के समान जैसा हैं दूसरी ओर आप इन सब कार्यक्रमों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।

मान्यवर, जो पुत्रियों की शादी में अनुदान की बात है वह आप 10 हजार रु0 की सहायता दे रहे हैं। मान्यवर, इस महंगाई के युग में यह 10 हजार रु0 क्या है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इलाज के लिये कम से कम 10 हजार रु0 की व्यवस्था करें रु0 2 हजार के स्थान पर और पुत्रियों की शादी के लिये कम से कम 20 हजार रु0 की धनराशि देने का काम करें। मान्यवर, आपने 18,500 रु0 आय की सीमा बना रखी है। पात्र व्यक्तियों को यह 18,500 का सर्टिफिकेट बनवाने में तहसील के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं और बहुतों का नहीं बन पाता है। आपसे अनुरोध है कि इस आय की सीमा को बढ़ाकर 25 हजार रु0 किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं उसी वर्ग से सम्बन्धित हूं जिस वर्ग से माननीय मंत्री जी सम्बन्धित हैं। आपने रोजगार परक योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया है। जितनी भी आपकी रोजगारपरक योजनायें हैं उन सबमें बैंक से लोन की व्यवस्था है। बैंक के नियम क्लिष्ट होने की वजह से और सुविधा शुल्क होने की वजह से आपके एम0डी0, ए0डी0डी0ओ0 और आपके समाज कल्याण अधिकारी यह सब लोग बैंकों के चक्कर लगाते रहते हैं। उस कारण से पात्र व्यक्ति रोजगार परक योजनाओं का पीछा करना छोड़ देते हैं। अगर वास्तव में आप दलितों का गरीबों का भला चाहते हैं तो रोजगारपरक योजनाओं के संचालन को गतिशील बनवायें। बैंक लोन के बजाय योजना की सम्पूर्ण लागत कम ब्याज दर पर राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम द्वारा लगाया जाना सुनिश्चित किया जाय। इसी तरह से जो आपके आश्रम पद्धति स्कूल हैं उनको ब्लाक स्तर तक बढ़ाया जाये। इसी के साथ मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री धनन्जय सिंह-

मान्यवर, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मंत्री जी विद्वान

मंत्री हैं। सत्ता पक्ष से तमाम साथी अभी बोल रहे थे वे लोग बार-बार एक ही बात की दुहाई दे रहे थे कि वह किसी व्यक्ति की वजह से और दल की नीतियों की वजह से वहां पर हैं। मान्यवर, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है कि आज हर वर्ग का व्यक्ति सदन में चाहे विधान सभा हो या लोक सभा हो या कार्यपालिका में कोई उच्च पद हो, उस व्यवस्था की वजह से है। देश में तमाम बड़े लोग हुए हैं। इसीलिये यह कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के बारे में बार-बार यह कहना कि उनकी वजह से आप वहां पर पहुंचे हैं यह उनको छोटा करना होगा यह उचित नहीं है। अभी माननीय कुबेर जी बोल रहे थे मैं उनकी बात से सहमत हूं। मान्यवर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं काशीराम जी को, देश आजाद होने के 30-40 वर्षों के बाद भी जिस तरीके से (हो सकता है यह दलित शब्द अभी बीच में असंवैधानिक कहा गया है) गरीब वर्ग के लोगों को जितना जागरूक किया उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करने में वह हमेशा इस देश में लम्बे वर्षों तक वह याद किये जायेंगे इस योगदान के लिये पूरा सदन और यह देश सराहना देगा आने वाला समय यह केवल बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं है। जब हम लोग छोटे थे कि दलित अपने मताधिकार का प्रयोग करने बूथों तक नहीं जाया करता था यह नहीं था कि उनको कोई रोकता था, वह उतने जागरूक ही नहीं थे। लेकिन जो आन्दोलन पैदा किया दलितों के अन्दर वोट में तब्दील होने का उसके लिये वह सराहना के पात्र हैं मात्र एक दल की बात नहीं है।

मान्यवर, पिछली बार जब सितम्बर में अनुपूरक बजट पेश किया गया था माननीय मंत्री जी द्वारा उस समय भी एससी, एसटी की बात आई थी, ऐक्ट लागू किया गया उसमें तमाम धन दिये जाने की बात की गयी थी कि छोटे अपराध होंगे 20 हजार, 25 हजार बड़े अपराध होंगे उसके लिए एक लाख दो लाख उस समय अनेक माननीय सदस्यों ने कहा था कि इससे ऐक्ट के दुरुपयोग की सम्भावना बढ़ती है और लोगों ने भी यह सुझाव दिया था इस ऐक्ट के दुरुपयोग की बजाय गम्भीर अपराधों के लिए हम मानते हैं कि हत्या का प्रयास या हत्या के लिए आप 2 लाख 3 लाख रुपया दीजिए उसके लिए सदन भी सहमत होगा जहां तक मैं समझता हूं लेकिन छोटे-छोटे अपराध 323, 504, 506 के मुकदमें फर्जी तरीके से कायम करवा दिये और इसके लिए 20-25 हजार रुपये का सरकारी धन का शोषण और नाजायज तरीके से अपराध और वैमनस्यता और समाज में कटुता पैदा हो रही है। अधिष्ठाता जी, मैं एक पार्टी का सदस्य हूं अपने दल का नेता हूं इसलिये मुझे समय कम से कम 8-10 मिनट का मिलना चाहिए। यह नहीं अधिष्ठाता महोदय कि आप 2 मिनट बाद कहने लगे कि अब आप समाप्त करें।

अभी शिवबालक जी भी कह रहे थे कि शादी के लिये 10 हजार रुपया पर्याप्त नहीं है। पिछली बार भी हम लोगों ने कहा था माननीय मंत्री जी ने कहा था कि बढ़ाने पर हम विचार करेंगे लेकिन जब बजट आया तो इसमें 10 हजार रुपया ही है। मैं चाहूंगा कि आज इस बजट के वक्ता अन्त में आश्वासन देंगे कि कम से कम शादी के लिये 25 हजार रुपये अनुदान राशि की घोषणा करेंगे सदन के अन्दर और बीमारी के लिये तोमर जी कह रहे थे कि दो हजार रुपये एकदम कम होता है कम से कम गरीब आदमी के लिये उपचार के लिये या तो उसके चिकित्सा के

लिये सरकार अस्पताल में दवा से लेकर सारे उपचार निःशुल्क कराये जायें और गम्भीर बीमारी के लिये चाहे वह सामान्य वर्ग का हो, दलित हो या पिछड़ा वर्ग का हो एक लाख रुपये की सहायता अगर सरकारी अस्पतालों से उसका इस्टीमेट बने तो इसके लिये एक प्राविधान किया जाय जिले में। अभी तक हम लोग पैसा लेते हैं मुख्य मंत्री जी के कोष से दिलवाते हैं माननीय सदस्यगण लेकिन अगर जिले में ऐसी व्यवस्था की जायेगी तो निश्चित रूप से सही तरीके से हम लोगों को लाभ दे पायेंगे। मान्यवर, एक हमारे जनपद का प्रकरण है अभी मैं पढ़ रहा था कि जनजातियों में गौंड हैं। गौंड जाति के लोग हमारे जनपद में करीब 30-40 हजार की संख्या में हैं। पिछली बार यह बात उठायी गयी थी सदन में सीमा जी हमारी विधायिका जौनपुर से उन्होंने भी कहा था। उन्हें अब तक अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट नहीं जारी किया गया है इसमें मांगा गया कि पैरन्टल इनका देखा जाय कि है कि नहीं, 3 पुश्तों से यह लोग अनुसूचित जनजाति के हैं या नहीं लोगों ने प्रमाण-पत्र भी दिया लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया है। आखिर उन अधिकारियों की और शासन की मंशा क्या है। अभी बैकलाग की भर्तियां हो रही हैं अगर समय से उनको प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा तो बैकलाग की भर्ती का वह लाभ लेने से वंचित रह जायेंगे हमारे जिले के लोग। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि जिले में अधिकारियों को निर्देशित करें कि सप्ताह दस दिनों में उनके सर्टिफिकेट जारी कर दिये जायें ताकि जो बैकलाग की भर्तियां होंगी उसका वह लाभ ले सकें। प्रदेश के समस्त जिलों में अगर वह जारी कर दिया जाता कि लोग लाभ ले सकेंगे।

मान्यवर, आश्रम पद्धति विद्यालय की बात हो रही थी उसका मानक क्या है इसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने नहीं किया यह जरूर कहा कि 89 विद्यालय बनाये जायेंगे तो यह जिला स्तर पर बनाये जायेंगे या ब्लाक स्तर पर बनाये जायेंगे इसका उल्लेख हो जाना चाहिए। अगर ब्लाक स्तर पर बनाया जाय तो ज्यादा उचित होगा। एक पीड़ा हमारे सदस्यों ने इस बात की बार-बार जाहिर की कि समाज कल्याण विभाग में पूरी तरह भ्रष्टाचार व्याप्त हैं जिसकी वजह से शादी अनुदान हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे अन्य योजनायें हो, सभी के वितरण में दिक्कतें आती हैं। इसके लिये मंत्री जी की पीड़ा है लेकिन इसके लिये उन्हें गम्भीर और कठोर कदम उठाने की जरूरत है, मुझे विश्वास है कि जिस तरह से मंत्री जी पीड़ित दिख रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं, आने वाले समय में कठोर कार्यवाही करके उन कर्मचारियों और अधिकारियों को, जो दोषी पाये जायेंगे, दंडित करेंगे ताकि आने वाले समय में विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस पर अंकुश लग सके, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री घूराराम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट पर बोलने का समय दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं और इस बजट पर अपना बल देता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने समाज के बारे में पूरी तरह से प्रकाश डाला है, और सारी बातें कह डाली है, लेकिन मैं भी उन्हीं बातों पर बल देना चाहता हूं। मान्यवर, जो

समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है, वह समाज कभी भी विकास नहीं करता है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि कांशीराम, मान्यवर, हम लोग जब भी कभी किसी महापुरुष का नाम लेते हैं तो सम्मानित तरीके से नाम लेते हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जैसे कहा है उन्होंने कहा कि हीन भावना से, माननीय मंत्री जी हीन भावना से बात नहीं कहे हैं और इतिहास बताता है कि लोकतंत्र के जनक अब्राहम लिंकन इसी समाज के व्यक्ति थे। अगर इसको भी कहा जाय तो मैं बताना चाहता हूं कि बहादुरों में भी कोई जाति की बात नहीं होती। अगर कोई देश में, यूरोप महाद्वीप में, काला सागर के पास पैदा होगा तो वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति था, जो द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू किया था और लोकतंत्र बना, भारत आजाद हुआ और बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेदकर संविधान बनाये। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह समाज हमेशा हमेशा से बहादुर रहा है। अभी एक साथी हमारे महाभारत के हाथी पर चढ़कर आ रहे थे, [xxx] मान्यवर, मैं इसलिये इन बातों को कहना नहीं चाहता हूं, अगर महाभारत में पांडवों ने विजय प्राप्त किया था।

श्री धनन्जय सिंह-

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं कि इतिहास को लेकर काल्पनिक बातें न कहीं जायें। महाभारत या रामायण काल्पनिक नहीं है, इस तरह का उल्लेख सदन की कार्यवाही में न दर्ज कराया जाय। माननीय सदस्य घूराराम को दूसरे की भावना का ख्याल रखना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

मैं क्लियर कर देता हूं।

(श्री घूराराम तथा श्री उदयराज यादव द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर शोर)

श्री उदयराज-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यहां पर जातियों के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा बजट पर हो रही है, इसलिये माननीय सदस्य केवल बजट के सम्बन्ध में ही अपनी बात कहें।

(श्री धनन्जय सिंह तथा श्री घूराराम के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री धनन्जय सिंह-

मान्यवर, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं रही है कि मान्यवर, माननीय कांशीराम जी के लिये मेरे मुंह से ऐसी कोई अपमानजनक बात निकली है। जो बात माननीय सदस्य घूराराम जी कह रहे हैं वह ठीक नहीं है।

नोट -[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री घूराराम-

अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप भी कादीपुर से विधायक बनकर आते हैं, वह इस समय अधिष्ठाता के रूप में हैं, और हमारे मित्र हैं और उस कुर्सी पर बैठकर बोल रहे हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं –

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें, आपका समय हो गया है।

(शोर के मध्य)

श्री घूराराम-

मा0 बाबा साहब अम्बेडकर ने हम भारत के लोगों को वोटों का अधिकार दिया, उसके बाद मा0 कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनायी और उन्होंने बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धान्तों को माना। आज बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है। बधाई देना चाहता हूं बहन कुमारी मायावती जी को कि जिन्होंने आज तमाम गरीबों की व्यवस्था के लिये चाहे अनुसूचित जाति के छात्र/छात्रायें हों और चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, इनके लिये हर प्रकार के विकास की व्यवस्था दिया है। मैं तो उसी समाज का व्यक्ति हूं मुझे कहने में गौरव महसूस होता है कि मैं उसी जाति का व्यक्ति हूं और निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं जानता हूं कि कितनी छात्रवृत्ति मिलती थी। मान्यवर, मैंने पढ़ाई की और हमने डबल एम0 ए0 किया और इसी पढ़ाई में मुझे बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के सिद्धान्तों को पढ़ने का मौका मिला। मैं कहना चाहता हूं कि उन्हीं के सिद्धान्तों के हिसाब से और आज काशीराम साहब की बजह से यह अधिकार हम लोगों को मिला है।

(डा0 पी0 के0 राय का नाम पुकारे जाने एवं डा0 पी0 के0 राय और श्री घूरा राम के एक साथ बोलते रहने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने मा0 राय साहब का नाम पुकार लिया है अब मा0 घूराराम जी समाप्त करें।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, इस तरह से नहीं चलेगा, आपने मेरा नाम पुकार लिया है। मैं मा0 राम विशुन आजाद जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं केवल कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मा0 मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया और शुरुआत में ही कहा कि गरीब और बेसहारा लोगों का यह बजट है, हकीकत में है। मा0 मंत्री जी की जो आभा है, जो सौम्य व्यक्तित्व है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप काफी संवेदनशील हैं। लेकिन यह संवेदनशीलता निचले स्तर तक जहां आपकी योजनाओं का लाभ पहुंचने की जरूरत है, उन गरीब और बेसहारा लोगों को भी महसूस हो और इसका लाभ मिलना चाहिये। वृद्धावस्था पेंशन से आपने शुरुआत की थी। आपने आंकड़े भी बतायें कि पहले 20 लाख मिलता था, आपने 24 लाख

कर दिया था और फिर आपने इसे 2008-2009 के बजट में 28 लाख रुपये किया है। हम देहात क्षेत्र से आते हैं, गांव में सबसे ज्यादा समस्या होती है पेंशन स्वीकृति की। वह लोग, जो निरक्षर हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, जिनका कोई फार्म भरने वाला नहीं है। गांव की राजनीति के नाते जो निर्वाचित होता है उसका भी उसे सहयोग नहीं मिलता है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह प्रक्रिया कैसे सरल हो सकती है, जिससे जो लाभार्थी हैं, उसे आपकी योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।

बैंक में खाता खोलना है, उस कमजोर व्यक्ति का खाता खुलवाने का काम आपका जो सरकारी अमला है, चाहे पंचायत सेक्रेटरी हो या ग्राम सेवक हो वह यह नहीं करता है। आप शासनादेश कर रहे हैं, आपने कहा कि वह डाल डाल तो मैं पात पात। अभी अगर डाल डाल और पात पात का ही खेल होता रहेगा और केवल शासनादेश ही होंगे तो उन शासनादेशों से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आयेगा जब तक कि व्यवहार में न हो। आप उस काम को मत करिये जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने किया, एक शिविर लगाकर सारे पात्र लोगों को बुलाकर फार्म भरवाने का काम किया था, उसके पीछे मकसद यह था कि गरीब व कमजोर लोग गांव की राजनीति का शिकार न हों और सरकार की जो योजना है, जो कमजोर ओर गरीब लोगों के लिये है, हकीकत में उसका लाभ उसको मिल सके। कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करिये, आप चाहे ब्लाक स्तर पर कर दीजिये। दूसरे यह कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, जो कोई भी घर का कमाऊ व्यक्ति होगा, उसका देहान्त होने पर मिलना हैं मेरी निश्चित जानकारी है कि पहले इसकी स्वीकृति का अधिकार एस0 डी0 एम0 स्तर तक था, इसके बाद स्वीकृति करने का अधिकार जिलाधिकारी स्तर पर चला गया और 6-6, 8-8 महीने बीत जाते हैं, बार-बार प्रयास करने के बाद भी वह सहायता जो सामान्य नहीं होता है, अहेतुक सहायता है वह जितनी जल्दी मिलेगा पीड़ित परिवार के लिये लाभप्रद होगा। कृपया इसको भी सुनिश्चित करिये। शादी अनुदान की बात कही गयी। शादी अनुदान की हकीकत है बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है और व्यवहारिक कठिनाइयां माननीय सदस्यों ने रखी है, वित्तीय वर्ष गुजर जाता है और वह व्यक्ति जिसकी लड़की की शादी होनी है, चाहे विधवा महिला है, वह अपने बेटी की शादी के लिये या वह गरीब इंसान वहां से लेकर समाज कल्याण विभाग तक चक्कर लगाता है। कभी समाज कल्याण विभाग का बाबू कह देगा कि विधायक जी से चिट्ठी लिखाकर लाओ भले ही उस पर हमारी संस्तुति हो। उसमें फिर क्या होगा, जांच करायेंगे और जांच में उसको छांट दिया जाता है। अन्त में बैठक होगी कई-कई महीने तक बैठक नहीं होती है, आपने कहा है कि हर महीने बैठक हो जिससे अनुश्रवण हो सके लेकिन इसका अनुश्रवण करने की भी जरूरत पड़ेगी कि वास्तव में बैठक हो रही है या नहीं, डिस्पोजल हो रहा है या नहीं। कम से कम वह व्यक्ति जो अपनी लड़की की शादी के लिये परेशान है वह इस बात के लिये आश्वस्त हो सके कि उसे पैसा मिलना है या नहीं मिलना है। अगर पैसा नहीं मिलना है तो वह कहीं से कर्ज लेगा, खेत बेचेगा या कुछ और व्यवस्था करेगा। वह इसी उम्मीद में चक्कर लगाता रहता है कि सहायता का पैसा मिलेगा। आपने इसका

सरलीकरण किया है और बजट भी आपने बहुत बढ़ाया है ऐसा लग रहा है कि सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में 10 हजार रुपया कुछ नहीं हैं पूर्ववर्ती सरकार में भी 10 हजार रुपया मिलता था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने घोषणा भी की थी कि सरकार बनती है तो इसको बढ़ाकर 20 हजार रुपया शादी अनुदान में कर दिया जायेगा। अगर आपको 20 हजार की फीगर से नाइत्तफाकी है तो जैसे आपने बुन्देलखण्ड के लिये 20 हजार रुपया किया है, दूसरे लोगों के लिये भी वह अनुमन्य कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब समाप्त करें।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, खत्म कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी, मैं तो यह आग्रह करूंगा कि यदि हो सके तो 25 हजार रुपया करने की कृपा करें और अन्त में जो गरीब, जिस गरीब को इलाज के लिये देते हैं। वैसे तो यह बड़ी भारी समस्या उत्तर प्रदेश के लिये है वह गरीब और गम्भीर रोगी जो हृदय के रोग से पीड़ित है, कैंसर, गुर्दे के रोग से पीड़ित है जिसके इलाज के लिये लाखों रुपये खर्च करने की उस व्यक्ति के पास कोई इन्तजाम नहीं है और मा0 मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से ही सहायता मिल पाती है। मैं एक संकल्प इस सदन में लाया था कि ऐसे गम्भीर रोगों के लिये हमारे सम्मानित विधायकगण अपने विधायक निधि से कुछ अंशदान दे दें

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

एक कार्पस फण्ड बन जाय तो ऐसे मरीजों के इलाज में सहायता मिल सकती है। कम से कम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो कमजोर और गरीब हैं वह अगर ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं तो मंत्री जी आप उदारता का परिचय देते हुये, संवेदनशीलता का परिचय देते हुये।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

डा0 पी0 के0 राय-

ऐसे मरीजों का इलाज सरकारी खर्चे पर कराने की घोषणा करें। इन्हीं शब्दों के साथ अनुशासन का पालन करते हुये अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री यशपाल सिंह चौहान-

अधिष्ठाता महोदय, आपने श्री राम विशुन आजाद द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, पिछले आठ महीनों से जब से यह हाउस गठित हुआ है 3 शब्दों का बड़ा प्रयोग होता है। बहन जी, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और तीसरे शब्द का नाम नहीं लूंगा। आज जो प्रस्ताव आया है इसमें अनुसूचित जाति, जनजातियों और विकलांग के बारे में बातें कहीं गई हैं लेकिन सवर्ण समाज जिसका आजादी से लेकर प्रदेश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान रहा है उसके बारे में दो शब्द नहीं कहा गया है। सवर्ण समाज के जो गरीब लोग हैं उनकी हालत यह है कि उनको खाने के लिये भरपेट भोजन नहीं है ओढ़ने के लिये रजाई नहीं है लेकिन उनके बारे में आपने अपने बजट में कहीं भी जिक्र नहीं किया, कहीं कोई प्राविधान नहीं किया। कुम्हार जाति, प्रजापति जाति, राजभर जाति और कश्यप जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की बात है मैं समझता हूं कि यह अधिकार सरकार का नहीं है यह केन्द्र सरकार का काम है। शादियों के लिये जो सदस्य ने कहा था कि जो रुपया दिया जाता है वह विधायकों की संस्तुति पर दिया जाता है मैं अपने जनपद के बारे में बात कर रहा हूं हमारे यहां बाबू कह देता है कि यह विधायक के हाथ में है मैं संस्तुति कर देता हूं लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं होता है बिचौलिये पैसा लेकर जैसा चाहते हैं अधिकारी भी उसी को बांटते हैं जिससे हम लोगों की दशा बहुत दयनीय हो जाती है। इस पर नियंत्रण के लिये कुछ करना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री यशपाल सिंह चौहान-

सरकार बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात करती है लेकिन ऐसा नहीं है आज बजट देखिये सवर्ण समाज के गरीब लोगों के लिये कुछ नहीं किया गया है। बाहर घोषणा करते हैं तो अन्दर भी घोषणा करनी चाहिये इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री त्रिभुवन दत्त-

अधिष्ठाता महोदय, आपने सुयोग्य माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये समाज कल्याण विभाग के बजट पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभारी हूं। निश्चित तौर पर इस बजट का समर्थन करते हुये यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती की देख-रेख में उनके नेतृतव में समाज कल्याण विभाग के मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट इस प्रदेश के दलित, शोषित, वंचितों के लिये, विकासोन्मुखी बजट है। जिसका पुरजोर समर्थन करता हूं। अभी कटौती पर अपनी बात रखते हुये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे माननीय सदस्य आजाद जी कह रहे थे कि दलितों का उत्थान तभी हो सकता है जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना साकार होगा। निश्चित तौर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस बात को कहा था कि राष्ट्र को प्रगतिशील की श्रेणी में तब ही लाया जा सकता है जब इस देश के रहने वाले हर समाज के हर वर्ग को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर से मजबूत करते हुए उनको समतामूलक श्रेणी में लाने का काम करेंगे। इसके साथ उनके अन्दर सम्मान और स्वाभिमान की भावना को पैदा करके उनकी सोच को समाज के प्रति पैदा करने का काम किया जाय। निश्चित तौर से मान्यवर, आज तक माननीय आजाद जी की सोच में जो अन्तर मुझे दिखाई पड़ता है बाबा साहब डा0 अम्बेडकर ने कहा था नेता तो पैदा किया जा सकता है लेकिन नेता की नीयत समाज के प्रति पैदा करना बहुत ही मुश्किल काम है। आज मैं निश्चित तौर से बधाई देना चाहता हूं कि इस देश में हजारों वर्षों से जो वंचित समाज के लिये धन्य है माननीय कांशीराम साहब जिन्होंने इस समाज के अन्दर प्रेरणास्रोत डा0 बाबा साहब की भावनाओं से जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री और सर्व जन समाज की मसीहा बहिन मायावती जी ने आज समाज के उन वंचितों शोषितों के अन्दर सामाजिक, आर्थिक शैक्षणिक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए उनके अन्दर एक समतामूलक समाज और सम्मान और स्वाभिमान का जो किरण पैदा किया है। वह अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आजाद जी कह रहे थे कि आज जो योजनायें माननीय समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा संचालित की जा रही हैं उसमें निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर अनियमितता दिखाई पड़ती है। इनको मुझे लगता है कि आज जो धरातल पर कार्यक्रम हो रहे हैं वह उनको दिखाई नहीं पड़ते हैं। इन्होंने अपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल में जो कार्यक्रम देखे हैं निश्चित तौर से आज भी वह इनके ऊपर भारी पड़ रहा है और उसी को इनको नजर आता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज समाज कल्याण मंत्री ने जो अपने बजट भाषण में इस बात का जिक्र किया है कि जो छात्रवृत्ति हमारे छात्रों को मिलनी चाहिये थी उसके लिये पिछली सरकार ने हमारे छात्र बैंक से लेकर स्कूल तक चक्कर लगाते थे और छात्रवृत्ति से वंचित रहते थे लेकिन हमारी सरकार ने कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था को चलाकर जो सराहनीय कार्य किया है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं और इससे निश्चित रूप से उन नौजवानों को लाभ मिलेगा जो इस देश को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। इस बात का माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने जिक्र किया है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत जब घर के मुखिया की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी विधवा को भरण पोषण हेतु इस पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिया जाता था।

मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को और इस प्रदेश की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को जिन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि मुखिया ही नहीं अगर घर के कमाऊ सदस्य की भी मृत्यु होती है तो उसकी विधवा को भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा। मान्यवर, यह अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। निश्चित तौर से माननीय आजाद जी कह रहे थे कि दलितों का उत्थान तब ही होगा जब बाबा साहब का सपना साकार होगा। उन्होंने इस बात

का भी जिक्र किया है कि बाबा साहब डा0 अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर, 1956 को कहा था कि इस देश में जिसको मैंने पढ़ने, लिखने और नौकरी करने का अधिकार दिया, जिनको संविधान में एक वोट का अधिकार देकर ऐसे समाज को गौरवपूर्ण सदन में पहुंचने का अधिकार दिया निश्चित रूप से इन्हीं लोगों से समाज को धोखा है। मान्यवर, अपने आप में आज झांक कर देखना चाहिये कि बाबा साहब की जो सोच थी उसके तहत जो मुलायम सिंह यादव जी का बड़े पैमाने पर प्रशंसा करने का काम करते हैं; मैं भी दलित समाज में पैदा हुआ हूं। पिछले कार्यकाल में मैंने देखा है कि हमारे समाज के लोग शादी अनुदान का फार्म जमा करते थे तो फार्म तो जमा हो जाता था। एक तो स्वीकृत नहीं होता था अगर स्वीकृत हो भी जाता था तो चेक तब काटे जाते थे जब उसकी एक्सपायरी के चार दिन रह जाती थी और जब वह चेक लेकर बैंक पहुंचता था तो वहां पर अधिकारी कहते थे कि इसकी डेट खत्म हो गई है। मैं तो कहना चाहता हूं कि इनको शर्म आनी चाहिये आज हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बात को किया है कि शादी के एक सप्ताह पहले और यदि शादी भी हो जाती है तो उसके बाद भी चेक देने का काम किया जायेगा। निश्चित तौर से मान्यवर, नेता, नीयत और सोच में अन्तर होता है। आज मैं कहना चाहता हूं कि जो क्रान्तिकारी व्यवस्था मा0 मंत्री जी ने की है उत्तर प्रदेश में, एक लम्बे अरसे से डेढ़ सौ रुपये पेंशन देने की व्यवस्था थी लेकिन आज बहन मायावती जी ने उसको दुगुना करने का काम किया है। मा0 मंत्री जी द्वारा यह निर्णय लिया गया यह ऐतिहासिक कदम है जिससे इस प्रदेश के सर्वजन समाज को लाभ मिलेगा हर वर्ग को इसका लाभ मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री त्रिभुवन दत्त-

जो इस बात का जिक्र किया गया है जो पहले शादी के लिये .....

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री त्रिभुवन दत्त-

माननीय मंत्री जी का बजट निश्चित तौर से इस प्रदेश के दलितों के विकास के साथ-साथ सम्मान दिलाने वाला है। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए धन्यवाद देता हूं।

श्री बैजनाथ दुबे-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यही अन्तिम वक्ता के रूप में बुलवा दें।

*श्री बैजनाथ दुबे-

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने पेंशन लाभार्थियों की संख्या नहीं बढ़ाई। अभी बजट भाषण में कहा है कि आपकी किताब में भी छपा है कि 2002-03 में 12 लाख 61 हजार 694 लाभार्थी थे। माननीय मुलायम सिंह जी की जब सरकार थी 2006-07 में 20 लाख लाभार्थियों को लाभ दिया गया था आपने तो 28 लाख अब किया है, आपने आठ लाख बढ़ाया है। आपने कहा पेंशन मिल रही है वह तीन सौ रुपया किया है तो भारत सरकार तो 200 रुपया दे ही रही थी उसमें आपने 100 रुपया दिया है। पहले भारत सरकार 100 रुपये देती थी आप 50 रुपये देते थे इस तरह से 150 रुपये पेंशन मिलती थी अब भारत सरकार 200 रुपये दे रही है तो आप 100 रुपये दे रहे हैं आपको इसको चार सौ रुपया देना चाहिये। अभी आपने कहा सामान्य वर्ग की पुत्रियों के लिये पहले पैसा नहीं मिलता है। अब पैसा मिलता है लेकिन मान्यवर, अब भी पैसा नहीं मिलता है। सी0डी0ओ0 से फोन करके हमने पूछा है कोई पैसा आपका नहीं गया है जो पैसा पहले मिल रहा था वही पैसा अभी भी मिल रहा है। कोई पैसा वृद्धावस्था पेंशन में नहीं गया है न और कहीं गया है जो पहले स्वीकृत था वही मिल रहा है और उसकी भी तीन महीने से किश्त नहीं गई इसलिये हम कहना चाहते हैं कि पुत्रियों के विवाह का जो पैसा है उसमें ध्यान दें और सदस्य विधान सभा को भी इसमें जब स्वीकृतियां हों तो सम्मिलित किया जाये कम से कम पारदर्शिता होगी और इससे गरीबों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं आजाद जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भोला-

आपने राम विशुन आजाद जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज मंत्री जी ने समाज कल्याण विभाग का बजट पेश किया है हम भी उसी वर्ग के हैं अनुसूचित जाति के हैं इसलिये दिल में कसक है। जब यह बजट पेश हुआ उस बजट के दौर में एक तमन्ना थी कि दलित समाज की मुखिया हैं और जो मंत्री जी हैं वह भी दलित समाज के हैं और ऐसे बजट पर जो बजट आज पेश हुआ है नेता जी ने कहा था कि झूठ का पुलिन्दा है तो ऐसी बात है बन्धुओं तमन्ना थी कि दलित समाज जो सबसे पिछड़ा समाज है इसके लिये इस बजट में क्या होगा। आज देश के अन्दर वह इंसान को समाज को खाने की व्यवस्था कर रहा है लेकिन वह भूखों मर जा रहा है। आज वह इंसान जो नंगा रहता है उसके बदन पर कपड़े ज्यादा नहीं रहते हैं ....

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भोला-

वह इंसान जो इंजेक्शन बनाता है और दवा के अभाव में मर जाता है। उसके लिये बजट में क्या है बुनियादी सवाल है समाज के अन्दर रोटी है, मकान, दवा है, शिक्षा है, कपड़ा है यह बुनियादी सवाल है इस बजट में इस बुनियादी सवाल के लिये क्या कार्यवाही की गई है। हमारे जिले के अन्दर आजमगढ़ जिले के अन्दर जो दलित समाज था, उस दलित समाज के लिये जो शादी के लिये बता रहा हूं कि 1600 नाम आये थे जिसमें 400 नाम कट गये थे, 1100 बचे थे, मंत्री जी बैठे हैं, मैंने कहा कि यह जो गरीब तबका है इसको दे दिया जाये लेकिन केवल 20, 25, 35 नाम खाली वह दस्तखत कर दीजिये, वह भी नहीं मिला और सामान्य का 50-50 लाख रुपया बाकी पड़ा हुआ है और उसका बंटवारा नहीं होता है इस ओर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। मैं साफ बताना चाहता हूं कि वर्ग पैसे पर आधारित होता है जाति पर आधारित नहीं होता, काम शोषित वर्ग के लिये कुछ दिखाई देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

(मा0 सदस्य के भाषण जारी रखने पर मा0 अधिष्ठाता ने श्री राजकुमार गौतम को बुला लिया)

श्री भोला-

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा0 राज कुमार गौतम-

मान्यवर, आपने समाज कल्याण विभाग के बजट पर मुझे उसके समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बजट पर चर्चा करते हुए जहां विपक्षी सदस्यों ने अनर्गल आरोप लगाये, वहीं मैं डा0 पी0 के0 राय साहब का निश्चित रूप से हृदय के अन्तर्गत बधाई देता हूं। उन्होंने मा0 मंत्री जी के द्वारा जो यह नीयत प्रदर्शित की गई, जो उनके मन में समाज के प्रति दर्द दिखा उसके लिये उन्होंने मुक्त कण्ठ से कहा, निश्चित रूप से विपक्ष का यही व्यवहार होना चाहिये, विपक्ष का यही आचार होना चाहिये। समाज कल्याण विभाग के इस बजट में जहां साहसिक कदम उठाये गये हैं वृद्धावस्था पेंशन के रूप में डेढ़ सौ रुपये जो दिया जाता था, 300 रुपये का प्राविधान किया गया है। अभी कुछ मा0 सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि 300 रुपये से क्या होने वाला है, 10 रुपये से किसका जीवन कटने वाला है ? मैं कहना चाहता हूं कि 10 रुपये का दर्द उन्हें कहां मालुम गांव के गरीब की उन झोपड़ियों में जाकर अगर देखें जहां रुपये की दो रुपये की बहुत कीमत है जहां बच्चे की नाक से टोटा बह रहा है, जहां उन्हीं गन्दे हाथ से भोजन करने के लिये उस गरीब परिवार का बच्चा मजबूर है वहां 10 रुपये की कीमत बहुत होती हैं। इसलिये केवल विरोध के लिये विरोध करना लोकतंत्र के लिये कभी लाभप्रद नहीं हो पायेगा। मैं तो कहता हूं कि विरोध अगर रचनात्मक हो, मान्यवर, समाज कल्याण विभाग के बजट पर चर्चा करते हुए तमाम खामियों की बात कही गई, अगर हम इस सम्मानित

सदन में .बैठे हैं तो समाज को बनाने का जिम्मा केवल सत्ताधारी पार्टी का ही नहीं है विरोधी पार्टी के लोग भी अपने-अपने क्षेत्रों से चुन करके आए हुए हैं मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, हमारे मा0 मंत्री जी ने इस पक्ष में कहा कि जहां रचनात्मक सुझाव होंगे, जहां तथ्यात्मक बातें कही जायेंगी, वहां हृदय के अन्तर्गत से नियमपूर्वक यह कोशिश की जायेगी कि उन खामियों को दूर किया जायेगा।

श्री अधिष्टाता-

मा0 सदस्य समाप्त करें।

डा0 राज कुमार सिंह गौतम-

मान्यवर, ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल यह कहते हुए कि मान्यवर कांशीराम जी के सपनों पर चलता हुआ बहुजन समाज पार्टी का यह कारवां बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में आज उस मुकाम पर पहुंचा है जहां गरीबों के जीवन में खुशहाली के सपने साकार होते हुए नजर आ रहे हैं।

(इस समय 5 बजकर 38 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

जहां विपक्ष के लोगों को बधाई देना चाहिये वहां वे अनर्गल बातें कर रहे हैं। मैं आजाद जी की चर्चा जरूर करूंगा, बिना अध्ययन के आधार पर कपोल-कल्पित बातें कहना आप की सरकार में तो 4 साल से छात्रों की छात्रवृत्तियां जो नहीं दिलवाई जा सकीं थी, हमारी सरकार को आपको बधाई देना चाहिये कि 400 करोड़ का लम्बित जो केन्द्रीय सरकार का होता था, उसको हमने 8-9 महीने के अन्दर तमाम उन विद्यालयों में पहुंचाने में सफलता अर्जित की है। और जहां तक विरोध की बात है, लम्बी-चौड़ी बात न कहते हुए "इबादतों की तरह मैं यह काम करता हूं, मेरी आदत है मैं झुककर सलाम करता हूं। मुखालफत से मेरी शख्सियलत संवरती है, मुखालिफों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं।" इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए और यह कहते हुए कि "वो" धूप के छप्पर हों या छांव की दीवारें, अब जो भी बनायेंगे, मिल-जुल कर बनायेंगे, जब साथ न दे कोई आवाज हमें देना, हम फूल सही लेकिन पत्थर भी उठायेंगे। अपने शब्दों के साथ मैं विराम देने से पूर्व में इस बजट के इन प्राविधानों पर बल देता हूं, जय भीम, जय भारत।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, सत्तापक्ष और विपक्ष के लगभग 20 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे है। वैसे मैं पूरी तरह पहले अपनी बात कह चुका हूं लेकिन भाई राम विशुन आजाद जी ने जिन्होंने कटौती रखी है तमाम आरोप लगाये हैं उसमें एक आरोप यह था कि प्रतापगढ़ जनपद में छात्रवृत्ति बांटी गई कि नहीं। शायद उन्हें नहीं मालुम कि प्रतापगढ़ जनपद में जो अनुसूचित जाति के जो दशमोत्तर छात्र हैं वह 12 हजार 545 हैं उसमें से 10 हजार 655 का 1 करोड़ 97 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान हो गया है। सामान्य जाति में 14836 हैं जिनमें से 10584 छात्रों में लगभग 2 करोड़ 25 हजार का भुगतान कर दिया गया है। इसी तरह से पूर्व

दशम में अनुसूचित जाति की जो संख्या है वह 1 लाख 47 हजार 857 है इसमें से 1 लाख 33 हजार 897 का भुगतान अभी तक कर दिया गया है। सामान्य जाति में 50 हजार 142 में से 44661 का भुगतान किया जा चुका है। तो इस तरह से अनर्गल प्रलाप करना मैं समझता हूं उचित नहीं है। एक और आरोप उन्होंने लगाया है कि कम्प्यूटर के बारे में कम्प्यूटर में गड़बड़ियां हुई हैं और पैसा दूसरे प्रदेश में चला गया। मान्यवर, यह नई योजना है और इसमें हमारा विभाग नियोजन विभाग, पंचायती राज विभाग कई विभाग मिलकर काम कर रहे थे। बीच में कुछ गड़बड़ियां हुई थी लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई थी कि पूरा पैसा ही दूसरे प्रदेश में चला जाय। तो मान्यवर, जो गड़बड़ियां हुई थीं वह ठीक हुई हैं आज की तारीख में कहीं भी गड़बड़ी नहीं है और आज की तारीख में छात्रवृत्ति का विवरण सही तरीके से हो रहा है इसके अलावा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के बारे मे में कहा गया कि खिड़की उखाड़े ले जा रहे हैं दरवाजे उखाड़े ले जा रहे है। मान्यवर, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जब हमारी पिछली सरकार थी मैं समाज कल्याण मंत्री था तब से बनाये गये थे आपकी साढ़े तीन साल सरकार थी आपने बजट व्यवस्था नहीं किया। आपने इसको संचालित करने का काम नहीं किया। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी जब से कार्यभार ग्रहण की हैं पिछले वर्ष 2007-08 में इनको संचालित करने के लिए बजट व्यवस्था हो चुकी है। मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि उसमें सामग्री की आपूर्ति की जा रही है स्टाफ की व्यवस्था हो चुकी है पद सृजित हो चुके हैं उसमें शीघ्र ही भर्ती करके उन आश्रम पद्धति विद्यालयों को चलाने जा रहे हैं मान्यवर, इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो पेंशन है वह भारत सरकार चला रही है। आपको पता होना चाहिये कि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन भारत सरकार चलाती है, वृद्धावस्था पेंशन किसान पेंशन केन्द्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार चलाती है। भारत सरकार इंदिरा गांधी पेंशन के लिये 200 रुपये देती है उसमें भी राज्य सरकार 100 रुपये मिलाती है और जो वृद्धावस्था किसान पेंशन है इसका शतप्रतिशत राज्य सरकार 300 रुपये देती है। तो थोड़ा इसको बढ़ाने की जरूरत है। और जो असक्त और वृद्ध आश्रम के विषय में कहा गया । मैंने देखा कि यह जो आश्रम बने हैं उसमें जितना स्टाफ है उस स्टाफ के हिसाब से वृद्ध आते ही नहीं हैं। कहीं 1 और कहीं 2 हैं ऐसे जितना उस पर खर्चा होता है अगर उनको किसी होटल में रख दिया जाय तो वह अच्छी सुविधायें प्राप्त कर सकते हैं। अभी सरकार ने फैसला लिया है कि जो वीरान् भिक्षु गृह बन्द पड़ा है उसमें दो सौ की क्षमता वाला अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये छात्रावास बना देंगे।

मान्यवर, कई सदस्यों ने बहुत सारी बातें कहीं हैं। यह भी कहा गया कि मुलामय सिंह जी ने बीस लाख का लक्ष्य निर्धारित किया था आपका अट्ठाइस लाख का है, तो हमारा यह कहना है कि हमने बीस लाख से चौबीस लाख 2007-08 में किया था, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने बजट प्राविधानों में चौबीस लाख के अतिरिक्त अट्ठाइस लाख अतिरिक्त पेंशन देने का काम किया है। तो इस तरह से बहुत से सदस्यों की शिकायतें आयी हैं। चतुर्वेदी जी ने कहा कि पंचायत सेक्रेटरी को जिम्मेदारी दे दी गई, तो हमारा यह कहना है कि शत प्रतिशत नहीं

है, उनको इन्वाल्व किया गया है कि वह कुछ करें, इसके फार्म को जमा करायें। राय साहब से मैं सहमत हूं कि सरलीकरण हो जाय और लाभार्थी को घर पर पैसा पहुंच जाय। उस्मानी जी चले गये, अल्पसंख्यकों के बारे में कह रहे थे, दलितों की आलोचना करते हैं, कहा कि इसमें अल्पसंख्यकों के लिये कुछ नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिये अल्पसंख्यक कल्याण अलग से होता है इसमें शादी व्याह के लिये दिया जाता है इसके अलावा पिछड़ों में भी यह आते हैं, उसमें भी इनको मिलता है। हमने जी0ओ0 कर दिया है कि सामान्य जाति की शादी का अनुदान है, सामान्य जाति में अल्पसंख्यक भी आते हैं, जो सामान्य जाति के अल्पसंख्यक हैं, उन्हें शादी का अनुदान दिया जाय, तो कई जगह से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। बहुत से लोग चले गये। कुबेर साहब चले गये, इन लोगों के विषय में क्या जवाब दूं। हमारे भाजपा के लोग भी चले गये। हम सर्वसमाज को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से तमाम सुझाव हमारे सदस्यों के आये हैं मुझे ज्यादा नहीं कहना है अभी हमारे साथी कह रहे थे कि उन्हें बुलाया नहीं जाता है, तो हमारे अधिकारी यहां बैठे हैं, उन्होंने नोट किया है वह इसे देखेंगे। अगर किसी विधायक को बुलाया नहीं जाता है तो निश्चित तौर से समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी इस बात को मैं सुनिश्चित करूंगा। अब मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, राम विशुन आजाद से विशेष तौर से अनुरोध करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

राम बिशुन आजाद जी क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, वृद्धावस्था पेंशन की बात आई मंत्री जी ने कहा कि आपने कहा है कि भारत सरकार दे रहे हैं तो बजट में आप देखें। इसमें लिखा है कि 65 वर्ष के ऊपर के लोगों को भारत सरकार द्वारा दो सौ रुपया प्रतिमाह दिया जाता है इसमें सौ रुपया राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता था, नवम्बर, 07 में मानक परिवर्तन कर दिया गया है।

मान्यवर, इस तरह से यह कह देना कि पूरा हम ही दे रहे हैं गलत है। माननीय मंत्री जी समाज कल्याण विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं ?

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, मैं कटौती का प्रस्ताव वापस कैसे ले लूं ?

श्री अध्यक्ष-

जैसे लिया जाता है वैसे वापस लीजिये।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, जब तक माननीय मंत्री जी जो समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना है, जो बापू का सपना है मान्यवर, उसको पूरा करने के लिये जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम इसे वापस नहीं ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप वापस नहीं ले सकते हैं ?

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, एक सदस्य ने जो मानस का श्लोक कहा है तो मैं भी एक बात कह दूं-

"वक्त को जिसने नहीं समझा, उसे मिटना पड़ा है,
और बच गया तलवार से, तो फूल से कटना पड़ा है,
चाहे जितनी ही बड़ी हो, चाहे जितनी ही कड़ी हो,
हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है।"

तो घमण्ड में न रहिये। अगर घमण्ड में रहेंगे और वक्त को नहीं समझेंगे तो आपके वक्त का रास्ता बदल जायेगा मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-20-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,03,78,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,89,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 58,46,49,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग

समाज कल्याण मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,95,88,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

दूसरी भी रख दीजिये।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के

अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,08,22,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी अनुमति हो तो अगला भी ले लें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं वह दोनों अलग हैं।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, आप कहें तो महिला वाला ले लें।

श्री अध्यक्ष-

महिला कल्याण आपके साथ है। लेकिन बीच में अनुदान संख्या-53 रह जायेगी।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, अनुदान संख्या-53 बाद में ले लेंगे, लेकिन 14 (7) वाला इसी के साथ में ले लें।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, आप कहें तो 14 (7) वाला ले लें।

श्री अध्यक्ष-

हां ठीक है, आप 14 (7) ले लें।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,39,75,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग का मुख्य उद्देश्य कारागारों में निरुद्ध बन्दियों के सुरक्षित रखरखाव के साथ ही बन्दियों की मानसिकता, आचरण एवं व्यवहार में अपेक्षित सुधार कर उन्हें शैक्षिक एवं विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर कार्यकुशल बनाना है, जिससे कारागार से मुक्त होने पर वे स्वावलम्बी होकर जीवन यापन कर सकें तथा राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो सकें।

मान्यवर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 05 केन्द्रीय कारागार बरेली, आगरा, वाराणसी फतेहगढ़ फर्रुखाबाद एवं नैनी इलाहाबाद है। एक आदर्श कारागार लखनऊ में है और 52 जिला कारागार है। मान्यवर, इसी तरह से हमारे तीन उप कारागार हैं यह महोबा, देववंद और ज्ञानपुर में स्थित हैं। इसी प्रकार से एक किशोर सदन है जो बरेली में है। इसी तरह से मान्यवर,

उत्तर प्रदेश कुल 62 कारागार स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त मान्यवर, आदर्श कारागार लखनऊ में एक नारी बन्दी निकेतन तथा विभिन्न जिला कारागारों के नियंत्रण में संचालित 18 अल्पवयस्क कारागारें हैं तथा 3 महिला कारागारें है। जो लखनऊ, फैजाबाद एवं अलीगढ़ में स्थापित हैं। मान्यवर, दिनांक 15 फरवरी, 2008 को जिला कारागार, कानपुर देहात को क्रियाशील कर दिया गया है।

मान्यवर, इधर हमारी सरकार बनने के बाद मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने देखा कि उत्तर प्रदेश की कारागारों में जो बन्दी माफिया हैं, कुख्यात अपराधी हैं, वह आये दिन कोई न कोई घटनायें करते रहते हैं। इसके लिये मुख्य मंत्री जी बहुत चिन्तित हुई और उन्होंने 26 जून, 2007 को एक शासनादेश जारी कराके उत्तर प्रदेश की समस्त कारागारों के नियंत्रण का काम गृह विभाग के अधीन करने का काम किया। इसी तरह से मान्यवर, पहली बार उत्तर प्रदेश में बहुत सी कारागारों में पी0ए0सी0 की ड्यूटी लगाने का भी काम हुआ है ताकि वहां की कानून व्यवस्था नियंत्रण में रहे। बन्दी नियंत्रण में रहें। बन्दी लोग कारागारों के नियमों कानूनों के अनुसार रहने का काम करें। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो सम्पूर्ण कारागारें हैं उनकी जो बन्दी क्षमता है वह 37,843 है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बन्दी हैं वह लगभग 77 हजार हैं। इसमें मान्यवर, ओवर क्राउडिंग की समस्या है। इससे निजात पाने के लिये सरकार ने गम्भीर कदम उठाये हैं। इसके लिये जो नवसृजित जनपद हैं उनमें मान्यवर, नई कारागारों का निर्माण कार्य भी चलाया जा रहा है। जिसमें नई कारागारें बन रही है। वे जनपद हैं कौशाम्बी, सोनभद्र, महराजगंज, बागपत, बलरामपुर एवं कन्नौज। मान्यवर, जिन जनपदों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलित है वे हैं महामायानगर, चित्रकूट, संतरविदास नगर, कुशीनगर, महोबा, औरैया, जे0पी0 नगर, संतकबीर नगर, गौतमबुद्ध नगर, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती एवं चन्दौली। मान्यवर, इसके अलावा हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के 10 जनपदों में जो कारागारें हैं जो अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चली आई हैं उन्हें शहर के बाहर स्थानान्तरित करने की योजना बनाई है। इसमें आजमगढ़, शाहजहांपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, बदायूं, वाराणसी हैं। इनकी कारागारों को शहर से बाहर बनाने की योजना है। इसके अतिरिक्त जो वर्तमान कारागारें हैं उनके विस्तार की भी योजना है जिससे ओवरक्राउडिंग की समस्या से निजात पाया जा सके। इसमें तमाम जगहों पर अतिरिक्त कक्ष बनाये जा रहे हैं। तो उसमें मान्यवर, केन्द्रीय कारागार आगरा, नौ कारागारों में केन्द्रीय कारागार नैनी, बरेली, वाराणसी, फतेहगढ़, लखनऊ, नारी बन्दी निकेतन उन्नाव इनमें मान्यवर, कारागार उद्योग लगाने की भी योजना है।

इस तरह से विभिन्न कारागारों में विभिन्न उद्योग लगाने की योजना है जिससे कैदी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और उद्योग चला सकें। जिससे वह स्टील बर्तन बनाने का काम सीखें, तम्बू रंगाई, छपाई का निवाड़ का लौह का कष्ठ का यह तमाम कार्य करके स्वावलम्बी बन सकें और सुचारु रूप से जीवन यापन कर सकें। ऐसे तमाम कारागारों में इधर उद्योग भी लगाने का काम किया जाता है और उद्योगपरक काम सिखाने का काम किया जाता है। मान्यवर, जो उत्तर

प्रदेश में कारागारों की कृषि योग्य भूमि है वह 691.30 कृषि योग्य भूमि है जिसमें रबी, खरीफ और जायद की फसलों का उत्पादन किया जाता है। मान्यवर, जो इसमें फसलें उगाई जाती हैं इसमें कारागारों में निरुद्ध जो बन्दी हैं उनके भोजन के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक कार्य भी किया जाता है। सभी कारागारों में निरक्षर बन्दियों को साक्षर बनाने की योजना चलाई गई है नया सबेरा के नाम से एक पढ़ाये एक नाम से। जो इस कार्य को सुचारु रूप से बन्दी चलाते हैं उनको 15 दिन का परिहार भी स्वीकृत किया जाता है तो इस तरह से यह शैक्षणिक कार्यक्रम, नैतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम चलाये जाते हैं। कारागारों में धार्मिक कार्यक्रम के तहत सभी धर्मग्रन्थ के 4-4 सेट उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके अलावा बन्दियों का जो मनोरंजन है उसमें भी खेलकूद की व्यवस्था होती है इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो कारागारें हैं उनमें कम्प्यूटरीकरण करने की योजना चल रही है। एक महत्वपूर्ण योजना इस सरकार में चलाने का काम किया जा रहा है। जिसमें कुख्यात अपराधी बन्द हैं या जो माफिया बन्द हैं या आतंकवादी बन्द रहते हैं अक्सर यह देखा जाता है कि जब वह पेशी पर जाते हैं तो उसमें बहुत सी घटनायें हो जाती हैं तो इसे लिये वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से रिमाण्ड की व्यवस्था चल रही है। वही से बैठे-बैठे वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिये उनकी सुनवाई हो सके और जो घटनायें हैं उससे बचा जा सके। यह एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है यह योजना 52 जनपदों में चलाये जाने की योजना विचाराधीन है। मुख्यतया इसमें इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी और मिर्जापुर की कारागारों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग प्रणाली के लिये आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु 227.22 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

मान्यवर, इसके अलावा तमाम महत्वपूर्ण योजनायें हैं जो समय-समय पर चलती हैं और कारागारों का निरीक्षण भी समय-समय पर चला करता है। जिलाधिकारी और एस0पी0 के नेतृत्व में महीने में निरीक्षण भी होता है इसके अलावा त्रैमासिक स्तर पर जिलाधिकारी एस0पी0 और न्यायपालिका से जुड़े न्यायाधीश हैं उनके नेतृत्व में निरीक्षण भी चलता है। हमारी सरकार जब से बनी है उसमें कई बार छापे भी डाले गये हैं। जेलों के अन्दर 13 सितम्बर, 2007 के द्वारा अतिसंवेदनशील जो 20 करागार हैं, मैंने बताया था उसमें पी0ए0सी0 लगाई गई है लेकिन जो छापे डाले गये हैं वह 23 जून, 2007 को, 11 अगस्त, 2007 को, अक्टूबर, 2007 को, 18 नवम्बर, 2007 को विभिन्न कारागारों में व्यापक छापे डाले गये हैं, जिसके दौरान तमाम गड़बड़ियां प्रकाश में आई इन गड़बड़ियों के लिये जो उत्तरदायी पाये गये उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। उसमें वरिष्ठ अधीक्षक स्तर के अधिकारी में तीन का निलम्बन किया गया है, एक को प्रतिकूल परिनिन्दा प्रविष्टि दी गई, एक को चेतावनी दी गई, दो के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है। अधीक्षक स्तर के अधिकारियों में एक का निलम्बन किया गया है, 6 को प्रतिकूल परनिन्दा प्रविष्टि दी गई, 5 को चेतावनी दी गई, 1 के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। कारापाल में 2 का निलम्बन किया गया है, 18 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई, 4 को चेतावनी दी गई। उपकारापाल में 1 का निलम्बन किया गया, 24 को प्रतिकूल परनिन्दा प्रविष्टि दी गई, 10 को चेतावनी दी गई, दो की वेतनवृद्धि रोकी

गई, एक के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। बन्दी रक्षकों में 3 का निलम्बन किया गया है, 11 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई, 10 की वेतनवृद्धि रोकने का काम किया गया, इस प्रकार से तमाम अधिकारी/कर्मचारी जो इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध तमाम कार्रवाइयां हमारी सरकार ने करने का काम किया है। मान्यवर, संक्षिप्त में मैंने कारागार विभाग के विषय में अपनी बात रखने का काम किया।

इसके अलावा मान्यवर, नागरिक सुरक्षा विभाग है, नागरिक सुरक्षा विभाग अनुदान संख्या-27 मान्यवर, नागरिक सुरक्षा विभाग एवं स्वयंसेवी संगठन है। जो 1962 के चाइनावार के बाद इसकी आवश्यकता महसूस हुई और उसके बाद इसे बनाया गया। मुख्य रूप से यह संगठन 17 नगरों में स्थापित है। मुख्य रूप से नरौरा, लखनऊ, कानपुर, मथुरा, झांसी, आगरा, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, सरसावां, गाजियाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, गोरखपुर और इलाहाबाद इन तमाम जगहों पर यह संगठन स्थापित है इसके अलावा वर्ष 2007-2008 में 4,591 स्वयंसेवकों की भर्ती की गई तथा 3,882 स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करने का काम किया गया। इसके अलावा स्कूल एवं कालेजों के 12,345 छात्रों को प्रशिक्षित करने का काम किया गया। मान्यवर, इनका जो काम है यह जिला प्रशासन के साथ मिल करके काम करते हैं, सफाई अभियान, पल्स पोलिया अभियान, रक्तदान शिविर, पौधा रोपण, आदि कार्यों में इस संगठन के सदस्यों द्वारा सहयोग दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश स्तरीय नागरिक सुरक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो चक्करपुरवा सीतापुर रोड में स्थापित है। वरिष्ठ पी0सी0एस0 अधिकारी इस संस्थान के कमान्डेन्ट होते हैं। मान्यवर, जो नागरिक सुरक्षा विभाग का काम है और विशेष रूप से जब कोई हवाई आक्रमण होता है तो उससे जन-धन की हानि को कम कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें, सचेत कर सकें, औद्योगिक क्षेत्रों में प्रोत्साहन बनाये रखने के लिये प्रोत्साहन दे सकें, जनता का मनोबल बढ़ाये रख सकें, यह नागरिक सुरक्षा विभाग के तमाम योगदान हैं। जो नागरिक सुरक्षा विभाग के अवैतनिक पदाधिकारी होते हैं उनमें एक चीफ वार्डेन, डिप्टी चीफ वार्डेन, डिविजनल वार्डेन, पोस्ट वार्डेन, डिप्टी पोस्ट वार्डेन एवं सेक्टर वार्डेन इस तरह से यह अवैतनिक पदाधिकारी होते हैं। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत होमगार्ड विभाग भी आता है जैसे 1962 के बाद यह स्थापित हुआ, उसी तरह से होमगार्ड विभाग भी नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत आता है। होमगार्ड भी नागरिक सुरक्षा के अन्तर्गत आता है। होमगार्ड विभाग में एक स्वयंसेवी संगठन है इसकी 1962 में स्थापना हुई थी। होमगार्ड संगठन का जो प्रशासनिक ढांचा है, उसमें एक विभागाध्यक्ष होते हैं जो महानिदेशक स्तर के आई0पी0एस0 अधिकारी होते हैं जिनकी सहायता के लिये एक अपर पुलिस महानिदेशक, एक पुलिस उप महानिरीक्षक, एक पुलिस अधीक्षक, तथा होमगार्ड विभाग के 4 पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वित्त एवं लेखा संवर्ग के एक वित्त नियंत्रक होमगार्ड मुख्यालय पर तैनात रहते हैं। इसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिये इलाहाबाद एवं आगरा के लिये डिप्टी कमांडेन्ट जनरल तथा प्रत्येक मण्डल स्तर पर एक एक मण्डलीय कमाण्डेन्ट कार्यरत हैं तथा जनपद स्तर पर होमगार्ड विभाग का एक कार्यालयाध्यक्ष और

एक जिला कमाण्डेन्ट होता है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1088 अवैतनिक कम्पनी कमाण्डरों सहित होमगार्ड स्वयं सेवकों की कुल संख्या 1,17,009 है, जिसमें से 10 हजार सशस्त्र होमगार्ड हैं और 3400 सशस्त्र महिला होमगार्ड हैं। इस तरह से यह होमगार्ड डिपार्टमेंट का ढांचा हैं।

मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 1,17,009 होमगार्ड तैनात हैं, इनको अभी मात्र 25,335 होमगार्डों के ड्यूटी मिलती थी लेकिन बहन कु0 मायावती जी ने बजट में बढ़ोत्तरी करके इस वित्तीय वर्ष में यह फैसला लिया कि इस 25,335 के अलावा 25,000 अतिरिक्त होमगार्ड के प्रशिक्षित लोगों को ड्यूटी पर लगाने का काम करेंगे। इन्हें 100 रुपये की दर से प्रतिदिन मानदेय मिलता है और इनकी भर्ती ब्लाक स्तर पर होनी है। 18 से 50 वर्ष के बीच में भर्ती हो सकते हैं लेकिन जो शारीरिक मापदण्ड है वह पुलिस कान्स्टेबिल की तरह मापदण्ड अपनाया जाता है, इसकी शैक्षिक योग्यता कक्षा-8 पास होती है। जब होमगार्ड भर्ती होते हैं तो इनको दो सेट वर्दी दी जाती है और एक अंगोला शर्ट दिया जाता है जो होमगार्ड डिपार्टमेंट में बहन कु0 मायावती जी ने फैसला लेने का काम किया है और शीघ्र ही फैसला होने वाला है कि जो पुलिस का थ्री नॉट थ्री बन्दूक है इनको पुलिस से हटाकर होमगार्ड डिपार्टमेंट को शस्त्र से लैस करने का फैसला लिया गया है। इस तरह से संक्षिप्त रूपरेखा होमगार्ड डिपार्टमेंट की रखी है।

इसके अलावा अनुदान संख्या-49 जो महिला एवं बाल विकास से संबंधित है मुख्यतः महिला एवं बाल विकास में दो निदेशालय कार्यरत हैं। एक महिला कल्याण निदेशालय और दूसरा बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय। दो निदेशालय हैं लेकिन इसके प्रमुख सचिव व सचिव एक ही होते हैं। मैं पहले महिला कल्याण निदेशालय के विषय में बताना चाहूंगा कि यह 1989-90 में बना। पहले यह समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत इसकी योजना संचालित की जाती थी लेकिन महिला कल्याण के क्षेत्र में अधिक काम की जरूरत को देखते हुए इस निदेशालय की स्थापना हुई और 1989-90 में इस निदेशालय की स्थापना की गई। इसके विषय में ज्यादा बताना नहीं चाहता कि इसमें कौन-कौन अधिकारी कार्यरत हैं क्योंकि समय काफी हो चुका है इसलिये सभी योजनाओं की जानकारी देना सम्भव नहीं है। महिला कल्याण निदेशालय होम चलाते हैं जिसमें निराश्रित हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, नाबालिग जो विधि का उल्लंघन करते हैं ऐसे होम में रखने का काम इसके अन्तर्गत किया जाता है। जिसमें राजकीय सम्प्रेक्षण गृह जो किशोर के लिये, उत्तर प्रदेश में 17 हैं जिसमें विधि का उल्लंघन करने वाले सात से 18 वर्ष के किशोर रखे जाते हैं। राजकीय सम्प्रेक्षण गृह जो किशोरियों के लिये हैं वह उत्तर प्रदेश में 5 हैं जिसमें विधि का उल्लंघन करने वाली 7 से 18 वर्ष की किशोरियों को रखा जाता है। राजकीय बाल गृह इसमें जो शिशु हैं उनको रखा जाता है यह पांच हैं जिसमें जीरो से लेकर 10 वर्ष के शिशु रखे जाते हैं। राजकीय बाल गृह 10 हैं जिसमें 1 से लेकर 10 वर्ष के अनाथ संकटग्रस्त एवं उपेक्षित बालकों की देखरेख के लिये इसमें रखने का काम किया जाता है। राजकीय बालिका गृह 4 हैं जिसमें एक 18 वर्ष की बालिकाओं अनाथ उपेक्षित बालिकाओं को रखा जाता है। राजकीय विशेष गृह किशोर एक है जो इटावा में है यहां 18 वर्ष तक के सजा प्राप्त किशोरों को रखा जाता है। राजकीय विशेष गृह किशोरी जो बाराबंकी में है इसकी संख्या एक है। 18 वर्ष तक सजा प्राप्त किशोरियों की सुरक्षा प्रदान करने

हेतु यहां रखी जाती हैं। राजकीय संरक्षण गृह महिला यह पांच हैं इसमें आई0टी0पी0 एक्ट में निरुद्ध न्यायालय के आदेश से संकटग्रस्त महिला राजकीय सुरक्षा में पुनर्वासन हेतु रखी जाती हैं।

इस तरह से तमाम होम्स हैं जिसको चलाने का काम करता है व वर्ष 2007-2008 में 192 करोड़ के बजट की व्यवस्था को इसमें करने का काम किया। मान्यवर, महिलाओं की समस्या को देखते-हुए इसमें काफी बजट बढ़ाया गया है। इस विभाग द्वारा तमाम योजनायें चलती हैं जैसे पति की मृत्यु के कारण निराश्रित महिलाओं को पेंशन की योजना है इस योजना के तहत जो 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं को इसमें निराश्रित पेंशन देने का काम किया जाता है। पहले वृद्धावस्था पेंशन में 150 रुपये दिये जाते थे लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने इसको कम समझा और इसको 300 रुपये बढ़ाने का फैसला लिया। 300 रुपये के हिसाब से निराश्रित महिलाओं को पेंशन देने का काम किया जाता है। इसके लिये वर्ष 2007-08 के बजट में 298 करोड़ 80 लाख की व्यवस्था थी जिसे बढ़ाकर 508 करोड़ 50 लाख किया गया है। और यह फैसला लिया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे जो भी पात्र महिलायें हैं वह चाहे किसी भी जाति, किसी भी मजहब की हों उन सभी महिलाओं को शत-प्रतिशत निराश्रित पेंशन देने का काम हमारी सरकार करेगी यह बड़ा फैसला है। मान्यवर, पति की मृत्यु के कारण निराश्रित महिलाओं से विवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार योजना इसमें चलाई जाती है ऐसी महिलाओं से जो भी विवाह करता है उसको 11 हजार रुपये का एकमुश्त पुरस्कार दिया जाता है। निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों को समाज कल्याण विभाग के बजट के समय जैसा मैंने कहा कि ऐसी पुत्रियां चाहे सामान्य वर्ग की हों, पिछड़े वर्ग की हों, या अल्पसंख्यक वर्ग की हों, अनुसूचित जाति की हों, जनजाति की हों उनकी लड़कियों की शादी में अनुदान दिया जाता है। लेकिन इस विभाग में भी जो निराश्रित महिलायें हैं अगर उनकी पुत्रियों की शादी होती है और वह बी0पी0एल0 श्रेणी की हैं .....

(समय 6 बजकर 40 मिनट)

तो उन्हें भी 10 हजार रुपये एकमुश्त दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इसी तरह से दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी और आर्थिक सहायता यदि किसी महिला के पति ने उसे छोड़ दिया है और कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो उन्हें एकमुश्त कानूनी सहायता के लिये 2500 रुपये देने की व्यवस्था है। जब तक वाद उनका विचाराधीन रहता है तो 125 रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था भी इस विभाग के द्वारा की जाती है। तमाम स्वैच्छिक संगठन हैं जो होम चलाते हैं उनको भी व्यवस्था देने का काम किया जाता है। हमारी सरकार ने अभी एक फैसला लिया है जो हम सबके आदर्श है जो महामानव हैं मान्यवर, श्री कांशीराम जी उनके नाम से बहिन मायावती जी ने महिला सशक्तीकरण पुरस्कार इस वर्ष से चलाने की योजना बनाई है। जिसमें ढ़ाई लाख रुपये नकद, एक रेशमी शाल और एक प्रशस्ति पत्र देने की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा यह जो हमारा दूसरा निदेशालय है बाल विकास एवं सेवा पुष्टाहार निदेशालय इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, 1975 को भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में 3 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। जिसमें जवा, अलीगढ़, डलमऊ, रायबरेली,

शंकरगढ़, इलाहाबाद में। सर्वप्रथम तीन योजनायें इसमें स्वीकृत की गई जिसके अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र चलाये जाते हैं। मान्यवर, धीरे-धीने इसका विस्तार होने लगा और जब विस्तार होने लगा तो आज जो हैं इनकी संख्या 897 तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के अन्दर। और इसमें जो आंगनबाड़ी केन्द्र है। आज 1 लाख 51 हजार, 469 स्वीकृत किये गये हैं। हमारी सरकार ने विशेष प्रयास करके यह जो 1 लाख 57 हजार 469 केन्द्र हैं इनको आज से 1 लाख 50 हजार 460 आंगनबाड़ी केन्द्रों को शुरू किया गया है और 1 हजार नये आंगनबाड़ी केन्द्रों को तुरन्त चालू करने जा रही है। इस तरह से शत प्रतिशत आंगनबाडी केन्द्रों को संचालित करने का काम हमारी सरकार कर देगी। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों के विषय में बताना चाहता हूं कि इनमें स्कूल फीस फ्री शिक्षा, देने का काम किया जाता है। स्वास्थ्यपरक जानकारी देने का काम किया जाता है। अनुपूरक जो कुपोषित बच्चे हैं या गर्भवती धात्री महिलायें हैं उनको अनुपूरक पोषाहार देने का काम किया जाता है। जैसे मान्यवर, हमारी गर्भवती धात्री महिलायें है। उनको 160 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से इनको इम्लाइज रिच इनर्जी फूड देने का काम किया जा रहा है। 3 से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चों को 80 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से कुपोषण से बचाने के लिये पोषाहार दिया जाता है। 6 माह से ऊपर से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों को बीनिंग फूड के रूप में 80 ग्राम के हिसाब से इनको पोषाहार देने की व्यवस्था इस विभाग के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा मान्यवर, एक किशोरी शक्ति योजना चलाई जा रही है। यह वह योजना है जो प्रत्येक ब्लाक में हमको विस्तार करने की आवश्यकता है। हमने भारत सरकार को लिखा है लेकिन 840 परियोजनाओं में यह चल रही है। इसमें 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरी बालिकाओं के लिये 1 परियोजना है इसमें 60 किशोरियों का चयन करके तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। 60 दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है जिससे यह बालिकाएं रोजगार परक बन सकें। और आत्म सम्मान के साथ जी सकें। दूसरा यह जो प्रोग्राम है एन0पी0ए0जी0 न्यूट्रीशन प्रोग्राम फार एडल्ट का कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है।

मान्यवर, 11 से 15 वर्ष तक की बालिका है जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम है जो कुपोषित हैं 15 से 19 वर्ष की ऐसी बालिकायें जिनका वजन 35 किलोग्राम से कम है उसमें व्यवस्था है कि 6 किलोग्राम मासिक उनको गेहूं देने की व्यवस्था की जाती है यह भारत सरकार की योजना है। यह अभी सोनभद्र और मिर्जापुर में चल रही है इसकी उपयोगिता को देखते हुए हम भारत सरकार से प्रयास कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में इस योजना को लागू किया जाये। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है "बालिका श्री योजना" इस योजना में पहले यह व्यवस्था थी कि 200 रुपये बालिका के माता पिता के नाम से बीमा कराया जायेगा। 800 रुपये के बचत पत्र खरीदे जायेंगे। अब बहन मायावती जी की सबसे सरकार बनी है, बहन मायावती जी ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की नीति को अपनाते हुए क्योंकि पहले यह योजना थी सितम्बर, 2003 के बाद जो अनुसूचित जनजाति के गरीबी की रेखा से नीचे के लोग हैं उनके यहां जो पुत्रियां जन्मेंगी उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इनका बीमा होगा और इनके बचत

पत्र खरीदे जायेंगे 200 रुपये और 800 रुपये के हिसाब से। लेकिन चूंकि हमारी सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चल रही है इसलिये आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मई, 2007 के बाद जो गरीबी की रेखा के नीचे सामान्य जाति की लड़कियां जन्म लेती हैं उनको 200 और 800 के हिसाब से नहीं बल्कि चाहे वह अनुसूचित जाति की हों, चाहे जनजाति की हों चाहे सामान्य वर्ग की हों हमारी सरकार अब 500 रुपये दुर्घटना बीमा करायेगी और दो हजार के बचत पत्र खरीदेगी। 500 रुपये का दुर्घटना बीमा जो होगा, उसमें माता या पिता का या फिर दोनों का दुर्घटना में देहान्त हो जाता है तो उनको पांच लाख रुपया मिलेगा।

(मेजें थपथपाई गईं)

जब वह 18 वर्ष की उम्र पूरा कर लेगी तो दो हजार का जो बचत पत्र है उसको आठ हजार रुपये मिल जायें। यह महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्र है उनका संचालन होता है। आंगनबाड़ी में मैं बता चुका हूं कि एक सहायिका होती है एक कार्यकत्री होती है जो मानदेय के आधार पर रखी जाती है। आंगनबाड़ी केन्द्र जो हैं उनका संचालन गर्मियों में आठ से बारह होता है। और जाड़ों में नौ बजे से एक बजे तक होता है। चार घण्टे के लिये यह आंगनबाड़ी केन्द्र खुलते हैं। एक घण्टे का भ्रमण आंगनबाड़ी की कार्यकत्रियां सहायिकाएं गांव में घूमकर करती हैं। जो गर्भवती धात्री महिलायें हैं उनको स्वास्थ्य परक जानकारी देने का काम करती हैं टीकाकरण करने का काम करती हैं और तमाम महत्वाकांक्षी योजनायें हैं जिनको उनको बताने का काम करती हैं लेकिन जो हमारी सरकार ने फैसला लिया है बहुत से आंगनबाड़ी केन्द्र हैं वह भवन विहीन हैं हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि 3 लाख 17 हजार की लागत से एक आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण होगा और इसमें 2008-09 में जो बजट व्यवस्था है वह 48 करोड़ 34 लाख की व्यवस्था की गई है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन जो बनाये जायेंगे। इसके अलावा परियोजना में हमारे गोदाम नहीं हैं जहां पोषाहार जाता है उसके भी निर्माण की योजना है 6 लाख 60 हजार के हिसाब से परियोजना कार्यालय बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। बजट व्यवस्था 2008-09 में इसमें 9 करोड़ 90 लाख की बजट व्यवस्था की गई है। मैंने संक्षिप्त में अपनी बात रखा है नई मांग के हिसाब से आई0सी0डी0एस0 की योजना है जो विश्व बैंक के सहयोग से संचालित होने जा रही है 41 जनपदों में इसका संचालन होना है। तो इस तरह मैंने संक्षेप में कारागार विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग और महिला एवं बाल कल्याण विभाग के बारे में कुछ बातें रखी हैं इसमें जो मा0 सदस्यों के विचार आयेंगे, उस पर निश्चित तौर पर गौर करूंगा और जो यह विभाग है और इनमें जो योजनायें चलाई जा रही हैं, उनको अच्छी प्रकार से चलाया जा सके और उनका लाभ लिया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

दीप नारायण जी, आप अनुदान संख्या-25 और 27 दोनों पर एक साथ कटौती प्रस्ताव रख दें।

श्री दीप नारायण सिंह (दीपक यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष-

शादाब फातेमा जी, आप भी अनुदान संख्या-49 पर कटौती प्रस्ताव रख दें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री दीप नारायण सिंह (दीपक यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे उम्मीद थी कि मा0 मंत्री जी इस विभाग पर जब अपना प्रस्ताव रखेंगे तो निश्चित तौर पर उन निरीह और निर्दोष लोग, जो जेल में बन्द हैं, उनका ध्यान रखकर निर्णय लिये जायेंगे। लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, मुझे दुख है कि जिस प्रकार से जेल विभाग को गृह विभाग में परिवर्तित किया गया है, जिस तरह से बातें बताई जा रही हैं, उससे ऐसा महसूस हो रहा है, जैसा शुरू में जिक्र किया गया है कि प्रथम जेल 1844 में बनाई गई थी तो मुझे लगता है कि व्यवस्था जो बनाई जा रही है वह उसी पूर्व की दशा पर पहुंचने की स्थिति है। मैं इसलिये कहने पर मजबूर हूं कि एक तरह से हम जेल को सुधार गृह के रूप में बनाना चाहते हैं, सुधार गृह के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं, वहीं उस पर सख्ती करके, उस पर पूरा नियंत्रण करके जुल्म करने की साजिश भी कर रहे हैं। मैं इसलिये यह बात कहने पर मजबूर हूं कि जो आपने व्यवस्था बनाई है और स्वयं स्वीकार किया है कि हमारी बन्दी क्षमता 37,843 है और कुल बन्दी 72,087 हैं। वहीं एक बात और याद करानी है, पिछले 4-5 वर्षों का जिक्र करें, बहुत ज्यादा लम्बी बात नहीं करें क्योंकि बहुत कम समय में ही अपनी बात कहनी है कि सन् 2004 में जो बन्दी बन्द थे 9,624 लोगों का सिर्फ दोष सिद्ध हुआ, 42,833 विचाराधीन बन्दी बन्द रहे। इसी प्रकार से 2005 और 2006-07 में 19,152 लोग दोषी पाये गये। और 52,935 लोग बन्द रहे। मेरा कहने का आशय यह है कि जिन लोगों पर दोष सिद्ध हो रहा है, उनकी संख्या और बन्दी रहने वाले लोगों में लगभग 3 गुने का अन्तर है। यह बात यह महसूस कराती है कि निश्चित रूप से बन्द होने वाले अधिकांश लोग निर्दोष हैं, वे किसी साजिश के तहत फंसाये गये हैं। यहां यह प्रयास तो चल रहा है कि माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की जानी है, माफियाओं के खिलाफ

कार्यवाही करनी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि माफियाओं पर कार्यवाही बाहर ज्यादा अच्छी की जा सकती है, जेल के अन्दर माफियाओं का क्या बिगाड़ लेगी सरकार ? जेल के अन्दर उनके कानून हैं, उनकी व्यवस्था है, मानवाधिकार है। क्या जेल के अन्दर भी जुल्म करने की हिम्मत करने जा रहे हैं, क्या जेल के अन्दर भी संविधान का मजाक उड़ाने की तैयारी आप कर रहे हैं ? अगर अपराधियों पर आप शिकंजा कसना चाहते हैं, अपराधियों को रोकने का उद्देश्य भी आपका है तो आपको बाहर की व्यवस्था की चिन्ता आपको करनी होगी।

मान्यवर, अगर सुधार गृह बनाना है तो कारागर विभाग को जिंदा रहने दीजिये। लोगों को सुधरने का मौका दीजिये। जीवन में सबसे गल्तियां होती हैं देश और दुनिया का इतिहास आपने पढ़ा होगा और सामने और हमारी तरफ भी बड़े-बड़े विद्वान बैठे हैं कारागार खराब शब्द है लेकिन इसी कारागार ने परिवर्तन और क्रान्तियों के तमाम इतिहास भी लिखे हैं। यह वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और इस व्यवस्था को बदलने का काम किया उसी कारागार से आजादी की लड़ाई लड़ी गई और अंग्रेजों को भगाने का काम हुआ। इन्हीं करागारों के माध्यम से इस देश को नेतृत्व प्रदान करने वाले नेता पैदा किये गये। जिस रास्ते पर जा रहे हैं आपको आगाह कर रहा हूं। यह काम स्वर्गीय इन्दिरा गांधी जी ने भी प्रयास किया था विरोधियों को जेल में डाल देंगे इनको जेल में डालने से हमारी सत्ता मजबूत हो जायेगी। विपक्षी नेतृत्व समाप्त हो जायेगा लेकिन आपातकाल के बाद जो लोग बन्द थे उनका इतिहास भी पढ़ लेना वह आपातकाल के बंदी श्री अटल बिहारी बाजपेयी, श्री मुलायम सिंह यादव जी, श्री चन्द्र शेखर जी देश के प्रधान मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं कुछ मुख्य मंत्री बने हैं इसलिये आगाह करना चाहता हूं कि जिनको आप बन्द करना चाहते हैं जो बन्द हैं निरीह हैं हो सकता है कि आने वाले कल में कौन किस पद पर पहुंचे। इस बात का ध्यान आपके जेहन में होना चाहिये। आप माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं आपका मकसद अपने राजनीतिक विरोधियों को बन्द करना चाहते हैं। कैसे उनका उत्पीड़न करें इसलिये आप कानून में तमाम संशोधन ला रहे हैं। आप एक तरफ बाबा साहब की चर्चा कर रहे हैं और एक तरफ आप उनकी अगुआई में बनाये गये कानून पर कहां भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने बनाये थे कानून कि किस जुल्म की क्या सजा होनी चाहिये। अगर कोई किसी की हत्या का प्रयास करता है तो धारा 307 उसमें कितनी सजा होनी चाहिये। अगर कोई हत्या कर देता है तो उसकी सजा कितनी होनी चाहिये। आप नया कानून यू0पी0 कोका बना रहे हैं इससे जो आपका मकसद है उससे कुछ बनने वाला नहीं है। आपकी इन कार्रवाइयों का परिणाम आपके ही खिलाफ होने वाला है। आप करके देखिये और फिर उसका परिणाम देखिये। आज के इस मौके पर जो आपने व्यवस्था बनाई है जेल की जो वास्तविक स्थिति है, मान्यवर, यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि जेल की वजह से ही इस विधान सभा तक पहुंचा हूं। हम लोग गांव से उठकर आये हैं और गांवों में बड़े-बड़े सामंतों से लड़कर इस स्थिति तक पहुंचे हैं। जो वास्तविक स्थिति जेलों की है उसको हम लोग जानते हैं।

मुझे याद है 1997 में टाडा बन्दियों की रिहाई के लिये हम लोग लखनऊ में आन्दोलन कर रहे थे। लाठीचार्ज हुआ लखनऊ की जेल में बन्द किया गया। दो दिन लखनऊ की जेल रहे फिर उसके बाद अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। तब जो लखनऊ की जेल में खाना मिलता था और अल्मोड़ा की जेल में जो खाना मिलता था तो उसमें जमीन और आसमान का अंतर था आप कोई भी वायदे करें आप कोई भी पी0ए0सी0 वाहन लगाये रहें लेकिन आप इस बात की जानकारी करें कि जेल में जो निरीह आदमी बन्द है। उसको खाना कैसा मिल रहा है उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है इसकी क्या व्यवस्था बनाई जा रही है इसलिये मेरा कहना है कि इस तरह की फर्जी व्यवस्था बनाने से [X X X] करने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। बल्कि जो सरकारी पक्ष है उसके मन में दयाभाव होना चाहिये। उसके मन में यह भाव होना चाहिये कि हमें न्याय दिलाना है हमारी यह व्यवस्था होनी चाहिये कि लोग यह महसूस करें कि हमको न्याय मिल रहा है लेकिन एक तरफ आप इस गुरूर में रहते हैं कि हम तो हमेशा के लिये सत्ता में आ गये हैं। जो हमारी व्यवस्थायें हैं वही चलने वाली हैं अगर तुम्हारी यह व्यवस्था भी चलती है तो भी समाजवादी कभी डरे नहीं हैं, न कभी पीछे हटे हैं। बड़ी बड़ी कुर्बानियां हमारे नेताओं ने दी हैं। हम लोग भी उनका अनुसरण करेंगे। उनके पदों पर चलने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, जहां तक नागरिक सुरक्षा का सवाल है मैं तो सिर्फ आपको इस दिशा में ले जाना चाहता हूं कि अगर आप संवेदनशील रहेंगे तो सुरक्षा अपने आप बनी रहेगी अगर आप संविधान को छोड़कर संवेदनहीन हो जायेंगे। संविधान का मजाक उड़ेगा। आप जुल्म करेंगे और सोचेंगे कि लोग दब जायें तो जुल्म के खिलाफ हमेशा क्रान्ति हुई है। हमेशा क्रांतिकारी लोग बने हैं और अलगाव की स्थितियां बनी हैं मैं सिर्फ एक बात को कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आपको संवेदनशील बनना पड़ेगा आपको व्यवस्था परिवर्तन के लिये अच्छी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इन ढकोसली बातों से व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। धन्यवाद।

*श्री अनूप कुमार गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद। मैं दीप नारायण सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देता हूं। अध्यक्ष महोदय, जेलों की स्थिति बेहद गम्भीर है। मान्यवर, जो बीमार कैदी होते हैं उनको अस्पताल ले जाने में जेल के कर्मचारी आना कानी करते हैं। कारण यह है कि उनके पास दवाई का बजट नहीं है। मैंने इसमें देखा है कि पिछले वर्ष से 10 लाख कम कर दिया गया है। 2006-07 में तीन करोड़ साठ लाख था इस वर्ष तीन करोड़ पचास लाख रखा गया है। जेलों में एक-एक बैरक में तीन सौ लोगों को भरा जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि छियत्तर हजार एक सौ अस्सी बन्दी हैं जबकि सैंतीस हजार आठ सौ अड़तालीस बैरक हैं। जेलों के आधुनिकीकरण के लिये भारत सरकार से पचहत्तर प्रतिशत पैसा दिया गया जबकि प्रदेश सरकार द्वारा पच्चीस प्रतिशत ही लगाया गया है। जेलों में शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। कैदियों में मार-पीट हो रही है। लखनऊ और सुल्तानपुर

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

में ईंट पत्थर चले, खून खराबा हुआ है तो यह जेलों की दशा है। मान्यवर, यहां पर कुशल प्रशिक्षक को 18/- रुपया अर्धकुशल को 13/- रुपया तथा अकुशल को 10/- रुपया दिया जा रहा है। जो दिन भर काम करें उसे 18/- रुपया, 13/- रुपया या 10/- रुपया मिलेगा तो क्या होगा। मान्यवर, आटा माड़ने की मशीन तो वहां पर है लेकिन रोटी सेंकने वाली मशीन नहीं है यह जरूर दी जाय। जिस तरह से अमृतसर में रोटी सेंकने वाली मशीन है उसी तरह से यहां पर भी जेलों में उपलब्ध कराई जाय। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की दिक्कत है। उनको टी0ए0 बिल का भुगतान नहीं होता है इसलिये कैदियों की डाक बही नहीं जा पाती है। मान्यवर, उम्र कैद के बंदियों की एक समय-सीमा होनी चाहिये उस समय-सीमा पर उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिये। लेकिन सरकार ठीक ढंग से पैरवी नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर है लेकिन पैरवी नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, जिस प्रकार से यह सरकार राजनैतिक लोगों पर मुकदमा लगा रही है, जेल भेज रही है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम हर जिले में बी क्लास की जेल जरूर बना दें, क्योंकि आज आप हम लोगों को बंद करेंगे कल आप लोगों को जाना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, जो खूंखार अपराधी हैं और जो आतंकवादी हैं उनको एक साथ रखा जा रहा है, इनको अलग-अलग रखा जाना चाहिये। मान्यवर, नागरिक अगर किसी मुकदमें में जेल चला गया तो वहां उसे पहुंचते ही झाड़ू पकड़ा दी जाती है कि झाड़ू लगाओ। वह कहते हैं हम झाड़ू नहीं लगायेंगे पैसे दे देंगे, तो पैसे ले लिये जाते हैं। मान्यवर, मुलाकात का भी पैसा लिया जाता है, मुलाकाती से पैसा लिया जाता है। मान्यवर, कुल 17/- रुपया इनका एक दिन का खाने का और नाश्ते का दिया जाता है। यह कहते हैं कि इसमें दवाई, चावल, राजमां, सोयाबीन आदि दिया जाता है तो कैसे इसमें पूरा होगा। आपने मुझे दीप नारायण सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आभारी हूं और इस पर बल देता हूं।

*श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाह रहा था माननीय मंत्री जी से कि माननीय मंत्री जी ने अपनी तकरीर में कहा कि कुछ जेलें जो अन्दर हैं शहरों के जैसे रामपुर की और अन्य जगहों की, वह शहर से बाहर आ जायेंगी। तो जो जमीन वहां रह जायेगी, जो जेल विभाग की थी, उसके बारे में आपने निर्णय नहीं किया। वह अरबों की जमीन हो गई हैं उसका क्या करेंगे। इतनी बड़ी बात आपको पहले बतानी चाहिए थी कि जब आप जेलों की इतनी बड़ी प्रापर्टी वहां से जायेंगे और यह जमीन रह जायेगी और आपकी प्रापर्टी जेल डिपार्टमेन्ट की प्रापर्टी मिल्कियत है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसका क्या करेंगे ? इसको जरूर आप बता दें कि इसका क्या होगा ? वह अरबों की, खरबों की जमीन है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको बता देंगे। हां उस्मानी जी आप बोलें।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने अनुदान संख्या-25, 27, 49 गृह विभाग (कारागार), गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) महिला एवं बाल कल्याण विभाग की अनुदान राशि में कटौती करने के प्रस्ताव पर बल देने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, पहले मैं अपनी बात रख दूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, पहले इन्हें बोल लेने दें उसके बाद जो नये सदस्य हैं उन्हें भी बोल लेने दें और जो माननीय सदस्य जिस विषय पर भी बोलना चाहते हैं उन्हें बोल लेने दें।

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, पहले कटौती का प्रस्ताव रख दें, उसके बाद बोलें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाण्डेय जी, हम लोग सोचते थे कि महिला एवं बाल कल्याण एकदम अन्त में हो, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि पहले इन्हें ही कह लेने दिया जाये तो ठीक है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जब एक बार में प्रस्ताव आपने रखा दिया है तो एक साथ ही सब पर बोल लेने दीजिये।

श्री कौकब हमीद-

पहले कटौती आ तो जाये।

श्री अध्यक्ष-

कटौती आ गई है। ठीक है आप बोलें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि कटौती प्रस्ताव रख दिया गया था महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के ऊपर तो इस कारण मैं बोल रही हूं। अन्यथा आप बोल लेते ज्यादा अच्छी बात थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन मान्यवर, आज मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि हम लोगों को जो यह कार्यक्रम दिया गया था उसमें दिया गया था कि यह सभी जो बजट हैं यह माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे। खैर माननीय मुख्य मंत्री जी की व्यस्तता है,

उनके कार्यक्रम हैं समय नहीं मिल पाया होगा, लेकिन आश्चर्य इस बात पर हुआ कि माननीय मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं इन्होंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी महिला सशक्तीकरण पर बहुत बल देती है और पुरस्कार शुरू कर रही है और महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट प्रस्तुत करने के लिए क्या आपकी अपनी इतनी सारी महिला सदस्यों में, महिला मंत्री भी मौजूद हैं जिनके पास में विभाग है उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया

श्री इन्द्रजीत सरोज-

यह विभाग मेरे पास भी है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मेरे कहने का आशय यह है कि यह विभाग किसी महिला को दिया जाना चाहिए था, महिला एवं बाल कल्याण विभाग। मेरा आशय यह है कि यदि यह नहीं दिया जायेगा तो महिला सशक्तीकरण की बातें कैसे पूरी होंगी, मेरा कहने का तात्पर्य यह है आप उसे कृपया अन्यथा न लें। मैं जो कहना चाह रही थी, मेरा कहने का मात्र आशय यह था और जब आप अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे, मैं उम्मीद कर रही थी कि इसमें महिलाओं के लिए और बाल कल्याण के लिये निश्चित रूप से कुछ योजनायें होंगी, नई सोच होगी, लेकिन ऐसा लगा कि इसमें नया कुछ भी नहीं था, कोई भी नई बात नहीं रखी गयी थी, मुझे लगा था कि शायद आपकी प्राथमिकता होगी, क्योंकि यह आधी दुनिया का सवाल था महिलायें जो आधी आबादी में हैं, भले ही उनका प्रतिशत घटता जा रहा है। लेकिन अभी वह आधी आबादी के रूप में हैं।

मान्यवर, उनके लिये मैंने सोचा था कि आपके बजट की धनराशि बड़ी होगी। लेकिन आपने जो कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका पुस्तिका दी है इसमें आपने अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत 1,5051.94 लाख रु0 का प्रावधान रखा है। यह आपके सामने है। मान्यवर, पिछले साल 1,56,637.84 लाख रु0 था। यह मैं सिर्फ अनुदान संख्या-49 की बात कह रही हूं उसमें अनुदान संख्या-81 और 83 को मिला दिया जाये तो दोनों का महायोग होकर यह राशि बढ़ जाती है। 1,62,056.94 लाख रु0। मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जो राशि बतायी है उससे यह टैली नहीं कर रहा है। कृपया इसके बारे में बाद में बता दीजियेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि महिलाओं के लिये कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मान्यवर, कितनी मुश्किल से यह महिलायें अपनी जीविका संचालित करती हैं इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, प्रदेश में वैट लगने के बाद जीना और भी मुश्किल हो गया है मा0 यह गरीब महिलाएं हाड मॉस की जीती जागती इंसान हैं किसी संगतराश के हाथों से तराशा हुआ पत्थर का बेजान मोजस्समा नहीं जो पत्थरों के शहर में नस्ब कर दिया गया हो उनकी कुछ जरूरतें हैं। उन्हें अपनी और अपने परिवार की जीविका को चलाना है। मान्यवर, वह रात दिन संघर्ष की चक्की में पिसती रहती हैं। यह वह महिलायें हैं जो अपने बच्चों के लिये दिन रात मेहनत करती हैं। मैं सोच रही थी कि इसमें बालकों के लिये कुछ अच्छी योजनायें होंगी। मान्यवर, जो संविधान में नीति निर्देशक सिद्धान्त बने हैं उसके अनुच्छेद 39 में यह है कि राज्य अपनी नीति इस प्रकार से निर्देशित करेंगे कि बालकों

का स्वास्थ्य अच्छा रह सके। लेकिन मान्यवर, दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज आजादी के 60 वर्ष बीत जाने के बाद भी सबसे ज्यादा बच्चों में कुपोषण की समस्या उत्तर प्रदेश में है। यह मैं स्वयं नहीं कर रही हूं और न कोई समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट है यह यूनिसेफ की रिपोर्ट है।

आज भारतवर्ष इस कुपोषण की समस्या की वजह से सब सहारन अफ्रीका कन्ट्रीज से भी आगे निकल गया है। जबकि वहां ज्यादा गरीबी है। लेकिन उससे ज्यादा कुपोषण की समस्या से ग्रस्त बच्चे हिन्दुस्तान में मौजूद हैं और उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। मान्यवर, भारत में कुपोषण का शिकार हर छठवां बच्चा इस प्रदेश में पाया जाता है। इसके ऊपर आपको विशेष रूप से बल देना चाहिए कि कुपोषण के शिकार बच्चे न हो सकें। लेकिन उ0 प्र0 में कुपोषण के शिकार बच्चे हो रहे हैं। इसके अलावा कुपोषण से मरने वालों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। कुल बाल मृत्यु में 60% बालकों की मृत्यु कुपोषण के कारण होती है। आप कृपया इसे गम्भीरता से लें हल्केपन से न लें। यह बहुत बड़ी बात है। मान्यवर, आपने पुष्टाहार की बात जरूर की है। वह दिया भी जा रहा है। भारत सरकार के जो नार्म्स हैं उनको अगर देखा जाय तो कुपोषण से ग्रस्त बच्चे को 300 कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन देने की जरूरत है। इसी तरह से अतिकुपोषित बच्चे को, किशोरियों को, धात्री और गर्भवती महिलाओं को 600 कैलोरी और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन देने की बात है। लेकिन आपने बजट में मात्र 2.00 रु0 का प्रावधान रखा है कुपोषित के लिये। इसी तरह से किशोरिओं, धात्री और गर्भवती महिलाओं के लिये आपने 2.30 रु0 का प्रावधान रखा है। इसी प्रकार से अति कुपोषित बच्चे के लिए 2.70 रु0 का प्रावधान रखा है। मान्यवर, यहां पर प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। मान्यवर, वैट से कोई चीज अछूती नहीं रह गयी है। आज बाजार में दूध 20 रु0 लीटर में मिल रहा है इस 2 रु0 में क्या मात्रा आप दे पायेंगे। सेब 50 रु0 किलो मिल रहा है केला 20 रु0 दर्जन मिल रहा है। ऐसे में आप कैसे पुष्टाहार सही रूप में उन्हें उपलब्ध करा पायेंगे। इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए यह मान लिया जाय तो भी जो मिल रहा है वह तो ठीक से मिले। वह भी ठीक से नहीं मिल रहा है। उसका वितरण ठीक नहीं है। मैंने गाजीपुर में जाकर देखा है। पौष्टिक आहार केन्द्र पर उपलब्ध नहीं था। उसकी कालाबाजारी हो रही है बाजार में वहीं 150 रु0 प्रति बैग उपलब्ध हो रहा है हो सकता है कि कहीं पर पौने दो सौ रु0 में मिलता हो।

मान्यवर, आपके बजट में यह व्यवस्था है कि आपके बच्चे हुष्ट-पुष्ट हों लेकिन आज जानवर हृष्ट-पुष्ट हो रहे हैं। मान्यवर, आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे हुष्ट-पुष्ट हों या यह जानवर हृष्ट-पुष्ट हों। यह प्राथमिकता आपको तय करनी है। लाभार्थियों को सूची दे दी जाती है कि इतने लाभार्थियों को दिया जा रहा है। आपने उसमें कहा था कि हम साप्ताहिक वितरण करते हैं मेरा केवल आपसे इतना निवेदन है कि वह जो सूचियां हैं लाभार्थियों की उसका भौतिक सत्यापन करवा लें। भौतिक सत्यापन करवा लेंगे तो सारी स्थिति आपके सामने स्पष्ट हो जायेगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा और आपको भी मालूम हो जायेगा कि यह पुष्टाहार कितने लोगों तक पहुंच रहा है। सिर्फ कुपोषण ही एक समस्या नहीं है इसके अलावा बाल श्रमिक

अगर कहीं पर हैं तो वह भी यही नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा बाल श्रमिक यहां पर मौजूद हैं। कुपोषित बच्चों का तो आलम यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 83 लाख कुपोषित बच्चे हैं जिसमें से 33 लाख बच्चे अति कुपोषित की श्रेणी में आ रहे हैं। मान्यवर, यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। बाल श्रम की दृष्टि से आप देखें तो उत्तर प्रदेश में 19 लाख 27 हजार बाल श्रमिक मौजूद हैं। श्रम विभाग का कानून है श्रम विभाग का बजट रहा होगा उस दिन हम नहीं थे। लेकिन यह इससे भी सम्बन्धित है क्योंकि यह बालकों की समस्या है और बाल विकास इससे सम्बन्धित है एक तरफ उसको पुष्टाहार नहीं मिल रहा है, जीवन मंहगा होता जा रहा है और दूसरी तरफ बाल श्रमिक हैं मजबूरी में वह कर रहा है, वह खुशी में नहीं कर रहा है, मजबूरी में वह वहां पर जा रहा है और आज की तारीख में अलीगढ़ जिले के अन्दर 27 हजार बाल श्रमिक ताला उद्योग में मौजूद हैं। फिरोजाबाद के कांच उद्योग में लगभग 22 हजार बाल श्रमिक मौजूद हैं, मुरादाबाद के पीतल उद्योग का यही हाल है, कानपुर के टैनरीज से जरूर आपने 10 हजार बाल श्रमिकों को कम किया लेकिन यह कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है जिसे कहा जा सके। अभी भी उससे कहीं ज्यादा संख्या में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं।

बात यहीं समाप्त नहीं होती है न उनकी समस्याएं समाप्त होती हैं। कुपोषण यहां पर मौजूद है, बाल श्रम यहां पर मौजूद है और उससे भी आगे बढ़कर है उनका यौन शोषण चाहे बालक हो या बालिका हो यौन शोषण का शिकार है। यह मैं नहीं कह रही हूं बल्कि स्टडी आन चाइल्ड एब्यूज इण्डिया, 2007 में भारत के 13 राज्यों के 12447 बच्चों के ऊपर सर्वेक्षण किया गया और उसमें यह चौकाने वाला तथ्य सामने आया कि यौन शोषण का मामला अत्यन्त गम्भीर था और उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चों का यौन शोषण हर साल हो रहा है इसको रोकने के लिए आप कितना गम्भीर हैं, यह आपको सोचना पड़ेगा उसमें भी बालिकाएं ज्यादा शोषित होती हैं। सोचना पड़ेगा आपको, आप सहृदय हैं आप जरूर इसका संज्ञान लेंगे क्योंकि उन बालिकाओं का जीवन नष्ट हो जाता है। किशोरी शक्ति योजना अगर वह बनाती है कि इससे किशोरियों को लाभ होगा तो यह ठीक है कि उससे लाभ होगा लेकिन आपने उसमें दिया क्या है मात्र 9 करोड़ 24 लाख रुपये ? कितनों का कल्याण आप कर लेंगे उसके बाद जिसके लिए माननीय मंत्री जी ने बड़ी शान से कहा था बालिका श्री योजना उसके बारे में मैं आपसे कहूंगी कि आप 2 हजार की एनएससी उसको देते हैं 5 लाख रुपये की बात आपकी ठीक है। 2 हजार की एनएससी आप उसको देते हैं वह जब 18 साल की हो जायेगी तब उसे 8 हजार रुपया मिलेगा।

यह मैं नहीं कह रही हूं यह आपकी दिग्दर्शिका कह रही है इसको आप देख लीजिए। तो मान्यवर, आज से 18 साल बाद उस 8000 रुपये की कीमत क्या होगी। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उसको 2 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दीजिये क्योंकि 18 साल की मुद्दत बहुत होती है और उस समय आठ हजार रुपयों में कुछ भी नहीं मिलेगा और फिर यह भी कि आपने इस योजना पर क्या खर्च किया आपने बालिका श्री योजना पर खर्च किया था 24 करोड़ 36 लाख रुपये यह भी दोनों को मिलाकरके है। अर्थात् अनुदान 49 और अनुदान 81-83

मिलाकरके आपने इसके ऊपर खर्च किया है 24 करोड़ 36 लाख रुपये। सबको आप जोड़ दीजिए, आप 24 करोड़ 36 लाख रुपये तथा 9 करोड़ 24 लाख रुपये को जोड़ेंगे तो टोटल आयेगा 33 करोड़ 60 लाख रुपये। यह आपने खर्च किया महिलाओं की सशक्तीकरण की दिशा में बहुत बड़ा आपने तीर मारा इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि इससे पूर्व जब मा0 मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने कन्या विद्या धन के रूप में अकेले उन्होंने 6 सौ करोड़ रुपया खर्च किया था उसके मुकाबले यह कहीं ठहरता हैं। मान लीजिए 6 सौ करोड़ रुपया एक वर्ष में खर्च किया गया है पहले वर्ष में 2 सौ करोड़ फिर 6 सौ करोड़ और यह आपका सारा मिला करके आता है 33 करोड़ 60 लाख रुपये। यह आपके सामने मौजूद है आप स्वयं इसको देख लीजियेगा, मैं इसमें समय क्यों खराब करूं। मैं आपसे कह रही हूं, आज स्थिति यह है कि किसी भी तरह से जीना मुश्किल हो गया है। उन पर इल्जाम लगा दिया गया कि यह जो कन्या विद्या धन दिया जा रहा है वह ठीक नहीं है।

मान्यवर, कन्या विद्याधन को देने के पीछे की भावना को तो देखिये किन हालात में दिया गया था। आज आंकड़े उठा करके देखिये तो 933/1000 के ऊपर लिंगानुपात है। लेकिन यह पुरानी बात है मात्र तीन वर्ष के बाद वर्ष 2011 में जब आप देखेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहती हूं कि उस समय यदि 800 की भी संख्या हो जाये तो बहुत बड़ी बात है इसलिए कि मादा भ्रूण हत्या पंजाब में हो रही है, दिल्ली में हो रही है लेकिन हमारा सम्बन्ध उत्तर प्रदेश से है इसलिए हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। मादा भ्रूण हत्या हो रही है लेकिन रोकने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। मा0 मुलायम सिंह जी ने महसूस किया था कि जब तक मां/बाप अपनी बेटियों को बोझ समझेंगे, लाइबिलिटी समझेंगे, उस वक्त तक उन्हें दुनिया में आने नहीं देंगे। आप किसका सशक्तीकरण करेंगे, जब दुनिया में नारियां ही मौजूद नहीं रहेंगी तो किसका सशक्तीकरण करेंगे। रक्षाबन्धन का त्योहार, पवित्र त्योहार है और उस दिन आपकी सूनी कलाइयां किसी के प्रेम बन्धन का इन्तजार करती रहेंगी। कोई बेटी, कोई बहन इस धरती पर मौजूद नहीं होगी, इसको समझ करके कन्या विद्याधन दिया था मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने। आज कहते हैं "यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" बहुत अच्छा श्लोक है, यह कहना आसान होता है लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय है, दृढ़ मत है कि नारी को केवल नारी समझा जाये, देवी का स्थान तो बहुत ऊंचा है लेकिन शायद समाज की त्रासदी है, पूरे विश्व में देखा गया है कि जैसे-जैसे विश्व की सभ्यताएं उन्नत होती गई हैं नारी तिरस्कृत होती चली गई है। यह किसी एक देश की बात नहीं है चाहे वह मेसोपोटामिया रहा हो चाहे कोई रहा हो। सभ्यताएं उन्नत होती चली गईं। नारी तिरस्कृत होती चली गई, इस सच को समझिये। इसके लिये कानून बनाये गये हैं महिलाओं की हत्या न होने पाये लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि महिलाओं की हत्या होती चली जा रही है। किसी को कोई चिन्ता नहीं है। प्री मटाल डायग्नोसिस टेक्निक ऐक्ट मौजूद हो करके क्या होगा अगर ऐक्ट का अनुपालन नहीं होगा। ऐक्ट का अनुपालन नहीं हो रहा है क्योंकि पिछले साल लखनऊ शहर के अन्दर जून महीने में 6 अल्ट्रासाउन्ड सेन्टर्स को केन्द्रीय समिति ने सीज किया

था और मात्र दो दिन के अन्दर वह बहाल कर दिये जाते हैं। सिर्फ एक के ऊपर मुकदमा चल रहा है और इसी सदन में मा0 मंत्री जी ने इस बात का इकरार किया था।

समस्या कितनी गम्भीर है, आज लोग नारी को देवी के रूप में ढूंढते हैं, कुरान में ढूंढते हैं, वेद में ढूंढते हैं, गीता में ढूंढते हैं लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि मुझे वेदों में मत ढूंढों मुझे कुरान में मत ढूढों आसमान में मत ढूंढो, मैं धरती की हकीकत हूं मुझे तस्लीम करो और धरती की हकीकत यह है कि औरत मिट रही है आप किसका सशक्तीकरण करेंगे, किसको आप रिजर्वेशन देंगे। अभी तो अस्तित्व को बचाने की बात है, उसको गिरने से बचा लीजिए, यह आने वाली जेनरेशन के ऊपर आपका एहसान होगा। मैं समझ रही हूं मैंने समय ज्यादा लिया लेकिन मान्यवर, मैं क्या करूं मुद्दा ही ऐसा है। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है नहीं तो मा0 मंत्री जी ने कहा था कि जल्दी ही इसे समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, यह इनकी मानसिकता का द्योतक है कि यह महिला एवं बाल विकास के प्रति कितना अधिक जागरूक हैं। मैं आपसे कह रही हूं कि अभी दहेज की बात बाकी है, आपने बताया कि जो लोग दहेज से पीड़ित हैं। जिन्होंने एफ0आई0आर0 किया है उनको दिया जा रहा है 125 रुपये प्रतिमाह जिस दिन एफ0आई0आर0 दर्ज होती है उससे लेकरके वाद के निस्तारण की अवधि तक। मान्यवर, 125 रुपये की औकात क्या होती है ? (सत्ता पक्ष के किसी सदस्य द्वारा टोका-टाकी करने पर) हम उस पर भी आयेंगे थोड़ा धैर्य रखिये। मान्यवर, इसको बढ़ाकर 1000 रुपया कर दीजिए। मैंने भी इसको पढ़ा है वाद की विधिक पैरवी के लिए आपने 2500 रुपये रखा है, जरा आप वकीलों से बात कीजिए तो पता लग जायेगा कि 2500 रुपया क्या है ? इसको बढ़ाकर कम से कम 5000 कर दीजिए तो बेहतर होगा। मेरा यह कहना है कि आज अपराध बढ़ता जा रहा है, दहेज हत्यायें बढ़ती जा रही हैं।

मैं यह इसलिए कह रही हूं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सन् 2007 में 1877 दहेज हत्याओं के साथ में उ0 प्र0 पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, आपका सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। वर्ष 2006 में यह संख्या कम थी और यह 1816 थी। आज इसकी संख्या बढ़ गयी है। सिर्फ यह बात नहीं है, मामला बहुत संगीन है इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि आपने कहा कि विधवा से विवाह करने के लिए 11000 रुपया दिया जा रहा है, अच्छी बात है परन्तु उसे आप बढ़ा दें, आप सहृदय व्यक्ति हैं, बढ़ा देंगे तो अच्छी बात होगी। आपने निराश्रित महिलाओं के बारे में कहा कि 300 रुपये प्रतिमाह दे रहे हैं उसको बढ़ाकर 500 रुपये कर दीजिए और साथ में एक गुजारिश और है कि आपने व्यवस्था दी कि गांव का प्रधान ही प्रस्ताव के द्वारा उसे देगा, सब लोग जानते हैं कि गांव का प्रधान किस तरह से प्रस्ताव करता है, खुली पंचायत कैसे होती है मैं समझती हूं कि मुझसे ज्यादा बेहतर ढंग से तो आप लोग जानते होंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि इसको गांव के प्रधान के प्रस्ताव पर मत छोड़िये। जितनी भी निराश्रित महिलायें हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं उन सबको उसका लाभ दे दीजिये। वह आपको दुआएं देंगी, ये दुआएं आपके बहुत काम आयेंगी। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर) वह निराश्रित महिलायें हैं वह दुआएं देंगी, मैंने अच्छे सेंस में यह बात कही है, मेरे

कहने का कोई और तात्पर्य नहीं है। मान्यवर, महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए आपने बताया था कि 'स्टेप' आपने चलाया। मैं आपसे यह पूछना चाह रही हूं कि उसमें प्रत्येक महिला को कितना मिल रहा है क्योंकि उसमें उसका उल्लेख नहीं था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण के सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में 42 प्रतिशत महिलायें घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, रोजाना घरेलू हिंसा का शिकार महिलायें हो रही हैं।

मान्यवर, यहां पर बलात्कार की घटनायें बढ़ती जा रही हैं। चूंकि यह मामला महिला से जुड़ा हुआ है, आपने उनके कल्याण के लिए पैसा खर्च किया लेकिन हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आज स्थिति कितनी खराब है, बलात्कार के 1888 मामले दर्ज हुए वर्ष 2007 में जबकि 2006 में 1307 मामले थे। यह बढ़कर इतने ज्यादा मामले हो गये। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप जितनी योजनायें चला लें, जितने भी आप सम्प्रेक्षण गृह बना लें उससे भला होने वाला नहीं है, लेकिन यदि वे महिलायें जिनके साथ बलात्कार हुआ उन्हें न्याय नहीं मिला तो यह बहुत शर्म की बात है। मैं सिर्फ दो महीने की बात कर रही हूं। 20 जनवरी, 2008 के दिन इसी लखनऊ के गोमतीनगर में इनोवा कार के अन्दर एक चौदह वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार होता है और उसके अन्दर कौन से लोग हैं, प्रभावशाली घरों के नौजवान, बिगड़े हुए, जिनका सम्बन्ध आप स्वयं जानते हैं कि किनसे है और किन लोगों का नाम उसमें आया था। यह अकेली घटना नहीं है उसके बाद दूसरी घटना 16 फरवरी को कानपुर नगर में हुई, जहां प एक 12 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किया जाता है। जी0आर0पी0 के नौजवानों द्वारा। क्या मंत्री हैं, क्या संतरी हैं ? अजीब सी स्थिति है। 18 तारीख को पुनः दूसरी लखनऊ में इन्दिरा नगर से एक महिला को उठाया जाता है और सरोजनी नगर के पिपरसण्ड इलाके में ले जाकर उसके साथ 4 लोग बलात्कार करते हैं। उसमें एक बी0डी0सी0 के सदस्य का भी नाम आता है, किसका है, उसकी कहां निष्ठा है यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। झण्डे का रंग आप स्वयं जानते हैं। यह मैं इसलिए कह रही हूं कि मंत्री हैं या संतरी सभी इन्वाल्व हैं। अभी श्रावस्ती जिले का धुन्नीडीह काण्ड हुआ था आप संतरियों को क्या रोकेंगे, जी0आर0पी0 के जवान को क्या रोकेंगे जब मंत्री बलात्कारियों के साथ हों धुन्नीडीह काण्ड का आरोपी मंत्री क्या आपके मंत्रि-मण्डल से हटा ?

श्री अध्यक्ष-

पाण्डेय जी की तरफ इशारा मत करिये। मेरी तरफ देखकर अपनी बात कहिये। अब समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, एक मिनट सुन लें यह मेरे हृदय की व्यथा है। एक मंत्री आनन्द सेन इसलिए हटा दिए गये क्योंकि वह अनुसूचित जाति की बालिका का मामला आ गया था लेकिन क्या माइनारिटी की औरतों की इज्जत नहीं होती है वहां इस तरह की कर्यवाही क्यों नहीं होती है। संवासियों की बात हुई है क्या हो रहा है हुकूमत तो बदल गई है लेकिन उनके हालात नहीं बदले हैं। आपने कहा कि पैसा दिया जा रहा है कितना अनुदान देंगे एक लाख, डेढ़ लाख इससे स्थिति

सुधरने वाली नहीं है। अनैतिक व्यापार अधिनियम,1956 बना है लेकिन हो क्या रहा है आपने कहा कि उद्धार के लिए कमेटी का गठन हुआ क्या महिलाओं का उद्धार मात्र कमेटी के गठन से हो जाएगा। कमेटी के अन्दर जो लोग हैं उनका चरित्र कैसा है वह वास्तव में उद्धार करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसके साथ-साथ मेरी गुजारिश है कि जो अखबारों में किसी लोकल अखबार की मैं बात नहीं कर रही हूं यह प्रतिष्ठित अखबार हैं चाहे वह हिन्दी में हों या अंग्रेजी में उनके द्वारा वैश्यावृत्ति को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है आपको किसी कोने में देखने को मिलेगा ट्रिन, ट्रिन मस्ती फाइण्ड ए फ्रेंण्ड क्या है यह इसके ऊपर कुछ दिन पहले खबर आई थी इस सच का पता चला मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी अखबार इस तरह का विज्ञापन देते हैं भले ही वह अखबार के किसी कोने में हो लेकिन वह अखबार वैश्यावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं उनको सरकार विज्ञापन देना बन्द कर दे तो वह इतना छोटा सा विज्ञापन लेने की वह भूल नहीं करेंगे। महिलाओं का यौन शोषण बढ़ता जा रहा और यौन शोषण का शिकार महिलाएं मजबूरन वैश्यावृत्ति की तरफ बढ़ रही हैं वे कहीं सुरक्षित नहीं हैं। सम्प्रेक्षण गृहों में भी उनका शोषण हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिए।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मैं अन्त में एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

"ज़ा बज़ा बिकते हुए कूचओ बाजार में ज़िस्म
खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए
जिस्म निकले हुए अमराज के तन्जूरों से
पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से
लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजे।"

आप चाहे जितना बड़ा बजट पास करें महिलाओं का कल्याण होने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का, सुझाव रखने का मौका दिया। क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए चन्द सुझाव में अपनी बात रखना चाहता हूं। मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितने भी प्रदेश के कारागार हैं उनमें बड़े सुधार की आवश्यकता है सुधार के साथ-साथ मेरा मानना है कि मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। जो बड़े-बड़े माफिया हैं उनका जेलों पर एक तरह से कब्जा है वह जेलों के अन्दर से रोज ऐसे बात करते हैं जैसे हम लोग घरों में बैठकर बात नहीं करते हैं। जब से यह सरकार बनी है मैं बधाई देना चाहता हूं कि काफी सख्ती करने का काम आप लोगों ने जेल के

अन्दर किया है। लेकिन जब भी जेलों में छापा मारा जाता है समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि इतने मोबाइल फोन पकड़ने का काम हुआ। अवैध चीजें जो नहीं होनी चाहिए वह जेल के अन्दर से सरेआम होती हैं। लगातार आप छापे डालने का काम कर रहे हैं मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितनी सख्ती आप कर सकते हैं उतनी सख्ती करने का काम करें। आज भी तमाम जेलों के अन्दर अपराधियों के धमकी भरे फोन बाहर आ रहे हैं, मान्यवर, इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी जेलों के अन्दर हैं, हालांकि मेरा भी मानना है कि जेल के अन्दर जो कर्मचारी होते हैं वे भी इसमें सम्मिलित रहते हैं, उन्हीं के माध्यम से जो भी गलत काम जेल में होते हैं वे उसमें संलिप्त रहते हैं लेकिन पिछले दिनों अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को एक मंडल से हटाकर दूसरे मंडल में आपने जो ट्रांसफर करने का काम कर दिया। वह बहुत छोटे अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं। अब आपने मेरठ मंडल से लेकन उसको गोरखपुर मंडल कर दिया। मान्यवर, इसमें मेरा कहना है कि थोड़ा उनको नजदीक रखने का काम करें ताकि वो अपने परिवार को भी देख सकें। या तो उन जेलों के अन्दर उनकी जो मेरिट है उसके हिसाब से उनको सूची में रखा जाय।

दूसरा मैं बाल कल्याण विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि मेरठ, बागपत में जो कारागार है उसमें दो गुने से ज्यादा ओवर क्राउड है। आपने अपने बजट भाषण में भी इसको माना है। वहां पर बंदियों और कैदियों का बहुत बुरा हाल है। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बागपत में एक निर्माणाधीन कारागार है उसके निर्माण में थोड़ा प्रगति लाने का काम कर दें उसको जल्दी बनवा दें जिससे दोनों जिलों को लाभ होगा। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट में आप लोग बहुत अच्छी चीजें लाने का काम करते हैं, तमाम अच्छी-अच्छी योजनाएं चलाने का काम सरकार करती है। कोई भी सरकार यह नहीं चाहती है कि सरकार की तरफ से कोई गलत काम हो या जनहित के विरोध का कोई काम हो। आपकी जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं जनता के हित की जो योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं को अधिकारी बंटाधार करने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरह से फैल गया है। मान्यवर, पहले आप इस भ्रष्टाचार को रोकने का काम कर दीजिए तो आपकी सारी योजनाएं सफल हो जायेंगी। अगर आप भ्रष्टाचार नहीं रोकेंगे तो आपकी एक भी योजना कामयाब होने वाली नहीं है और सारी अच्छी योजनाओं का बंटाधार हो जायेगा। अभी आप बता रहे थे कि आपने पेंशन को बढ़ाकर 300 रुपये करने का अच्छा काम किया है। अभी कुछ लोग कह रहे थे, मान्यवर, मैं तो नया सदस्य हूं, पहली बार चुनकर सदन में आया हूं। मैं देखता हूं कि जब लोग हाउस में इस तरफ होते हैं तो आलोचना करने का काम करते हैं और जनता की बहुत सारी चिन्ता उनको हो जाती है लेकिन सत्ता पक्ष में चले जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। आपने अच्छा किया है कि 150 रुपये पेंशन को एक साथ बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज मंहगाई का युग है और इस मंहगाई के युग में यह 300 रुपये कम हैं यदि आप इस 300 रुपये को थोड़ा

और बढ़ाकर 500 रुपये तक ले जाने का काम करेंगे तो गरीब, कुचले, निचले तबके का जो आदमी है उसके लिये 300 रुपये भी काफी है लेकिन यदि आप इसको 500 रुपये कर देंगे तो अच्छा होगा उसको जीवन यापन करना आसान हो जायेगा और वह आपको दुआ देने का काम करेंगे। आपके लिये आगे बढ़ने का काम करेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि 2007 के विधान सभा सत्र में नियम-56 के अन्तर्गत मैंने एक सूचना लगाई थी उसका जवाब मेरे पास है। 11 फरवरी, 2004 को तमाम कुछ ऐसी संस्थाएं थीं राजकीय सम्प्रेक्षण गृह जो बन्द कर दिये गये और उसका जो सामान था संस्थाओं का वह पूरे प्रदेश में 4-5 जोनल स्टोर बनाये गये थे जिसमें उनके सामना को रखे जाने के लिये कहा गया। मान्यवर, यह जोनल स्टोर बनने का काम हो गया, तमाम संस्थाओं को बन्द करने का काम हो गया लेकिन यह सामान कहां है ? इसका आज तक कुछ पता नहीं है। अधिकारियों ने सारा सामान गायब कर दिया। किसी विभाग में, मान्यवर, आपने अपने भाषण में भी कहा जो हेड बाबू हैं, आपके विभाग में ही नहीं तमाम विभागों में हेड बाबुओं की बड़ी कारगुजारी है। जो जहां जम जाता है वहां से हटने का नाम नहीं लेता है। इस विभाग में भी ऐसा ही है। मैंने भी इस विषय में सवाल लगाया था। कुछ अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया लेकिन वे हाई कोर्ट से स्थगन आदेश ले आये। मान्यवर, 2004 से जांच चल रही है। पहले मैंने सवाल लगाया था 2007 के तीसरे सत्र में तो जवाब आया कि जांच चल रही है। इस सत्र में भी मैंने सूचना मांगी थी तो मेरे पास जवाब आया कि अभी जांच चल रही है। पुराने जांच अधिकारी रिटायर हो गये और दूसरे जांच अधिकारी आये हैं। मैं समझता हूं कि दूसरे जांच अधिकारी भी रिटायर हो जायेंगे और मैं फिर सूचना मांगूगा तो यही जवाब आयेगा कि जांच चल रही है।

(समय 7 बजकर 20 मिनट)

माननीय अध्यक्ष जी, आपके विभाग में एक कर्मचारी देवेन्द्र कुमार है आपके हेड आफिस में है निदेशक महोदय के कार्यालय में तैनात है उनका स्थानान्तरण झांसी के लिए किया गया दो साल तक तो वह बिना ज्वाइन किये हुए रहे और फिर दो साल के बाद उन्होंने यहीं पर आकर ज्वाइन कर लिया। फिर उनका स्थानान्तरण उत्तरांचल के लिए हुआ कार्यमुक्त भी कर दिया गया। मैंने इस पर भी प्रश्न लगाया था। सूचना भी दी गई कि फलां तारीख को कार्यमुक्त कर दिया गया, लेकिन आज भी वह विभाग में कार्य कर रहे हैं फाइलें उनके नाम से स्थान्तरित की जा रही हैं अधिकारियों के द्वारा जिनको कार्यमुक्त कर दिया उत्तरांचल के लिए महिला बाल कल्याण में निदेशक कार्यालय में है अभी भी कार्य कर रहे हैं ऐसे जो लोग हैं विभाग में जो एक पोस्ट पर जमे हुए हैं हालांकि आपने माना भी है कि तमाम जिलों में मैं तो कहता हूं कि आपकी बहुत अच्छी सोच है जो लोग ज्यादा समय से एक पद पर एक ही जिले में जमे हैं उनकी सांठ-गांठ कुछ लोगों के साथ हो जाती है। दलाल किस्म के लोग उनके सम्पर्क में आ जाते हैं और दलाली करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को बदलने का काम करें तो बहुत अच्छा होगा इसी के

साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

श्रीमती प्रतिभा शुक्ला-

मान्यवर, हमारे माननीय मंत्रिगण और हमारे पक्ष एवं विपक्ष के मा0 सदस्यगण अभी महिला कल्याण बाल विकास के बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं और पक्ष पर अपने विचार रखना चाहती हूं अभी जैसा हमारी फातिमा बहन ने कहा मैं तो कोई तैयारी से नहीं आई थी पहली बार बोल रही हूं मैं बताना चाहूंगी कि कन्या धन के विषय में आपने बहुत जोर दिया। कन्या धन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है वह अपने आप में पूर्ण है। (मेजें थपथपाई गईं) माननीय हमारी बहन जी ने जो बजट पेश किया है यह बहुत ही अच्छा बजट है उन्होंने नारी के उत्थान के लिए कहा है, उन्होंने नारी को ऊपर उठाने की बात कही है उन्होंने यह विचार रखे हैं।

'नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत नभ तल में,
पीयूष स्रोत सी बहा करो
जीवन के सुन्दर समतल में,

(मेजें थपथपाई गईं)

मा0 अध्यक्ष जी नारी कोई भोग्य वस्तु नहीं है उसको हमारा समाज ही भोग्या बनाता है। विपक्ष के लोग जब विपक्ष में बैठ जाते हैं तो यह कहते हैं और विरोधी बातें रखते हैं पर मैं यह कहना चाहूंगी कि समाज को बदलना है तो सबको आगे आना पड़ेगा। अगर बाल सुधार लाना है तो हम यहां बैठे लोगों से पूछना चाहेंगे कि आप अपने घर में बच्चों को नौकर रखते हैं क्या ? बहुत से लोगों के घर में बच्चे नौकर होंगे। हम यह कहते हैं कि हम सुधार की बात तभी करें जब हम अपनी कथनी और करनी में अन्तर लाएं में तो यह बात इसलिए कहती हूं कि मैंने अपने जीवन में किसी बच्चे को नौकर नहीं रखा कभी नहीं रखा।

(मेजें थपथपाई गईं)

रही नारी सुधार की बात तो नारी का चरित्र जो हमारी एक भारतीय संस्कृति में हुआ करती थी जिसको हम भूल गए। बात यहां बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी की नहीं है बात है समाज को बदलने की हम लोग तथा कितने लोग ऐसे हैं जो समाज को बदल रहे हैं। हम लोग बदलना ही नहीं चाहते हैं अपना नैतिक पतन खुद ही कर रहे हैं। नारी खुद ही भोग्य वस्तु बन रही है। हम तो यह कह रहे हैं कि महिलाओं को एक होकर आगे आना चाहिए और हमारी बहन जी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रही हैं। (मेजें थपथपाई गईं)

क्योंकि माननीय बहन जी सम्मान की बात रखती हैं। माननीय बहन जी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात रखती है हमारी पार्टी में महिलाओं को आदर की दृष्टि से देखा जाता है यहां जितने लोग

बैठे हैं महिलाओं का आदर करते हैं और कभी अभद्रता का विचार भी नहीं रखा जाता है। समाजवादी पार्टी की बात क्या कहें, आठ महीने की सरकार हमारी बनी उससे पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। उसमें कितना महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ करता था यह बात किसी से छिपी नहीं है। (शेम-शेम की आवाजें)।

आप यह बतायें आपने महिलाओं के लिए क्या किया। अगर आप चाहते तो इन साढ़े तीन सालों में काफी परिवर्तन कर सकते थे आपने क्यों परिवर्तन नहीं किया। हमारी फातिमा बहन बहुत जोर से बोलती हैं तो हम उनकी सराहना करते हैं कि भई ठीक है आपने अपना वक्तव्य रख दिया। हम कहना चाहते हैं हमारी जो मातृत्व जननी योजना है यह भी बहुत सराहनीय कदम है, समाजवादी पार्टी की सरकार में तो यह लाभ मिलता ही नहीं था। मैं भी अपने क्षेत्र में गयी हूं और अपने हाथों से चेक बांटे हैं। मान्यवर, इस योजना में कुछ लोगों ने कहा कि कैश न दिया जाए, कोई सामान दे दिया जाए, लेकिन मान्यवर, पैसा मिलने के बाद महिलाएं उस पैसे का कहीं भी उपयोग कर सकती हैं, इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। कन्या धन योजना के मैं बिल्कुल विरोध में हूं। कन्या धन देकर महिलाओं को पराधीन बनाया जा रहा था, महिला और पुरुष जब समाज की गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया लचर-पचर होगा तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी।

मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जा रही है, वह महिलाओं और पुरुषों के लिए समान रूप से है, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जा रहा है। अनुदान भी हमारी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। मान्यवर, जब कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन शुरू करता है तो उसे स्वयं सोचकर चलना चाहिए कि यदि हमने अपनी बेटी को पैदा किया है, तो अपने भरोसे पर किया है, सरकार के भरोसे पर नहीं किया है। हम यह कहते हैं कि यह माता-पिता की जिम्मेदारी हुआ करती है कि वह अपने बच्चों को किस तरह के संस्कार दे और किस प्रकार से उसका पालन-पोषण करें, किस प्रकार से उसको शिक्षा दो, यह सोचकर ही हमें अपने परिवार को चलाना चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि व्यक्ति किसी भी जाति का क्यों न हो, किसी भी धर्म का क्यों न हो, किसी भी पार्टी का क्यों न हो, यदि समाज को बदलना है तो सबको आगे आना पड़ेगा। यहां कहने से बात नहीं बनती हैं, इसे अपने जीवन में उतारने से बात बनती है। आप कहते हैं कि घूस ली जा रही है तो आप कितना सहयोग करते हैं ? इसे रोकने में हम तो दावे से कहते हैं कि हम एक भी पैसा नहीं लेते आप दावे से कहते हैं, क्या समाजवादी पार्टी के लोग कह सकते हैं ? मान्यवर, नहीं कह सकते हैं। मान्यवर, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि नारी का सम्मान करना है तो हमारी मा0 बहन जी कहती हैं कि कहीं भी डांस नहीं होना चाहिए, कहीं भी नाच में नहीं होना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी में तो खुद जया प्रदा को नचाया जा रहा है। मान्यवर, हमारा अनुरोध है और कहना चाहते हैं कि हमारी विधान सभा में जहां कहीं नौटंकी होती है, मैं वहां कभी भी नहीं जाती, न मैं जाती हूं। न हमारे पति जो सांसद हैं वह जाते हैं। हम ऐसी हर पार्टी का बिल्कुल बहिष्कार करते हैं और कह देते हैं कि कहीं भी अगर नौटंकी का

आयोजन है, कहीं भी अगर हमारी महिला बहन का अपमान हो रहा है तो हम उसके विरोध में खड़े हैं। वह इसलिए मान्यवर, आप पता कर सकते हैं कि चौबेपुर विधान सभा में कहीं भी यदि इस प्रकार का आयोजन होता है तो हम उसमें कभी भी सहयोग नहीं देते हैं। मान्यवर, जब हमें बात उठानी है तो सबको बदलना पड़ेगा। सबको घूस के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। सभी को बच्चों से प्रेम करना पड़ेगा, सभी को महिलाओं का आदर करना पड़ेगा। कितने लोग महिलाओं का आदर करते हैं ? कहने के लिए तो हम बहुत कुछ कहते हैं कि हम बहुत महिलाओं का आदर करते हैं, मान्यवर, महिलाओं का आदर कोई नहीं करना चाहता, पुरूष प्रधान समाज है, हम तो कहना चाहते हैं कि हमारी मा0 बहन जी का जो यह प्रयास है, बहुत सराहनीय प्रयास है और मा0 बहन जी इतना ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं, पूरा सम्मान देती हैं और बहुजन समाजपार्टी में पूरा सम्मान मिलता है। मान्यवर, मैंने पहली बार इस सदन में अपनी बात रखी है, आप सभी को धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करती हूं धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

सूरजपाल जी, आप कारागार और महिला कल्याण दोनों पर बोलना चाहते हैं, आप किसमें जाना चाहते हैं कारागार में या महिला कल्याण में ?

*ठाकुर सूरजपाल सिंह-

मान्यवर, दोनों में।

श्री अध्यक्ष-

नहीं दोनों में नहीं।

ठाकुर सूरजपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महिला कल्याण के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अभी इसी सदन में हमारी बहन, महिला सशक्तीकरण के बारे में बात कर रही थीं। कहा गया कि हमारी सरकार के माध्यम से 600 करोड़ रुपया कन्या धन के रूप में दिया गया था तो मैं कहना चाहता हूं कि वह 600 करोड़ रुपये कन्याधन के माध्यम से नहीं बल्कि चुनाव प्रचार के माध्यम से दिया गया था। रही नारी सम्मान की बात तो अगर आपके मन में नारी के लिए सम्मान होता तो इलाहाबाद में मदरसा काण्ड न होता और जौनपुर में पिता के सामने बेटी का बलात्कार काण्ड न होता। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश का मुखिया जिस क्षेत्र में मौजूद हो, बेटियों का बलात्कार हो उसे प्रदेश के मुखिया को एक शब्द बालने का मौका नहीं हो, फुर्सत नहीं हो तो ऐसे लोग महिला सशक्तीकरण की बात कैसे कर सकते हैं। मान्यवर, मैं एक घटना कहना चाहता हूं कि 2 महिलाओं की शिकायतों के ऊपर हमारी बहन जी ने अपनी ही पार्टी के दो सांसदों का अपनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही पार्टी से निकाल दिया था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि तुम अपनी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को निकाल सकते हो ? और हमारी बहन जी ने एक सांसद को अपनी पार्टी से निकाला था।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि महिला संशक्तीकरण की बात करने वाले बहुत होते हैं लेकिन कुछ अपने गिरबान में झांककर देखें तो कांच के घरों में बैठने वाले कभी पत्थर नहीं फेका करते हैं। आपका मुखिया तो 50-50 लाख एक-एक करोड़ जब आधे-आधे घण्टे नाचने के देता था। हमारी मुख्य मंत्री जी ने महिला के उत्थान की बात की है तो उस बालिका के लिए जीवन बीमा की जो हमारी नई पद्धति अपनायी गयी है हमारे बाल विकास योजना के माध्यम से 2000 रुपये के विकास पत्र के रूप में, जो 8 हजार 18 वर्ष की आयु में मिलेगा और 3 लाख रुपये उसके मुखिया के खत्म होने पर उसके परिवारीजनों को मिलेगा। मान्यवर, हमारी मुखिया महिला है और वह हमेशा महिलाओं का सम्मान करती हैं। और अगर वह सम्मान नहीं करतीं तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में श्रीमती प्रतिभा पाटिल का समर्थन नहीं करतीं। इस प्रदेश में आपकी सरकार ने कितनी महिलाओं को मंत्री बनाया हमारी बहन ने 2-3 मंत्री महिलाओं को बनाया और महिलाओं का सम्मान किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

(कई सदस्यों के द्वारा एक साथ बोलने की अनुमति मांगने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब बहुत समय हो गया। उस्मानी जी अब रहने दीजिए। सब लोग देखिये उठ रहे हैं। 8 बजने जा रहा है। हाथ बढ़ते जा रहे हैं। 8 बजने जा रहा है। उस्मानी जी बात को लम्बा मत करिएगा। दो मिनट में अपनी बात कह दीजिएगा।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो जेलों में जो तमाम कैदियों की मृत्यु हो जाती है तो इसमें मेरा सरकार का सुझाव है इसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाये जायें। जो कैदी बंद हैं उनकी बीमारी के उपचार के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था नहीं है। तमाम जेलों मे खबरें आती हैं कि आज फलां जेल में फलां कैदी की मृत्यु हो गयी। उसको रोकने के लिए भी जेलों में व्यवस्था होनी चाहिए और जेलों में जो कैदियों की संख्या दुगुनी है उनके खाने-पीने की व्यवस्था के लिए जो बजट है वह कम है तो उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसी तरीके से जो होमगार्ड विभाग है, होमगार्डो का जो मानदेय है वह बहुत कम है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए और होमगार्डो से जो गृह विभाग के अधिकारी नौकर की तरह कार्य लेते हैं इस पर भी रोक लगनी चाहिए। क्योकि जो होमगार्ड होते हैं वह दबे कुचले समाज के होते हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार को यह मेरा सुझाव है और बाल विकास पुष्टाहार में अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 897 परियोजनाएं चल रही हैं। 1 लाख 51 हजार 469 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं। केन्द्र तो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। लेकिन

मौके की हालत, जमीनी हालत, उसकी हकीकत यह बता रही है कि वहां पर पुष्टाहार नहीं मिल रहा है। गोदामों में वह बेचा जा रहा है, बिचौलिये बेच रहे हैं और गरीबों को नहीं मिल रहा है। मान्यवर, जो आगंनवाड़ी कार्यकर्ती की नियुक्ति होती है उसमें शासनादेश का अनुपालन नहीं होता है। इसी सत्र में मैंने लखीमपुर और सीतापुर का एक सवाल उठाया था कि वहां पर नियुक्तियों में भ्रष्टाचार किया गया, जांच करायी गयी तो यह बात सही पायी गयी है। जो जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर हैं उनको निलम्बित किया गया है, सीतापुर वाली को नहीं किया गया है। आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद और मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे दीप नारायण सिंह द्वारा रखे गये कारागार तथा सैय्यदा शादाब फातिमा जी द्वारा रखे गये महिला एवं बाल कल्याण विभाग की कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभारी हूं और इस प्रस्ताव पर बल देता हूं। मान्यवर, कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जेलों में जो हमारे अस्पताल हैं वहां पर डाक्टर नहीं हैं, कर्मचारी नहीं हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वहां पर डाक्टरों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाय जिससे जो बीमार कैदियों को बाहर ले जाने की प्रथा है, वह समाप्त हो। मान्यवर, जो भोजन बनाने के मानक हैं वह भी ठीक नहीं हैं। उसमें माफियाओं का कब्जा है और वह लोग भोजन पर कब्जा कर लेते हैं और जो मानक है उसके विपरीत कम भोजन बनाने को दिया जाता है तो इसपर विशेष ध्यान देने की बात है और ध्यान देने की कृपा करें। तीसरा निवेदन यह करना चाहूंगा कि तीन-तीन महीने में प्रत्येक जेलों में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निरीक्षण कराया जाय और उसमें जो अनापत्ति सामग्री हैं, या मानकों के अनुरूप भोजन का वितरण नहीं होता है या अस्पतालों में दवाईयां वितरित नहीं होगी, उसकी रिपोर्ट आपके पास आयेगी, जिससे और सुधार किये जायें यह मेरी आपसे गुजारिश है। बाल विकास के विषय में कहना चाहूंगा, हमारे सिद्धार्थनगर जनपद की बात करना चाहूंगा कि वहां पर शासनादेश का पालन नहीं होता है। मुख्य विकास अधिकारी सारे कार्यो को स्वयं कर लेते हैं जबकि चीफ सेक्रेटरी का शासनादेश यह है कि जो सबसे वरिष्ठ सीडीपीओ होगा वह चार्ज लेगा लेकिन मुख्य विकास अधिकारी पिछले नौ दस महीनों से अकेले सारा चार्ज लेकर काम करते हैं और नियुक्ति किये हैं। पुष्टाहार के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि जितनी भी सूची बनायी गयी हैं उसका पर्यविक्षण करा लिया जाय यह गांव में किसी को मिलता नहीं है। मैं अपने विधान सभा के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां गांव में पुष्टाहार वितरित ही नहीं हुआ है। अगर किसी भी एक गांव में पुष्टहार वितरित हुआ हो तो जो सजा आप देंगे वह भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। आप इसका निश्चित रूप से निरीक्षण कराने की कृपा करें। हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि जैसे आप और सुधार कर रहे हैं इसके लिए भी एक समिति बना दें जो हर तीन महीने में देखें कि पुष्टाहार का वितरण हो रहा है कि नहीं। दस हजार, बीस हजार देकर हमारे जिले में नियुक्ति हुई उन नियुक्तियों के सम्बन्ध में आपने कहा कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, तो मैं आपके

माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसको दिखवा लीजिये। बहुत ही अन्याय हो रहा है। मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं महिला एवं बाल विकास की कटौती के प्रस्ताव पर ही बोलूंगा। मैं इस पर बल देने के लिए खड़ा हूं। मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है उसमें दो ब्लाक हैं शमशाबाद और फतेहाबाद। इसमें 169 और 165 आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं। शायद ही किसी आंगनवाड़ी में भवन हैं। ढाई महीने से कोई भी खाद्य सामग्री हमारे शमशाबाद ब्लाक पर नहीं पहुंची है। अभी ढाई महीने बाद पंजीरी मिली है। कभी दलिया, चावल, बिस्कुट, रिफाइन्ड आयल, दाल आदि चीजें पहुंच जाती हैं। यहां पर सामान या तो बटंता नहीं है या फिर उसको भैसें खाती हैं या बेच दिया जाता है। सारी परियोजनायें भ्रष्टाचार का अड्डा हैं, जितनी पंजीरी आती है उसमें अमूमन गिड़ार निकलने लगती हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी आपने बताया कि कुपोषित बालिकायें, किशोरियां, महिलायें हैं उनको 300 कैलोरी के बजाये 600 कैलोरी कर देंगे क्योंकि पैसा इन्होंनें सिर्फ 40 पैसा बढ़ाया है तो दुगना आहार कैसे कर के देंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। साप्ताहिक पोषाहार वितरण की व्यवस्था है, वह हम चाहते हैं कि सहायिका घर जा कर के बांटे और उसे रिसीव कराये या सीधा पैसा लाभार्थी को दे दिया जाये। आंगनबाड़ी बनाने के लिए कम से कम हमारे फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में 25 स्थलों का चयन कर लें। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि दहेज पीड़ित महिलाओं को जो आर्थिक सहायता आप देते हैं 125 रुपये से बढ़ाकर उसे 500 रुपये कर दें, पति की मृत्यु पर निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के लिए विवाह अनुदान 10 हजार की जगह पर 25 हजार रुपये कर दें। एक चीज और कहना चाहता हूं मान्यवर, जन संख्या नियंत्रण के बारे में कहना चाहता हूं कि जन संख्या नियंत्रण को भी हम विभाग के साथ जोड़े। मान्यवर, महाकवि सूरदास नेत्रहीना विद्यालय के अन्तर्गत सूरस्मारक रुनकता आगरा की व्यवस्थाओं के बारे में मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इसे सुधारने का काम करें। यही हालत महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित आगरा की संस्था का हाल है तथा आगरा के बालगृह भी ठीक नहीं चल रहा इस तरफ भी उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री सुन्दर लाल लोधी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कारागार और बाल पुष्टाहार के कटौती के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और मात्र संक्षेप में ही हम अपनी बात कहेंगें। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने बजट भाषण में कारागार के बारे में बताया कि उत्तर प्रदेश में जितनी कारागारें हैं हम अगर विस्तृत में जायेंगें तो काफी समय भी लगेगा और समय का अभाव है, हम मात्र एक ही के बारे में लेंगें। उत्तर प्रदेश में मात्र एक आदर्श करागार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो लखनऊ में है, बहुत पहले से उसमें कैदी स्वछन्द घूमते थे, सजा काटते थे, उसमें एक फार्म था, उस फार्म में जा कर के वह खेती किया करते थे। खेती की उपज का कुछ अंश उन्हें मिला करता था वह अपने परिवार को भेजा करते थे, हम इसका सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि इसी सरकार में जो आज सरकार है यही सरकार उस समय भी थी, उस फार्म को अधिग्रहीत कर लिया और फार्म को अधिग्रहीत करने के बाद उसमें हमारे परम् पूज्य जिनको हम भगवान कहते हैं उस स्थल के ऊपर डा0 भीम राव अम्बेडकर के नाम से एक बहुत बड़ा मैदान बनाया। मैदान बना परन्तु उन स्वछन्द घूमने वाले कैदियों के लिए क्या व्यवस्था की इस सरकार ने उस समय अधिग्रहीत किया था और आज भी वही सरकार है, उन स्वछन्द घूमने वाले कैदियों के लिए अगर इन्होंने अपनी कोई योजना इस बजट में रखी है तो हम इन्हें बधाई अवश्य देंगे और बधाई देते हुए हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी हमारे जनपद उन्नाव का नाम लिया था कि वहां के ऊपर उद्योग लगवाने के लिए जा रहे हैं जेल में, लखनऊ में उद्योग लगवाने के लिए जा रहे हैं, उन्नाव में कालीन का उद्योग बहुत पहले से चला आ रहा था और सौभाग्य से इसी सरकार में जब हमारे माननीय मंत्री जी की सरकार थी, इसी जगह के ऊपर माननीय बहन जी बैठा करती थीं, उसी समय के ऊपर वह उद्योग बन्द किया गया था और जब उस समय वह उद्योग बन्द हो गया, तो आज पुनः यह उस उद्योग को चालू करा देते हैं तो हम जरूर बधाई देंगे। मेरी समझ में एक ही मिनट हमारा समय लगा होगा और यह सुझाव के रूप में हमने कहा है इसलिए इस सुझाव को मानते हुए स्वछन्द घूमने के लिए कैदियों के लिए कोई व्यवस्था बनाते हुए कोई ऐसा विचार करें और धन्यवाद देते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे यहां बागपत में पुष्टाहार का वितरण समय पर नहीं हो रहा है और दो-दो महीने का पुष्टाहार जानवरों को बेचने का काम किया जा रहा है, इसको दिखवा लीजिए।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, कारागार नागरिक सुरक्षा और महिला कल्याण के बजट पर तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम माननीय सदस्यों के इधर विचार आये हैं, उस पर कटौती का प्रस्ताव भी आया है, जिसमें हमारे भाई दीप नारायण सिंह जी हैं, जो कारागार के ऊपर इधर रखें हैं और नागरिक सुरक्षा के ऊपर और श्रीमती फातिमा जी महिला कल्याण के ऊपर, तमाम माननीय सदस्यों के इधर विचार आये हैं मान्यवर, उनको हमने लिखने का काम किया है। हमारे अधिकारीगण भी दीर्घाओं में बैठे हुए हैं वह भी नोट कर रहे हैं। मान्यवर, पहले नम्बर पर कटौती का प्रस्ताव दीप नारायण सिंह जी ने रखा था वह ज्यादा जेलों के बारे में चिन्तित नहीं थे क्योंकि वह ज्यादातर गृह विभाग के बारे में बोले हैं। मान्यवर, जेलों में इधर सुधार की योजनायें लागू की गयी हैं। विपक्ष के माननीय साथियों ने भी माना कि काफी सुधार हुआ है। जबसे गृह विभाग के अधीन हुआ है तब से उसमें काफी सख्ती हुई है। इधर पी0ए0सी0 को भी लगाने का काम किया

जा रहा है इसी तरह से वहां पर माफियाओं पर भी अंकुश लगाने का भी काम किया गया है। यह भी सख्ती की गयी है कि जो फिरौती उद्योग है या अपहरण उद्योग है इसको संचालित न कर पायें। जहां तक जेलों में निरीक्षण की बात है यह तो व्यवस्था है। पहले से है कि जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और जनपद न्यायार्धीश द्वारा किया जायेगा। प्रमुख सचिव गृह बैठे होंगे इसको देख लेंगे। ऐसा माननीय सदस्यों ने कहा है कि हर तीन महीने में निरीक्षण नहीं होता है तो इस पर वह सख्ती करें। मेरे संज्ञान में यही आया है कि इधर बहुत सुधार हुआ है और निरीक्षण कार्य भी हुआ है और जेलों में काफी सख्ती हुई है। कौकब जी ने बात कही थी जो जेलें शहरों से बाहर ट्रांसफर होंगी उसकी जमीनों का क्या होगा। अभी जो नीति बनी है वह ट्रांसफर बनी है। इसकी नीति नहीं बनी है। अभी जेलों के बनने में काफी दिन लगेगा उसके बाद इन परिसम्पत्तियों के निस्तारण के बारे में भी नीति बनेगी।

माननीय अनुप कुमार गुप्ता जी ने सुझाव दिया कि बी क्लास की भी जेलें बननी चाहिए। वे भविष्य के लिये ज्यादा चिन्तित थे। मान्यवर, इसके बाद फातिमा जी ने काफी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि महिला कल्याण विभाग के बजट को बहुत कम कर दिया गया है मान्यवर, मेरे पास 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के आंकड़े हैं। मान्यवर, 2006-07 में 12 अरब, 64 करोड़, 29 लाख, 67 हजार का बजट प्रावधान था। 2007-08 में 19 अरब, 14 करोड़ 34 लाख रु0 का प्रावधान था। इस 2008-09 के बजट में यह बढ़कर 20 अरब, 87 करोड़, 70 लाख, 94 हजार रु0 का प्रावधान है। तो यह इतना बजट बढ़ा है। यह कहना मुनासिब नहीं लगता कि बजट नहीं बढ़ा है। जहां तक कुपोषण के बारे में बात है वह बहुत चिन्तित थीं। मान्यवर, भारत सरकार और राज्य सरकार भी इस बारे में चिन्तित है। मान्यवर, हमारे यहां 1 लाख 30 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र थे वह 1 लाख 51 हजार किये गये हैं और इन केन्द्रों के माध्यम से पुष्टाहार के बारे में प्रयास है ताकि कुपोषण की समस्या दूर हो। आप गाय भैंस की बात करते हैं कि वह खाते हैं। मान्यवर, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि इसका विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय। 470 परियोजनाओं को 897 में से उनका विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। वह आंगनबाड़ी केन्द्र जो हैं, जिस गांव में संचालित हैं एक महिला सदस्य मातृ समिति की अध्यक्ष होंगी उसमें कार्यकत्री और सहयोगी सदस्य होंगी। उनका ज्वाइंट एकाउंट खुला होगा और उसमें सीधा पैसा जा रहा है। ताकि वह मौके पर खरीद कर, गर्म भोजन बनाकर वितरित करने का काम करें। यह प्रयास है कि जनवरी 2009 तक 10 प्रतिशत विकेन्द्रीयकरण कर दिया जाये। तो इस तरह से यह जो पुष्टाहार की समस्या है उसकी नौबत खत्म हो जायेगी, विकेन्द्रीकरण की योजना शुरू की जा रही है।

मान्यवर, इस सरकार का यह सुनिश्चित मत है कि पुष्टाहार उपलब्ध हो। इस तरह से कुपोषण की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, इसके अलावा भारत सरकार के सहयोग से आईएसडीएस 4 के माध्यम से कुपोषण की समस्या को दूर करने के सम्बन्ध में प्रदेश के 31 जिलों में योजना संचालित करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा

फातिमा जी जो लिंग निर्धारण का कार्य है उसके बारे में चिन्तित थीं। मान्यवर, यह पहले से कानून बना हुआ है। ताकि जो लिंग निर्धारण की बात है उस पर रोक लगायी जाये। उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। इस तरह से लिंग निर्धारण के विषय में कानून का पालन कराया जा रहा है और कुपोषण को दूर करने की पूरी योजना इधर बनायी जा रही है। मान्यवर, फातिमा जी ने कहा कि बालिका श्री योजना बहुत कम है, आपकी भी सरकार थी आपकी सरकार में 200 रुपये बीमा का और 800 रुपये बचत पत्र था आपको तो बधाई देना चाहिए हमारी मुख्य मंत्री जी ने 500 बीमा किया और 2000 रुपये बचत पत्र कर दिया। हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इसमें तो यह सार्थक प्रयास है। जहां तक आप कह रही हैं कि निराश्रित पेंशन कम लोगों को दी जा रही है बीपीएल के आधार पर जितनी भी पात्र महिलाएं हैं उनको शतप्रतिशत निराश्रित पेंशन देने का काम यह सरकार करेगी यह फैसला ले लिया गया है। इधर माननीय शुक्ला जी ने कहा हमारे सिद्धार्थ नगर के हैं, बहुत सम्मानित हैं। हमने कह दिया है कि जो हमारा शासनादेश कहता है कि उस जिले का जो वरिष्ट सीडीपीओ है उसको चार्ज मिलना चाहिए। आपके डीएम ने सीडीओ को चार्ज दे दिया है, जिला कार्यक्रम अधिकारी का चार्ज दे दिया हैं जब डीएम ने दे दिया है तो हमने कमिश्नर को लिखा है कि शासनादेश का पालन करायें। और सीनियर सीडीपीओ को चार्ज दिलायें। यह हमने लिख दिया है और शीघ्र ही यह कार्यवाही हो जायेगी। जहां तक माननीय शुक्ला जी ने कहा कि वह जो मुख्य विकास अधिकारी के पास जिला कार्यक्रम अधिकारी का चार्ज था बहुत ही गलत तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका की नियुक्ति हुई है हम अधिकारियों से कहेंगे कि नोट कर लें उसके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। उसके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए और जो अपात्र हैं उनका निरस्तीकरण होना चाहिए उसमें पारदर्शित होनी चाहिए।

तमाम माननीय सदस्यों के विचार आये हैं। हमारे सोलंकी साहब ने कहा है कि इधर जो संस्थायें हैं वह बन्द कर दी गयी हैं। उसमें बच्चों की संख्या काफी कम हो गयी थी इसलिए बन्द कर दिया गया था। जहां तक आपने कहा कि उनमें तमाम सामान गायब हो रहे हैं तो हम इसकी जांच करायेंगे और जो भी दोषी होगा सख्त कार्यवाही उसके खिलाफ की जायेगी। एक नाम आपने बताया देवेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार को कार्यमुक्त कर दिया गया है और यहां से जो उसके वेतन भत्ते कई महीने से नहीं मिल रहे हैं उसको रोक दिया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनसे काम लिया जा रहा है। तो हम पूरी पारदर्शिता बरतने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, होमगार्ड के विषय में हमारे साथी ने कहा है कि घरेलू नौकर की तरह काम लिया जाता है। हमारी सरकार के पहले बहुत ज्यादा ऐसी गड़बड़ियां हुई थीं हम समीक्षा में कहे थे हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, हमने कहा था कि घरेलू नौकर की तरह काम नहीं लिया जाना चाहिए सही ड्यूटी उनसे ली जानी चाहिए और मैंने तो देखा जब समीक्षा किया कि चक्रानुक्रम में उनकी ड्यूटी ही नहीं लगाई गयी। कोई होमगार्ड अगर ड्यूटी कर रहा है तो लगातार ड्यूटी कर रहा है और कोई बैठा है तो बैठा है हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चक्रानुक्रम में ड्यूटी लगायी जाय और सबको ड्यूटी

मिले ऐसा हमारी सरकार का प्रयास होना चाहिए, अधिकारियों का प्रयास होना चाहिए। तो हम पूरी तरह से पारदर्शिता बरतने का काम कर रहे हैं। जहां तक गजेन्द्र सिंह जी ने कहा कि आंगनबाड़ी भवन नहीं है वह तो मैंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है उसको बनवाने का काम कर रहे हैं प्रस्ताव किये हैं, बजट में प्रस्ताव है, वह बन जायेगा। तो इस तरह तमाम सदस्यों के सुझाव आये हैं और विशेष तौर से श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी के बहुत अच्छे सुझाव आये हैं। पहली बार बोली हैं बहुत अच्छे विचार आये हैं तो मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, सूरज पाल सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, सूरजपाल जी दिखे नहीं, वह चले गये। सूरज पाल जी का तो बहुत बढ़िया विचार आया। मैं निवेदन करूंगा श्री दीप नारायण सिंह जी से और श्रीमती फातिमा जी से कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

यादव जी वापस ले रहे हैं ?

श्री बैजनाथ दुबे-

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ है कि लोगों को पका पकाया भोजन दिया जाय। स्थिति यह है कि आपने लकड़ी का कोई प्रॉविजन किया नहीं बर्तन का कोई प्रॉविजन किया नहीं और 2 रुपया 30 पैसा इसका मूल्य निर्धारित किया है तो इस पर विचार कर लीजिए।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, भारत सरकार की मीटिंग में हमने इस चिन्ता को व्यक्त किया हैं। हमने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में आप कहते हैं कि पका-पकाया भोजन मिले। न वहां पर आंगनवाड़ी केन्द्र है, न चूल्हा बर्तन की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है और आपने कह दिया कि इसको विकेन्द्रीकृत कर दीजिए। यह समस्या है हमने इसे भारत सरकार की मीटिंग में उठाया है।

श्री अध्यक्ष-

फातिमा जी, बतायें क्या कटौती का प्रस्ताव वापस ले रही हैं ?

श्रीमती सैय्यदा सादाब फातिमा-

हम वापस नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रही हूं। और कुछ स्पष्टीकरण भी है, जैसा कि मा0 मंत्री जी ने बजट के बारे में कहा तो पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि यह बजट साहित्य हम लोगों को चार दिन पहले दिया जाना चाहिए था जो कल शाम को चार बजे मिला।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आने के बाद भाषण नहीं किया जाता है। आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रही है या नहीं ?

श्रीमती सैय्यदा सादाब फातिमा-

हम आपसे बात यह कह रही हूं कि यह इनका स्वयं का दिया हुआ है। अनुदान संख्या-49 है, 81 है, 83 है। पूरा इसका आप योग पढ़ लें एक लाख 62 हजार 66। आप 49 का देख लें 1 लाख 61 हजार 61.94 लाख रुपए, हमने इसको पढ़ा है यदि यह गलत है तो यह आपकी जिम्मेदारी है, इसके हम जिम्मेदार नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष-

आप बतायें कि कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं या नहीं ?

श्रीमती सैय्यदा सादाब फातिमा-

नहीं, नहीं प्रस्ताव वापस नहीं ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की बात आपने कही थी। तो इसमें हम आपसे यह चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप नहीं मानेंगी। उत्तर आने के बाद भाषण नहीं होता है, इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

(श्रीमती सैय्यदा सादाब फातिमा का माइक ऑफ कर दिया गया और वह अपने स्थान से बोलती रही।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,95,88,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,08,22,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,39,75,78,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-53, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

समाज कल्याण मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,40,60,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,40,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,01,02,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की लगभग 79 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में समुचित आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए जो बहुजन समाज पार्टी का मुख्य लक्ष्य था, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का, तो सही मायने में वह गांव से शुरू होता है, जिसको हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मान्यवर कांशी राम साहब ने सोचा था, कल्पना की थी और आदरणीया बहन कु0 मायावती जी, उसको पूरा करने में लगी हुई हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों का पूरा विकास पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही किया जा सकता है। वर्तमान समय में हमारे प्रदेश में 52,000 ग्राम सभायें हैं, 820 क्षेत्र पंचायतें और 70 जिला पंचायतें संगठित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में, क्षेत्र पंचायतों में और जिला पंचायतों को संवैधानिक अधिकार देने के लिए कृत-संकल्प है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कटिबद्ध है। इस चीज को ध्यान में रख करके इस साल के बजट में मा0 मुख्य मंत्री जी ने 2007-2008 के बजट से लगभग 28 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों के माध्यम से जो महत्वपूर्ण योजनायें संचालित की जा रही हैं, उनमें ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम बहु उद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण, भूमिगत नाली निर्माण, पशु बाजार, किसान बाजार, सी0सी0 रोड और सी0सी0 डैम का निर्माण, पंचायतों की परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण और पेयजल की सुविधा आदि महत्वपूर्ण कार्य हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, पेयजल की व्यवस्था के रख-रखाव का कार्य पंचायतों के द्वारा प्राथमिकता से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2007-2008 में 2,74,102 हैण्ड पम्पों की मरम्मत की गयी है। वर्तमान समय में प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 16,37,888 हैण्ड पम्प स्थापित हैं। इसी तरह से मा0 अध्यक्ष जी, ग्राम पंचायत विभाग से ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम वहु उद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण है, 530 बहु उद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया है और 11,73,241 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण, 50,414 स्कूल शौचालयों का निर्माण 16,883 आंगनवाड़ी शौचालयों का निर्माण, 701 कि0मी0 भूमिगत नाली निर्माण पंचायत विभाग से करायी जाती है। वह

कराई गई है। इन उपलब्धियों के साथ अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा कुछ नई योजनाएं बनाई गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा एवं पर्यावरणीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से विगत 18 वर्षों में गांव में खड़ंजा नाली का निर्माण कराया जाता है। इनके अनुरक्षण एवं मरम्मत पर अत्यधिक धनराशि व्यय की जानी अपेक्षित होती है साथ ही इनके मरम्मत में रख-रखाव व सफाई का कार्य सुविधाजनक नहीं होता है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने जब गांव में जाकर इसको देखा और समझा तो इसे गम्भीरता से लिया इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि अब गांव में खड़ंजा नाली की जगह सी0सी0 रोड और के0सी0 ड्रेन का निर्माण कराया जायेगा। पहली बार उन्होंने इस बजट में सी0सी0 रोड और के0सी0 ड्रेन के लिए एक हजार करोड़ का प्राविधान किया। अध्यक्ष जी, वर्ष 2008-09 में लगभग 3800 डाक्टर अम्बेडकर ग्राम सभाओं का चयन किया जायेगा उसमें से लगभग 30 हजार 400 कि0मी0 सी0सी0 रोड का निर्माण और 45 हजार 600 कि0मी0 के0सी0 ड्रेन का निर्माण कराया जायेगा।

अध्यक्ष जी, इसके अलावा इस साल वर्ष 2008-09 में चार हजार जो पंचायत भवन है उनका निर्माण कराए जाने का लक्ष्य है। अध्यक्ष जी, मुख्य रूप से जो हमारे पंचायत राज विभाग से बाकी काम तो पुराने समय से चल रहे थे लेकिन सी0सी0रोड और के0सी0ड्रेन का काम हमारे अपने विभाग ने इसी वर्ष शुरू किया है और एक नया काम पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु भारत सरकार की सहायता से प्रारम्भ किया था। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 34 जनपदों का चयन वर्ष 2007-08 में किया गया है। इस निधि का उपयोग उन जनपदों में विकासात्मक कार्यों के लिए उन क्रिटिकल गैप को पूरा करने हेतु किया जायेगा जिन्हें किसी अन्य योजना में नहीं लिया गया है। योजनाओं का अनुमोदन, जिला स्तर पर जिला समिति से प्राप्त राज्यस्तर पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति से किया जायेगा। योजना के क्रियान्यन हेतु वर्ष 2007-08 में 500 करोड़ वित्तीय वर्ष 2008-09 में 700 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है। इसमें बुन्देलखण्ड के जनपद भी शामिल हैं यही सारी महत्वपूर्ण योजनाएं अध्यक्ष जी, पंचायती विभाग की हैं और इस पर माननीय सदस्यगण जो सुझाव देंगे उन पर हम गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री उदयराज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, पंचायत राजमंत्री जी के भाषण को मैंने अच्छी तरह से सुना है। मान्यवर, जहां तक मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर 80 प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं जब गांव ठीक होंगे तभी इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाना सम्भव होगा।

मान्यवर, महात्मा गांधी जी ने कहा था गांव के दरिद्र नारायण के बारे में हमको सबको पहले सोचना होगा। विनोबा भावे जी ने भी गांव के लोगों की तरफ चिन्ता व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि ग्रामवासी सबसे बड़ा देवता है। वास्तव में अगर हम स्थिति को उठाकर देखें तो मान्यवर, गांवों के विकास के लिये सबसे पहले 1947 में पंचायती राज कानून व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से पंचायती राज अधिनियम, 1947 बनाया गया था। 1949 में तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था करने का काम किया गया था। मान्यवर, इस तरफ इसके बाद 1961 में गठित बलवंत राव मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का गठन करने का काम किया गया। मान्यवर, इतना ही नहीं जो भी सरकारें आईं उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि किस तरीके से हम गांव को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करें और किस तरह से गांव के गरीब लोगों के बारे में सोचने का काम करें उसी के तहत 73वां संशोधन पारित करके पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति के लोगों को और अनुसूचित जनजाति के लोगों को और पिछड़ी जाति के लोगों को 1994 में आरक्षण की व्यवस्था करने का भी काम किया गया लेकिन मान्यवर, अगर हम स्थिति को उठाकर देखने का काम करें तो निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में 52 हजार ग्राम पंचायतें हैं, 820 क्षेत्र पंचायतें है और 70 जिला पंचायतें हैं। अगर आज हम उठाकर देखें तो आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार ने बजाय पंचायतों को मजबूत करने के उनको कमजोर करने का काम उत्तर प्रदेश में किया है, उत्तर प्रदेश में जब से यह सरकार बनी है आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ग्राम पंचायतों में जहां ग्राम प्रधान होता था अगर वहां कहीं किसी कारण से प्रधान का पद रिक्त होता था तो उप प्रधान का चुनाव कराया जाता था। मान्यवर, उप प्रधान, प्रधान के न रहने पर ग्राम का उप प्रधान ग्राम के विकास की योजनाओं को देखने का काम करता था। आज इस प्रदेश के लोगों को जो लोग आज प्रजातंत्र की बात करते हैं प्रजातंत्र व्यवस्था पर विश्वास करने की बात करते हैं मान्यवर, आज मुझे कहना पड़ रहा है कि ग्राम पंचायतों में आज जिस तरीके से उप प्रधान का पद समाप्त किया गया उसी तरह से क्षेत्र पंचायतों में ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख का पद समाप्त करने का काम किया गया इतना ही नहीं जो जिले की सबसे बड़ी पंचायत थी जिसके बारे में तमाम लोगों ने सपना देखने का काम किया था उत्तर प्रदेश की वर्तमान हुकूमत ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष का पद भी समाप्त करने का काम किया है। आज मैं कह सकता हूं कि किस तरीके से जो लोग चुनकर गये हैं उनको किस तरीके से हटाने का काम किया जा रहा है। शायद यह आपसे छिपा हुआ नहीं है।

मान्यवर, हरदोई के अंदर दो ब्लाकों में किस तरह से चुने हुए क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को हटाने का काम किया गया। मान्यवर, आज जिक्र कानपुर की एक घटना का हो रहा था। जिला परिषद् मेरठ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया गया। निश्चित रूप से उसके खिलाफ जिला पंचायत के 80 से 90 प्रतिशत सदस्य उसके खिलाफ थे लेकिन वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जाकर जिला पंचायत सदस्यों को जबरिया पकड़ने का काम किया तो मान्यवर, उसको प्रस्ताव लाने से रोका गया तो मान्यवर, किस तरीके से चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर माननीय मंत्री जी के जनपद का मामला है किस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष बांदा को मजबूर किया गया कि वह अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया। मान्यवर, चाहे वह दूसरा जनपद हों तो मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आपकी सोच है कि इस प्रदेश में गांवों को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया जाय इस प्रदेश के अन्दर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया जाय तो मैं मान्यवर, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी आज निश्चित रूप से इस बात की घोषणा करेंगे कि चाहे वह जिला पंचायत के उपाध्यक्ष का पद हो, चाहे ज्येष्ठ प्रमुख और उप प्रमुख का यह पद हो चाहे उप प्रधान का पद हो इन सारे पदों के खिलाफ जो निर्णय लिया गया है कि इनको नहीं रखा जायेगा इसकी घोषणा करने का काम करना चाहिए कि इनको रखा जायेगा। मान्यवर, जहां तक विकास का सवाल उठता है माननीय मंत्री जी ने सबसे पहले स्वच्छता अभियान का जिक्र मान्यवर किया है।

[समय 7 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, ग्रामीण स्वच्छता अभियान के अन्दर 70 जनपदों में यह योजना चल रही है जिसके अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपने निर्बल वर्ग के लोगों के बारे में कहा मैं संख्या नहीं बता रहा हूं क्योंकि संख्या मेरे पास है संख्या आप बता चुके हैं कि इतने शौचालयों का निर्माण कराने का काम किया गया है। मान्यवर, आपको भी अच्छी तरह से मालूम होगा कि कुछ धन भारत सरकार देती है कुछ राज्यांश उत्तर प्रदेश सरकार देती है। चार सौ रुपये उस लाभार्थी से शौचालय के लिए लेने का काम किया जाता है। मान्यवर, कुल मिलाकर चार सौ रुपये लेने के बाद 1500 रुपये उसे अनुदान के रूप में देने का काम किया जाता है। मान्यवर, आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं सदन में बैठे हमारे साथी सोच सकते हैं कि आज पूरे सूबे के अन्दर दो हजार रुपये ईंट की कीमत है। एक हजार ईंटों में शौचालय बनना तो दूर रहा उसका चैम्बर जो बनता है जो टैंक बनता है वह भी नहीं बन सकता है तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हमारी गांव में रहने वाली मातायें और बहनों, उनके लिए शौचालयों की व्यवस्था हो तो मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि इसमें अनुदान बढ़ाने का काम माननीय मंत्री जी को करना चाहिए। अम्बेडकर ग्राम विकास योजना का जहां तक सवाल है मैं कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर ग्राम जो 2007-08 में स्वीकृत हुए थे। मैं अपने जनपद की बात कर रहा हूं। अम्बेदकर ग्राम विकास योजना के

अन्दर जनपद उन्नाव में एक भी विकास का कार्य प्रारम्भ करने का काम नहीं किया गया है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान के बारे में माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है तमाम योजनायें हैं हैण्डपम्प के रख-रखाव का सवाल है। विद्यालय के रख-रखाव का सवाल है यह सारी चीजें ग्राम सभाओं से जुड़ी हैं इनकी वास्तविकता मान्यवर, माननीय मंत्री जी भी अच्छी तरह से जानते हैं। मान्यवर, शिक्षा समिति का अध्यक्ष आपका उप प्रधान होता है। 6-6 समितियां आप जिला पंचायत में बनवाने का काम करते हैं। जब प्रधान नहीं होगा शिक्षा समिति आपकी कहां होगी। कौन इन विद्यालयों की देख-रेख कर पायेगा। माननीय मंत्री जी आप इसको अच्छी तरह से सोच सकते हैं। मान्यवर, एक तरफ साफ-साफ पंचायती राज्य व्यवस्था में है कि जिला पंचायत का अध्यक्ष डी0आर0डी0ए0 का भी अध्यक्ष होगा। इतना ही नहीं जितनी विकास की योजना होंगी और जितने जनपद के अधिकारी होंगे वह सब उसके पदेन सदस्य होंगे। लेकिन मान्यवर, मैं इसीलिए बार-बार कह रहा हूं माननीय मंत्री जी जो जनप्रतिनिधियों को इससे अलग रख रहे हैं इसमें सोचें। जो समिति बनी है जिसके अन्तर्गत पिछड़ा क्षेत्र विकास के 35 जनपद घोषित किये गये हैं जिनमें विकास के कार्य होने हैं, उसमें आपने जिला पंचायत के अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं रखा है। उसका अध्यक्ष जिलाधिकारी होगा सम्बन्धित जनपद से, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जनप्रतिनिधियों की जो भावनायें थीं जो एक मंशा थी कि पंचायतों को मजबूत करने का काम किया जाए इसको आप कमजोर करने का काम कर रहे हैं।

इसी के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक-दो महत्वपूर्ण बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं मान्यवर, आप अच्छी तरह से जानते हैं आपके अधिकारी भी मौजूद होंगे 12वें वित्त का धन भारत सरकार उत्तर प्रदेश को देने का काम करती है। मान्यवर, यह प्राविधान है इसका 20 प्रतिशत धन जिला पंचायत को भेजने का काम करेंगे। 30 प्रतिशत धन क्षेत्र पंचायतों को देने का काम करेंगे और 50 प्रतिशत धन ग्रामीण पंचायतों को देने का काम करेंगे। जिस तरह राज्य वित्त आयोग का पैसा पंचायतों को देने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, बड़ा आश्चर्य है और यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि आज सारी की सारी योजनायें जो 12वें वित्त आयोग की हैं, उनके बारे में न तो जिला पंचायत को तय करने का अधिकार है, न क्षेत्र पंचायत को तय करने का अधिकार है और न ही ग्राम पंचायत को तय करने का अधिकार है। शासन से सीधे 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कहां काम कराया जायेगा, वह आपके माध्यम से सीधे आदेश किये जा रहे हैं। मान्यवर, आप इस पर विचार करें। मान्यवर, एक और बात है आज किस तरीके से पूरे प्रदेश के अन्दर पड़ाव अड्डे के नाम पर, बाजारों में तहबाजारी के नाम पर किस तरीके से पूरे प्रदेश में लूट का अड्डा बन गया है, शायद इसकी कल्पना आपको नहीं होगी। मान्यवर, पड़ाव अड्डे का एक नियम है, पड़ाव अड्डा की नीलामी शासन के निर्देश पर जिला पंचायतों के द्वारा कराने का काम किया जाता है। निश्चित रूप से जहां नीलामी होगी, जिस स्थान का ठेका लिया जायेगा, जहां पर ट्रक रुकेगा, जहां पर वह रुकेंगे, वहां पर उसकी वसूली करने का काम किया जायेगा। लेकिन मान्यवर, आश्चर्य तब होता है कि किस तरीके से पूरे प्रदेश के अन्दर लोग

जगह-जगह बैरियर लगा करके लूटने का काम कर रहे हैं और लूटने के अन्तर्गत अभी थोड़े दिन पहले जनपद उन्नाव में एक निषाद व्यक्ति की ट्रक जबरिया ठेकेदार रोक रहे थे, नहीं रोका तो उस आदमी को रौंदते हुए भाग गये और वह आदमी मर गया।

मान्यवर, इतना ही नहीं इस तरीके से आपके जनपद से जुड़ी हुई भी तमाम घटनायें हैं। मान्यवर, जिला पंचायत बांदा द्वारा नियम के विपरीत बांदा-बहराइच मार्ग पर बृंदा घाट पर अवैध बैरियर लगाकर बराबर वसूली हो रही है। मैं चाहता हूं कि आपके जनपद से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मा0 मंत्री जी इसको दिखवा करके इसको रुकवाने का काम करें। हूरागढ़ में झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय मार्ग पर भी बैरियर लगाकर 100 रुपये से 200 रुपये लेने का काम किया जा रहा है। नरैनी तथा अन्तरा रोड पर अवैध बैरियर लगाकर यह किया जा रहा है। मान्यवर, नियम यह है कि जिस जनपद में जहां भी खनिज निकल रहा है, उसी क्षेत्र में बिना बैरियर के 20 रुपये प्रति ट्रक लेने का काम किया जायेगा। मान्यवर, इसके साथ-साथ जिस तरीके से बाजारों के अन्दर नीलामी के नाम पर छोटे-छोटे किसान जो सब्जियां लेकर जाते हैं, शासनादेश है कि एक दुकानदार से 5 रुपया लिया जायेगा तो मान्यवर, उनसे 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक जबरिया वसूली करने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह तमाम चीजें सीधे जनता से जुड़ी हुई हैं, इनको आप दिखवाने का काम करें। मान्यवर, जिला पंचायतों में अपर मुख्य अधिका । का पद रिक्त होने पर आपके विभाग में एक व्यवस्था है कि आपके यहां जो कर अधिकारी होगा, कार्य अधिकारी होगा तथा अभियन्ता जो वरिष्ठ होगा, उसको आप अपर मुख्य अधिकारी का चार्ज देने का काम करेंगे। लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि साफ-साफ दिशा-निर्देश होने के बाद प्रमुख सचिव के कई पत्र जाने के बाद, अगर आप चाहें तो मैं उनका हवाला भी दे सकता हूं। मान्यवर, एक पत्र 14 सितम्बर, 2007 को देश दीपक, प्रमुख सचिव के द्वारा जारी किया गया। दूसरा 26 नवम्बर, 2007 को जारी किया गया और तीसरा 22 फरवरी, 2008 को जारी किया गया। मान्यवर, बराबर यह निर्देश दिया गया कि कोई भी स्थानान्तरण माननीय मुख्य मंत्री की अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि कौन से ऐसे कारण हैं कि जो 20-25 वर्षों से आपके विभाग की सेवा कर रहे हैं वह आज कहीं कार्यालय में सम्बद्ध करने का काम किया गया है और 10-12-15 जनपदों में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरे विभागों से प्रोन्नति पर लाने का काम किया गया है जो उस श्रेणी में भी नहीं आते।

मान्यवर, जो मुझे जानकारी है उससे अच्छी जानकारी आपको स्वयं होगी। मान्यवर, आज की तारीख में ऐसे 10 अधिकारी जो इससे पहले अपर जिला पंचायत अधिकारी थे वह आज जो आपका प्रकोष्ठ बना है उसमें सम्बद्ध है। मान्यवर, एक व्यवस्था है 1984 में जिला पंचायत के कार्यों को स्वीकृति प्रदान करने का एक क्राइटेरिया निश्चित किया गया था। उसमें यह था कि 50 हजार रुपये तक के काम आपका जो इंजीनियर होता है वह उसकी स्वीकृति देने का काम करता था और दूसरा 50 हजार से 5 लाख तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति अपर मुख्य

जिला पंचायत अधिकारी करता था और मान्यवर, उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक की स्वीकृति जिला पंचायत अध्यक्ष को करने का अधिकार था। एक लम्बा समय बीत जाने के बाद कि लगभग 24 साल पहले यह निर्धारण किया गया था। 24 साल से लगातार वही नियम कानून चले आ रहे हैं और आप भी जानते होंगे कि 10 लाख के ऊपर के जो कार्य होते हैं आपके शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए आते हैं। मैं यहां पर उसका जिक्र नही करना चाहता हूं कि किस तरीके से काम किया जाता है तो मान्यवर, 10 लाख से ऊपर के कार्य जिनका आपके शासन से स्वीकृत होने का काम होता है उसको समाप्त करके जिला पंचायत अध्यक्ष को जो स्वीकृति का पावर है उसको बढ़ाने का काम करें। मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों में कर्मियों की कमी है। पंचायत मित्रों के बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ कहा भी नहीं है कि जो पंचायत मित्रों को नियुक्त करने का काम किया गया है उनके मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगे या उनसे हजार-डेढ़ हजार रुपये में ही काम कराते रहेंगे। पंचायतों में अच्छी तरीके से काम हो, मान्यवर, जो पंचायत कर्मियों की कमी है उनके बारे में जगह निकालकर उनको भरने का काम किया जाये। पंचायत राज व्यवस्था में जो तमाम कमी हैं उस पर इन्हीं तमाम सुझावों के साथ कटौती पर बल देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे कराइये, साढ़े 8 बज गया है। 10 लोग और हो गये, 8 लोग इधर हैं। लेकिन आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि 15 लोग हैं और आप भी हाथ उठाये हैं। नहीं-नहीं उस्मानी जी। अगर किसी को बुला दिया तो सबको कहीं न कहीं बुलवाना पड़ेगा। आज इतना करते हैं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी काफी लोग दूसरे विषय पर बोले और माननीय उस्मानी जी तो हर विषय पर बोल रहे हैं। कोई जरूरी नहीं, मान्यवर, काफी समय हो गया है। कल काफी लंम्बा समय लगेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी का उत्तर भाषण होने दें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने देने पर)

श्री अध्यक्ष-

अगर मैं एक भी सदस्य को इजाजत दूंगा तो और भी सदस्य बोलेंगे। सत्ता पक्ष से भी कई हाथ उठे हैं। मैं कोई जबरिया नहीं कर रहा हूं। आप सुझाव दे सकते हैं। निषाद जी आप सुझाव दे सकते हैं आपको अधिकार है लेकिन समय बहुत हो गया है।

डा0 आर0ए0 उस्मानी-

मान्यवर, दो-दो मिनट बोलने दें।

श्री अध्यक्ष-

फिर मुझे सभी को बुलवाना पड़ेगा। मंत्री जी से उत्तर भाषण करा देते हैं।

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

मान्यवर, अभी हमारे वरिष्ठ साथी उदयराज जी ने पंचायती राज विभाग के बारे में कुछ सुझाव दिये थे।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, अभी तक कोई सुझाव नहीं आया है।

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा। आप मुझे लिखित दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आप सभी लोग से अनुरोध है कि लिखित सुझाव दे दें मंत्री जी को वह इसमें विचार कर लेंगे। जो आप बोलना चाहते थे वह लिखकर दे दें।

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

मान्यवर, उदयराज यादव जी ने कुछ सुझाव रखे हैं। पहले उनका सुझाव था कि गांव पंचायत में जो उप प्रधान का पद समाप्त हुआ है, जिला पंचायत में जो उपाध्यक्ष का पद समाप्त हुआ है और क्षेत्र पंचायत में जो ज्येष्ठ प्रमुख का पद समाप्त हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में प्राविधानित त्रिवर्षीय पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तर पर अध्यक्षों का जिक्र है उसमें उपाध्यक्षों का जिक्र नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में ग्राम पंचायतों के संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 में लागू है। पंचायतों में उपाध्यक्षों के सम्बन्ध में व्यवस्था अधिनियम में दी गयी है। माननीय अध्यक्ष जी उप प्रधान की व्यवस्था या ज्येष्ठ प्रमुख की व्यवस्था या उप ब्लाक प्रमुख की व्यवस्था या जिला पंचायतों में उपाध्यक्ष की व्यवस्था यह स्टेट गवर्मेंट ने किया है और प्रायः इसमें यह पाया गया है कि जब अध्यक्ष या प्रधान या प्रमुख नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में काम करते हैं और जब वह होते हैं तो उनका कोई रोल नहीं होता है, इसलिए यह ग्राम पंचायतों, ब्लाक प्रमुखों, जिला पंचायतों में उपाध्यक्ष के पद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। जहां तक समितियों की बात थी तो बहुत सारी समितियां बनी हुई हैं। ब्लाक स्तर पर, गांव पंचायत स्तर पर, उनका उप प्रधान या ज्येष्ठ ब्लाक प्रमुख या उपाध्यक्ष उसका अध्यक्ष होता है, उप समिति का। तो माननीय अध्यक्ष जी, गांव में ग्राम पंचायत सदस्य उसको नामित कर दिया जाता है उस समिति का अध्यक्ष, ब्लाकों में क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो जाता है और जिला पंचायत में जिला पंचायत के सदस्य हो जाते हैं, जैसे और समितियों में होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उसका कोई उपयोग नहीं पाया गया, इसलिए इस पद को समाप्त किया गया है। इस पद के चुनाव में भी काफी खर्च होता है सरकार का। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर के सरकार ने यह फैसला लिया है और दूसरी बात माननीय विधायक जी ने एक बात कही कि 1994 में रिजर्वेशन लागू किया गया था और आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा कि 1889 में भी लागू किया जा सकता था, लेकिन नहीं लागू किया गया।

जब 1994 में बी0एस0पी0 के साथ में थे तब एस0सी0 और ओ0बी0सी0 को रिजर्वेशन लागू किया गया। तीसरी बात माननीय विधायक जी ने कही कि क्षेत्र पंचायत के चुनाव जो लोग जीत कर आये हैं और जिला पंचायत का जो लोग चुनाव जीत कर आये हैं उनको जोर-जबरदस्ती के साथ हटाया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं साफतौर से इस बात को कह रहा हूं कि हमारी सरकार में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में कहीं पर तो क्या पूरे प्रदेश में किसी को जोर और जबदरस्ती के साथ नहीं हटाया जा रहा है कहीं पर भी पुलिस का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। भाई उदय राज जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, माननीय अध्यक्ष जी, आप भी अवगत होंगे, पूरा सदन भी अवगत होगा, जब चुनाव हुआ जिला पंचायत का या ब्लाक प्रमुखों का मैं जिक्र करूं मेरे बगल में यहां के माननीय विधायक जी बैठे हैं उमरदा में एक बार ब्लाक प्रमुख का चुनाव हुआ तो बी0डी0सी0 लगभग 100 थे और वोट 145 पड़े। हमीरपुर की जिला पंचायत चुनाव की घटना माननीय विधायक जी को याद होगी, भाई विशम्भर निषाद जी तो वहीं के हैं बांदा के हैं, वहां 16 में सात वोट पड़े और चार वोट हमारे जिलाधिकारी के बाहर दरवाजे से उठा लिये गये जहां वह वोट डालने जा रहे थे। औरैया में, इलाहाबाद में जिलाधिकारी के कम्पाउण्ड से उठा लिये गये चा· मेम्बर, ललितपुर में, आगरा में हमारे जिला पंचायत के सदस्यों की गाड़ियों पर गोली चलवाई गई और उनको उठा लिया गया वहां से। तो माननीय विधायक जी मैं इस बात का आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो पहले हुआ है, वह बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं होगा। चौथी बात आपने एक बात कही शौचालय के बारे में जो गांव में शौचालय बनाये जाते हैं, यह सही बात है कि पैसा कम है इसको मैं भी मानता हूं और माननीय विधायक जी आप नौ महीने पहले जब इधर रहे होंगे तो शायद न मानते रहे होंगे लेकिन मैं इधर रह कर भी इस बात को मानता हूं कि यह पैसा कम है। यह स्कीम पहले से है। इसमें 1500 रुपये अनुदान दिया जाता है गांव में एक लाभार्थी को जिसमें 900 रुपये सेण्ट्रल गवर्नमेन्ट देती है और 600 रुपये राज्य सरकार देती है और 400 रुपये लाभार्थी को लगाना होता है, कुल मिलाकर 1900 रुपये का उसमें दरवाजा और लिण्टर नहीं होता है।

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग इस बात को समझते हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी वैसे भी इन सारी चीजों पर चिंतित रहती हैं। हम लोग सेण्ट्रल गवर्नमेन्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चिट्ठी लिखेंगे हम लोग लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के वहां एक बात और है कि हम इस स्कीम के अन्तर्गत 2000 रुपये से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, उनका यह साफ कहना है, लेकिन फिर भी हम प्रयासरत हैं इसके लिए। आगे आपने कहा बैरियर और तहबाजारी के बारे में, माननीय अध्यक्ष जी, जिला पंचायत स्वतंत्र संस्था है, यह उनका अधिकार है बैरियर से उनको कुछ आमदनी होती है। मान्यवर, उसके तहत वह बैरियर और तहबाजारी का ठेका देते हैं। एक घटना का माननीय विधायक जी ने उन्नाव का जिक्र किया है उसकी मैं जांच करा लूंगा और उसको दिखवा लूंगा अगर ऐसी कोई बात पायी गयी तो कठोर से

कठोर कार्यवाही की जायेगी। यह कहा गया कि कार्याधिकारी सीनियर अधिकारी होते हैं उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है और उनको अटैच नहीं रखा जाता है। कहीं काम में नहीं लगाया जाता है। बहुत से कार्याधिकारी पहले भी रहे होंगे अटैच भी रहे हैं। उनको नहीं लगाया गया है। मान्यवर, जिनके बारे में यह जानकारी होगी कि यह अच्छे आदमी नहीं हैं यह सरकार की नीति के हिसाब से या जिला पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य जो हैं उनके हिसाब से ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो उनको काम में नहीं लगाया जायेगा। बहुत से लोगों के ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं गम्भीर आरोप लगे हुए हैं उनको नहीं लगाया गया है। वह आफिस में रिजर्व में है। यह कहा गया कि बारहवें वित्त आयोग के पैसे की स्वीकृति यहां से होती है शासन से होती है वह गांव से जिला पंचायत और ब्लाक प्रमुख के यहां से नहीं होती है। मान्यवर, आप अच्छी तरह से अवगत हैं कि 12वें वित्त आयोग की संस्तुति पर जो पैसा आता है 50 प्रतिशत सीधे ग्राम पंचायत को ट्रांसफर होता है 20 प्रतिशत क्षेत्र पंचायत की जिला पंचायत को 10 प्रतिशत कुछ तीसरी संस्था को ट्रांसफर हो जाता है और कुछ पैसा राज्य वित्त आयोग का वह भी चला जाता है। 12वें वित्त आयोग का कुछ पैसा यहां रहता है। यह आपके जमाने से चालू था। मेरे पहले जो मा0 मंत्री थे वह ऐसा करते थे। उनके कुछ समर्थक लोग आ जाते थे पार्टी के वह कहते थे कि हमने स्वीकृत कर दिया है आप ले जाईये। हो सकता है कि वह लोग उस सिस्टम को यहां कुछ चालू कराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर काम नियम कानून के तहत होगा जो पंचायती राज अधिनियम की व्यवस्थायें हैं उसके अनुसार होगा जो पहले हुआ है ऐसा कुछ नहीं होगा।

श्री उदय राज-

मान्यवर, बांदा अध्यक्ष का चुनाव आप समय से करा देंगे ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

मान्यवर, वह तो निर्वाचन आयोग के ऊपर है कि वह कब कराता है। मान्यवर, अन्त में माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और इस बजट को पारित कराने की कृपा करें।

श्री उदय राज-

मान्यवर, मैंने मंत्री जी को दो सुझाव दिये थे। एक तो ग्राम पंचायतों में उप प्रधानों के पदों को बहाल करेंगे ? क्षेत्र पंचायतों में ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख और जिला पंचायत में उपाध्यक्ष के पदों को बहाल करने का काम करेंगे और इन पदों के चुनाव कराये जायेंगे। दूसरे मंत्री जी ने पूर्व सरकार का जिक्र किया कि 12वें वित्त आयोग के पैसे का कैसे इस्तेमाल होता था। मान्यवर, इस तरीके से तो यह प्रतीत होता है कि आपका जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है। इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,01,02,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-51 की सूचनाएं ले रहे हैं।

आज दिनांक 27 फरवरी, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनाएं प्राप्त हुईं स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री अब्दुल कलाम की जनपद सिद्धार्थनगर व बस्ती के सीमावर्ती पुलिस चौकियों का संतकबीर नगर में किये जाने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना चौ0 धूराम लोधी की जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सरोला, मोहाण्ड एवं राठ में ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की महिला कल्याण विभाग में क्राफ्ट प्रशिक्षकों की नियुक्ति आई0टी0आई0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों से न कर एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा चौथी सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की अनुसूचित जाति के स्नातक अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं। पांचवीं सूचना श्री शम्भू चौधरी की जनपद कुशीनगर में खरवार जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील मिलक में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार की जनपद मऊ स्थित टोंस नदी पर बने पुल का टोल टैक्स समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री डी0पी0 यादव की जनपद बदायूं के सहसवान में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में तथा नवीं सूचना श्री अनिल कुमार यादव की महिला कल्याण निगम द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों द्वारा कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयीं। दसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद आगरा के भोगीपुरा तहसील के

श्री दुर्गेश कुमार की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की वर्ष 2006-07 में जनपद शाहजहांपुर में विधायकों की संस्तुति पर निर्माणाधीन अधूरी पड़ी सड़कों का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

जिन मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई वह निम्नलिखित हैं :-

श्री दीप नारायण सिंह, श्री प्रमोद तिवारी, श्री अब्दुल वारिस खां, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री इमरान मसूद, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री राघव लखनपाल शर्मा, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री धनन्जय सिंह, श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री विजय बहादुर यादव, महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी, श्री लल्लू सिंह, डा0 अजय तोमर, डा0 पी0के0 राय, श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल तथा डा0 राधामोहन दास अग्रवाल।

श्री शाहिद मंजूर सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री मुहम्मद इब्राहिम, समीक्षा अधिकारी, सचिवालय प्रशासन (विविध) अनु-9 के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

माननीय श्री शाहिद मंजूर, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत श्री मुहम्मद इब्राहीम, समीक्षा अधिकारी, सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-9 के विरुद्ध दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दी थी, जिस पर निर्णय ले लिया गया है और उक्त मामले में विशेषाधिकार-हनन अन्तर्ग्रस्त न पाये जाने के कारण उक्त सूचना अग्राह्य कर दी गयी है।

उक्त सूचना पर मेरे द्वारा लिया गया निर्णय सदन के दिनांक 27 फरवरी, 2008 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

माननीय श्री शाहिद मंजूर, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत श्री मुहम्मद इब्राहीम, समीक्षा अधिकारी, सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-9 के विरुद्ध दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना अभिसूचित की है।

माननीय श्री शाहिद मंजूर, सदस्य, विधान सभा ने अपनी सूचना के माध्यम से अवगत कराया है कि दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 को जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लगभग 5 माह से लम्बित टेलीफोन कनेक्शन को चालू कराने के लिए विधान सभा सचिवालय के लेखा अनुभाग-2 में गये थे तो वहां पर श्री इब्राहिम, समीक्षा अधिकारी, सचिवालय प्रशासन (विविध), अनुभाग-9 भी आ गये थे जिन्होंने माननीय सदस्य से बार-बार यही कहा कि जब तक वे पुराने बिल सत्यापित नहीं करेंगे तब तक टेलीफोन चालू नहीं होगा। माननीय सदस्य ने श्री इब्राहीम से बिल

उन्होंने कहा कि मेरठ से मण्डल प्रबन्धक कार्यालय से प्राप्त करके उन्हें सत्यापित करके दें, वर्ना वे फोन चालू नहीं होने देंगे। माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि टेलीफोन की सुविधा उनका अधिकार है जिसे रोककर सम्बन्धित कर्मचारी ने उनके विशेषाधिकार का हनन किया है। माननीय सदस्य ने श्री इब्राहीम, समीक्षा अधिकारी, सचिवालय प्रशासन (विविध), अनुभाग-9 के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री के माध्यम से श्री मुहम्मद इब्राहीम, समीक्षा अधिकारी, सचिवालय प्रशासन (विविध), अनुभाग-9 से उनका अभिकथन मांगा गया। सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय प्रशासन (विविध), अनुभाग-9 द्वारा आरोपित श्री मुहम्मद इब्राहीम, समीक्षा अधिकारी का अभिकथन प्राप्त कर विधान सभा सचिवालय को भेजा गया है जिसमें अवगत कराया गया है कि श्री मुहम्मद इब्राहीम, माननीय पूर्व मंत्री श्री शाहिद मंजूर के क्षेत्रीय आवास 21, नादिर अली बिल्डिंग मेरठ पर विधान सभा पूल के शासकीय दूरभाष संख्या-2420241 के बकाया बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 को उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय प्रशासन (विविध), अनुभाग-9 द्वारा मौखिक निर्देश दिये गये थे कि माननीय पूर्व राज्य मंत्री (वित्त) श्री शाहिद मंजूर के क्षेत्रीय आवास मेरठ पर लगे दूरभाष बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में स्थिति से तत्कालीन माननीय राज्य मंत्री (वित्त), जो उस समय माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के कार्यालय कक्ष में थे, को स्थिति से अवगत करा दिया जाय। श्री इब्राहीम उक्त आदेशों के अनुपालन में मेरे कार्यालय कक्ष गये थे किन्तु पूर्व राज्य मंत्री जी वहां से जा चुके थे। जानकारी करने पर श्री इब्राहीम को ज्ञात हुआ कि विधायकों को अनुमन्य टेलीफोन सुविधा का कार्य विधान सभा सचिवालय के लेखा अनुभाग-2 में व्यवहृत होता है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी आदेशों की प्रतियां वह लेखा अनुभाग-2, विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने के लिये गये जहां पर पूर्व राज्य मंत्री (वित्त), श्री शाहिद मंजूर पहले से मौजूद थे। श्री इब्राहीम ने बकाया बिलों के भुगतान से सम्बन्धित आदेश की प्रति लेखा अनुभाग-2 को उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया कि पूर्व राज्य मंत्री के बकाया बिलों के सत्यापन की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित बिल पूर्व राज्य मंत्री के क्षेत्रीय आवास, मेरठ को दिनांक 03 अक्टूबर, 2007 को भेज दिये गये हैं। सत्यापन के उपरान्त बिल प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। माननीय पूर्व राज्य मंत्री द्वारा अवगत कराया गया था कि सम्बन्धित टेलीफोन बिल उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं। इस पर श्री इब्राहीम ने अवगत कराया कि उक्त टेलीफोन बिल्स के डुप्लीकेट बिल उपलब्ध कराये जाने हेतु बी0एस0एन0एल0, मेरठ को फैक्स के माध्यम से दिनांक 25 अक्टूबर, 2007 को शासन द्वारा पत्र निर्गत कर दिया गया है। सत्यापन की कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में माननीय पूर्व राज्य मंत्री जी का अभिमत था कि उन्हें अनायास परेशान करने या विलम्ब करने हेतु सत्यापन की कार्यवाही करायी जा रही है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। श्री इब्राहीम का कथन है कि नियमानुसार क्षेत्रीय आवास के टेलीफोन बिलों के सम्बन्ध में सभी माननीय मंत्रीगण से सत्यापन की कार्यवाही करायी जाती है एवं बिलों के सत्यापन के पश्चात भुगतान की कार्यवाही की जाती है। उक्त

प्रक्रियानुसार ही माननीय पूर्व राज्य मंत्री के क्षेत्रीय आवास के लम्बित टेलीफोन बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में भी सत्यापन की कार्यवाही करायी जा रही है, बिल सत्यापित होकर प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही तत्काल की जायेगी।

प्रश्नगत प्रकरण विधान सभा के पूर्व राज्य मंत्री श्री शाहिद मंजूर को उपलब्ध कराये गये सरकारी फोन के बिलों से सम्बन्धित है जिसके सत्यापन एवं भुगतान की कार्यवाही में किन्हीं कारणों वश हुए विलम्ब के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई प्रतीत होती है। श्री मुहम्मद इब्राहीम, समीक्षा अधिकारी ने अपने अभिकथन में यह उल्लेख किया है कि माननीय सदस्य के प्रति उनका पूर्ण आदर एवं सम्मान है उन्होंने माननीय पूर्व राज्य मंत्री को पूर्ण शालीनता एवं विनम्रता से सारे तथ्यों को अवगत कराया था। श्री इब्राहीम ने अपने अभिकथन में यह भी उल्लेख किया है कि फिर भी यदि माननीय सदस्य के सम्मान में कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं।

मेरे विचार से इस प्रकरण में विशेषाधिकार हनन का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। इसी के साथ मैं इसे निस्तारित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायंकाल 08 बजकर 48 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 27 फरवरी, 2008

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 49 विधान सभा (88)-23-6-08-813-(कम्प्यूटर/आफसेट)।